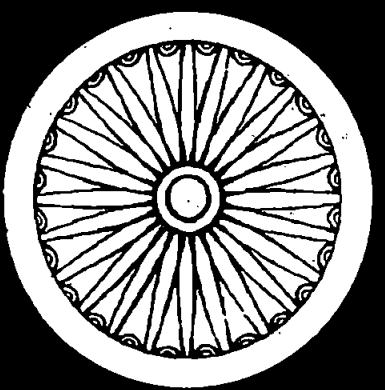

केंद्रीय रसायन, उर्वरक एवं इस्पात मंत्री श्री राम विलास पासवान के कर-कमलों से इस्पात मंत्रालय की राजभाषा शील्ड ग्रहण करते हुए श्री बी. रमेश कुमार, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एन.एम.डी.सी. लि., हैदराबाद।

नराकास (उपक्रम) गुवाहाटी की 24वीं बैठक में अध्यक्ष श्री जे.पी. गुहाराय द्वारा रिफाइनरी प्रचालित राजभाषा चल वैजयंती शील्ड ग्रहण करते हुए आवास तथा नगर विकास निगम लि. कार्यालय के अधिकारी, पार्श्व में सदस्य सचिव।

भारति जय विजय करे, कनक-शस्य-कमल धरे
—निराला

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 28

अंक : 109

अप्रैल—जून, 2005

❑ संपादक
निदेशक (अनुसंधान)
दूरभाष : 24617807

❑ उप-संपादक
डॉ० राजेंद्र प्रताप सिंह
दूरभाष : 24698054

❑ संपादन सहायक
शांति कुमार स्याल
फोन : 24698054

❑ निःशुल्क वितरण के लिए

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

❑ पत्र-व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा भारती, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, लोकनायक भवन (द्वितीय तल), खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

विषय-सूची — पृष्ठ

❑ सम्पादकीय — (iii)

❑ चिंतन

1. राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मुंशी प्रेम चंद —डॉ० राजेंद्र प्रताप सिंह 1
2. न्याय की भाषा : आवश्यकताएं एवं अपेक्षाएं —अनुपम श्रीवास्तव 3
3. वर्तमान समय में राजभाषा हिंदी की स्थिति —डॉ० साधना तोमर 5
4. सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयां एवं उनका समाधान —श्रीमती इंदु बाला 8

❑ साहित्यिकी

5. प्रेम चंद द्वारा अनूदित नाटक —अनिल पतंग 11
6. कोलकाता की साहित्यिक यात्रा —डॉ० सुधेश 14
7. डॉ० धर्मवीर भारती और उनका 'सातगीत वर्ष' —डॉ० विभा शुक्ला 18

❑ पुरानी यादें नए परिप्रेक्ष्य

8. संत साहित्य उद्धारक—डॉ० पीतांबर दत्त वड़थ्वाल —डॉ० पूजा अग्रवाल 23

❑ संस्कृति

9. पूज्य वृक्ष : करमा —नरेश चंद्र तिवारी 25
10. ब्राह्मण ग्रंथ —प्रो० योगेश चंद्र शर्मा 30

❑ विज्ञान

11. प्राकृतिक आपदा में आश्रय स्थल-एक सकारात्मक पहल —राजीव कुमार एवं डॉ० अचिंत्य 34
12. वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान : सही दिशा क्या हो ? —डॉ० दिनेश मणि, डी. एस. सी. 38

2132 HA 05—1A

चिंतन

राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मुंशी प्रेमचंद

—डॉ. राजेंद्र प्रताप सिंह*

मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई, 1880 को हुआ था। उन्होंने शिक्षक के रूप में जीविकोपार्जन शुरू किया और गांधी जी के भाषण से प्रभावित होकर सरकारी सेवा से त्यागपत्र देकर संपूर्ण जीवन साहित्य और समाज की सेवा में लगा दिया। गोदान, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, सेवा-सदन जैसी कालजयी कृतियों के इस सृजक का रचनाकाल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उत्कर्ष का वह काल रहा है, जब देश को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए पूरा देश समवेत स्वर में क्रांति के गीत गा रहा था। जहां एक ओर राजनीतिक नेता/क्रांतिकारी व्याख्यानों और क्रांतिकारी गतिविधियों का सहारा लेकर जनता को जगा रहे थे, वहीं प्रेमचंद जैसे रचनाकार अपनी लेखनी की धार का प्रयोग जन-जागरण के लिए कर रहे थे। प्रेमचंद जी जहां समाज में व्याप्त कुरीतियों और विषमताओं पर करारा प्रहार कर रहे थे, वहीं राष्ट्रीय अस्मिता की खोज के लिए भी प्रयासरत थे। उन्होंने समाज तथा राष्ट्र के समक्ष उपस्थित विभिन्न ज्वलंत समस्याओं के संबंध में प्रगतिशील दृष्टिकोण का परिचय दिया। राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर उनके विचार एक प्रौढ़ विचारक की दूरदृष्टि का परिचायक हैं।

हिंदी के लिए राजभाषा शब्द का प्रयोग संविधान सभा की देन है, परंतु स्वतंत्रता संघर्ष काल में इसके लिए "राष्ट्रभाषा", "कौमीभाषा" आदि का प्रयोग होता रहा था। मुंशी प्रेमचंद ने अपने भाषाई चिंतन में हिंदी के लिए "राष्ट्रभाषा", "कौमीज़बान" और "सार्वभौमिक भाषा" आदि का प्रयोग किया है। राष्ट्र की पहचान के लिए भाषा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा था कि "राष्ट्रीयता के उपादानों में जाति, धर्म और राजनीतिक, भौगोलिक परिस्थिति, संस्कृति और भाषा इन पांचों ही अंगों का होना आवश्यक है। लेकिन हमारे विचार में एक भाषा का होना मुख्य है। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र का बोध हो ही नहीं सकता। जहां राष्ट्र है वहां राष्ट्रभाषा का होना लाज़िमी है। अगर संपूर्ण राष्ट्र भारत को एक राष्ट्र बनाना है तो उसे एक भाषा का आधार लेना पड़ेगा। अंग्रेजी भाषा का प्रचार आपात धर्म है। इसे हम राष्ट्रभाषा का पद नहीं दे सकते। भाषा ही राष्ट्र, साहित्य और संस्कृति का निर्माण करती है, आदर्शों की सृष्टि करती है। अगर एक संस्कृति के रहते हुए भी एक राष्ट्र का आधार न रहे तो ऐसा राष्ट्र स्थाई नहीं हो सकता। एक भाषा बोलने वालों में कभी-कभी विरोध उत्पन्न हो जाते हैं और उनके पृथक राष्ट्र बन जाते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका इसका उदाहरण है, किंतु इसकी केवल एक मिसाल है। इसके प्रतिकूल एक नस्ल, एक संस्कृति और एक धर्म के अंतर्गत भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के अनेक उदाहरण हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि राष्ट्र निर्माण में भाषा का स्थान सबसे महत्व का है।"

प्रेमचंद जी का रचनाकाल भारतीय इतिहास का स्वतंत्रता संघर्ष काल रहा है। राष्ट्र के भविष्य, उसके स्वरूप के बारे में प्रेमचंद जी की चिंता एक रचनाकार की चिंता है। मुंशी प्रेमचंद ने मुंबई में 27 अक्तूबर, 1934 को होने वाले राष्ट्रभाषा सम्मेलन के लिए राष्ट्रभाषा के स्वरूप के बारे में आलेख लिखा था। इसी प्रकार 29 दिसम्बर, 1934 को दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास के चौथे दीक्षांत समारोह में भी अपने व्याख्यान में उन्होंने इसी संबंध में विचार व्यक्त किए थे। राष्ट्रभाषा हिंदी और उसकी समस्याएं विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने दक्षिण में व्याप्त हिंदी प्रेम को देखकर दिल प्रसन्न होने की बात कही थी, वहीं अंग्रेजी के प्रयोग के बारे में उनका कहना था कि यदि "इतने नग्न रूप में सभ्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा जनता की छाती पर मूंग दलने के लिए न छोड़ दी जाती तो भाषा के प्रभुत्व को तोड़कर देश की पराधीनता की मानसिक कमजोरी

*अनुसंधान अधिकारी, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।

2132 HA/05—2A

को राष्ट्र की गर्दन पर से झटक कर फेंक दिया जाता।'' प्रेमचंद जी ने अपना लेखन कार्य उर्दू में शुरू किया था। राष्ट्रभाषा के संदर्भ में उन्होंने हिंदी और उर्दू को एक माना। उनका कहा था कि ''ईश्वर भी वही है जो खुदा है और राष्ट्रभाषा में दोनों को समान रूप से स्थान मिलना चाहिए। जब तक यहां मुसलमान, ईसाई, फारसी, अफगानी सभी जातियां मौजूद हैं, तब तक हमारी मिली-जुली भाषा भी कायम रहेगी। अगर हिंदी भाषा प्रांतीय भाषा रहना चाहती है, तब तो वह शुद्ध बनाई जा सकती है, परंतु उसका अंग-भंग करके कायाकल्प करना होगा। (परंतु) वह प्रौढ़ हो चुकी है, पुनः शिशु बनेगी, यह असंभव है।'' यह युग लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी का युग था। देश की एकता और अखंडता के प्रति इनके चिंतन का प्रभाव प्रेमचंद जी के भाषाई चिंतन पर भी दिखाई देता है। स्वाधीनता के लगभग डेढ़ दशक पूर्व देश के लिए एक संपर्क भाषा की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने लिखा था कि ''हिंदी में मैथिली, भोजपुरी, अवधि, पहाड़ी, ब्रज, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी आदि कितनी ही बोलियां हैं। लेकिन जैसे छोटी-छोटी धाराओं के मिल जाने से एक बड़ा दरिया बना जाता है, जिसमें मिलकर नाले और नदियां अपना अस्तित्व खो देती हैं, उसी तरह से भाषाएं अपने अस्तित्व को कायम रखते हुए हिंदी की मातहत हो गई हैं और आज हर आदमी हिंदी समझता, बोलता है, लेकिन हमारे मुल्की फैलाव के साथ हमें एक ऐसी भाषा की जरूरत पड़ गई है, जो सारे हिंदुस्तान का पढ़ा-बेपढ़ आदमी उसी तरह समझे और बोले जैसे हर अंग्रेज, जर्मन तथा फ्रांसीसी अंग्रेजी, जर्मन या फ्रेंच बोलता है।'' क्षेत्रीय भाषाओं का प्रश्न उस समय भी उनको उद्वेलित करता रहता था, वे मानते थे कि क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न भाषाओं को तरक्की का अवसर मिलना चाहिए परंतु केंद्र की संपर्क भाषा के रूप में एक कौमी भाषा का होना पहली शर्त है। ''सूबे की भाषाएं अपनी जगह पर रहेंगी, वे जितनी उन्नति कर सकें करें, लेकिन एक कौमी भाषा का सहारा लिए बगैर राष्ट्र की जड़ कभी मजबूत नहीं हो सकती। हमारे पूज्य नेता सब के सब ऐसी जबान की जरूरत मानते हैं, लेकिन अभी तक उनका ध्यान खास तौर पर इस विषय की ओर नहीं गया। हमने ऐसा राष्ट्र बनाने का स्वप्न देखा है, जिसकी बुनियाद इस समय सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत है। इस बालू की बुनियाद पर हमारी कौमियत की मीनार खड़ी की जा रही है। लेकिन यदि हमने कौमियत की सबसे बड़ी शर्त यानी ''कौमी जबान'' की तरफ लापरवाही की तो इसका अर्थ यह होगा कि आपकी ''कौम'' (राष्ट्र) को जिंदा रखने के लिए अंग्रेजी की मरकजी हुकूमत कायम रहना लाजिमी होगा, वरना कोई मिलाने वाली ताकत न होने के कारण हम सब बिखर जाएंगे और प्रांतीयता जोर पकड़ कर राष्ट्र का गला घोंट देगी और जिस बिखरी हुई दशा में हम अंग्रेजों के आने से पहले थे, उसी में फिर लौट जाएंगे।''

दक्षिण भारत में हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ाने के महत्वपूर्ण कार्य में मुंशी प्रेमचंद ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। उन्हें मालूम था कि ''राष्ट्रभाषा'' के सर्व-स्वीकार्य रूप को तैयार करने में दक्षिण भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने 1935 में नाथूराम प्रेमी और हिंदी प्रचार सभा के कार्यकर्ता श्री शंकरन के साथ मद्रास की यात्रा की और वहां के हिंदी प्रचार से जुड़े लोगों को इस महती कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। वे इस दौरान काका कालेलकर जी के साथ श्री रामनाथ गोयनका के अतिथिगृह में ठहरे। दक्षिण भारत में उस समय संपूर्ण राष्ट्र को राष्ट्रभाषा रूपी माला में गूंथने का यज्ञ चल रहा था। राजगोपालाचारी जी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के अध्यक्ष और के. नागेश्वर राव उपाध्यक्ष थे। मद्रास में हिंदी प्रेमियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया और उनसे प्रेरणा प्राप्त की। इसके बाद वे मैसूर पंहुचे और वहां राष्ट्रभाषा परिषद' मैसूर के हिंदी प्रचार-प्रसार संबंधी प्रयासों का अवलोकन किया और उसकी भूरी-भूरी प्रशंसा की। उन्होंने राष्ट्रभाषा की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए प्रांतीय भाषाओं के शब्दों को लेने की वकालत करते हुए कहा था कि ''यदि ये सभी तत्व राष्ट्रभाषा में प्रांतीयता की सीमा से मुक्त होकर शुरू से प्रयोग में लाए गए होते तो राष्ट्रभाषा का विकास विश्व की किसी भी भाषा से कम न होता। प्रेमचंद जी ने ''कौमी भाषा'', ''सार्वदेशिक भाषा'' अथवा ''राष्ट्रभाषा'' का स्वरूप निर्धारित करते हुए कहा था कि ''मनुष्य के जैसे छोटे-छोटे समूह होते हैं, वैसी ही छोटी-छोटी भाषाएं भी होती हैं। अगर गौर से देखिए तो बीस-पच्चीस मील के अंदर ही भाषाओं में कुछ न कुछ फर्क हो जाता है। लेकिन जैसे-जैसे सभ्यता का विकास होता जाता है, ये स्थानीय भाषाएं किसी सूबे की भाषा में जा मिलती हैं और सूबे की भाषाएं एक सार्वदेशिक भाषा का अंग बन जाती हैं।''

इस प्रकार राजभाषा के संबंध में मुंशी प्रेमचंद ने राष्ट्र को एक मौलिक और समन्यवादी चिंतन प्रदान किया, जिसने आगे चलकर संविधान निर्माताओं को प्रभावित किया और हदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। राष्ट्र की समासिक

(शेष पृष्ठ 10 पर)

2132 HA/05—2B

न्याय की भाषा : आवश्यकताएं एवं अपेक्षाएं

—अनुपम श्रीवास्तव*

'न्याय' की आवश्कता तथा अवधारणा उतनी ही पुरानी है जितना स्वयं मानव का अपना अस्तित्व। आदिम युग में जब अज्ञान और अनजानेपन के परिवेश में समग्र सृष्टि की प्रत्येक वस्तु एवं संघटना उसके सामने नए-नए प्रश्न रखती थी, चिंतन-विश्लेषण की प्रक्रिया में हर कदम पर उसकी जिज्ञासा को न्याय-प्रज्ञा ही संतुष्ट करती थी। समाज, सभ्यता एवं संस्कृति के नवीन संदर्भों के विकास एवं 'विवाद और संघर्ष' जैसी नैसर्गिक मनोवृत्तियों की मुखरता के साथ ही साथ न्याय की संकल्पना भी एक आवश्यकता के रूप में उभरी और इसी क्रम में कालांतर में सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक एवं शास्त्रीय चिंतन की परंपरा के रूप में न्याय के विभिन्न आयाम विकसित हुए।

वस्तुत: समाज में समुचित संप्रेषण (Proper Communication) का अभाव या अवरोध ही न्याय की आवश्यकता को जन्म देता है। संप्रेषण के भटकाव से विवाद जन्म लेते हैं और न्याय वह माध्यम है जो इस प्रक्रिया से जुड़े दोनों पक्षों को सुनकर भटकाव को दूर करता है तथा विवाद को सम्वाद में बदलकर समाज, सभ्यता एवं संस्कृति के परंपरागत व समसामयिक मूल्यों की रक्षा करता है। इस रूप में जबकि न्याय मानव मन के अभिव्यक्ति पक्ष के संस्कर्ता एवं नियामक के रूप में सामने आता है, अभिव्यक्ति एवं संप्रेषण के प्राकृत माध्यम 'भाषा' का भी न्यायिक संदर्भ में विचार-विमर्श समीचीन जान पड़ता है। न्याय की भाषा से क्या अभिप्राय है? इसकी क्षमताएं व परिसीमाएं क्या हैं?, समसामयिक संदर्भों में इसकी क्या आवश्यकताएं हैं? तथा न्याय-भाषा से समाज एवं जन की क्या अपेक्षाएं हैं? - ये तमाम प्रश्न उस परिवेश में और भी सार्थक हो उठते हैं, जहाँ न्याय-भाषा और जनभाषा स्वयंमेव असंप्रेषणीयता से ग्रस्त हैं। क्या एक ऐसे समाज में जहाँ न्याय-भाषा जनभाषा से दूर (तथा कतिपय संदर्भों में पूर्णत: विमुख) हो, न्याय अपनी भूमिका का भलीभाँति निर्वाह कर सकता है? क्या यह आवश्यक नहीं कि सामाजिक समरसता के लिए न्याय-भाषा की वस्तुस्थिति का भी पुनरवलोकन किया जाए?

इस आलेख के प्रस्तुतीकरण का उद्देश्य न्याय-भाषा की वर्तमान आवश्यकताओं और अपेक्षाओं पर दृष्टिपात कर भाषा और समाज में संप्रेषण की समस्या पर विचार करना है।

न्याय-भाषा एक सामासिक पद है, जिसका प्रयोग दो अर्थों में देखा जाता है—

> प्रथम—वह भाषा जिसमें न्यायिक-कार्यकलाप संपन्न किए जाते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी आदि।
>
> द्वितीय—वह प्रादर्श अथवा मानदंड जो भाषा विशेष को न्यायिक कार्य की उपयुक्तता एवं गरिमा प्रदान करते हैं। (भाषाविज्ञान की तकनीकी शब्दावली में इसी को न्यायिक-प्रयुक्ति कहते हैं)

प्रस्तुत आलेख में हम दोनों स्थितियों पर विचार करेंगे। सर्वप्रथम न्याय-भाषा की कुछ सामान्य विशेषताओं की चर्चा करना उपयुक्त होगा।

सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, अभिधार्थपरकता तथा पारदर्शिता न्याय-भाषा की कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। न्याय-भाषा में द्वयर्थकता अथवा संदिग्धार्थकता नहीं होनी चाहिए, ताकि अर्थनिर्णय में कहीं किसी प्रकार की भ्रांति न हो। उदाहरण के लिए एक वाक्य लीजिए—

1. श्याम ने दौड़ते हुए कुत्ते को मारा

इस वाक्य में दो अर्थ-स्थितियां हो सकती हैं—

स्थिति-1 : श्याम दौड़ रहा था

स्थिति-2 : कुत्ता दौड़ रहा था

*भाषा विज्ञान विभाग, क० मुं० हिंदी तथा भाषा-विज्ञान राजभाषा विद्यापीठ, डॉ० भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा-282004।

न्याय-भाषा में अपूर्णता तथा भ्रामक संरचनाओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए निम्नलिखित वाक्य देखिए-

2. He should be hanged.

3. काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्

अंग्रेजी वाक्य (2) से केवल इतना अर्थ स्पष्ट होता है कि **उसे लटकाया जाए, कब तक लटकाया जाए? यह नहीं कहा गया।** अगला वाक्य (3) केवल **कौओं से दही की रक्षा करने के विषय में कहता है, कौओं के अतिरिक्त दूसरे जीवों से नहीं।** ये उदाहरण, न्याय की भाषा में प्राय: उपस्थित होने वाली भाषाई अपूर्णताओं और समस्याओं का सतही संकेत भर हैं। वास्तविक उदाहरण इसलिए जानबूझकर नहीं दिए गए हैं, ताकि माननीय न्यायालय की अवमानना न हो, वास्तव में यह समस्या न्यायालय, न्याय-भाषा और न्याय के दायरे में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति व संस्था की है। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति तथा असंभाव्यता, इन तीनों दोषों से मुक्त भाषा ही न्याय का आदर्श हो सकती है। चूंकि न्याय समाज एवं जन की आवश्यकता है, अत: न्याय भाषा अधिकाधिक सहजगम्य एवं संप्रेषणीय होनी चाहिए। जिस निर्णय अथवा आदेश के पाठ (Text) का अर्थ ग्रहण करने में कठिनाई हो, ऐसी भाषा न्याय को जनसामान्य से दूर करती है तथा न्याय की सर्वसुलभता के सिद्धांत को भी आघात पहुँचाती है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विचार करने पर न्याय-भाषा की दो समस्याएं सर्वप्रमुख रूप से सामने आती हैं—

(क) न्याय-भाषा के समुचित संप्रेषण अथवा बोधन की समस्या, तथा

(ख) निश्चित प्रादर्श की समस्या

इन समस्याओं के कारण न्याय प्रक्रिया दुरूह और जटिलतर हो जाती है और न्याय का लाभ कई बार पात्र व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाता। प्राय: देखा जाता है कि न्यायिक निर्णयों की भाषा इतनी उलझी हुई होती है कि हर बार एक नई व्याख्या की जरूरत पड़ती है और कोई आश्चर्य नहीं कि हर नई व्याख्या, हर नई विवेचना मूल अभिलेख के मंतव्य को और भी उलझाती है। यदि गंभीरतापूर्वक विचार करें तो संप्रेषण तथा बोध की यह समस्या निश्चित प्रादर्श की समस्या से जुड़ी हुई है।

भारतीय न्याय-व्यवस्था के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के न्यायिक अभिलेखों का अवलोकन करें तो सहज ही यह प्रश्न सामने आता है कि इन अभिलेखों की भाषा कितने प्रतिशत व्यक्तियों के लिए बोधगम्य है? इन अभिलेखों में बोधगम्यता की समस्या का एक बड़ा कारण **भाषाई प्रारूपों की बहुलता है**। समान मंतव्य की अभिव्यक्ति में हम विभिन्न प्रकार की संरचनाओं-शैलियों का प्रयोग देखते हैं। जिससे भाषाई एकरूपता, एकनिष्ठता व अनुशासन भंग होता है। इसी समस्या का दूसरा पक्ष यह है कि आज भी न्यायालयी प्रार्थनापत्रों, नोटिसों, रिपोर्टों, आदेशों, याचिकाओं, समनों आदि में एक ऐसी भाषा-रूढ़ि चली आ रही है जो न तो आमफ़हम है और न ही ख़ासपसंद। अत: इस पक्ष की ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

न्यायवचन को शास्त्रों में साक्षात् परमेश्वर का वचन कहा गया है। भारतीय संस्कृति में जहाँ 'न्यायो वै धर्म:' के आदर्श पर न्याय को धर्म के रूप में महिमाभिषिक्त कर न्यायवाक्य को स्मृतियों के रूप में सहेजकर पीढ़ियों का कर्तव्य निर्धारित किया जाता है। न्याय के भाषाई स्वरूप की विवेचना न केवल शास्त्रीय अपितु व्यापक लोकहित की दृष्टि से भी आवश्यक है। जिस समाज और जन की रक्षा के लिए न्याय का जन्म हुआ है, न्याय की भाषा उसी समाज और जन की भाषा होनी चाहिए। न्यायिक निर्णय जिस भी भाषा में संबोधित हों, संदर्भित भाषा की प्रकृति के प्रतिकूल नहीं होने चाहिए।

लोक में धर्म और सत्य दोनों की रक्षा का गुरुतर भार न्याय और न्यायजीवियों पर है। न्याय की भाषा को सर्वग्राह्य व सर्वसक्षम बनाने का दायित्व भी इसी शृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और यह दायित्व निभाने का यथायोग्य प्रयत्न सभी को करना चाहिए।

❑

वर्तमान समय में राजभाषा हिंदी की स्थिति

—डॉ. साधना तोमर*

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।
बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटै न हिय को शूल।।

भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यह कथन अकाट्य सत्य है कि निज भाषा की उन्नति के बिना किसी भी देश का साहित्यक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास संभव नहीं। भाषा केवल संप्रेषण का साधन ही नहीं, अपितु वह आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति का भी माध्यम होती है।

हिंदी एक श्रेष्ठ और समृद्ध भाषा है। इसमें वैज्ञानिक, इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकीय संकल्पनाओं को अभिव्यक्त करने की अपूर्व क्षमता है। संसार की श्रेष्ठतम भाषाओं में ध्वन्यात्मक स्थिति में हिंदी विशिष्ट है। यह जैसी बोली जाती है, वैसी ही लिखी जाती है। हिंदी में शब्द भंडार की अतिरिक्त वृद्धि हुई है। आधुनिक समय में वैज्ञानिकीकरण की प्रक्रिया में अपने अपार प्रत्यय-भंडार के बल पर नई संज्ञा, विशेषण और क्रिया के लिये हिंदी उपयुक्त शब्द देने में पूर्ण समर्थ है, जबकि अन्य किसी भाषा में यह गुण नहीं है। अपनी उत्तरोत्तर वृद्धि और नूतन अभिव्यंजना शक्ति के कारण आज हिंदी भारत में ही नहीं अपितु अन्य देशों में भी पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर रही है। भारत के सहस्रों विद्यालयों, महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त विश्व के सौ विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन-अध्यापन एवं शोधकार्य किया जा रहा है। संसार की समृद्ध भाषाओं के साहित्यिक-जगत की समस्त विधाओं एवं वादों में कोई ऐसा नहीं है जिस पर हिंदी भाषा में न लिखा जा रहा हो। विदेशी राष्ट्र इस भाषा को अपने-अपने केंद्रों पर सूचनाओं के लिये अपना रहे हैं और हिंदी के गौरवशाली ग्रंथों का अपनी भाषाओं में अनुवाद कर रहे हैं। यूनेस्को के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हिंदी भाषियों का स्थान अंग्रेजी व चीनी के उपरांत तीसरा है। किंतु समझी जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी का स्थान विश्व में प्रथम है। यह प्रत्येक काल—खंडों में सामायिक संदर्भों से जुड़ी रही है। हिंदी साहित्य ने पूरे विश्व में आध्यात्मिक और मानवीय मूल्यों को प्रसारित किया है। हिंदी साहित्य के महान रचनाकारों ने विश्व को भौतिकता के दुख-द्वंद्व से मुक्ति दिलाकर दिव्यानुभूति से साक्षात्कार कराया है। अतः लिपि, शब्द-भंडार और साहित्य की दृष्टि से हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है।

आधुनिक युग सूचना क्रांति का युग है। सूचना तकनीकी के प्रभावि से भी हिंदी साहित्य अछूता नहीं रह गया है। इंटरनेट में समाए ज्ञान व जानकारी के असीम सागर के बीच-हिंदी साहित्य भी अपना स्थान बना रहा है। पश्चिमी देशों में तो इंटरनेट जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। आज इंटरनेट पर हिंदी साहित्य से संबंधित वेबसाईटों की कमी नहीं है; यदि सर्च इंजन पर खोजें तो हिंदी साहित्य से संबंधित पाँच हजार से ज्यादा वेबसाईट उपलब्ध हैं; जिन पर साहित्य की विभिन्न विधाओं से संबंधित सामग्री की भरमार है। हिंदी साहित्य की कई जानी-मानी पत्रिकाएं भी आज इंटरनेट पर उपलब्ध हैं[1]। इंटरनेट और कंप्यूटर विद्वानों ने देवनागरी लिपि को सर्वाधिक शुद्ध और समर्थ माना है। हिंदी के एक लाख साठ हजार शब्द इंटरनेट पर आ गए हैं। भारत में संस्कृत के सहयोग से हिंदी में आठ लाख शब्द बनाए गए हैं, जबकि दस लाख शब्दों का भंडार पहले से ही है।[2]

इन सभी विशिष्टताओं के बावजूद, क्या हिंदी पूर्ण सम्मान की अधिकारिणी बन पाई? समग्र विश्व की संपर्क भाषा बनने में पूर्ण सक्षम हिंदी आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्वीकृत भाषा नहीं बन पाई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का स्थान तो दिया गया, परंतु अंग्रेजी को सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। हिंदी को सक्षम बनाने के लिए 15 वर्ष का समय दिया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष तथा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट रूप से

*प्रवक्ता, हिंदी विभाग, जनता वैदिक महाविद्यालय, बड़ौत (बागपत), उ०प्र०

2132 HA/05—3A

कहा था कि संविधान में उल्लिखित 15 वर्ष की अवधि वस्तुत: उनके लिए है, जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। हिंदी भाषी राज्यों को तत्काल हिंदी भाषा के माध्यम से सारा कामकाज करना है। 15 वर्ष बाद राजभाषा अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार यह प्रस्ताव पारित किया गया कि 26 जनवरी, 1965 के बाद हिंदी सभी राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होगी, परंतु इसके साथ-साथ अंग्रेजी भी प्रयुक्त होती रहेगी। स्वधीन भारत में दो राजभाषाओं का साथ-साथ प्रयोग क्या दो तरह की राष्ट्रीयता का द्योतक नहीं है? यह द्विभाषिकता राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक बनी है।

प्रतिवर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस पर नानाविध सम्मेलनों एवं गोष्ठियों का आयोजन करके हिंदी के विकास की शपथ ली जाती है, परंतु राट्र के कर्णधार ही इसके प्रबल विरोधी प्रतीत होते हैं। हमारे सांसद संसद में अंग्रेजी भाषा में वक्तव्य प्रस्तुत करना विद्वता का परिचायक मानते हैं। अंग्रेजी भाषा के प्रति भारतवासियों का अंधमोह उनकी हीनभावना का परिचायक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सदैव अंग्रेजी भाषा का विरोध किया। उनका मानना था—"मैं अपने देश के बच्चों के लिये जरूरी नहीं समझता कि वे अपनी बुद्धि के विकास के लिये एक विदेशी भाषा का बोझ अपने सिर पर ढोएँ और अपनी शक्तियों का ह्रास होने दें। दुनिया में और कहीं ऐसा नहीं होता।"[5]

हिंदी एक समर्थ, सशक्त और विकसित भाषा है। उच्च शिक्षण भी चाहे वह विज्ञान संबंधी हो, अथवा टेक्नोलॉजी संबंधी हिंदी माध्यम से दिया जा सकता है। 'आज अंग्रेजी का वर्चस्व इसलिए नहीं है कि हिंदी दुर्बल है, अपितु इसलिये है कि भारतीवासियों को अपनी सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है और हिंदी अपनाने के लिये वे कृतसंकल्प नहीं है।'[6]

हिंदी में वे सभी गुण विद्यमान हैं, जो एक राष्ट्रभाषा/राजभाषा में होने चाहिएं, फिर भी भारतवासी अंग्रेजी भाषा के दीवाने हैं। यह उनकी गुलाम मानसिकता नहीं तो और क्या है? एक अंग्रेजी विद्वान का कथन है कि यदि किसी जाति को अपने अधीन करना हो, उसे सदा के लिए अपना भक्त बनाए रखना हो तो उस जाति की भाषा, इतिहास और संस्कृति के प्रति उस जाति में विरक्ति उत्पन्न कर दो। ऐसा हो जाने पर वह जाति सदैव तुम्हारी गुलाम बनी रहेगी। अंग्रेजों ने यही तो किया और वे इसमें पूर्ण रूप से सफल भी हो गए।

पिछले पचास वर्षों में भारत सरकार ने हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए 25 हजार करोड़ रुपए खर्च किए। इतना सब करने के बाद भी क्या हिंदी का संवर्धन हुआ? 9 जून, 2003 को सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो में सातवां हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें 40 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसमें भारत से 250 प्रतिनिधियों का मंडल था, जिसका प्रतिनिधत्व विदेश राज्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया। इस पर भारत सरकार ने 20 करोड़ रुपए खर्च किये। इस सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा के अध्ययन के लिये विदेशों में स्थित संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में हिंदी पीठ स्थापित करने पर विशेष बल दिया गया। एक प्रस्ताव यह भी रखा गया कि प्रतिष्ठित विद्वानों के सहयोग से उच्चस्तरीय अंतरराष्ट्रीय पत्रिका का प्रकाशन किया जाए एवं हिंदी का प्रचार-प्रसार आधुनिक प्रौद्योगिकी व उपकरणों की मदद से बेहतर ढंग से किया जाए। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व भी छह विश्व-हिंदी-सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में सन् 1975 में आयोजित किया गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को अधिकृत भाषा का दर्जा दिलाने और वर्धा में हिंदी-पीठ स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। इसके बाद दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1976 में मॉरीशस में आयोजित किया गया, जिसमें मॉरीशस में विश्व-हिंदी-केंद्र स्थापित करने और एक अंतरराष्ट्रीय-हिंदी-पत्रिका प्रकाशित करने पर बल दिया गया। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन सन् 1983 में दिल्ली में आयोजित किया गया, इसमें लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक स्थाई समिति का गठन करने का निश्चय किया गया, साथ ही एक संगठन समिति बनाने की भी चर्चा की गयी। चौथा सम्मेलन सन् 1993 में पुन: मॉरीशस में आयोजित किया गया, जिसमें मूल भारतीय निवासियों के बीच संचार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया तथा हिंदी के प्रचार-प्रसार को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया गया। पाँचवा सम्मेलन सन् 1996 में ट्रिनीड़ाड में हुआ, जिसका उद्देश्य था—क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय तथा द्वितीय विदेशी भाषा के रूप में हिंदी भाषा की भूमिका का मूल्यांकन करना, शिक्षा, संचार-संप्रेषण, मुद्रण-प्रकाशन के क्षेत्र में हिंदी का विकास और कंप्यूटर प्रविधि से हिंदी की प्रगति का प्रसार करना। इस सम्मेलन में यह भी स्वीकार किया गया कि पिछले सम्मेलनों में किए गए फैसलों को लागू नहीं किया गया। छठा सम्मेलन सन् 1999 में लंदन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में भारत के अनेक साहित्यकारों ने भाग

2132 HA/05—3B

लिया तथा हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा विकास पर बल दिया। इन सभी विश्व हिंदी सम्मेलनों में पारित प्रस्तावों को कभी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया गया। अब तक इनमें से केवल एक ही प्रस्ताव लागू हुआ है, जो कि वर्धा में अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करना था। यदि परिणाम यही होना है तो इन विश्व हिंदी सम्मेलनों से हिंदी का कितना प्रचार-प्रसार तथा विकास होगा? इसका अंदाजा हम सहज ही लगा सकते हैं।

राजभाषा होते हुए भी हिंदी आज अपने ही देश में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं कर पा रही है। इसका मुख्य कारण है कि हम सिद्धांतों की बात तो करते हैं परंतु व्यवहारिक रूप से उन सिद्धांतों का पालन नहीं करते। हिंदी के विकास में सबसे बड़ी बाधा अंग्रेजी भाषा का प्रचार-प्रसार है। आज भी भारत का शासक वर्ग, उच्च अधिकारी वर्ग अंग्रेजी को अपनी श्रेष्ठता का आधार मानते हैं। देश के सरकारी कार्यालयों में आज भी सभी कार्य अंग्रेजी में किए जा रहे हैं। अंग्रेजी की मरीचिका जन-सामान्य को भी लुभा रही है। हिंदी के प्रचार-प्रसार और विकास की योजनाएं तो बनाई जाती हैं, परंतु उन्हें कार्यान्वित नहीं किया जाता। सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर शिक्षण की भी हिंदी में पूर्ण व्यवस्था नहीं है।

हिंदी हमारी अस्मिता की वाग्धारा, सांकृतिक चेतना की अभिव्यक्ति और सांस्कृतिक विरासत की संरक्षिका है। यह हमारी राष्ट्रीय एकता, धार्मिक सहिष्णुता और मेल-मिलाप की भाषा है। भाषा केवल व्यक्ति के मन की अभियक्ति का माध्यम ही नहीं होती, वह राष्ट्र-मन को भी अभिव्यक्त करती है, वह सांस्कृतिक चेतना को भी अभिव्यक्त करती है। एक विदेशी भाषा में राष्ट्र की आत्मा की, उसकी संस्कृति की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती,[7]

हिंदी राजभाषा, राष्ट्रभाषा और बहुत बड़े वर्ग की मातृभाषा है। इसके पास संस्कृति की, अथाह ज्ञान-विज्ञान की समृद्ध परंपरा है और इसकी लिपि देवनागरी कंप्यूटर के लिये सर्वाधिक उपयुक्त और वैज्ञानिक है। हिंदी भाषा में उच्च अध्ययन के लिये वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य उपलब्ध है। वर्तमान समय में राष्ट्रभाषा हिंदी को वास्तविक न्यायपूर्ण स्थान दिलाना हमरा परम कर्त्तव्य है। इसके लिये हिंदी तथा अन्य भाषाओं के साहित्यकारों के बीच समन्वय स्थापित करना भी आवश्यक है। हिंदी भाषा के विकास से ही राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होगी। डॉ. विद्या शर्मा जी के इस कथन से में पूर्णतया सहमत हूं कि 'यदि आज स्वतंत्र भारत में स्वभाषा हिंदी को विदेशी (अंग्रेजी) भाषा के समक्ष गौरवपूर्ण दर्जा नहीं दिया गया, तो भारत की एकता का विश्वास खंड-खंड हो टूट जाएगा।'[8] राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास पर ही देश का साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास निर्भर है। इसके अस्तित्व को कायम रखना सभी भारतवासियों का दायित्व है, क्योंकि—

हिंदी हिंद की आत्मा, इस बिनु नहीं विकास।
अस्मिता यह राष्ट्र की, जन-जन का विश्वास ॥

संदर्भ—

1. डॉ. द्वारिका प्रसाद सक्सेना, भाषा विज्ञान के सिद्धांत तथा हिंदी भाषा, पृष्ठ संख्या-357
2. डॉ. दाऊजी गुप्त, साहित्य भारतीय (अप्रैल-जून 2003), पृ.सं.-41
3. रवीन्द्र रंजन, आजकल (जुलाई-2003, पृ.सं.-12)
4. आचार्य कंचन ओमप्रकाश मिश्र, परिचर्चा-संकलन-राजभाषा वर्तमान में अंग्रेजी या हिंदी, पृ.सं.-117
5. डॉ. कुमार विमल, भारत की भाषा समस्या, पृ.सं.-217
6. उमा शुक्ल, उच्च शिक्षा पत्रिका (वि.वि.अ.आ.-अंक पावस 1994)पृ.सं.-485
7. श्याम विद्यार्थी, शोध पत्रिका, केरल हि.सा.अ. (जनवरी-मार्च 2003)पृ.सं.-37
8. डॉ. विद्या शर्मा, शोध पत्रिका, केरल हि.सा.अ. (जनवरी-मार्च) 2003 पृ.सं.-44

सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयां एवं उनका समाधान

—श्रीमती इंदु बाला*

भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। किसी भी प्रजातांत्रिक देश के लिए यह अनिवार्य है कि उसका सरकारी कामकाज जनता की भाषा में हो, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। आज भी अधिकांश सरकारी कामकाज अंग्रेजी में हो रहा है और उसका कारण है हमारी मानसिकता।

संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 प्रमुख भारतीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हिंदी इन सभी भाषाओं में प्रमुख भाषा है। यह भारत में अधिकांश लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे संविधान निर्माताओं ने 14-9-1949 को हिंदी को संघ सरकार की राजभाषा स्वीकार किया था। चूंकि हमारा संविधान 26-1-1950 को लागू हुआ था, अत: 26 जनवरी, 1950 से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ सरकार की राजभाषा है। हिंदी न जानने वालों को किसी तरह की कठिनाई न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए, 15 वर्षों तक, अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने की भी व्यवस्था की गई थी। ऐसा करने का एक कारण यह भी था कि इस अवधि में (26 जनवरी, 1950 से 25 जनवरी 1965 तक) प्रशासनिक भाषा के रूप में हिंदी का समुचित विकास कर लिया जाएगा और इसका प्रयोग करने हेतु सभी प्रकार के अपेक्षित साधन और सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाएंगी।

संविधान में, संसद को यह भी अधिकार दिया गया था कि वह चाहे तो अधिनियम पास करके 1965 के बाद भी सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने के संबंध में व्यवस्था कर सकती है। 15 वर्षों की समाप्ति पर अंग्रेजी का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। परिणामस्वरूप हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से राजभाषा अधिनियम, 1963 पारित किया गया जिसके द्वारा 1965 के बाद भी अनिश्चित काल तक अंग्रेजी में भी सरकारी कामकाज किए जाने की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात हिंदी और अंग्रेजी में एक साथ जारी होने चाहिएं। राजभाषा अधिनियम को लागू करने के उद्देश्य से 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए। इन नियमों के अंतर्गत हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से संपूर्ण राष्ट्र को तीन क्षेत्रों में रखा गया है :—

'क' (हिंदी भाषी राज्य)	11
'ख' (अर्ध हिंदी भाषी राज्य)	04
'ग' (हिंदीतर भाषी राज्य)	20
कुल राज्य	35

राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के तहत केंद्र सरकार के कार्यालयों में कुछ कार्य हिंदी और अंग्रेजी में करना अपेक्षित है। इस प्रकार आज हम द्विभाषिकता के दौर से गुजर रहे हैं। प्रत्येक कार्यालय में सभी मोहरें/नामपट्ट द्विभाषी होने चाहिएं। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) में उल्लिखित सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से एक साथ (हिंदी और अंग्रेजी में) जारी किए जाने चाहिएं। इस प्रकार केंद्र सरकार के कार्यालयों में सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग होने लगा है। कई कार्यालयों में काफी कार्य हिंदी में हो रहा है। संघ सरकार की नीति है कि राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रेरणा, प्रोत्साहन और पुरस्कार के माध्यम से बढ़ाया जाए।

*410, लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली-110023

संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के चार स्तंभ माने जा सकते हैं :—

(1) भारतीय संविधान

(2) राजभाषा अधिनियम

(3) राजभाषा नियम तथा

(4) वार्षिक कार्यक्रम

भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है। संविधान में किए गए प्रावधानों के अंतर्गत राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया। राजभाषा अधिनियम को लागू करने के उद्देश्य से 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए। इन नियमों के अंतर्गत हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से "क", "ख", "ग" क्षेत्र बनाए गए हैं। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के तहत प्रत्येक क्षेत्र के लिए सरकारी कामकाज में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

आंकड़ों के हिसाब से पिछले 50 वर्षों में हिंदी के प्रचार-प्रसार में काफी तरक्की हुई है। हिंदी आज भारत की संपर्क भाषा है, भारत की राजभाषा है और अधिकांश लोगों की मातृभाषा है। आज मीडिया ने तो इसे विश्व-भाषा बना दिया है। इसमें विश्व-भाषा के सभी गुण मौजूद हैं। हम सभी हिंदी जानते हैं, हम सभी हिंदी बोल सकते हैं। परंतु हम हिंदी लिखते नहीं। लोग हिंदी जानते हैं, सरकारी कामकाज में चर्चा भी सामान्यतया हिंदी में ही करते हैं, परंतु लिखते वक्त अंग्रेजी में लिखते हैं। इसके लिए जिम्मेदार है हमारी मानसिकता। हिंदी शास्त्रीय संगीत की भाषा है, संस्कारों की भाषा है। स्वतंत्रता संग्राम की भाषा है, रेल की भाषा है, जेल की भाषा है। सैनिकों की भाषा है, समाचारों की भाषा है, कुलियों की भाषा है। खेतों और खलिहानों की भाषा है, साधुओं और संतों की भाषा है। कोई भी भाषा स्वयं पल्लवित, पुष्पित नहीं होती, बल्कि उस भाषा के प्रति लोगों का प्यार ही उसे समृद्ध करता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है और केंद्र सरकार तथा हिंदी राज्यों की राजभाषा भी है। केंद्र सरकार और राज्यों के बीच संपर्क की भाषा है। हिंदी के प्रचार-प्रसार से आज उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, हिंदी और अहिंदी का अंतर धीरे-धीरे कम हो रहा है। आज हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है परंतु गति धीमी है। कारण है हमारी मानसिकता। यह मानसिकता सभी लोगों में है। अधिकांश हिंदी प्रेमी भी अपने घर पर अंग्रेजी के समाचार-पत्र मंगवाते हैं, पत्रिकाएं अंग्रेजी में पढ़ते हैं। यदि उनका अंग्रेजी मोह न होता तो आज हिंदी की कई प्रतिष्ठित पत्रिकाएं बंद न होतीं। साप्ताहिक हिंदुस्तान बंद हो गया है, धर्मयुग बंद हो गया है, सारिका बंद हो गई है और कई अन्य पत्र-पत्रिकाएं अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। यदि जागरूक पाठक इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो वे भी पाठक न मिलने के कारण बंद हो जाएंगी। कई हिंदी प्रेमी अपने निमंत्रण-पत्र आदि अंग्रेजी में ही छपवाते हैं भले ही वैडिंग की ज़गह वैल्डिंग छपवाते हों। यह उनकी मानसिकता का प्रतीक है। जिस दिन हमारी मानसिकता हिंदी के प्रति सकारात्मक हो जाएगी, उसी दिन से हिंदी अपनी सम्मानजनक स्थिति प्राप्त कर लेगी।

संघ सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में वृद्धि के लिए हमें कई मोर्चों पर प्रयास करने होंगे। सबसे पहले, सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा की सांविधानिक स्थिति, उनकी पृष्ठ भूमि, संपर्क भाषा तथा राष्ट्रीय पहचान और अस्मिता के रूप में उसकी भूमिका से परिचित कराना जरूरी है। यद्यपि भारतीय प्रशासन सेवा आदि के अधिकारियों को यह जानकारी प्रशिक्षण के दौरान ही करा दी जाती है, परंतु देखा यह गया है कि प्रशिक्षण के दौरान ही हिंदी के प्रति उदासीनता का परिवेश जीवन पर्यंत इन प्रशासकों पर छाया रहता है। विभिन्न स्तरों पर भर्ती के दौरान ही न केवल हिंदी की सांविधानिक स्थिति पर जानकारी देने की जरूरत है वरन् उसी स्तर पर प्रेरणादायक व्याख्यान मालाएं आयोजित करके उन्हें हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करके भेजे जाने की जरूरत है। दूसरे, कार्यालयों में पहुंच कर अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए अच्छा माहौल और प्रोत्साहन मिले, इसके लिए हिंदी में काम करने वालों को मान्यता, प्रोत्साहन तथा पदोन्नति जैसे कारक शुरू किए जाएं। अभी तक कार्यालयों में हिंदी में कार्य केवल औपचारिक तथा आंकड़ों पर आधारित है। केवल हिंदी अनुभाग अनुवाद के सहारे थोड़ा-बहुत अनिवार्य दस्तावेजों का हिंदीकरण कर पाता है। तीसरे, हिंदी कार्यालय की भाषा न होकर हिंदी अनुभाग की भाषा बन कर रह गई है। एक ओर पूरा कार्यालय अंगेजी में कार्य करता है तो दूसरी ओर केवल हिंदी अनुभाग हिंदी में कार्य करता है। इस 'जातीय भेद-भाव' को दूर किए जाने की जरूरत है। हिंदी में मूल टिप्पण आलेखन को अनिवार्य बनाया जाए और हिंदी में कार्य को अंग्रेजी के मुकाबले वरीयता दी जानी

2132 HA/05—4A

चाहिए। इसके लिए कार्यालय पद्धति नियम पुस्तक तथा गोपनीय रिपोर्ट प्रपत्र में अपेक्षित प्रावधान जोड़े जाने चाहिएं। चौथे, हिंदी में कार्य करने के लिए सहायक सामग्री, शब्दकोष, कंप्यूटर में हिंदी में कार्य की सुविधा जैसे मूलभूत उपादान सरकारी तंत्र में इस तरह उपलब्ध होने चाहिएं कि उसके लिए न तो मांग करनी पड़े और न ही अलग से बजट की अनुपलब्धता की समस्या सामने आए। ये सभी सुविधाएं स्वभावत: कार्यालय व्यवस्था में होनी चाहिएं। पांचवें, हिंदी कार्य करने का उत्तरदायित्व सबसे पहले कार्यालय के प्रधान पर होना चाहिए। यह ध्यान रखने की बात है कि अधीनस्थ सदैव अपने वरिष्ठ और आसन्न अधिकारी की नकल करके/उसके पद-चिह्नों पर चलकर उसकी प्रशंसा/मान्यताप्राप्त करना चाहते हैं। हमें इस मानवीय कमजोरी को ताकत में बदलने का प्रयास करना चाहिए। अत: वरिष्ठ अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट/पदोन्नति समिति संबंधी सार में उनके द्वारा हिंदी में कार्य करने का उल्लेख होना चाहिए। छठे, हिंदी में गर्व का भाव जागृत करने तथा कार्य गति बनाए रखने के लिए प्रेरणादायक/अभ्यासमूलक व्याख्यान/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिएं। इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान होना चाहिए। अभी तक प्रशासन तंत्र हिंदी के प्रगामी प्रयोग पर व्यय होने वाली राशि को घाटे का सौदा मानने की मनोवृत्ति पर चल रहा है। राष्ट्रीय हित में इसे बदलने की जरूरत है, सातवें, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज के समान ही राजभाषा की अवहेलना न करने के प्रति लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। संविधान और उसमें स्थापित प्रावधानों का उल्लंघन करने की अनुमति किसी को नहीं होनी चाहिए। आठवें, हिंदी के प्रचार-प्रसार को केवल सरकारी कार्यालयों में अलग-थलग कार्यान्वित करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। हिंदी राजभाषा के साथ ही राष्ट्रभाषा और देश की संपर्क भाषा भी है। अत: उसके विकास के लिए समन्वित और ठोस प्रयास किए जाने चाहिएं और इस कार्यक्रम में सरकारी कार्यालयों के साथ जनता को भी जोड़ा जाना चाहिए।

इस प्रकार अनुभव के आधार पर सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में आने वाली कठिनाइयों और उनके समाधानों को सुझाया गया है। पिछले कुछ वर्षों की तुलना में आज हिंदी में अधिक कार्य हो रहा है। हिंदी का प्रचार-प्रसार बढ़ा है। हिंदी को एक नई दिशा मिली है और मीडिया ने इसके प्रचार-प्रसार में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जरूरत बस मानसिकता को सकारात्मक करने की है।

❐

(पृष्ठ 2 का शेष)

संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी बने, इस दिशा में वह स्वतंत्रता के लगभग दो दशक पूर्व ही चिंतन कर रहे थे। प्रांतीयता और क्षेत्रीयता देश की अखंडता को हानि पहुचा सकती हैं, यह उनके चिंतन में स्पष्ट दिखाई देता है। अंग्रेजी के वर्चस्व तथा भाषाई संकीर्णता संबंधी प्रेमचंद जी की आशंका निर्मूल नहीं थी, यह सिद्ध हो चुका है। जरूरत है हमें उनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर राष्ट्रभाषा को सर्वस्वीकार्य रूप देकर उसे राष्ट्र की एकता, अखंडता और अस्मिता से जोड़ने की।

संदर्भ :—

1. प्रेमचंद और राष्ट्रभाषा हिंदी (आलेख), डा. रत्नाकर पांडेय, राजभाषा भारती (अंक 11-12), 1981

2. प्रेमचंद के विचार भाग-2, सरस्वती प्रेस, इलाहाबाद, 1982

3. हिंदी मत-अभिमत, विमलेश कांति वर्मा, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, 1996

2132 HA/05—4B

साहित्यिकी

प्रेमचंद द्वारा अनूदित नाटक

—अनिल पतंग*

महान् कथाकार—उपन्यासकार प्रेमचंद को अगर महान् नाटककार की संज्ञा से विभूषित कर दिया जाए तो शायद एक सौ पच्चीसवें वर्ष की यह भी एक उपलब्धि होगी। कहानी और उपन्यास पर इतने चर्चे हुए हैं कि अब और अधिक लिखना कलम का अभ्यास ही कहा जायेगा। लेकिन इनके द्वारा विरचित नाटकों और अनूदित नाटकों की विस्तृत चर्चा की जाए तो हिंदी साहित्य और समृद्ध हो सकता है। प्रेमचंद ने अपनी कलम पहली बार नाटक लिखने के लिए ही उठाई थी। अपने स्कूली जीवन में, जब वे मात्र 12-13 वर्ष के थे, उन्होंने अपने एक रिश्ते में लगने वाले मामा के कृत्यों को 'होनहार बीरवान के होत चीकने पात' नामक नाटक में वर्णित किया, जिसमें उनका संबंध एक दलित महिला के साथ होने और इस कारण उनकी पिटाई हो जाने की चर्चा थी। मित्रों ने इस नाटक की प्रशंसा की थी। प्रतिक्रियार्थ उस नाट्यलेख को मामा के तकिए के नीचे डालकर वे स्कूल चले गये थे। लौटने पर मामा और नाटक दोनों गायब पाए गए। पता नहीं इससे वे हतोत्साहित हुए और अपनी लेखन की विधा बदल दी, लेकिन अंदर से आग सुलगती रही। नाट्य विधा को वे अधिक प्रभावकारी मानते रहे। इसलिये न चाहते हुए भी उन्होंने कई नाटकों की रचना की।

उनके द्वारा विरचित नाटकों में उपलब्ध एवं प्रकाशित तीन नाटक हैं जिनकी चर्चा भी हुई है। नाटक लिखते समय वे हमेशा इसे अपनी अनाधिकार चेष्टा मानते रहे। यही कारण है कि लोग उन्हें नाटककार नहीं मानते। उन्होंने 'संग्राम' की भूमिका में लिखा है—"...इस कथा का ढंग ही कुछ ऐसा था कि मैं इसे उपन्यास का रूप न दे सकता था। यही इस अनाधिकार चेष्टा का मुख्य कारण है। साहित्य के क्षेत्र में यह मेरा पहला और अंतिम दुस्साहपूर्ण पदक्षेप है।" लेकिन यह अंतिम नहीं रह सका। उन्होंने ठीक एक वर्ष बाद ही 'कर्बला' और फिर नौ वर्षों के बाद 'प्रेम की बेदी' नाटक की रचना की थी। लेकिन हर बार वे इसे अपनी अनाधिकार चेष्टा ही मानते रहे। जब कोई व्यक्ति किसी विधा में अनुवाद करता है, तो निश्चित रूप से उस विधा के साथ उसका संबंध होता है। वे अंग्रेजी के नाटककार जॉन्स गॉल्सवर्दी से इतने प्रभावित हुए कि उनके कई नाटकों का अनुवाद हिंदी में किया। निश्चित रूप से उन नाटकों की कथा-वस्तु उनके विचारों के समकक्ष है तथा कथ्य दिल को छू लेता है। वे नाटक हैं—सिल्वर बाक्स, जस्टिस एवं स्ट्राइक, जिन्हें क्रमशः चांदी की डिबिया, न्याय और हड़ताल शीर्षक से अनुवाद किया गया और सरस्वती प्रेस इलाहाबाद द्वारा उनकी जन्म सदी की तैयारी के क्रम में 1979 में प्रकाशित किया गया। उस अनुवाद में किसी प्रकार की भूमिका या अन्य बातें मुद्रित नहीं हैं, जिससे उनकी पृष्ठभूमि की जानकारी मिल सके।

पहला नाटक 'चांदी की डिबिया' है। अठहत्तर पृष्ठों के इस नाटक में कुल तीन अंक हैं। प्रथम तथा द्वितीय अंकों में दो-दो दृश्य तथा अंक तीन में एक दृश्य है। पात्रों की संख्या सिपाहियों एवं दर्शकों के अलावा कुल सोलह है। वह चांदी की डिबिया जिसके इर्द-गिर्द कथानक घूमता है, इंग्लैंड की लिबरल पार्टी के सांसद जॉन बार्थिबिक के पुत्र जैक की है, जो एक पार्टी से एक खूबसूरत लड़की का बैग उड़ाकर ले आया था। उस कार्य में तथा अपने घर पहुंचने पर घर का ताला खोलने में सहयोग करने वाला मिस्टर जॉन्स उसके साथ रात में घर आया था। वह शराब के नशे में बेहोश था। घर आकर शराब खुद भी पी तथा जॉन्स को भी पिलाई और नशे की हालत में ही चांदी की डिबिया से सिगरेट पीने के बाद जॉन्स से कहा, वह जो चाहे ले ले। जॉन्स चांदी की डिबिया तथा लड़की से झटके गए बैग से गिरे बटुए को लेकर चला जाता है।

पीने के बाद जॉन्स, मिसेस जॉन्स, जो सांसद बार्थिबिक की नौकरानी थी, को खूब पीटता था। इस संबंध में चर्चा सुबह होती है। पति को छोड़ने, पुलिस में सूचना देने आदि कई तरह के सुझाव आते हैं। चांदी की डिबिया नहीं मिलने पर उसकी खोजबीन होती है। रात चूंकि सिगरेट पीने का प्रमाण मिलता

*हिंदी अधिकारी, दूरदर्शन केंद्र, जालंधर, पंजाब

है। अत: लगता है कि वह डिबिया सुबह ही गायब हुई है। शक मिसेज जॉन्स पर जाता है। सांसद बार्थिबिक पूछताछ कर उसे घर जाने देते हैं, लेकिन पुलिस में सूचना दे दी जाती है। तब तक एक अपरिचित युवती आती है। रात की घटना, उसमें अपना बैग जैक के द्वारा झटकना आदि बतलाती है, जिसे जैक नहीं स्वीकारता है। लेकिन सांसद बार्थिबिक को लगता है कि यह बात बढ़ भी सकती है। अत: उसके यह कहने पर कि बटुए में सात पौंड बारह शिलिंग थे। कुल आठ पौंड देकर मिस्टर बार्थिबिक बात को रफा-दफा करते हैं। पुलिस मिस्टर जॉन्स के भरथर स्ट्रीट वाले घर पर उस समय पहुंचती है जिस समय पति-पत्नी में इस डिबिया को लेकर विवाद चल रहा है। मिसेज जॉन्स पति को कोस रही होती है। पुलिस का खुफिया विभाग मिसेज जॉन्स को पकड़ लेता है। जॉन्स क्रोध में आता है। डिबिया की चोरी स्वीकारने पर भी पुलिस अधिकारी नहीं मानते तो वह हाथापाई तक उतर आता है। पुलिस उसे भी पकड़ ले जाती है। वस्तु स्थिति की जानकारी मिलने पर सांसद बार्थिबिक ने मुकदमा वापस लेना चाहा। कलई खुलने पर उनकी राजनीतिक छवि बिगड़ सकती थी। अखबार वाले बात को बतंगड़ बनाते। मिसेज जॉन्स को रिहा कर जॉन्स को मात्र एक महीने की सजा सुनाई जाती है। नेताओं के ऊपर आज के परिप्रेक्ष्य में भी करारा व्यंग्य इस नाटक का मूल कथ्य है।

इनका दूसरा अनूदित नाटक है—न्याय, जिसमें कुल चार अंक हैं। अंक तीन में तीन दृश्य, शेष में मात्र एक-एक दृश्य हैं। पात्रों की संख्या—बैरिस्टर्स, दर्शक, चोबदार, रिपोर्टर्स, जूरीमैन, वार्डर तथा कैदियों जैसे मूक पात्रों को छोड़कर अठारह हैं। चौरासी पृष्ठों के इस नाटक में कथानक एक चेक में एक कलर्क द्वारा नौ पर शून्य बैठाकर भुनाने के मामले के इर्द-गिर्द घूमता है। लेखक ने स्पष्टत: अपराध की परिस्थिति पर ज्यादा जोर दिया। कोई भी व्यक्ति अपराध करता नहीं, अपितु किसी-न-किसी समस्या से वशीभूत होकर वह अपराध करने को प्रवृत्त होता है।

प्रारंभ एक ऐसी महिला रूथ हनीबिल से होती है, जिसका क्रूर पति न उसे सिर्फ मारता-पीटता है बल्कि उसका गला तक काटने का प्रयास करता है। ऑफिस कलर्क विलियम फॉल्डर उसकी क्रूरता से दुखी होता है। उसकी सहानुभूति प्यार में बदल चुकी है। वह डेनिस के द्वारा दिए गये नौ पॉन्ड के एक बैंक चेक पर शून्य डालकर उसे नब्बे कर देता है और इस राशि से महिला की सहायता करता है। बात खुल जाती है। फॉल्डर पकड़ा जाता है। वह बात को स्वीकार करते हुए उसे वापस करने के लिये मात्र एक दिन का समय माँगता है। बात कोर्ट में जाती है। वकील तथा जज के लंबे-लंबे डायलॉग होते हैं। इस बीच फॉल्डर अपनी स्थिति को रखता है, लेकिन जूरी उसे बीमार या पागल मानने से इन्कार कर देता है। उसे तीन साल की सजा सुनाई जाती है। लेकिन जज वकील फॉरम के आग्रह पर उस महिला का नाम अखबार में न छापने का आग्रह पत्रकारों से करते हैं। अंक तीन में जेल में स्थिति का पूरा वर्णन किया गया है। फॉल्डर को, बार-बार यह कहने पर भी कि उसकी दिमागी हालत ठीक है, उसे काल कोठरी में रखा जाता है। इसके तीसरे दृश्य में सिर्फ आवाजों से ही परिस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है।

अंतिम अंक में वह जेल से छूट कर आता है। नौकरी ढूंढता है। लेकिन उसके कारनामों की जानकारी मिलते ही उसे हटा दिया जाता है। फिर वह अपने पूर्व स्थल पर जाकर अपनी स्थिति को बतलाते हुए पुन: नौकरी पर लेने का आग्रह करता है। वहां क्लर्क की आवश्यकता भी है और लोग उसकी पूर्व स्थिति से परिचित भी हैं। उसी समय जासूस आ जाता है। पिछली नौकरी वाली जगह पर गलत सूचना देने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया जाता है। उसका हृदय चित्कार कर उठता है, वह सीढ़ी पर से कूद जाता है। रूथ दौड़कर नीचे जाती है। रूथ—यह क्या? इनकी सांस बंद हो रही हैं। (लाश से लिपटकर) मेरे प्रियतम ! मेरे सुहाग ! रोक्सन — अब उसे कोई छू नहीं सकता और न कभी छू सकेगा। वह अब ईश्वर के शांति भवन में सुरक्षित है। और इस मार्मिक दृश्य के साथ इस नाटक की समाप्ति होती है।

तीसरा नाटक 'हड़ताल' एक टिन के कारखाने, उसके मजदूर, मजदूर संघ, उनके नेता, कारखाने के मैनेजर आदि पात्रों को लेकर लिखा गया है। अठासी पृष्ठों में तीन अंक का नाटक हड़ताल की वास्तविक स्थिति को लेकर रचित और अनूदित है। जिसके मुख्य पात्र हैं जॉन ऐथ्वनी, जो टिनार्थ के टिन के कारखाने का प्रधान है। डेविड राबर्ट मजदूर यूनियन का नेता है। तीन अंकों में बंटे इस नाटक में मैनेजर के घर का भोजनालय, राबर्ट के घर का बावर्चीखाना, कारखाने के बाहर का दृश्य तथा मैनेजर के घर का दीवानखाना है। कारखाने में मजदूर यूनियन अपनी माँगों के समर्थन में हड़ताल पर चले जाते हैं। मिस्टर ऐथ्वनी और डेविड राबर्ट दोनों अपनी-अपनी जिद पर अड़ने वाले आदमी हैं। न राबर्ट अपनी माँगों से डिगना चाहता है और न ऐथ्वनी एक इंच हिलने को तैयार हैं। दोनों पक्ष के लोग इस बात से अवगत हैं । हड़ताल की अवधि लंबी

खिंच रही है। परेशानी दोनों तरफ है। मिसेज राबर्ट के घर में अर्थाभाव का तांडव होने लगा है। मिसेज राबर्ट बीमार रहने लगी हैं। अन्य परिवार के लोग भी त्रस्त हैं। वे मिसेज राबर्ट से इस बात की सिफारिश में आई हैं कि डेविड राबर्ट को वे हड़ताल समाप्त करने के लिये मनाएं। मिसेज राबर्ट कहती हैं—"मजदूर के घर जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी सांसे गिनी जाने लगती हैं। भय होता है कि इस सांस के बाद दूसरी सांस लेगा भी या नहीं। और जब वह बुड्ढा हो जाता है तो अनाथालय या कब्र के सिवा उसके लिए दूसरा ठिकाना नहीं।"

जब आदमी जिद पर अड़ जाए तो समझौता संभव नहीं होता। जॉन ऐथ्वनी की पुत्री एनिड इस बात को समझती है, उसका बाप जिद्दी प्रकृति का है तो वह डेविड राबर्ट को ही मनाने उसके घर आती है और कहती है—"मैं आपसे भिक्षा मांगने आई हूं। ईश्वर के लिए कुछ समझौता करने की चेष्टा करो। थोड़ा सा दब जाओ, चाहे अपनी ही खातिर क्यों न हो।" राबर्ट कहता है—"मैं तो चाहे भूखों मर जाऊँ, सिर कभी नहीं झुकाऊंगा।" इस पर मिसेज राबर्ट का ताना भी आता है—"नहीं, औरतें मरा करें, तुम्हें इसकी क्या परवाह? जान दे देना उनका काम है।"

हर जगह कुछ भेदिए भी होते हैं जो नाकामयाबी का कारण बनते हैं। कुछ मजदूर राबर्ट से असहमत भी हो रहे हैं। उनमें राउस नाम का एक मजदूर शामिल है। इंजीनियर लोग तो मैनेजमेंट के साथ हैं ही। राउस मजदूरों को राबर्ट के खिलाफ भड़काता है—(राबर्ट की तरफ अंगुली दिखा) वह कहता था—"नहीं, लुटेरों से लड़ो, उनका गला घोंट दो।" लेकिन उसका गला नहीं घुटा, हमारा और हमारे घर वालों का गला घुट गया। फिर राउस मजदूरों से कहता है—"हमें अख्तियार दो कि लंदन वालों से समझौता कर लें। मैं बोलना नहीं जानता हूं, इस सत्यानासी विपत्ती का अंत कर दो।"

राउस और टामस प्रकृति और धर्म की दुहाई देकर हड़ताल समाप्त कराना चाहते हैं। लेकिन राबर्ट के अंदर शोषक और शोषण के विरुद्ध आग की ज्वाला धधक रही है—"यह इस देश के रक्त और माँस और रक्त चूसने वालों की लड़ाई है।.....अगर हम इस उजले मुंह और लाल ओंठ वाले दैत्य की गर्दन मरोड़ सके, जो आदि से हमारा और हमारे बाल-बच्चों का जीवन रक्त चूस रहा है।" निश्चित रूप से प्रेमचंद अपना आक्रोश लंदन के उजले मुंह वालों के खिलाफ उगल पड़ते दिखाई देते हैं।

राबर्ट की पत्नी भूख और बीमारी से अर्थाभाव में मर जाती है, तो राउस मजदूरों को भड़काता है—"उसकी स्त्री मर गई, अब अपनी स्त्री की रक्षा करो।" अंक तीन में मैनेजमेंट के लोग बैठे विचार—मग्न हैं। सब हड़ताल समाप्ति के पक्ष में हैं, सिवाए जॉन ऐथ्वनी के। फ्रास्ट, जो जॉन ऐथ्वनी का खानसामा है, कहता हैं—"वह इन मामूली सीधे-सादे साम्यवादियों में नहीं है। वह गुस्सेवर है, उसके अंदर आग भरी है।" बोर्ड के डायरेक्टरर्स ग्रुप के सदस्य वेकलिन का मानना है—बुद्धि कहती है अगर यह हड़ताल चलती रही तो हमें जितनी हानि होगी, वह मजूरी की बचत से न पूरी होगी। ऐथ्वनी का पुत्र एडगार अपने को दोषी मान रहा है। वह हड़ताल समाप्ति के पक्ष में है।

इस पर जॉन असहमत होते हुए अपना त्यागपत्र दे देता है। राबर्ट को बिना पूछे हड़ताल कई मांगों पर सहमति जताते हुए समाप्त कर दी जाती है। राबर्ट विचलित होते हैं। वे ऐथ्वनी को भला-बुरा कहना चाहते हैं कि उन्हें पता चलता है कि जॉन ऐथ्वनी अब कारखाने के प्रधान नहीं रहे। राबर्ट पागलों की भांति हरकत करने लगता हैं, उसने ऐथ्वनी के सामने ही कहना शुरू किया—

"तो आप इस कंपनी के प्रधान नहीं हैं (पागलों की तरह हंसी) हा: हा: हा:! उन सबों ने आपको निकाल बाहर किया। अपने प्रधान को भी निकाल बाहर किया। हा: हा: हा:! तो हम दोनों निकाल दिए गए मिस्टर एथ्वनी।"

हर्निस—"तुम्हें शर्म नहीं आती रॉबर्ट? चुपके से घर जाओ, भले आदमी घर जाओ।" फिर पश्चाताप के रूप में कहता है—"एक औरत तो मर ही गई। हमारे दोनों रत्नों को भी नीचा देखना पड़ा।"

नाटक समाप्त होता है और ट्रेड यूनियन तथा मैनेजमेंट की अंदर की राजनीति, रणनीति और हठधर्मिता पर अनेक प्रश्न छोड़ जाता है। इन नाटकों में गांधीवाद और मार्क्सवाद की पूरी-पूरी छाप मौजूद है। प्रसिद्ध आलोचक डॉ० नामवर सिंह की पंक्तियां इस बात को पुष्ट करती हैं—"बीसवीं शताब्दी का कोई भी भारतीय लेखक गाँधीवाद और मार्क्सवाद से अछूता नहीं रह सकता। यदि ऐसा हुआ तो जीवन और यथार्थ से वह कटकर मर जायेगा। स्वभावत: प्रेमचंद पर इन दोनों दर्शनों का प्रभाव पड़ा था, लेकिन उनकी जीवन दृष्टि दर्शन विशेष के साँचे में ढली हुई न थी।"

❐

2132 HA/05—5A

कोलकाता की साहित्यिक यात्रा

—डॉ० सुधेश*

भारतीय नव जागरण की धरती बंगाल को देखने की मेरी बराबर इच्छा रही, पर लंबे समय तक कोई संयोग नहीं बना। जेब में इतने पैसे कभी नहीं हुए कि परिवार के दायित्वों को छोड़-छाड़ कर बंगाल पहुंच जाऊं। अंतत: दिसंबर, 1986 में ऐसा अवसर आया कि मैं जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के शिशिर-अवकाश का लाभ उठाकर 12 दिसंबर को तब के कलकत्ता और आज के कोलकाता पहुंच गया। मैं तुलनात्मक साहित्य संबंधी एक शोध-योजना पर काम कर रहा था और इसी सिलसिले में अनेक अमरीकी विश्वविद्यालयों में जाकर सहायक सामग्री एकत्र करना चाहता था। सोचा कि पहले कोलकाता के राष्ट्रीय पुस्तकालय में और तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध जादवपुर विश्वविद्यालय में उपलब्ध सामग्री का अध्ययन कर लिया जाए तो उपयोगी रहेगा। इसी उद्देश्य के लिए मैं कोलकाता पहुंचा था।

12 दिसंबर की रात को हावड़ा के स्टेशन पर उतरा। स्टेशन से डॉ० कल्याणमल लोढ़ा को टेलीफोन पर अपने आगमन की सूचना दी। उन्होंने शेक्सपीयर सरणी पर स्थित भारतीय भाषा परिषद् के अतिथि गृह में मेरे ठहरने की व्यवस्था कर दी। सीधे स्टेशन से मैं उक्त अतिथि गृह में गया और कमरा नंबर 5 में ठहर गया। लेखक के नाते आधे दाम पर अर्थात् 40 रुपये प्रतिदिन पर कमरा मिला। भारतीय भाषा परिषद् के तत्कालीन निदेशक डॉ० पांडुरंग राव से डॉ० कल्याण मल लोढ़ा का नाम लेकर मिला। उन्होंने कमरा तो दे दिया पर चाय तक को नहीं पूछा। उनका व्यवहार एकदम औपचारिक था। उनसे दिल्ली की साहित्यिक सभाओं में मिल चुका था और वे मुझे लेखक के रूप में जानते थे, पर कोलकाता में वे एकदम औपचारिक हो गए।

हावड़ा स्टेशन से बाहर निकलने पर कोलकाता की अव्यवस्था के दृश्य सामने आए। स्टेशन के बाहर खड़े ऑटो चालक मुंहमांगा किराया माँग रहे थे, क्योंकि उनके अनुसार उनके आटो के मीटर खराब थे, जिन्हें ठीक कराने की उन्हें न चिंता थी और न आवश्यकता। वहां भी दिल्ली वाला हाल देखा। सब आटोचालक यात्रियों को ठगने के लिए तत्पर। वे श्रमिक की श्रेणी में आते हैं और वहां श्रमिकों की समर्थक साम्यवादी सरकार का शासन था (जो अब भी है)। स्टेशन के बाहर की सड़कें टूटी-फुटीं मिलीं, जिनमें कई जगह वर्षा का पानी भरा हुआ था। एक आटो में बैठने के लिए पानी में चलना पड़ा।

पहले दिन यह नज़ारा भी देखा कि तांगे को घोड़ा नहीं आदमी खींच रहा था, अर्थात् आदमी ही घोड़ा बना हुआ था। सरकार ने आदमी को जानवर की जगह तांगे में जुतने से नहीं रोका। शायद घोड़ा बने उन तांगा चालकों की कोई यूनियन हो और वह आदमी के घोड़ापन अर्थात् पशु में परिणत होने की नियति से ज्यादा उनकी आजीविका को महत्व देती हो। पशु में रूपांतरित होकर भी आदमी को आजीवीका चाहिए, इस तथ्य ने मुझे भी सर तक विचलित कर दिया। विवश आदमी की विवशता उससे कुछ भी करा सकती है, पर सरकार और नेता तो विवश नहीं हैं कि वे आदमी को पशु बनने से रोक न सकें। कान में किसी ने कहा (शायद वह मेरी आत्मा का स्वर था) नेताओं की भी बड़ी विवशता है और वह है वोट बटोरने की विवशता। जीवन मूल्य और पावन सिद्धांत भी उसके सामने नगण्य हो जाते हैं। अतिथिगृह के कमरे में पड़ा मैं सोचता रहा कि क्या इसी कोलकाता से भारत में नव-जागरण शुरू हुआ था? यदि ऐसा है तो यह पाखंडियों का शहर है, जिसके नागरिकों के आदर्श बड़े ऊंचे हैं, पर जहां आदमी घोड़ा बनने को विवश है। आदमी द्वारा चालित तांगे मैंने जीवन में पहली बार कोलकाता में देखे। ऐसे तांगे भारत के किसी दूसरे नगर में नहीं होंगे।

अगले दिन सवेरे डॉ० पांडुरंग राव से फिर भेंट हुई, जो औपचारिकता से आगे नहीं बढ़ी। वे मुझे अजनबी की तरह लेते रहे। बातचीत में उनका उत्साह न देखकर मैं कुछ मिनटों में ही उनसे अलग हो शहर की तरफ चला। पहले लौटने की तिथि का रेलवे आरक्षण कराना था, अन्यथा गाड़ी में

*ए-34, न्यू इंडिया अपार्टमेंट्स, रोहिणी, सेक्टर-9, नई दिल्ली-85

2132 HA/05—5B

जगह न मिलती। फेयरली प्लेस में आरक्षण कराने के इच्छुक बहुत से लोग कुर्सियों पर बैठे थे, खिड़की पर एक आदमी खड़ा था। मैंने समझा कि वहां आरक्षण का इच्छुक एक ही व्यक्ति है। मैं उसके पीछे जा कर खड़ा हो गया। कुर्सियों पर बैठे हुए व्यक्ति चिल्लाए—"पहले लाइन का टोकन लो, उस खिड़की से"।- उस खिड़की के आगे दस पंद्रह व्यक्ति खड़े थे। कर्मचारी बारी-बारी उन्हें टोकन दे रहा था। मुझे भी टोकन मिल गया, जिस पर कोई संख्या लिखी थी, अर्थात् वहॉ लाइन थी, पर वह टोकन के नंबरों के अनुसार आगे सरकती थी। टोकनधारी किसी कुर्सी पर बैठकर प्रतीक्षा कर सकते थे अथवा बाहर जाकर कोई काम करके वापस आ सकते थे। आरक्षण खिड़कियों पर भीड़ न होने के कारण यह टोकन व्यवस्था थी। कोलकाता में पहली बार एक अच्छी व्यवस्था देखने को मिली, जिसमें यात्रा के इच्छुक लोगों को लाइन में खड़े होकर धक्कामुक्की करने की आवश्यकता नहीं थी। मानव मस्तिष्क बड़ा उर्वर है। वह चाहे तो हर समस्या का निदान निकाल सकता है और न चाहे तो छोटी से छोटी समस्या को उलझा सकता है। प्रश्न मानव के चाहने या न चाहने का है।

वहां की बसों में व्यवस्था नाम की कोई वस्तु नहीं मिली। एक द्वार से ही यात्रियों को उतरना था, उसी से दूसरों को चढ़ना था, पर चढ़ने वाले पहले बस में चढ़ना चाहते थे, उतरने वाले पहले उतरना चाहते थे। परिणाम था, दोनों की धक्का-मुक्की। क्या दो द्वारों वाली बसों की व्यवस्था नहीं हो सकती थी? बस यात्रियों में जो अनुशासन मैंने मुंबई में देखा था, वह कोलकाता में नही मिला।

दोपहर को भारतीय भाषा परिषद् के कार्यालय में स्नेह लता भट्टाचार्य से परिचय हुआ, जो परिषद् में बंगला भाषा का काम देखती थी। वह बंगला में कविता भी लिखती थी। उसने स्नहेपूर्ण भद्र व्यवहार किया। बाद में मैंने देखा कि एक बंगाली युवक उस के साथ लगा रहता था। पुस्तकालय में भी मैंने दोनों को साथ-साथ बैठे देखा था। यदि वह उसका प्रेमी था तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। कोलकाता शहर में कामुक लोगों को स्वछंद आचरण करते देखा। शाम एक पार्क में से गुजरते हुए देखा कि प्रेमी युगल जगह-जगह एक दूसरे से सटे हुए और कहीं परस्पर गुँथे हुए बैठे थे। जनसंख्या की अधिकता के कारण वहाँ घर में जगह की कमी के कारण पार्क में प्रेमलीला के दृश्य देखे जा सकते हैं। पार्क घूमने-फिरने के स्थल हैं, पर वहां पाया कि वे अभिसार और मिलन के स्थल भी हैं। एक दिन व्यर्थ बीत गया, पर वह नए अनुभव भी दे गया।

14 दिसंबर को जादवपुर विश्वविद्यालय के तुलनात्मक साहित्य विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष मानवेंद्र बंदोपाध्याय से उनके घर पर मेरी भेंट हुई। मुश्किल से दो कमरों का छोटा सा मकान, बैठक का कमरा अस्तव्यस्त। उनकी पत्नी घर में थी पर वह अपने काम में लगी रही। वह दड़बा मुझे एक प्रोफेसर लायक नहीं लगा और न उनके व्यवहार ने मुझे प्रभावित किया। मुझे लगा कि मुझे वहां पाकर वे अस्वाभाविक हो गए, कहां की औपचारिकता और किसका आतिथ्य? वे एकदम निरपेक्ष लगे, रूखे और निस्पृह। समझ में आ गया कि मुझे उनके घर नहीं जाना चाहिए था। उनके विभागीय कार्यालय के पते पर मैंने उन्हें जो पत्र लिखा था, उसका उत्तर उन्होंने दिया था। बन्दोपाध्याय का मकान शहर के भीतर कहीं दूर था। मुझे बस और ट्राम बदल कर वहां जाना पड़ा था। बस में खड़ा रहा और ट्राम में भी। जिधर देखो, भीड़ ही भीड़। कोलकाता को देखकर लगा था कि हिंदुस्तान की आधी जनता वहां रहती है।

अतिथि गृह में लौटकर 'हिंदी कविता में आधुनिकता' विषय पर अंग्रेजी में एक लेख पूरा किया, जो मुझे दिल्ली की एक संगोष्ठी में पढ़ना था। एक होटल में भोजन करके सैर करने निकला। सड़क पर इधर-उधर देखता जा रहा था। हाथों से रिक्शा चलाने वाला (जिसमें साइकिल की तरह के पहिए और पैडल नहीं थे) एक व्यक्ति मेरे पास रुक कर बोला—'बाबू ! वेलजली रोड पर सोनी होटल ले चलूं?'— मैं रिक्शेवाले के प्रस्ताव को ठुकरा कर आगे बढ़ गया।

कोलकाता में मेरा तीसरा दिन था और कैसे-कैसे दृश्य सामने आ रहे थे। बसों और ट्रामों में मानवता की बाढ़ उमड़ रही थी। यह शहर अंग्रेजों की राजधानी था और उनके व्यापार का बड़ा केंद्र भी । वे राजनीति और व्यापार का संचालन कोलकाता से ही किया करते थे। कामुकता का खुला प्रदर्शन, जो विदेशी सभ्यता का एक अंग है और विदेशियों की नित्य क्रिया है, क्या कोलकाता को अंग्रेजो की देन है? पर सब बुराइयों के लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता है। जनसंख्या की अधिकता, मकानों की कमी, बेरोज़गारी ने वहाँ अनेक बुराइयों को जन्म दिया होगा। पर ये बुराइयाँ भारत के किस महानगर में नहीं है? यही सब कुछ सोचता हुआ मैं अतिथिगृह में जाकर सो गया।

15 दिसंबर को मैं दिन में ग्यारह बजे जादवपुर विश्वविद्यालय के तुलनात्मक साहित्य विभाग में गया। वहां विभागाध्याय मानवेंद्र बंदोपाध्याय से भेंट हुई। घर में तो उन्होंने

पानी के लिए भी नहीं पूछा था, पर विभाग में मुझे काफ़ी पिलाई और मेरे लिए उपयोगी पुस्तकों की व्यवस्था की। सेमिनार मे लाइब्रेरी में काफी पुस्तकें हैं। डॉ० अमिय देव भी मिल गए। उनसे भी मैंने दिल्ली से पत्र व्यवहार किया था और उन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया था। उस दिन उसका सहयोग मिला भी। उन्होंने मुझे उपयोगी एवं पठनीय पत्रिकाओं की सूची दी, जिनमें से अनेक वहां उपलब्ध थीं। उस दिन अरुंधती बनर्जी, शुभदास गुप्ता, स्वाति भट्टाचार्य से भी भेंट हुई।

दोपहर को विश्वविद्यालय की कैंटीन में भोजन नहीं मिला। वहाँ देर से पहुंचा हूंगा, तब छात्र कैंटीन में जाकर भोजन किया। भोजन सस्ता था और अच्छा था।

शाम को साढ़े पांच बजे मैं डॉ० कल्याणमल लोढ़ा से मिलने देशप्रिय पार्क स्थित उनके मकान पर पहुंचा। उन्होंने बड़ा सहृदयतापूर्ण व्यवहार किया। वे मुझे अध्ययन प्रिय, बहुश्रुत, बहुपाठित व्यक्ति लगे। तथ्यों का उनके पास भंडार है। मेरी शोध योजना की बात सुन कर वे प्रसन्न हुए और मुझे अनेक उपयोगी जानकारियां दीं। कोलकाता विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए उन्हें अनेक वर्ष बीत गए, पर वे स्वस्थ, सक्रिय, सृजनशील लगे।

लौटते हुए देशप्रिय पार्क के मैदान में देखा कि बीसियों प्रेमी जोड़े एक दूसरे से चिपटे और चूमने-चाटने में मग्न थे। न स्त्री को कोई लज्जा थी और न पुरुष को। ऐसे दृश्य मुझे पश्चिम के कई देशों में देखने को मिले। पर वहां उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि उन्मुक्तता उनकी जीवन शैली में सम्मिलित है।

16 दिसंबर को मेरा विचार राष्ट्रीय पुस्तकालय में जा कर अध्ययन करने का था। सामान पांडुरंग राव के घर पर छोड़ा, जो भारतीय भाषा परिषद् के भवन में ही था और मैं बसें बदलता राष्ट्रीय पुस्तकालय पहुंच गया। उसके वास्तु शिल्प को देख कर लगा कि अंग्रेजों द्वारा निर्मित कोई भव्य भवन था जिसे पुस्तकालय में बदल दिया गया। भवन की भव्यता ज्यों की त्यों थी, पर विलास भवन ज्ञान मंदिर में परिणत हो गया। वहां स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता ही नहीं, भारत का गौरव है, क्योंकि वह देश का सबसे बड़ा ज्ञान भंडार है, जहाँ पर शोधार्थी को जाना चाहिए।

पुस्तकालय काफी ऊंचाई पर है, जहाँ अनेक सीढ़ियां चढ़ कर जाना पड़ता है। पुस्तकालय की व्यवस्था बड़ी अच्छी और पाठकों के लिए सुविधाजनक है। पुस्तकाध्यक्ष सचिन दास गुप्ता से मिलकर मैं कैटेलाग (पुस्तक सूची) की तरफ गया। उपयोगी पुस्तकों का विवरण कागज पर लिखा और पुस्तकालय के अंदर संबंधित अधिकारी को दिया। उसने वह विवरण किसी कर्मचारी को देकर कहा कि ये पुस्तकें निकालो। मुझे एक मेज के पास कुर्सी पर बिठाया। दस पंद्रह मिनटों में वांछित पुस्तकें उपलब्ध हो गईं। वहां सब पुस्तकें, पत्रिकाएं बंद अल्मारियों में रखी जाती हैं, जिनमें से पुस्तकें वहां के कर्मचारी निकाल कर देते हैं, अर्थात् वहां खुली अल्मारी व्यवस्था नहीं है। इससे पुस्तकें इधर-उधर नहीं होती और निश्चित स्थान पर रखे जाने के कारण तुरंत उपलब्ध हो जाती हैं। वहां का स्टाफ इतना चुस्त है कि पाठकों को पुस्तकें मिलने में देर और कठिनाई नहीं होती। उस दिन पुस्तकालय के सहयोगी पुस्तकालयाध्यक्ष मोइत्रा का भी सहयोग मिला।

मैं दिन भर पुस्तकों में उलझा रहा। पुस्तकों के उपयोगी अंशों की फोटोग्राफी कराता रहा। फोटो स्टेट मशीन अंदर ही थी, जिस पर फोटोग्राफी एक कर्मचारी कराके अंदर से लाता था। उसके दाम वाजिब लगे। दोपहर को पुस्तकालय की कैंटीन में जाकर भोजन किया, जो बाहर की तुलना में सस्ता था। पुस्तकालय परिसर में ही एक होस्टल है, जहां अध्येता ठहर सकते हैं। मुझे भी उस छात्रावास में बहुत कम दाम पर एक कमरा मिल गया। भारतीय भाषा परिषद के अतिथिगृह से उसका किराया कम था। मेरा सामान तो तब अतिथिगृह में डॉ० राव के घर में रखा हुआ था।

शाम को मैं अपना सामान उठाने भारतीय भाषा परिषद् में पहुंचा। उस समय परिषद के सभाकक्ष में विजयकेतु बोस का व्याख्यान होने वाला था। 'महाभारत के नारीपात्र' पर विषय पर बंगला में व्याख्यान दिया। मैं उसका केवल दस पंद्रह प्रतिशत भाग ही समझ सका। बंगला में व्याख्यान कराना मुझे परिषद के निदेशक पांडुरंग राव का प्रशंसनीय कार्य लगा। इस प्रकार परिषद की गतिविधियों में भारतीय भाषाओं को स्थान देने से अंग्रेजी का मोह कम होगा और अनेक भारतीय भाषाओं के लेखक परिषद से जुड़ेंगे। व्याख्यान के बाद श्रोताओं ने हिंदी में प्रश्न पूछे, जिनके उत्तर विजयकेतु बोस ने हिंदी में दिए।

कार्यक्रम के बाद चाय पीते हुए परिषद के मंत्री परमानंद चूड़ीवाल से मेरा परिचय हुआ। मेरा नाम सुन कर वे बोले— 'आपका लेख मैंने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की पत्रिका जे.एन.यू. न्यूज़ में' पढ़ा है। वह मुझे डॉ० कल्याणमल लोढ़ा ने पढ़वाया था। मुझे पसंद आया था। परमानंद मुझे हिंदी

के प्रेमी और सामाजिक कार्यों में उत्साही लगे। उस दिन परिषद् की उपाध्यक्षा डॉ० प्रतिभा अग्रवाल से भी भेंट हुई और कुछ बातचीत भी हुई। पता चला कि उन्होंने बंगला से हिंदी में कुछ अनुवाद किए हैं। कोलकाता के एक संपन्न व्यापारी की यह विधवा एक सुसंस्कृत महिला हैं।

रात को राष्ट्रीय पुस्तकालय के छात्रावास में सामान सहित पहुँच गया।

17 दिसंबर को प्रात: 9 बजे मैं कोलकाता की प्रसिद्ध पत्रिका 'रविवार' के संपादक उदयन शर्मा से मिलने उनके आवास पर पहुंचा। एक दिन पहले टेलीफोन पर उनसे बात हुई थी और मिलने का समय निश्चित हुआ था, पर शर्मा अपने वादे के अनुसार अपने आवास पर नहीं मिले। घंटी बजाई तो एक महिला ने द्वार खोला। शायद वह उनकी पत्नी थी। वह मुझे नहीं पहचानती थी, यद्यपि उदयन शर्मा मुझे पहचानते थे। उनके बड़े भाई डॉ० रमेश कुमार शर्मा मेरे शोध निर्देशक रहे थे। बाहर खड़े-खड़े मैं एक पर्ची लिखकर उदयन शर्मा की पत्नी को दे आया और राष्ट्रीय पुस्तकालय में लौटकर अपने अध्ययन में व्यस्त हो गया। उदयन शर्मा न तो पुस्तकालय में मुझसे मिलने आए और न अपनी वादाखिलाफ़ी पर खेद प्रकट किया। दिल्ली लौटकर उन्हें पत्र लिखा, पर कोई उत्तर नहीं आया। अपनी किसी पुस्तक की दो प्रतियां 'रविवार' में समीक्षा के लिए उन्हें पंजीकृत डाक से भेजी थीं। न तो उसकी समीक्षा छपी और उसके बारे में पत्र द्वारा मेरे पूछने का न कोई उत्तर उन्होंने दिया। उदयन से मुझे निराशा ही मिली। जानता हूँ कि पत्रकार बड़े व्यस्त रहते हैं, पर इतने नहीं कि वे सामाजिक संबंधों का निर्वाह न कर सकें।

उस दिन तीसरे पहर मैं कोलकाता के आकाशवाणी केंद्र पर भी गया था, जहां केंद्र निदेशक और हिंदी कार्यक्रम संयोजक दोनों से भेंट हुई। वहां वे मेरी कविताएं रिकार्ड नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें पहले दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से मेरे पारिश्रमिक की राशि के बारे में पूछना आवश्यक लगा। मैंने कहा कि पारिश्रमिक पूछ कर बाद में भेज दीजिएगा, जैसा कि कालिकट के आकाशवाणी केंद्र के निदेशक ने किया था। पर वे नहीं माने। वस्तुत: मैं उनके लिए नितांत अपरिचित था। लोग अपने परिचित लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपरिचितों के लिए नहीं। शायद परिचय का भी उतना महत्व नहीं है, जितना कार्य करने की इच्छा का । यदि रुझान हो तो काम करने के अनेक बहाने निकल आते हैं। इच्छा न करने से काम की बचत होती है अन्यथा व्यर्थ के काम बढ़ जाते हैं। तो व्यावहारिक बात यह निकली कि इच्छा न करना काम करने की इच्छा से बेहतर मान लिया जाता है, पर यह काम कामचोरों की मानसिकता है। खैर मैं आकाशवाणी से बैरंग और बेरंग होकर लौट आया। एक दिन में दो कटु अनुभव हुए। बस पुस्तकालय में जो अध्ययन किया, वही सुखद रहा।

अगला सारा दिन मैंने जादवपुर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में बिताया। अनेक अनुपलब्ध पुस्तकें, शोध पत्रिकाएं वहां उपलब्ध थीं। उनके कुछ अंशों की फोटोलिपि बाज़ार में कराई। तुलनात्मक साहित्य-विभाग की सेमिनार लाइब्रेरी से भी मुझे महत्वपूर्ण सामग्री मिली, जिनकी फोटोलिपि मैं अपने साथ लाया।

19 दिसम्बर की शाम को मुझे कोलकाता छोड़ना था। सारा दिन राष्ट्रीय पुस्तकालय में जम कर अध्ययन किया और बहुत सी सामग्री फोटोलिपि के रूप में एकत्र की। पुस्तकालय में एकदम शांति थी। हॉल पाठकों से भरा रहता था। कोई किसी के काम में बाधा नहीं डालता था और न बात करता था। बात करने और चाय पीने के लिए बाहर जाना पड़ता था। कर्मचारी पठनीय सामग्री थोड़े समय में उपलब्ध करा देते थे। राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत का एक आदर्श पुस्तकालय है। काश ! हमारे अन्य पुस्तकालय ऐसे सुसंचालित एवं सुव्यवस्थित होते।

कोलकाता में इधर-उधर जाते हुए इच्छा हुई थी कि वहां का चिड़ियाघर और ऐतिहासिक स्थान भी देखता चलूं। अलीपुर रोड के पास पहुंच कर पता लगा कि चिड़ियाघर पास में है। इच्छा हुई कि उसे देखूं, पर उसे देखने का मतलब था कई घंटे लगाना। तब मेरे पूर्व निश्चित कार्यक्रम में बाधा पड़ती। रेलवे में मेरी बर्थ का आरक्षण हो चुका था। अत: मैं निर्धारित समय पर स्टेशन पहुंचा और गाड़ी पकड़ दिल्ली लौट आया।

बंगाल की मेरी यह यात्रा मुख्यत: शैक्षिक थी, पर वहां मुझे अनेक कटु-मधुर अनुभव मिले। हर यात्रा कुछ सुखद और कुछ दुखद होती है परंतु यात्रा स्वयं में एक सुखद अनुभव है। नए स्थानों को देखना नए लोगों से मिलना, मानव प्रकृति का अध्ययन, अनुभव आधृत ज्ञान बटोरना आदि यात्रा के लाभ हैं। उसके साथ यदि छोटे दु:ख, कुछ असुविधाएं जुड़ी हों तो वे भी स्वागत योग्य हैं क्योंकि तब यात्रा-सुख दुगुना हो जाता है।

बंगाल की धरती ने मेरे अनुभव कोश को समृद्ध किया। ❐

2132 HA/05—6A

डॉ० धर्मवीर भारती और उनका 'सात गीत वर्ष'

—डॉ० विभा शुक्ला*

'सात गीत वर्ष' डॉ० भारती का दूसरा काव्य संकलन है। 1959 में प्रकाशित इस काव्य संग्रह में कुल 51 कविताएं संकलित हैं। जिनका रचनाकाल 1952 के बाद और 1959 के पहले के सात वर्षों का है। 'सात गीत वर्ष' की भूमि 'ठंडालोहा' से आगे की मंजिल का रास्ता बताती है, आज दुनिया कितनी बदल गयी है, कहीं आराम नहीं-कहीं चैन नहीं। सभी जगह थकान ही थकान, विवशता ही विवशता, टूटन ही टूटन, और इन सब के ऊपर कहीं कोई आशा की किरण नहीं दिखाई देती है। इस संग्रह में कवि आस्था और विश्वास का दीप जला कर सभी पराजितों को आशा और विश्वास की छाँह में जीवन बिताने के लिए 'न्योता' देता हुआ प्रतीत होता है।[1] यद्यपि इस संकलन की अधिकांश कविताएं वैयक्तिक चेतना से परिपूर्ण हैं, तथापि उनकी दृष्टि समष्टिगत रही है। 'एक ओर यदि वे अपनी रचनाओं में युग की समस्याओं को उभारते हैं, जिसे यौन कुंठाओं से अभिहित किया गया है। इसी में अनास्था, अविश्वास, संत्रास जैसी स्थितियाँ भी आती हैं। वहीं दूसरी ओर परंपरा के प्रति भी उनकी दृष्टि सजग रही है। वस्तुत: कवि भारती के चिंतन में सदैव संतुलन रहा है। उनकी रचनाओं में जहाँ वैयक्तिक चेतना का स्वर गूँजता है, वहां परंपरागत समष्टि भाव भी उपलब्ध होता है। पर उनका व्यक्ति अपेक्षाकृत अधिक व्यंजित हो पाया है।'[2] इस संकलन तक आते-आते भारती के कवि की निराशा व उदासी कुछ कम अवश्य हुई है, पूरी तरह समाप्त नहीं। यहाँ भी कवि कई कविताओं में विपरीत भावों के द्वंद्व से पीड़ित है।

'सात गीत वर्ष' की कविताओं में प्रणय भावना का प्राधान्य है। लगभग दो तिहाई रचनाएँ प्रणय संबंधी हैं। लेकिन 'ठंडालोहा' के प्रेम की माँसलता यहाँ जटिल व चिंतनशील हो गयी है। कवि ने भावुकता का त्याग कर विचारों की गहराई को पा लिया है। उसका चिंतनशील व्यक्तित्व प्रेम के मादक क्षणों की अनुभूति में भी तृषित रहता है। अत: रस की पूर्ण अनुभूति नहीं होती। मन में जहरीले अजगर जैसे प्रश्न चिह्न हैं—

'तन पिघले फूलों की आग पिया करता है
पर मन में कई प्रश्न चिह्न उभर आते हैं
चुंबन आलिंगन का जादू, मन को जैसे
ऊपर ही ऊपर छूकर रह जाता है।[3]

तृष्णा और स्मृति इन कविताओं में मुखर है। अतीत की स्मृति व असफल प्रेम का चित्रण 'सात गीत वर्ष' की अनेक कविताओं में हुआ है। इन कविताओं में 'ठंडालोहा' के समान कैशोर्य—सुलभ भावुकता न होकर गहन अनुभूतियां हैं, जिनमें गंभीरता अधिक है—

'बरसों के बाद उसी सूने से आंगन में
जाकर चुपचाप खड़े होना—
रिसती सी यादों से पिरा-पिरा उठना
मन का कोना-कोना।'[4]

यहां कवि तन के रिश्ते से ऊपर उठ कर मन के स्तर पर प्रेम को स्थापित करने की बात कहता है और श्रृंगारिक माँसलता की स्वस्थ मानसिक रिश्ते में परिणति स्वीकारता है—

'तन का
केवल तन का रिश्ता भी
माँसलता से कितना ऊपर उठ जाता है।[5]

प्रथम प्रणय की असफलता से टूटा कवि का मन प्रेम के प्रति सूक्ष्म चिंतन करने लगा है। प्रेमी सभी सुखों के बाद भी निर्वासन का अनुभव करता है। उसे अपना परिचित प्यारा शहर अनजान लगने लगता है। अपनी उपलब्धियों का मूल्यांकन करते हुए वह सोचता है—

'जिसकी लय पर
साधे हमने आत्मा के स्वर
वे अकस्मात् मुड़ जिस दिन पथ गह लें दूजा
अंतर में घुटती रह जाए टूटी पूजा'[6]

*100, पंचशील नगर, सिविल लाइन्स, दतिया (म.प्र.)-475661

2132 HA/05—6B

ऐसी स्थिति में अब जीवन में शेष क्या रहा। जीवन तो अब खाली प्याले सा हो गया—

'मैं क्या जिया ?

मुझको जीवन ने जिया

बूंद-बूंद कर पिया, मुझको

पीकर पथ पर खाली प्याले-सा छोड़ दिया।' [7]

किंतु इस दुख व निराशा में भी कवि जीवन के प्रति आस्थावान है। उसका विश्वास है कि आज के अधूरे व्यक्तित्व कल पूर्ण बनेंगे और जिंदगी नये सिरे से संवरेगी। यहाँ कवि न तो पलायन में विश्वास करता है, और न पूरी तरह निराश होकर जीवन से उदासीन होता है, बल्कि वह स्थिति की जटिलता और जीवन की वास्तविकता को सही रूप में देखने-भोगने का पक्षधर हो जाता है और जीवन के यथार्थ व सामयिक संघर्ष को भोगते हुए कमल, पंथ व सूर्य की सी आस्था लिये हुए आगे बढ़ता है—

'रात

पर मैं जी रहा हूं निडर

जैसे कमल

जैसे पंथ

जैसे सूर्य।' [8]

भारती का कवि कर्मवादी है। उसका मत है कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। जीवन में यदि कहीं सफलता है, मंजिल तक पहुंचने की धुन है, तो वह व्यक्ति की शक्ति में निहित है। उसकी पौरुषमय चेतना ही उसे गंतव्य तक ले जाती है। पहुंचने में वह टूटता भी है, हारता भी है, किंतु इसी हारने, टूटने, बिखरने से वह बनता भी है। उसे अपनी ही आस्था का संबल मिलता है। यही आत्मशक्ति 'भारती' के काव्य की आस्था है और नयी पीढ़ी के लिए रोशनी। यदि आस्था की पूर्णता में कोई कमी न हो तो रथ का 'टूटा पहिया' भी ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता है। यदि प्रभु पथ पर चलना है तो आस्था की शक्ति संचित करना होगी, क्योंकि प्रभु तो पथ है, चलना मनुष्य को ही पड़ेगा—

'प्रभु तुम तो केवल पथ हो

चलना तो हमको ही होगा

आखिर होंगे ये वही चरण

जिनसे इस लक्ष्य भ्रष्ट मन को

मिल जायेगी अंत में शरण।' [9]

आत्मशक्ति के प्रबल समर्थक भारती के काव्य में अनास्था की अभिव्यक्ति भी हुई है। यह अनास्था ईश्वर के प्रति भी प्रकट हुई है। इस संकलन में कवि ईश्वर के अराध्य रूप के प्रति विमुख है। पूजा के फूलों को वह शीशे के टुकड़ों के समान कष्ट प्रद मानता है और उन्हें देखकर क्षुब्ध होता है। कितना अंतर है—'ठंडा लोहा' में उसे प्रेमिका का रूप पूजा सा लगता है, लेकिन यहाँ आकर तो वह पूजा के प्रति विरक्त हो गया है—

'पाँवों में गड़ेंगे जब

सामने पड़ेंगे जब

तुमको दिखाएंगे

कुछ टूटी शकलें

प्रभुताई मसीहाई की भौंडी नकलें।' [10]

कहीं-कहीं कवि आस्था-अनास्था के मध्य द्वंदवात्मक स्थिति में यही प्रश्न करता है—

'मेरे ये स्वर गूंजेंगे,

या रव में खो जाएंगे' ?[11]

रूढ़ियों के प्रति आक्रोश एवं नव निर्माण की भावना इस संग्रह में व्यक्त हुई है। सामाजिक विषमता को नष्ट कर समाज के एकता, समानता एवं समता के सूत्रों का विकास हो, यह स्वप्न हमारे देश के महान नेताओं ने देखा था। भारती भी इसी स्वप्न को यथार्थ देखने के पक्षधर हैं। पुरातन काल से चली आ रही घृणा की भावना ने मनुष्य के विचारों को दूषित कर दिया है। अत: कवि घृणा की नदी को नवीन विचारों से बांधना चाहता है —

'बांधो नदी यह घृणा की है,

काली चट्टानों के सीने से निकली है

इसको छूते ही

हरे वृक्ष सड़ जाएंगे।' [12]

अत: आवश्यकता है, आज घृणा की नदी पर बांध बनाने की। धरती को फिर से संवारना है, नए बीज डाल कर प्यार की फसल उगानी है और सामाजिक पार्थक्य की नीति को समाप्त करना है, क्योंकि सभी का दर्द एक सा है। अत:

मेंडें बांधना व्यर्थ है। कवि के ये विचार उसकी मानवतावादी दृष्टि को स्पष्ट करते हैं—

'बिना किसी बाधा के
श्रम के पसीने से
सींची हुई फसलों को
खेतों से आंतों तक
जाने की सुविधा दो।' [13]

संग्रह की 'वाणभट्ट' कविता उच्च वर्ग द्वारा फैलाए गए मायाजाल में उलझे बुद्धिवादियों पर व्यंग्य के साथ-साथ साहित्यकार के सामाजिक एवं परिवेशगत दायित्व पर भी प्रकाश डालती है। आज के साहित्यकार की स्वार्थी वृत्ति निम्न पंक्तियों में स्पष्ट है—

'सत्य है एक मणिजटित दुपट्टा,
एक मुद्रा मंजूषा, एक पालकी।
सत्य है आत्मा पर थोपी हुई सीमाएँ
सोने के जाल की
सत्य है राजा हर्षवर्धन के हाथों से मिला हुआ
पान का सुगंधित एक लघु बीड़ा
चाहे वह जूठा हो,
पर उस पर लगा हुआ वर्कदार सोना था।
हाय। वाणभट्ट। हाय।
तुमको भी, तुमको भी, आखिर यही होना था।' [14]

पूंजीवादी एवं साम्यवादी किसी स्वतंत्र देश की निर्धनता को किस प्रकार जीविका का लालच देकर परतंत्र बनाते हैं, भारती के शब्दों में —

'आधे हैं जिनके हाथों में हैं कैमरे
थैलियां टूअरिस्ट पासपोर्ट
रंग-बिरंगी फिल्में
आधे हैं, जिनके पास
रंग बिरंगे चेहरे
[जिनको वे हुक्म के मुताबिक बदल सकते हैं]
दो-दो आने वाले
दूर किसी नगरी में छपे हुए
पैम्फ्लैट के ढ़ेरों में ढंक-ढंक कर आयी हैं
दूर किसी नगरी में ढली हुई जंजीरें।' [15]

कवि इन गुलाम बनाने वालों की कड़े शब्दों में भर्त्सना करता है। वह जानता है कि नैतिकता और आदर्शों को मानने वाला व्यक्ति भूखों मरता है और आदमी की भूख का फ़ायदा आदमी ही उठाता है। अत: वह स्पष्ट शब्दों में कहता है —

'कह दो उनसे
जो खरीदने आए हो तुम्हें
हर भूखा आदमी बिकाऊ नहीं होता।' [16]

संकलन में आधुनिक युग की समस्याओं, मनुष्य के प्रच्छन्न रूप एवं कथनी-करनी में अंतर रखने वाले नेताओं और मंत्रियों पर भी कवि ने व्यंग्य किए हैं —

'वे सब बीमार हैं
जो उन्माद ग्रस्त रोगी से
मंचों पर जाकर चिल्लाते हैं
वे वात, पित्त, कफ के बाद
चौथे दोष अहम् से पीड़ित हैं।' [17]

युग जीवन में प्रकाश के आकांक्षियों को चाहिए कि दंड का भय छोड़ कर दासता, कायरता आदि के अंधकार को दूर करने के लिए अपने अंतर्मन के प्रमथ्यु को जगाएं, बिना उसे जगाए मानवता की जीवन ज्योति को नहीं पाया जा सकता। 'प्रमथ्यु गाथा' यही संदेश देती है। पीड़ा, वेदना और यातना से गुजरते हुए महान सत्य प्राप्ति की जो ललक प्रमथ्यु में थी वह अन्यों के पास न थी और इसीलिए अग्नि की प्राप्ति के उपरांत भी प्रमथ्यु को यह विश्वास एवं अहसास हो जाता है कि —

'जिसमें नहीं है साहस प्रमथ्यु बनने का
उसको बिना पीड़ा के मिल जाने वाली अग्नि
मॉजती नहीं है,
और पशु ही बनाती है।' [18]

किंतु प्रमथ्यु की यातना यात्रा का विकास उस स्थान पर आकर रुकता है, जहाँ वह प्रत्येक मनुष्य को अग्नि के प्रति उत्साही पाता है। यहीं वह आस्था का संकेत देता है —

'कोई तो ऐसा दिन होगा
जब मेरे ये पीड़ा सिक्त स्वर
उसके मन को बेध मूर्च्छित प्रमथ्यु को जगाएंगे।' [19]

'पराजित पीढ़ी का गीत' एवं 'टूटा पहिया' 'प्रमथ्यु गाथा' के आगे का चरण हैं। किन्तु भय, आशंका, अंधकार और अनास्था की विषमतापूर्ण स्थिति इन कविताओं में भी विद्यमान है। आम आदमी का पराजित स्वर इन पंक्तियों में अभिव्यक्त हुआ है —

'हम सब के दामन पर दाग

हम सबकी आत्मा में झूठ

हम सबके माथे पर शर्म

हम सबके हाथों में टूटी तलवारों की मूठ

हम सब सैनिक अपराजेय।' [20]

किंतु यह आम आदमी जो लघु मानव है, अपनी लघुता के प्रति आत्म-विश्वास से पूर्ण है और अपने अस्तित्व की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध भी —

'मैं रथ का टूटा पहिया हूँ

लेकिन मुझे फेंको मत

इतिहास की सामूहिक गति

सहसा झूठी पड़ जाने पर

क्या जाने

सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले।' [21]

'सात गीत वर्ष' का कुछ अंश प्रकृति को भी समर्पित है। सामान्यत: प्रकृति-चित्रण की कविताओं में काम या प्रेम की भावना का संसर्ग है। 'नवंबर की दोपहरी', 'मेघ दुपहरी' 'घाटी का बादल' आदि ऐसी ही कविताएँ है, जिनमें विगत स्मृतियों की पीड़ा मुखर हो उठी है —

'छू गयी मुझको न जाने

कौन बिसरी बात

जिस तरह छू जाए नागिन

फूल को खिलते पहर।' [22]

इसी प्रकार 'घाटी का बादल' कवि मानस की श्रृंगारिक भावनाओं की मांसल अभिव्यक्ति है—

'नितांत कुमारी घाटी

इस कामातुर मेघघूम के

औचक आलिंगन में पिसकर

रतिश्रांता सी मलिन हो गयी।' [23]

प्रेम की स्मृतियों पर आधारित छोटी-छोटी किंतु प्रभावोत्पादक मार्मिक कविताएँ इस संकलन में मिलती हैं। इन प्रकृति-परक कविताओं में शृंगार के दोनों पक्षों की अभिव्यक्ति हुई है— एक ओर यदि —

'आज कल तमाम रात

चांदनी जगाती है

ठंडी ठंडी छत पर

लिपट लिपट जाती है।' [24]

तो दूसरी ओर 'नवंबर' की दोपहर अतीत की स्मृतियों में विह्वल कर वियोग की सृष्टि करती है—

'आई गई रितुएँ

पर वर्षों से ऐसी दोपहर नहीं आई

जो क्वारेपन के कच्चे छल्ले सी

इस मन की उंगुली पर कस जाए

और फिर कसी रहे।' [25]

निष्कर्षत: 'सात गीत वर्ष' में भारती का कवि वैयक्तिक व सामाजिक दोनों ही स्थितियों में स्पष्ट रूप से सामने आया है। 'प्रमथ्यु गाथा' के माध्यम से जहां लोकवादी स्वर प्रस्फुटित हुआ है, वहीं दूसरी ओर प्रकृति चित्रण से पूर्ण कविताओं में उसका प्रेमी रूप स्पष्ट हुआ है। इस संकलन की कविताओं में 'ठंडालोहा' का प्रणय-स्वर सामाजिक समस्याओं व चिंतन की ओर उन्मुख हो गया है। यद्यपि प्रणय संबंधी कविताएं इस में भी हैं, किंतु उनका स्वर भिन्न है।

जिस प्रकार 'सात गीत वर्ष' का कथ्य आत्म-ज्ञान की प्रौढ़ता को पहुंचा है, उसी प्रकार उसका शिल्प भी सशक्त एवं परिमार्जित हुआ है। यहाँ भारती की भाषा 'ठंडालोहा' की अपेक्षा सहज है। भारती का मत है कि 'भाषा भाव की पूर्ण अनुगामिनी रहनी चाहिये। न तो पत्थर का ढोंका बन कर कविता के गले में लटक जाए और न रेशम का जाल बन कर उसकी पांखों में उलझ जाये।' इसलिए यहां उर्दू के अप्रचलित शब्दों का प्रयोग अपेक्षाकृत कम हुआ है, लेकिन तत्सम शब्दों का प्रयोग कुछ अधिक मात्रा में । कहीं-कहीं अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी किया गया है।

'सात गीत वर्ष' में संवादों की सहजता बतियाने की भाषा अपनाने के कारण बढ़ गयी है। 'चैत का एक दिन' इस शैली का सुंदर उदाहरण है —

2132 HA/05—7A

'सुनो
सच बतलाना
क्या तुमको कभी भी
किसी ने भी
इतना उजला, कोमल, पारदर्शी प्यार दिया?' [26]

अलंकारों के प्रयोग की दृष्टि से संकलन में विकास दिखाई देता है। कवि ने अनेक नई-नई उपमाएं प्रयुक्त की हैं। कहीं नवंबर की दोपहर 'जार्जेट के पीले पल्ले सी है' तो कहीं नायिका का तन 'जुही के फूलों सा, कहीं पीले गुलाब सा उदास चेहरा है।' इसी प्रकार रूपक, मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग भी हुआ है। कृति में प्रतीकों का अत्यंत व्यंजक प्रयोग है। 'टूटा पहिया' अटूट आस्था का प्रतीक है, तो 'प्रमथ्यु जनमन की सुप्त इच्छाओं को जगाने का।

निष्कर्षत: 'सात गीत वर्ष' की' कविताएं मांसलता से ऊपर उठ गई हैं। कवि ने विभिन्न पहलुओं पर कविताएँ लिखी हैं। इस संकलन में कहीं व्यंग्य है तो कहीं 'वृहन्नला' के माध्यम से आज के क्लीवी शौर्य का पोस्टमार्टम है। कहीं जीवन की रिक्तता है तो कहीं घुटन का धुआं भी है। किंतु इन सबके ऊपर यादों की मीनार खड़ी है, फूलों की गंध-भरा आंगन है और हैं—प्रकृति के ताजे-ताजे अनाघ्रात और अचुंबित चित्र, जिन्हें देखकर लगता है कि कवि नये स्वरों को साधते हुए भी अपने प्रारंभिक मनोभावों को पूरी तरह भुला नहीं पाया है।'[1] लेकिन कविताओं के विषय व भाव-भूमि बदली हुई है। 'सात गीत वर्ष' तक आते-आते भारती की काव्य चेतना संभवत: अपनी वास्तविक राह खोज लेती है और उसे आत्मज्ञान की यह प्रौढ़ता प्राप्त हो जाती है कि मुग्ध सौंदर्य, उद्दाम आकर्षण, मॉसलता और रूपोपासना इन सबके पीछे आवश्यक है—आत्म संस्कार।'[2] इसलिए यहां कवि आत्म संस्कारों को ग्रहण करते हुए चिंतनशील बन गया है। इस संकलन में प्रणय संवेदना है अवश्य, लेकिन मॉसल भूख न होकर तन-मन से एक होने की चाह है। यहां संघर्ष, आस्था और विश्वास कवि शक्ति बन कर आए हैं। 'कवि की वाणी गैरिक वसना' होकर गोरे अंगों को फूलों में कसना भूल जाती है। निराशा, पराजय एवं अनास्था का कुहासा 'अंजुरी भर धूप' से दूर हो जाता है। अत: इस संकलन में प्रणय राग के अतिरिक्त संक्रांति वेला में गाए गए 'पराजित पीढ़ी के गीत' के दर्द को भी कवि ने उभारा है और 'धूल भरी आंधी' का भी साक्षात्कार किया है। कवि के मन की प्यास मुर्दा होकर पिघले फूलों की आग बन कर एक नया प्रश्न चिह्न लगाती है। युगीन परिस्थितियों का दंश और अभिशाप फूट पड़ता है और कवि यथार्थ के धरातल पर उतर पर सांस्कृतिक एवं राजनैतिक विसंगतियों के प्रति कटुता एवं व्यंग्य से भर उठता है।'[3]

वस्तुत: यहां कवि की वाणी में नयी चाह है, नया संदेश है, वह आशान्वित है और उसने अपने अंतर को प्रकट करके भावों के साथ शिल्प संधान में भी अपनी सामर्थ्य का परिचय दिया है।

1. संदर्भ

1. हरिचरण शर्मा, 'नयी कविता नये धरातल', पृष्ठ-191
2. हुकुमचन्द्र राजपाल, 'धर्मवीर भारती: साहित्य के विविध आयाम' पृष्ठ-39
3. धर्मवीर भारती, 'सात गीत वर्ष' पृष्ठ-25
4. धर्मवीर भारती, 'सात गीत वर्ष' पृष्ठ-58.
5. धर्मवीर भारती, 'सात गीत वर्ष' पृष्ठ-30.
6. धर्मवीर भारती, 'सात गीत वर्ष' पृष्ठ-22.
7. धर्मवीर भारती, 'सात गीत वर्ष' पृष्ठ-38.
8. धर्मवीर भारती, 'सात गीत वर्ष'' पृष्ठ-43.
9. धर्मवीर भारती, 'सात गीत वर्ष'' पृष्ठ-23.
10. धर्मवीर भारती, 'सात गीत वर्ष' पृष्ठ-19
11. धर्मवीर भारती, 'सात गीत वर्ष' पृष्ठ-22
12. धर्मवीर भारती, 'सात गीत वर्ष' पृष्ठ-44
13. धर्मवीर भारती, 'सात गीत वर्ष' पृष्ठ-45
14. धर्मवीर भारती, 'सात गीत वर्ष' पृष्ठ-50
15. धर्मवीर भारती, 'सात गीत वर्ष' पृष्ठ-48
16. धर्मवीर भारती, 'सात गीत वर्ष' पृष्ठ-49
17. धर्मवीर भारती, 'सात गीत वर्ष' पृष्ठ-46
18. धर्मवीर भारती, 'सात गीत वर्ष' पृष्ठ-8
19. धर्मवीर भारती, 'सात गीत वर्ष' पृष्ठ-20
20. धर्मवीर भारती, 'सात गीत वर्ष' पृष्ठ-10
21. धर्मवीर भारती, 'सात गीत वर्ष' पृष्ठ-51
22. धर्मवीर भारती, 'सात गीत वर्ष' पृष्ठ-31
23. धर्मवीर भारती, 'सात गीत वर्ष' पृष्ठ-81
24. धर्मवीर भारती, 'सात गीत वर्ष' पृष्ठ-69
25. धर्मवीर भारती, 'सात गीत वर्ष' पृष्ठ-13
26. धर्मवीर भारती, 'सात गीत वर्ष' पृष्ठ-75
27. हरिचरण शर्मा, 'नयी कविता नये धरातल' पृष्ठ-194
28. श्री निवास शर्मा, 'हिंदी के आधुनिक प्रतिनिधि कवि,' पृष्ठ-226
29. श्री निवास शर्मा, 'हिंदी के आधुनिक प्रतिनिधि कवि,' पृष्ठ-229

2132 HA/05—7B

पुरानी यादें—नए परिप्रेक्ष्य

संत साहित्य उद्धारक—डॉ. पीतांबर दत्त बड़थ्वाल

—डॉ० पूजा अग्रवाल*

डॉ. पीताबंर दत्त बड़थ्वाल जी का हिंदी साहित्यकारों तथा आलोचकों में विशिष्ट स्थान है। बड़थ्वाल जी ने अपनी शिक्षा-दीक्षा पूर्ण करने के पश्चात् अपने गुरु श्याम सुंदर दास जी के मार्गदशन में विभिन्न विषयों पर अनंक ग्रंथों का प्रणयन किया, जिनमें उन्होंने अनेक पुस्तकों की विशद व्याख्याएं एवं गवेषणापूर्ण लेख प्रकाशित किए।

डॉ. पीतांबर दत्त बड़थ्वाल ने सम्वत् 1858 (1901) को लैंसडाउन से तीन मील दूर कौडिया पट्टी के पाली नामक गाँव को अपने जन्म से पवित्र एवं गौरवान्वित किया था। इनके पिता श्री गौरी दत्त बड़थ्वाल ज्योतिषी तथा कर्मकांडी ब्राह्मण थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा-दीक्षा घर पर ही संपन्न हुई। तदुपरांत समीपवर्ती एक विद्यालय में प्रारंभिक अध्ययन करने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल, श्रीनगर में प्रवेश लिया। फिर कानपुर से इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सन् 1922 में डी.ए.वी. कालेज कानपुर से ही एफ.ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद बड़थ्वाल जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक एवं हिंदी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के उपरांत वहीं रहकर शोधकार्य करने लगे। शोधकार्य करते हुए ही बड़थ्वाल जी डॉ. श्याम सुंदर दास के निर्देश पर "काशी नागरी प्रचारिणी सभा" के अवैतनिक संचालक के पद पर भी कार्य करते रहे। सन् 1931 में डॉ. बड़थ्वाल ने "हिंदी काव्य में निर्गुणवाद" नाम से अपना शोध-प्रबंध, जो कि मूलत: अंग्रेजी भाषा में था, काशी विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया।

डॉ. बड़थ्वाल ने अपने विद्यार्थी काल में ही कई पुस्तकें लिखी तथा अनेकों अमूल्य पुस्तकों का संपादन एवं प्रकाशन किया था। इन्होंने अपने व्यावहारिक अनुभवों के आधार पर "प्राणायाम विज्ञान तथा कला" तथा "ध्यान से आत्मचिकित्सा" नामक पुस्तकें लिखीं। डॉ. श्यामसुंदर दास तथा रामचंद्र शुक्ल जैसे हिंदी के दिग्गज विद्वानों के सहयोग से डॉ. बड़थ्वाल ने "गद्य सौरभ", "गोस्वामी तुलसीदास", "रूपक-रहस्य" इत्यादि पुस्तकों की विशद एवं विस्तृत व्याख्या तथा प्रकाशन किया। "गोरखवानी" तो पीतांबर दत्त बड़थ्वाल की अमरकीर्ति का कीर्ति स्तंभ ही है। जिसका बड़थ्वाल जी ने स्वयं संपादन किया तथा उसकी सारगर्भित एवं विशद प्रस्तावना भी लिखी। नाथपंथ के प्रणेता एवं समाज सुधारक गुरु गोरखनाथ के जीवन तथा वाणियों (उपदेशों) पर लिखा गया यह एक अमूल्य ग्रंथ रत्न है। गढ़वाल की लोकोक्तियों एवं नेपाली साहित्य पर भी इन्होंने इतिहास तैयार किया। गढ़वाल के गोरखा शासन तथा वीरगाथाओं पर तैयार की गई उनकी पुस्तकें अप्रकाशित ही हैं।

यद्यपि डॉ. बड़थ्वाल ने काशी को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाए रखा। तथापि, वे अपनी मातृभूमि गढ़वाल को भी नहीं भूले। गढ़वाल क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर वे निरंतर लेख लिखते रहे। विशेषकर श्री गिरजादत्त नैथानी द्वारा संपादित मासिक पत्र "पुरुषार्थ" में इनके लेख तथा गवेषणापूर्ण निबंध अक्सर छपते रहते थे। शायद बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि डॉ. बड़थ्वाल गद्य, निबंध तथा लेखों के साथ-साथ कविताएं भी लिखा करते थे। डॉ. बड़थ्वाल का गद्य काव्य विलोचन एवं व्योमचंद्र उपनाम से तथा पद्य कविता अंबर उपनाम से प्रकाशित होती थी।

पुरुषार्थ में प्रकाशित "हे हृदय" कविता की कुछ पंक्तियाँ यहाँ द्रष्टव्य हैं :—

अन्याइयों का वज्र बनकर, विभंजन हे हृदय।
पर दीन जन दुख ताप सम्मुख, मोम बन तू हे हृदय।
सम्राट तू बन इन्द्रियाँ हों, जब प्रजानन हे हृदय।
सत्कार्य में संलग्न सतत, मूल तन-धन हे हृदय॥

*संस्कृत विभाग, हे.नं. ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय, पौड़ी परिसर, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरांचल।

कितना निर्मल, निश्छल हृदय है कवि का। अपने हृदय को कवि कितने विरोधाभासों, कितने संघर्षों को झेलने की प्रेरणा दे रहे हैं, वहीं किसी दीन-हीन के प्रति हृदय को अगाध स्नेह धारा से आर्द्र करते हुए नि:स्वार्थ सेवा करने का उपदेश देते हुए हृदय की जिस महानता का अनुभव होता है, वह अन्यत्र दुर्लभप्राय है।

इसी भांति "तिलक वंदना" शीर्षक के अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक की स्तुति एवं प्रशंसा में लिखी कवि की पंक्तियां स्वयं ही कवि के उच्च बौद्धिक स्तर तथा सरल हृदय को अभिव्यक्त करती हैं :—

देश हितार्थ विषम दुख को, सुध स्वर्ग सममाने।
ज्यति स्वाभिमानी द्विज-कुल मणि, जिसके गुण जग जाने
जन्मसिद्ध अधिकार हमारा, है स्वराज्य दिखलाया।
लोकमान्य भूले भटकों को, सीधा पथ दिखलाया॥

डॉ. बड़थ्वाल जी संत साहित्य के उद्धारक तथा सच्चे साधक थे। डॉ. बड़थ्वाल से पूर्व कबीर, दादू, धन्ना इत्यादि निर्गुणवादी कवियों को हिंदी साहित्य के विद्वानों तथा आलोचकों द्वारा हेय दृष्टि से देखा जाता था। डॉ. बड़थ्वाल का प्रसिद्ध ग्रंथ निर्गुणवाद पर किया गया शोध प्रबंध है। इस शोध प्रबंध के प्रकाश में आने से पूर्व लोगों को कबीर, दादू आदि संतों की पंचमेल तथा अल्हड़ भाषा में लिखी साखी एवं बानियों में किसी प्रकार की जीवंत शक्ति का अनुभव नहीं होता था तथा न ही ये शिल्प विधान की दृष्टि से ही विद्वानों को किसी योग्य प्रतीत होती थी। परंतु अनेक विरोध एवं समस्याओं के होते हुए भी डॉ. बड़थ्वाल ने अपनी प्रतिभा एवं गहन चिंतन शक्ति के बल पर संत साहित्य का गहन तथा गंभीर अध्ययन-मनन किया। उन्हें इन बानियों में जीवन के अद्भुत रहस्य तथा व्यावहारिक एवं आत्मिक अनुभूतियाँ मिली। इन्होंने संतों की अमूल्य साहित्यिक धरोहर, के जो कि अनुयायियों द्वारा केवल पूजा मात्र की वस्तु समझकर सुरक्षित रखी गयी थी, जीवनोपयोगी महत्व को समझा तथा यत्र-तत्र बिखरे पड़े साहित्य को संग्रहित तथा व्यवस्थित रूप प्रदान किया। "कबीर और गांधी" पुस्तक में उन्होंने गाँधीजी एवं कबीर के विचार साम्य को अत्यंत सूक्ष्मता से अंकित किया है। डॉ. बड़थ्वाल का यह ग्रंथ वस्तुत: अंग्रेजी में था, जिसका हिंदी रूपांतर करने की प्रबल इच्छा से इन्होंने प्रथम, द्वितीय एवं षष्ठ अध्यायों का हिंदी में अनुवाद किया किंतु उनके असमय ही पंचतत्व में विलीन हो जाने पर अन्य तीन अध्यायों का अनुवाद श्री परशुराम चतुर्वेदी जी ने पूर्ण किया।

संत साहित्य के विषय में उनका कहना था कि "अपनी वर्तमान दशा में उनकी भाषा कभी-कभी इतनी भद्दी दीख पड़ती थी कि जिन लोगों को काव्य एवं भाषा की चमक-दमक को एक साथ देखने का अभ्यास है, उनके लिए सुदंर नहीं जंचा करती, परंतु इन आत्म द्रष्टाओं के निकट हमें उनकी अभिव्यक्ति के सौंदर्य के लिए नहीं, किंतु भावना सौंदर्य के लिए जाना उचित है।"

उनकी दृष्टि में भाषा शैली तथा शिल्प की दृष्टि से कबीर की साखी भले ही विद्वानों द्वारा समादृत न हो, किंतु भावनात्मक स्तर पर वह सौंदर्ययुक्त है। इसी तथ्य को और अधिक स्पष्ट करते हुए पुन: डॉ. बड़थ्वाल का कहना था कि —"निर्गुणियों के अनुसार मानव समाज को धर्म के नाम पर भिन्न वर्गों में विभाजित करना असत्य पर आधारित है। उनका अपना धर्म सभी प्रकार की वर्गभावना से रहित है। उसमें सच्चे धर्म के सभी मुख्य अंश निहित रहते हैं और धार्मिक दुराग्रहों को किसी रूप में न अपनाने, किसी भी प्रकार के पार्थक्य की भावना को आश्रय न देने तथा जीवन के क्षुद्रातिक्षुद्र अंग को भी अछूता न छोड़ने वाली अपनी विशेषता के कारण उसका प्रभाव व्यापक व सार्वभौम हुआ करता है।"

हिंदी के पहले डी. लिट. उपधि प्राप्त डॉ. बड़थ्वाल निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले कबीर, धन्ना इत्यादि संतों के विचारों का गहन एवं गंभीर अनुशीलन करने के पश्चात् गोरखनाथ से प्रेरणा प्राप्त कर नाथपंत की ओर आकर्षित हुए। गढ़वाल में देवलगढ़ नाथपंथ का प्रमुख केंद्र रहा है। डॉ. बड़थ्वाल ने यहां की मूर्तियों का गंभीर अध्ययन किया तथा विस्तृत नोट्स तैयार किए। डॉ. बड़थ्वाल द्वारा संपादित 'गोरखबानी' ग्रंथ नाथपंथ तथा हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है।

डॉ. बड़थ्वाल ने गढ़वाल में साहित्यिक आंदोलन का सूत्रपात करने के उद्देश्य से सन् 1937 में पौड़ी में एक साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें श्री ललिता प्रसाद नैथानी के प्रस्ताव पर "गढ़वाल साहित्य परिषद" का गठन किया गया, जिसमें डॉ. बड़थ्वाल को सर्वसम्मति से सभापति चुना गया। इसी समय इन्होंने "गढ़वाल नव-युवक सम्मेलन" नामक संस्था की भी स्थापना की। "गढ़वाल साहित्य परिषद" नामक संस्था के अंतर्गत प्रकाशित होने वाली "पंखुरी" नामक पत्रिका के माध्यम से डॉ. पीतांबर

(शेष पृष्ठ 37 पर)

संस्कृति

पूज्य वृक्ष : करमा

—नरेश चंद्र तिवारी*

करमा पूज्य वृक्ष है। इस पूज्य वृक्ष से जुड़ा करमा पर्व बिहार तथा झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में सभी समुदाय के लोगों द्ववारा बड़ी-धूमधाम तथा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कुवांरी कन्याएं अपने सभी भाईयों की प्रसन्नता, योग्यवर की प्राप्ति तथा सर्वमंगल कामना के लिए करमा पूजन का व्रत रखती हैं। करमा व्रत का उपवास रखने वाली कुंवारी कन्याएं सामान्यत: सात वर्ष तक उपवास रखने की प्रतिज्ञा लेती हैं। युवक भी एक वर्ष तक उपवास करने का व्रत लेते हैं। गैर आदिवासी लोग भी इस पर्व को बड़ी धूमधाम से बनाते हैं।

करमा वृक्ष से अनेक पौराणिक कथाएं, लोक मान्यताएं तथा किवदंतियां जुड़ी हुई हैं। करमा पर्व पर वृक्ष के पूजन के समय इन कथाओं को सामूहिक रूप से कहा-सुना जाता है।

पौराणिक कथाएं

एक पौराणिक कथा के अनुसार महाप्रलय के समय आदि पुरुष मनु जी जब अपनी नौका में सृष्टि बीजों को लेकर तैर रहे थे, तब उन्होंने नाव की डोरी को एक वृक्ष से बांध दिया था। वह वृक्ष करमा का ही था।

एक दूसरी कथा में करमा वृक्ष के पीले रंग का संबंध भगवान विष्णु से जोड़ा गया है। श्रीविष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। पीला वस्त्र धारण करने के कारण ही उन्हें 'पीतांबर' भी कहा जाता है। अत: करमा वृक्ष की पूजा विशुद्ध रूप से श्री विष्णु की ही पूजा है। करमा वृक्ष की लकड़ी पीला रंग लिए हुए होती है।

तीसरी कथा में करमा वृक्ष का संबंध माता पार्वती से जोड़ा गया है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माता पार्वती ने जिस वृक्ष के नीचे बैठकर सात वर्ष तक उपवास करके तपस्या की थी, वह वृक्ष करमा का ही था। तभी से कुवांरी कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति के लिए सात वर्ष तक उपवास करने का व्रत लेती हैं। उपवास रखने वाली कन्याओं को 'पार्वतिन' कहकर संबोधित किया जाता है।

लोक कथाएं

करमा वृक्ष के पूजन से संबंधित अनेक लोक कथाएं भी प्रचलित हैं, लेकिन मूल रूप से करम राजा व धरम राजा की कहानी अधिक प्रसिद्ध है। कथा कुछ इस प्रकार है—

प्राचीन काल की बात है। किसी स्थान पर एक धनवान व्यक्ति रहा करता था, जिसके दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम करम राजा तथा छोटे पुत्र का नाम धरम राजा था। उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसके दोनों पुत्रों ने घर, परिवार व व्यवसाय को कुशलता से सम्हाल लिया। धरम राजा की पत्नी मृदु स्वभाव की थी, जबकि करम राजा की पत्नी दुष्ट प्रवृत्ति तथा कर्कश स्वभाव वाली थी। धर्म राजा की पत्नी प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल एकादशी को करमा व्रत रखती थी, जिसके पुण्य प्रताप से उसे किसी प्रकार का कोई शारीरिक व मानसिक कष्ट नहीं रहता था। वह सभी प्रकार से सुखी तथा प्रसन्न रहती थी। दूसरी ओर करम राजा की पत्नी कोई व्रत नहीं रखती थी।

आरंभ में कुछ वर्षों तक सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहा, लेकिन करम राजा की पत्नी की कटुता, दुष्टता व इर्ष्या द्वेष के कारण परिवार में फूट पड़ गयी। दोनों भाइयों में बटवारा हो गया और वे अपने-अपने परिवार के साथ अलग-अलग रहने लगे। करम राजा को अपनी पत्नी के कटु व्यवहार के कारण दुख भोगना पड़ता था और वह दिनों-दिन निर्धन होता चला गया। यहां तक कि वह दाने-दाने के लिए तरसने

*तकनीकी अधिकारी, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, 1, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ-226001

2132 HA/05—8A

लगा। एक दिन करम राजा विवशतावश मजदूर के रूप में अपने भाई धरम राजा के खेतों में धान रोपने के लिए गया। दुर्भाग्य से बनिहागी (काम के बदले अनाज) लेने की उसकी बारी आते-आते बनिहारी ही समाप्त हो गयी और उसे खाली हाथ ही घर वापस आना पड़ा। उस दिन उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अत: उसको भूखे पेट ही बिस्तर पर जाना पड़ा। इससे उसे क्रोध आ रहा था। ईर्ष्या व क्रोध से भरा वह रात्रि में ही अपने घर से निकल कर अपने भाई के खेत में गया और रोपे गये धान के पौधों को उखाड़-उखाड़ कर फेंकने लगा। लेकिन उसके पीठ-पीछे बैठा एक धर्मात्मा संत उसके द्वारा उखाड़े गये धान की पौध को फिर से रोपते हुए आ रहा था। करम राजा ने देखा तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसने संत से पूछा—''तुम कौन हो ?'' संत ने कहा—''मैं करम हूं''। लोगों की भलाई करना मेरा काम है। इस पर करम राजा ने पूछा—'मेरे दुखों और विपत्तियों का क्या कारण है ?' संत ने उत्तर दिया—''तुम्हारे करम ही तुम्हारे शत्रु बन गये हैं। तुम दोनों पति-पत्नी ईर्ष्या-द्वेष से भरे हुए हो। प्रेम और सेवा भाव तुम दोनों में नहीं है। यही कारण है कि समृद्धि तथा सुख-शांति तुम दोनों को छोड़कर चले गये हैं।'' संत की वाणी सुन कर करम राजा घर वापस आ गया, लेकिन घर में उसे मन का चैन नहीं मिला। उसकी व्याकुलता बढ़ती गई। उसे अपने कृत्यों पर पश्चाताप हो रहा था। वह रात्रि में ही गृहत्याग कर चला गया। प्रात: काल करम की पत्नी अपने पति को घर में न पाकर बहुत दुखी हुई। वह फूट-फूटकर रोने लगी लेकिन इस विपदा में भी उसके स्वभाव से परिचित कोई भी व्यक्ति उससे सांत्वना के दो शब्द कहने नहीं आया। वह दुखी रहकर ही अपना जीवन अकेले गुजारने लगी। एक दिन की बात है। एक संत करम की पत्नी के पास आया। उसने करम की पत्नी से उसके दुखी रहने का कारण पूछा। करम की पत्नी ने कहा—मेरे पति घर छोड़ कर चले गये हैं। इसलिए मैं दुखी रहती हूँ। इस पर साधु ने कहा—मैं करम हूं। लोगों की भलाई करना मेरा काम है। बुरे स्वभाव के कारण ही तुम दोनों का भाग्य तुम्हें छोड़कर चला गया है। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए तुम्हें 'करम एकादशी' का व्रत रखना चाहिए। करम की पत्नी ने संत के कहने पर 'करम एकादशी' का व्रत रखा। करमा उपवास करने से उसका मत निर्मल और स्वच्छ हो गया। वह मृदु स्वभाव वाली हो गयी। इससे उसके करम और भाग्य दोनों उसके पास पुन: लौट आए। उसका खोया पति भी घर वापस आ गया और वे सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे।

करमा उत्सव की कथा में वस्तुत: करम राजा और धरम राजा की कथा अधिक प्रचलित है, किंतु सात भाइयों की कथा का भी उल्लेख मिलता है, जो इस लोक गीत से प्रस्फुलित होता है—

सतों भइया सतो करम शाड़य
सतो गोतनी सेवा करय
के भइया उपासल के भइया पियासल
चला जांव गंगा नहाय
बड़ भइया उपासल छोट भइया पियासल

चल जाव करम का सेवा

इसके अतिरिक्त उरांव जाति के आदिवासियों के पूर्व स्थान रोहतासगढ़ के राजा की बहन द्वारा करमा उपवास का वर्णन उरांव लोक गीतों में मिलता है।

करमा पर्व

करमा वृक्ष के पूजन का पर्व एक महापर्व है। प्रकृति के परम तत्व से साहचर्य स्थापित करने का पर्व है, करम पर्व। भ्रादपद शुक्ल एकादशी की तिथि को बिहार तथा झारखंड राज्य के आदिवासी समाज में इसे बहुत उत्साह से मनाया जाता है। इन दिनों धान की बालियों से भीनी-भीनी सुगंध फैलने लगती है और हरियाली दूर-दूर तक छा जाती है। ऐसी ऋतु में मनाया जाने वाला करमा पर्व ही एक ऐसा महापर्व है जिसे आदिवासी और गैर आदिवासी (सदान) लोग, दोनों ही समान रूप से मनाते हैं। सदान महिलाएं और कुवांरी कन्याएं अपने भाई की मंगल कामना के लिए उपवास रखकर इस पर्व को मनाती है, जबकि आदिवासी लोग सौभाग्यवर्धन और परस्पर बंधुत्व में वृद्धि के लिए यह पर्व मनाते हैं। वास्तव में करमा पर्व की पृष्ठभूमि में जनजातीय सांस्कृतिक चेतना, जीवन दर्शन, लोक विश्वास, धर्म और प्रकृति के प्रति आदिम संवेदनाएं हैं। निराकार ईश्वरीय सत्ता के समक्ष मानव का श्रद्धा नैवेदय अर्पण करना मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का द्योतक है।

करमा का अर्थ है—'हाथ मा' अर्थात् हाथ में या भाग्य में। इस पर्व में करम वृक्ष की शाखाएं गाड़ कर उसकी पूजा की जाती है। आदिवासी समाज में उनके पुरोहित-पाहन करम डाली की पूजा को संपन्न कराते हैं तो गैर आदिवासी समाज (सदान) में पुरोहित-गोसाई यह पूजा कराते हैं। करमा पर्व के दिन नर-नारी दिनभर उपवास रखते हैं और रात्रि में पूजा करते हैं। यह पर्व सामूहिक रूप से मनाया जाता है।

2132 HA/05—8B

धूप, दीप, नैवेदय, फूल-अक्षत, सिंदूर, खीरा, भुने हुए चने का प्रसाद इसमें चढ़ाया जाता है।

विधि विधान

अलग-अलग भूभागों में यह पर्व अलग-अलग रूपों में मनाया जाता है। बिहार के आदिवासी युंवक वन से करम वृक्ष की डालियां लाने के लिए समूह बनाकर निकलते हैं। कुवांरी कन्याएं उन्हें विदाई देती हैं। आदिवासी युवक मांदर और नगाड़ा बजाते हुए वन की ओर जाते हैं। युवतियां उनके साथ नाचती गाती हुई जाती हैं। करम वृक्ष के समीप पहुंच कर वे उसे प्रसन्न करने के लिए उसकी परिक्रमा करते हुए नृत्य करते हैं। जो युवक-युवतियां पहली बार उपवास कर रहे होते हैं, वे करम वृक्ष के चारों ओर धागा लपेटते हैं। फिर उस पर हल्दी-जल छिड़कते हैं। इसके बाद कोई एक युवक वृक्ष पर चढ़कर उसकी तीन डालियां काटता है। इन कटी हुई डालियों को भूमि पर नहीं गिरने दिया जाता है। इन डालियों को युवक अपने साथ आई युवतियों को सम्मानपूर्वक सौंप देते हैं। युवतियां करम की डालियां कंधों पर रख कर लाती हैं।

सभी युवक-युवतियां नृत्य-गीत के बीच थिरकते हुए गांव वापस आते हैं। पहनाइन गांव के अखाड़े (पूजास्थल) के पास उनका स्वागत करती हैं। उनके साथ पहान तथा महतो भी होते हैं। युवतियां डालियों को पहनाइन को थमा देती हैं। करम की डालियों को धोने के पश्चात पहनाइन अखाड़े के मध्य में उन्हें रोप देती हैं। उन पर तेल सिंदूर का लेप लगाया जाता है। उसके निकट एक दीप जलाया जाता है। फिर सारी रात और अगले दिन करम देव की विदाई तक लोक गीतों की अनवरत धारा बहती रहती है। मांदर, बांसुरी, ठेचका, नगाड़ा आदि वाद्य यंत्रों के ताल-लय पर झूमर नृत्य करते हुए उपवास रखने वाले युवक-युवतियों के पांव थकते नहीं हैं।

झूमर नृत्य और करमा लोक गीतों के बाद युवतियां करम डालियों के साथ जल रहे दीपक के पास आकर बैठ जाती हैं। उनकी टोकरियों में पुष्प और वस्त्रों में लिपटा हुआ एक खीरा होता है जो उनकी भावी संतान का प्रतीक होता है। करमा पूजा के पश्चात् पाहन करमा-धरमा की कथा सुनाता है। कथा श्रवण के बीच-बीच में करम की कृपा के लिए करम डाली पर पुष्पों की वर्षा की जाती है। कथा की समाप्ति पर लोग अपने-अपने घर चले जाते हैं। रात्रि में फिर पूजा स्थल पर एकत्र होते हैं। रात-भर तथा भोर की लाली फूटने तक करम वृक्ष के आदर में नृत्य-गीत चलता रहता है। नृत्य अबाध होता है। इसलिए इसकी गति तेज और मंद लय में रहती है। मांदर पर एक विशेष ताल ही बज सकता है। इस आयोजन में ढोल-वादन वर्जित है। दिन चढ़ते ही पहनाइन करम की डालियां उखाड़कर युवतियों को सौंप देती हैं। वे इसे अपने कंधों पर उठा लेती हैं। झूमते-थिरकते नदी या जलाशय में उसे विसर्जित करके वे करम राजा या वन देव से भाइयों और परिवार के लिए सौभाग्य की याचना करती हैं।

स्थान विशेष के कारण करमा व्रत में कहीं-कहीं भिन्नता भी देखने को मिलती है। कहीं-कहीं पर भाद्रपद की शुक्ल एकादशी को भाई की लंबी उम्र के लिए बहनें चौबीस घंटे का उपवास करती हैं। सायंकाल शिव, पार्वती, गणेश की मिट्टी की मूर्ति के समक्ष कांसी-बेलोधर पौधे के फल-फूल, अक्षत, सिंदूर आदि से ओखरी की भी पूजा की जाती है। दूसरे दिन बहनें व्रत तोड़ने के बाद भात और कर्मा का साग खाती हैं।

झारखंड राज्य के छोटा नागपुर के वनवासी अंचलों में करमा पर्व के अवसर पर उपवास करने वाली लड़कियां उपवास से नौ दिन पूर्व नदी से बालू लेकर आती हैं, फिर नहा-धोकर स्वच्छ कपड़े पहन कर बालू मे जवा बोती हैं। इसे वह बीच-बीच में हल्दी पानी से सींचती रहती हैं। इसी बीच नृत्य व लोक गीतों का कार्यक्रम भी आरंभ हो जाता है। इस अवसर पर यह लोक गीत गाया जाता है :

करम करम कहले रे सांवरो,
करम का दिन कैसे आवी भला...
आसाढ सावन चलियो गेल
कुवांरे ही राइज करम गाढ़य भला...

नौ दिन में जवा फूल पीला रंग लेकर लहलहाने लगता है। अब कन्याएं रंग-बिरंगी डालियां, दीप, दही, चूड़ा, नए वस्त्र, तेल सिंदूर व खीरा आदि पूजा सामग्री व नैवेद्य जुटाने में लग जाती हैं। करम उपवास के दिन कन्याएं नदी या जलाशय में जाकर फुल-पत्तियां एकत्रित करती हैं और स्नानादि करके वापस घर आती हैं। लड़के अखड़ा (नृत्य एवं पूजा स्थान) में सरहुल झंडा गाड़ने एवं अखड़ा को साफ करके पानी से सींचने लग जाते हैं। सायंकाल में गांव के

सभी लड़के-लड़कियां करमा वृक्ष की डालियों को लाने की तैयारी में जुट जाते हैं। ढोल, मांदर, नगाड़ा, शंख, घंटा आदि लेकर उल्लासपूर्वक नाचते-गाते करमा वृक्ष के पास जाते हैं। गांव के बैगा द्वारा करमा वृक्ष की पूजा करने पर भाई अपनी बहनों को करमा वृक्ष की प्रदक्षिणा कराते हैं। बहनें जितने वर्ष तक उपवास करने का संकल्प लेती हैं, उतनी प्रदक्षिणा करती हैं व उतने ही धागे करमा वृक्ष पर लपेटती हैं। एक वर्ष के उपवास के बाद अगले वर्ष एक-एक प्रदक्षिणा और धागे लपेटना कम हो जाता है। प्रदक्षिणा करने के बाद पहली बार उपवास करने वाली लड़कियों के भाई वृक्ष की डालियों को काटते हैं जिसे बहनें भूमि पर गिरने से पहले ही पकड़ लेती हैं। कुल तीन डालियां काटी जाती हैं। इसके बाद लड़कियां डालियों को लेकर गांव की ओर प्रस्थान करती हैं। ढोल, मांदर, नगाड़ा, शंख व घंटा आदि बजाते हुए नृत्य-गीत के साथ करम की डालियों को अखड़ा में लाया जाता है। अखड़ा में पहुंचने के बाद गांव की बैगाइन, मझियाइन आदि पांच स्त्रियां करमा की डाली को अखड़ा के बीच में गाड़ देती हैं। तदुपरांत सभी लड़कियां अपने-अपने घर जाकर पूजा के लिए रंग-बिरंगी डालियों में दीप, तेल, सिंदूर, खीरा, दूध व चूड़ा आदि लेकर अखड़ा में आती हैं। लड़कियों को उनके भाई तीन-तीन प्रदक्षिणा कराते हैं। प्रदक्षिणा के बाद सभी लड़कियां पूजा के लिए बैठ जाती हैं। पुष्प, दीप, नैवेद्य, तेल, सिंदूर व खीरा आदि चढ़ा कर पूजा करती हैं। पूजा समाप्त होने पर करम कथा का श्रवण करती हैं। करम कथा चलते-चलते ही कथा सुनाने वाली कन्या द्वारा 'पार्वती नमन फूल चढ़ावा' कहने पर सभी कन्याएं फूल चढ़ाती हैं। कथा समाप्त होने के बाद लड़कियां घर लौट आती हैं। घर जाकर दही-चूड़ा व पकवान का अल्पाहार करती हैं, इसके बाद करम वृक्ष की सेवा में रात्रि भर लोक-नृत्य करती हैं। पूरा गांव ढोल, मांदर, शंख, घंटा, नगाड़ों व गीतों की ध्वनि से गूंजता रहता है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि नृत्य गीत का सिलसिला अनवरत चलता रहे और बीच में खंडित न हो। प्रातः सभी बालिकाएं पुनः नए वस्त्र पहन कर खेलने आती हैं। गांव के समस्त जन खेल देखने आते हैं। उपवास रखने वाली युवतियां प्रेमस्वरूप सभी को जवा फूल भेंट करती हैं। इस क्रम में नृत्य गीत चलता ही रहता है। फिर गांव की बैगाइन, महतोइन, मझियाइन आदि पांच महिलाओं द्वारा करम की डालियों को उखाड़े जाने के बाद करम की डालियों को घर-घर घुमाया जाता है। घर की महिलाएं डालियों पर जल डालती हैं और तेल सिंदूर लगाती हैं। नृत्य गीत अनवरत चलता रहता है। पूरे गांव की प्रदक्षिणा हो जाने के बाद सभी युवक-युवतियां करम विसर्जन के लिए नदी या जलाशय की ओर जाते हैं। वहां पर लड़के-लड़कियां करम की पत्तियों से करम जहर तोड़ते हैं और एक मधुर प्रेम के बंधन में बंधते हैं। करम की डालियों को विसर्जित करने के बाद उपवास करने वाली युवतियां सब को चूड़ा-गुड़ व खीरा का प्रसाद बांटती हैं। उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करती हैं। इस प्रकार करमा का त्यौहार सोल्लास संपन्न हो जाता है।

करमा के उत्सव का विवाह से भी अन्योन्याश्रय संबंध है, क्योंकि इस अवसर पर कुवांरी लड़कियां अपने योग्य वर की प्राप्ति हेतु व्रत रखती हैं। प्रायः करमा त्यौहार संपन्न हो जाने के बाद ही विवाह संबंधी बातचीत आरंभ होती है। इससे पूर्व इसे निषेध माना जाता है। अब वर पक्ष के लोग कन्या की खोज में निकल पड़ते हैं।

करमा पर्व के लोक गीत

समय के आधार पर करमा गीतों को पांच वर्गों— सुमिरनी, संझईया, अधरतिया, मिनसहर और ठठिया में वर्गीकृत किया जा सकता है :

सुमिरनी : यह किसी शुभ कार्य से पूर्व ईश्वर वंदना के गीत होते हैं। इनमें राम-कृष्ण और परमसत्ता के प्रति श्रद्धा निवेदित की जाती है।

संझईया : इन लोक गीतों में स्थानीय जन जीवन और जनजातीय समाज की व्यथा का शाब्दिक चित्रण होता है।

अधरतिया : यह मध्य रात्रि के प्रथम पहर में पाया जाता है। अधरतिया या रिझवारी शृंगारसिक्त भावना पर आधारित होता है। इसमें दिन-रात को संयोग-वियोग के रूपक के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है।

मिनसहर गीत : रात्रि का अंत होता है। पूर्व में सूर्य उदय होने लगता है। मन में उमंगें जागने लगती हैं तो स्वतः ही कंठ से सुर जगने लगते हैं। इस समय गाया जाता है मिनसहर गीत जिनमें संघर्षशील जीवन में क्षणभर के लिए घने घुमड़ते बादलों के बीच छिपे सूर्य को निहारने का सुख मिलता है।

ठठिया : ठठिया करम गीतों में जनजातीय जीवन-दर्शन का भावात्मक स्पर्श होता है। क्षणभंगुर जीव जगत में ऐंद्रिक सुख मात्र क्षणिक है और निरंतर क्षय होता हुआ मनुष्य कब तक इस सत्य से अनभिज्ञ रहेगा? इसलिए भोग विलास में न पड़कर जीवन को सुधारें, धरती को संवारें।

करमा वृक्ष पूजन का उपवास पर्व आस्था और विश्वास का धार्मिक-सांस्कृतिक पर्व है। एक ओर जहां इस पर्व से धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वहीं लोक नृत्यों और लोक गीतों का भी इसमें समावेश है जो लोक संस्कृति को संरक्षण प्रदान करता है। रात-रात भर जाग कर स्त्रियां नृत्य करती हैं, लोक गीत गाती हैं और वांतावरण में रस घोलती हैं। इन लोक-गीतों में प्रकृति के मनोरम सौंदर्य का भी वर्णन होता है, जिसे सुन कर मन खिल उठता है।

कालाढूंगी का हल्दू वृक्ष

करम के वृक्ष लगभग सम्पूर्ण भारत में पाये जाते हैं लेकिन उत्तरांचल राज्य के हल्दवानी में इस वृक्ष का विशेष महत्व है। किसी समय यहां करम (हल्दू) के वृक्ष सर्वत्र पाये जाते थे जिसके कारण इस स्थान का नाम हल्दवानी पड़ा। नैनीताल जनपद में कालाढूंगी से हल्दवानी रोड़ पर निहाल ब्लाक में एक प्राचीन हल्दू का वृक्ष है। इस वृक्ष के तने में एक आकृति उभर आयी है जिसे लोग हनुमान जी की आकृति मानते हैं। इस वृक्ष में हनुमान जी का वास मान कर विधिवत पूजा पाठ करते हैं। मनौतियां मानते हैं तथा प्रसाद चढ़ाते हैं। देहरादून जिले में भी हल्दू का वृक्ष पाया जाता है।

वानस्पतिक परिचय

करम प्राय: भारत के समस्त भू-भागों में पाया जाने वाला एक सुंदर विशाल वृक्ष है। इसका वानस्पतिक नाम (लैटिन) **हाल्दीवा कार्दिफोलिया** (राक्सब) रिड्सडेल (अंग्रेजी उच्चारण **हाल्डीना कार्डिफ़ोलिया**) है। इसका पुराना नाम (1) **आदीना कार्दिफोलिया** बेंथम एवं हुकर (**एडिना कार्डिफोलिया**) तथा (2) **नाउक्लेया कार्दिफोलिया** राक्सब (**नॉविलया कार्डिफोलिया**) है। यह 'रूबीएसी' कुल का वृक्ष है।

करम को **संस्कृति** में हरिद्रु; **हिंदी** में करम, कदमी, हलदू, हर्दू; **बंगाली** में बंगका, रंगत, केलि-कदम, पेटपुरिया, डाकोम; **मध्य भारत** में हरदुछा, हर्दू; **कोल** में कुरूंबा, कंबा, सनको; **संथाल** में करम; **गोंड** में हर्दू, पस्पू, कुर्मी; **गारो** में शांगडोंग; **बहराइच** तथा **गोंडा** में टिक्की; **असम** में रोधू, तरकसोपा, केलिकदम; **मेघालय** में कोलोंग; **सिंध** में थाइंग; **पंजाबी** में हल्दू; **गुजराती** में हलदवार, हल्दवान, हल्धवान; **मराठी** में हेदू, हेल्दी, हल्दवा, मेदू, हेद्दू; **उड़िया** में होलोण्डा; **मलयालम** में बडाकरम, मंजा, मंजकदंब; **तमिल** में मंजाकदमबे, मंज कदंब, कदंबम्, कदमबारी; **तेलुगु** में उडूगा, बेहा-गनपा, बनडारू, डूडागू, पस्पू कंडी, पस्पू, पसूपा, कदिमी, पसुपू-कदंब; **कन्नड** में हेड्डे, हेड्डी, एट्टेगा-पेट्टेगा, अर्सिण्टेगा, अहुआड, जेल्लाणा, करम; **नेपाल** में करम; **म्यांमार** में हनाउबेंग, न्हिंगकेन, न्हानबेन; **अंग्रेजी** में इसे यलोटीक तथा सफ्रान टीक कहते हैं। व्यापारिक क्षेत्र में इसका 'हल्दू' नाम ही सर्वाधिक प्रचलित है।

करम (हल्दू) भारत के लगभग सभी प्रदेशों में न्यूनाधिक पाया जाता है। यह म्यांमार तथा श्रीलंका में भी पाया जाता है। भारत में यह उप-हिमालय क्षेत्रों में नेपाल से पूर्व की ओर असम तक सागरतल से 1000 मीटर की ऊँचाई तक पाया जाता है। यह दक्षिण भारत के पर्णपाती आर्द्र वनों के साथ-साथ, पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों, गुजरात, मध्य व उत्तर भारत में सामान्य तौर पर पाया जाता है

यह मामूली मजबूत कठोर लकड़ी है। यह सरलता से चिरती है। अच्छी सूखती है और इस पर बढ़िया पालिश आती है। सर्वोत्तम यह होता है कि गीले लट्ठों को चीरा जाए और उन्हें छाया में 12 महीनों तक सुखाया जाए। इस लकड़ी को सरलता से उष्ण कक्षों में भी सुखाया जा सकता है। करम छाया में टिकाऊ है पर खुली परिस्थिति में नहीं। यदि यह भली-भांति सूखी हुई नहीं होती है तो ऐंठ और चटक जाती है और इसमें कीड़े लग जाते हैं।

करम अर्थात् हल्दू का अधिकतर उपयो इमारती कार्यों में होता है। यह रेल के डिब्बों और तख्ते बंदी के लिए उपयुक्त सर्वोत्तम भारतीय लकड़ियों में से हैं। बाबिनों के लिए यह सर्वोत्तम भारतीय लकड़ी है। यद्पि यह यूरोपीय बीच की तुलना में अधिक भंगुर होती है। इससे विविध प्रकार का सामान , जैसे डोंगियां, सिगार के डिब्बे, अफीम के डिब्बे, फर्नीचर, मेज-कुर्सी, खिड़की-दरवाजे, खेती के उपकरण, खिलौने, कंघे, डगना (फिशिंग-स्टिक) और खरादी वस्तुएं बनाई जाती हैं। यह लकड़ी बैटरी-बिलगावक बनाने के काम में लाई जाती है।

करम का वर्णन *सुश्रुत संहिता* में भी मिलता है। हल्दू की छाल ज्वरनाशक और प्रतिरोधी होती है। इसके फूलों की कलियों को कालीमिर्च के साथ पीस कर सूंघने से तीव्र सिरदर्द शीघ्र ही दूर हो जाता है। इसकी छाल का क्वाथ पीने से मधुमेह में आराम मिलता है। पेचिश में इसकी जड़ को चूसने से लाभ होता है। असम में इसकी जड़ को औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सामाजिक वानिकी के लिए यह एक उपयोगी वृक्ष है। ❑

2132 HA/05—9A

ब्राह्मण ग्रंथ

—प्रो० योगेश चंद्र शर्मा*

वैदिक साहित्य में चार वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद्, वेदांग तथा उपवेद भी सम्मिलित हैं। इनमें भी ब्राह्मण ग्रंथों का विशेष महत्व है। संहिताओं के पश्चात् दूसरा स्थान ब्राह्मण ग्रंथों का ही है। इन ग्रंथों का संबंध ब्राह्मण जाति से नहीं, अपितु 'ब्राह्मण' से है, जो ब्रह्म शब्द में 'अण' प्रत्यय जोडकर बना है। 'ब्रह्म' के यहां दो अर्थ हैं—मंत्र तथा यज्ञ। इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक मंत्रों की व्याख्या की गयी है तथा उनके अनुसार यज्ञ करने की विधि का विस्तृत उल्लेख है। ''मंत्रों एवं उनके विनियोगों की जिसमें व्याख्या निहित होती है, उसे ब्राह्मण कहते हैं।'' ये ग्रंथ गद्य में लिखे गए हैं। कहीं-कहीं प्रसंगवश इनमें कुछ घटनाओं की भी चर्चा की गयी है। इससे ऐतिहासिक और शोध की दृष्टि से भी ये ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रारंभ में ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या उतनी ही थी, जितनी वेदों की शाखाएं थीं। तदनुसार 1130 ब्राह्मण ग्रंथों के होने का अनुमान लगाया गया है, किंतु इस समय केवल 18 ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं। प्रत्येक वैदिक संहिता के अलग-अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पाणिनी के अनुसार प्राचीनकाल में ब्राह्मण ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ अनुब्राह्मण भी थे, जो अब उपलब्ध नहीं हैं। श्री सत्यव्रत सामश्रमि ने सामवेद के आर्षेय ब्राह्मण' को अनुब्राह्मण ही माना है।

वेदों के समान ब्राह्मण ग्रंथों का भी निश्चित रचनाकाल बतलाना कठिन है। ब्राह्मण ग्रंथों में ब्राह्मणों को समाज में सर्वोपरि स्थान दिया गया है और उन्हें देवताओं के समकक्ष माना गया है। चूंकि बौद्धकाल में ब्राह्मण और देवताओं का महत्व काफी कम हो गया था, इसलिए यह अनुमान है कि इन ग्रंथों की रचना वेदों से काफी बाद में तथा बौद्धकाल से काफी पहले हुई थी। मैक्समूलर के अनुसार इन ग्रंथों की रचना ईसा से लगभग 600 से 800 वर्ष पूर्व हुई थी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अनुसार इन ग्रंथों की रचना ईसा से 3000 वर्ष पूर्व पूरी हो चुकी थी। यह तो स्पष्ट है ही कि सभी ब्राह्मण ग्रंथों की रचना एक साथ नहीं हुई। अनुमानतः इसमें सैंकड़ों वर्ष लगे। विभिन्न अनुमानों के आधार पर यदि निष्कर्ष निकाला जाए तो यह रचना काल ईसा से एक हजार वर्ष पूर्व से लेकर तीन हजार वर्ष पूर्व तक बैठेगी। फिर भी है यह अनुमान ही।

ऋग्वेद के ब्राह्मण :

ऋग्वेद से संबंधित दो ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं। प्रथम 'ऐतरेय ब्राह्मण' और दूसरा 'कौशितकि ब्राह्मण', जिसे कहीं-कहीं 'शांखायन ब्राह्मण' के नाम से भी जाना जाता है।

एतरेय ब्राह्मण : पारम्परिक रूप में किसी महिदास ऐतरेय नामक ऋषि को इसका दृष्टा ऋषि माना जाता है। एक मान्यता यह भी है कि यह ग्रंथ किसी एक ऋषि की कृति नहीं है। इसमें अनेक ऋषियों का योगदान प्रतीत होता है। महिदास इसके वर्तमान पाठ के केवल संपादक हो सकते हैं। महिदास को दासी पुत्र भी माना गया है।

ऐतरेय ब्राह्मण में कुल 40 अध्याय हैं। प्रत्येक पांच अध्यायों को मिलाकर एक पंचिका बनती है और इस प्रकार इसमें कुल आठ पंचिकाएं हैं। प्रत्येक अध्याय का विभाजन खंडों में किया गया है, जिनकी संख्या अलग-अलग अध्यायों में अलग-अलग है। चालीस अध्यायों में कुल 285 खंड हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में देश के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाली विभिन्न जातियों या वंशों का उल्लेख है। तदनुसार उस समय पूर्व में विदेह राज्य, दक्षिण में भोजराज्य, पश्चिम में नीच्य और अपाच्य का राज्य, उत्तर में उत्तर कुरुओं तथा उत्तर मद्र का राज्य तथा मध्य भाग में कुरु पांचाल राज्य थे। इनके अतिरिक्त मत्स्य, कुरु, काशी तथा खांडव आदि क्षेत्रों का भी इसमें उल्लेख है। ग्रंथ में मध्य भाग की विशेष प्रशंसा की गयी है। इससे लगता है कि महिदास ऐतरेय संभवतः मध्य भाग के ही रहने वाले थे। ऐतरेय ब्राह्मण में परीक्षित-पुत्र जनमेजय, मनुपुत्र शर्यात, उग्रसेन-पुत्र युधांश्रौष्टि, अविश्रित पुत्र मरुत्तम, दुष्यंत पुत्र भरत तथा सत्यवादी राजा हरीशचंद्र आदि का भी उल्लेख है।

*10/611, मानसरोवर, जयपुर-302020 (राज०)

2132 HA/05—9B

'ऐतरेय ब्राह्मण' में इंद्र को साहसी, शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ देवता बतलाया गया है। इसमें कुल 33 देवता स्वीकारे गए हैं, जिनमें अग्नि प्रथम देवता है। विष्णु को परम देवता के रूप में माना गया है। नारी को नर की अर्धांगिनी बतलाते हुए कहा गया है कि बिना पत्नी के पुरुष को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। इसमें पुरोहित को गौरवपूर्ण स्थान दिया गया है, जो राजा से प्रतिज्ञा करवाता है कि वह अपनी प्रजा से कभी भी द्रोह नहीं करेगा। इसमें अनेक नैतिक मूल्यों और आचार-विचार के सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि परिश्रम करने से ही सफलता प्राप्त होती है। बैठे व्यक्ति का भाग्य भी बैठ जाता है और सोने वाले का भाग्य भी सो जाता है।

शांखायन ब्राह्मण—इसका उल्लेख कहीं-कहीं 'शांख्यायन' के नाम से भी किया गया है। इसका दूसरा नाम 'कौषीतकि ब्राह्मण' भी है। यह ऋग्वेद की शांखायन शाखा का ब्राह्मण है। इसका प्रवक्ता कौषीतकि ब्राह्मण (कहीं-कहीं शांखायन ब्राह्मण) को माना जाता है। इस ग्रंथ में कुल 30 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय असमान खंडों में विभाजित है। इस प्रकार इसमें कुल 227 खंड हैं। यह ग्रंथ स्पष्ट रूप में एक ही व्यक्ति की रचना प्रतीत होता है। इसमें विष्णु को उच्च कोटि का देवता माना गया है। इसमें शिव के भी अनेक नामों का उल्लेख है। यथा महादेव, पशुपति, रुद्र, ईशान आदि। ऐतरेय ब्राह्मण के समान इसमें आचार-व्यवहार के अनेक नियम बतलाये गए हैं। वाणी की मधुरता को विशेष महत्व दिया गया है।

यजुर्वेद के ब्राह्मण

शतपथ ब्राह्मण—शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, सभी ग्रंथों में सबसे बड़े आकार का है। इसके एक सौ अध्यायों के आधार पर ही इसका नाम 'शतपथ ब्राह्मण' पड़ा। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं—काण्व और माध्यंदिन। इन दोनों शाखाओं में 'शतपथ ब्राह्मण' उपलब्ध है। वर्णन क्रम तथा संख्या के अंतर के बावजूद दोनों में विषय की समानता है। माध्यंदिन शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय, 14 कांड, 68 प्रपाठक, 438 ब्राह्मण तथा 7624 कंडिकाएं हैं। इससें अलग काण्व शाखीय शतपथ ब्राह्मण में 17 कांड, 104 अध्याय, 435 ब्राह्मण और 6806 कंडिकाएं हैं।

'शतपथ ब्राह्मण' ग्रंथ सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। इसका रचनाकाल ईसा से 5000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। इसमें तत्कालीन आर्यों के जीवन का विभिन्न दृष्टिकोणों से परिचय दिया गया है। इसमें सोमरस की विधि तथा महत्व का वर्णन है। राजाओं द्वारा किए जाने वाले राजसूय यज्ञ की भी इसमें चर्चा है। केवल अभिशिक्त राजाओं द्वारा ही किए जाने वाले अश्वमेध यज्ञ का भी इसमें वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में गांधार, केकय, शाल्व, कौशल, विदेह तथा कुरुपांचाल आदि जनपदों का उल्लेख किया गया है। कुरुपांचाल उस समय ब्राह्मण संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। अश्वमेध यज्ञ के संदर्भ में इसमें जनक, दुष्यंत तथा जनमेजय आदि राजाओं की चर्चा की गयी है। इसमें 33 देवताओं का स्वरूप निरूपण किया गया है, जिनमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा इंद्र और प्रजापति हैं। एक स्थान पर देवताओं की संख्या 3003 भी बतलाई गई है, लेकिन आगे चलकर इसे देवताओं की केवल महिमा बतलाया गया है।

शतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्रारम्भ में एकमात्र ब्रह्म की सत्ता थी। सृष्टिकर्ता प्रजापति हैं। प्रजापति की उत्पत्ति जल में तैरते हुए हिरण्मय अंड से मानी गयी है। मनु द्वारा संपादित एक यज्ञ से सुंदर स्त्री की उत्पत्ति हुई और तब सृष्टि का क्रम आगे बढ़ा। इस ग्रंथ में सोमलता को कूटकर उससे सोमरस बनाने की तथा उसे देवताओं को चढ़ाने की विधि का भी उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में उर्वशी-पुरुरुवा, मन और वाणी संवाद, इंद्र वृत्र युद्ध, सुपर्णी तथा कद्रू, च्यवन भार्गव तथा शर्यात मानव, नमूचि तथा मनु इंद्र तथा श्रद्धा जलप्लावन और प्रजापति द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति आदि आख्यानों की चर्चा है, जिनके बारे में परवर्ती पुराणों में विस्तार से काफी कुछ कहा गया।

तैत्तिरीय ब्राह्मण—यह कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। यह कुल तीन कांडों अथवा अष्टकों में विभक्त है। प्रथम दो कांडों में आठ और तीसरे कांड में 12 अध्याय या प्रपाठक हैं। इसमें यज्ञ, मंत्र और यज्ञ प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन है। इसमें प्रजापति की दो कन्याओं की चर्चा है—श्रद्धा तथा सीतासावित्री। सोम श्रद्धा से विवाह करना चाहता था, लेकिन सीतासावित्री सोम से विवाह करना चाहती थी। तब प्रजापति ने सीतासावित्री के चेहरे पर वशीकरण औषधि का लेप कर दिया। इससे सोम सीतासावित्री की तरफ आकर्षित हो गया और तब, उन दोनों का विवाह हो गया। इस कथा के अतिरिक्त भी इसमें नचिकेता आख्यान, महर्षि भारद्वाज आख्यान, अगस्त्य आख्यान तथा सृष्टि, यज्ञ और नक्षत्रों से संबंधित भी अनेक आख्यानों का उल्लेख है।

तैत्तिरीय ब्राह्मण में असत्य से सत्य की तरफ बढ़ने के लिए मानव का आह्वान किया गया है। इससे मनुष्य मानवता से देवत्व की तरफ बढ़ता है। तपोमय जीवन की इसमें विशेष प्रशंसा की गयी है। तपस्या से ही देवताओं ने अपनी विशेष स्थिति प्राप्त की और तपस्या से ही ऋषियों ने स्वार्गिक सुख प्राप्त किया तथा अपने शत्रुओं का विनाश किया। इस ग्रंथ में सबके प्रति मैत्री भाव पर बल दिया गया है। 'जिसके साथ व्यक्ति सात चरण भी चल लेता है, वही उसका मित्र हो जाता है। मित्रता की इस भावना को कभी क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए।'

सामवेद के ब्राह्मण

सामवेद ब्राह्मणों की दो शाखाएं हैं— प्रथम-तांडि शाखा और दूसरी जैमिनी या तवल्कार शाखा। इनमें से इस समय हमारे पास तांडि शाखा के आठ ब्राह्मण उपलब्ध हैं— 1. तांड्य ब्राह्मण (प्रौढ़ या पंचविश ब्राह्मण), 2. षडविंश ब्राह्मण, 3. सामविधान ब्राह्मण, 4. आर्षेय ब्राह्मण, 5. देवताध्याय ब्राह्मण, 6. उपनिषद् ब्राह्मण, 7. संहितोपनिषद् ब्राह्मण और 8. वंश ब्राह्मण। इनके अतिरिक्त जैमिनी शाखा के तीन ब्राह्मण अलग हैं—जैमनीय ब्राह्मण, जैमिनीयार्षेय ब्राह्मण तथा जैमिनीयोपनिषद् ब्राह्मण।

1. **तांड्य ब्राह्मण**—सामवेद की तांडि शाखा से संबंधित होने के कारण ही इसे 'तांड्य ब्राह्मण' कहा गया। इसमें कुल 25 अध्याय हैं, जिससे इसका नाम 'पंचविश अध्याय' पड़ा तथा आकार में भारी-भरकम होने के कारण इसे 'प्रौढ ब्राह्मण' भी कहा गया। इस ग्रंथ का प्रमुख विषय सोमयाग है। इसमें सरस्वती नदी के किनारे संपन्न हुए अनेक यज्ञों का वर्णन है। सोमयाग में मंत्रों का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है तथा उनके गायन में आरोह और अवरोह किस प्रकार होता है, इसकी अधिकृत जानकारी इसमें है। संस्कारहीन व्यक्तियों की शुद्धि की विधि भी इसी में बतलाई गयी है। इसमें रोहित नाम की एक नदी का भी उल्लेख है, जिसके आसपास के क्षेत्र को विश्वामित्र ने भरतों की सहायता से अपने नियंत्रण में ले लिया था।

2. **षडविंश ब्राह्मण**—इस ब्राह्मण ग्रन्थ को तांड्य ब्राह्मण का ही पूरक माना जाता है। इसका षडविंश ब्राह्मण (अर्थात् 'छब्बीसां ब्राह्मण') नाम भी यही संकेत करता है। यह भी माना जाता है कि प्रारंभ में यह ब्राह्मण एक ही अध्याय में रहा होगा, किंतु बाद में इसे छः अध्यायों में विभाजित कर दिया गया। इसके प्रथम पांच अध्याय यज्ञ के विधि विधान से संबंधित हैं, जबकि छठा अध्याय इनसे बिल्कुल अलग है, जिसे 'अद्भुत ब्राह्मण' कहते हैं। इस प्रकार षडविंश ब्राह्मण के अपने केवल पांच ही अध्याय हैं। इसके प्रथम अध्याय में कहा गया है कि वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न हुए ब्राह्मण को ही यज्ञ में ब्रह्मा के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए (पंचम खंड)। ज्ञात-अज्ञात त्रुटियों के प्रायश्चित का भी इसमें विधान दिया हुआ है।

3. **अद्भुत ब्राह्मण**—जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें अनेक असाधारण बातों की चर्चा है। इसके कुल 12 खंड हैं, जिनमें शकुन, अपशकुन तथा अनेकानेक अनिष्टों की चर्चा के साथ ही उनसे बचने के लिए उपाय दिए हुए हैं। इंद्र, यम, वरुण, धनद, अग्नि, वायु, सोम और विष्णु इन आठ देवताओं के लिए आठ मंत्र भी दिये गए हैं। विभिन्न प्रकार की व्याधियों, दु:स्वप्न, अनिद्रा, आलस्य तथा क्षुधानाश आदि से मुक्ति के लिए इसमें अनेक मंत्र दिये हुए हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि और भूकंप आदि में भी किए जाने वाले अनुष्ठानों का इसमें उल्लेख है। इसमें इंद्र-अहिल्या सहित अनेक कथाएं भी दी गयी हैं।

4. **सामविधान ब्राह्मण**—यह ग्रंथ अन्य ब्राह्मण ग्रंथों से अलग हटकर है। यह कुल तीन प्रकरण और 25 अनुवाकों में विभक्त है। इसमें काम्य प्रयोग तथा प्रायश्चितों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इसमें जप-तप के अतिरिक्त अनेक प्रकार के जादू-टोनों के लिए सामगान की भी व्यवस्था दी हुई है। इसमें किसी व्यक्ति को गांव से भगाने, शत्रु का विनाश करने, पुत्र प्राप्त करने तथा ऐश्वर्य प्राप्त करने आदि के लिए साम गायन और कुछ अनुष्ठानों की चर्चा भी की गयी है।

सामविधान ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि उस समय शूद्रों को वेद पढ़ाना, शूद्रों के साथ विवाह करना, बड़े भाई से पहले छोटे का विवाह करना, अपराध माने जाते थे। इस प्रकार के तथा नर हत्या, गौ हत्या, मद्यपान और दुग्ध विक्रय आदि अपराधों से छुटकारा प्राप्त करने की भी इसमें व्यवस्था दी हुई है और उनके लिए प्रायश्चित बतलाया गया है।

5. **आर्षेय ब्राह्मण**—इसकी विषयवस्तु मुख्यत: सामगान के ऋषियों से संबंधित है। इसमें कतिपय उन ऋषियों की चर्चा की गयी है, जिन्होंने सामगान की योजना बनाई या जो उसके प्रचारक ऋषि रहे। इसमें कुल तीन प्रपाठक और

बयासी खंड हैं। ऋषियों के नाम के साथ ही इस ग्रंथ में उनके गोत्र या वंश का भी उल्लेख किया गया है।

6. **दैवत ब्राह्मण (देवताध्याय ब्राह्मण)**--इसका आकार अत्यंत लघु है। कुछ हस्तलिखित और प्रकाशित संस्करणों में इसके तीन और कुछ में चार खंड उपलब्ध होते हैं। इसमें अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम, प्रजापति, त्वष्टा, पूषा, आंगिरस तथा सरस्वती आदि की प्रशंसा के सामगान दिये हुए हैं। इसका विशेष महत्व छंदों की निरुक्तियों के वर्णन के कारण है, जिससे भाषा शास्त्र की दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण है।

7. **उपनिषद्-ब्राह्मण**—इसमें हमें दो ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। प्रथम मंत्र ब्राह्मण अथवा छंदोग्य ब्राह्मण और दूसरा छांदोग्योपनिषद्।

मंत्र या छंदोग्य ब्राह्मण में केवल दो प्रपाठक हैं और प्रत्येक प्रपाठक में आठ-आठ खंड हैं। इसमें कुल 257 मंत्र हैं। गुणविष्णु ने गुह्य सूत्र के 11 मंत्र इसमें और जोड़ दिए हैं। इसमें गर्भाधान, पिंडदान, मुंडन, उपनयन तथा नवगृह प्रवेश आदि के मंत्र दिए हुए हैं।

उपनिषद्-ब्राह्मण के शेष आठ प्रपाठक छांदोग्योपनिषद् के भाग हैं। इसमें तत्व ज्ञान और तत्संबंधी कर्म और उपासनाओं की विशद् विवेचना है। इसमें अनेक आख्यानों का उल्लेख है। यथा-शिलक, दालभ्य और प्रवाहण संवाद, उषस्ति का आख्यान, राजा जनश्रुति और रैक्व का उपाख्यान, सत्यकाम का उपाख्यान तथा केकय अश्वपति का आख्यान आदि। इसमें भौतिक प्रयोजनों के लिए यज्ञानुष्ठान और सामगान करने वालों पर व्यंग्य भी किया गया है।

8. **संहितोपनिषद् ब्राह्मण**—सामगायन का रहस्य समझने की दृष्टि से इस ब्राह्मण का विशेष महत्व है। इस ग्रंथ में सामगान की विधि, अनुलोम-विलोम स्वर तथा अन्य विविध स्तरों की विवेचना है। इसमें तीन प्रकार की गान संहिताओं का वर्णन किया गया है, जिनमें प्रथम मंगलकारी तथा शेष दो अमंगलकारी हैं। ये इस प्रकार हैं—'देवहू संहिता', 'वाक्शबहू संहिता' तथा 'अमित्रहु संहिता'। 'देवहू संहिता' का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इसका उच्चारण मंद स्वर से होता है और इससे देवगण शीघ्र पधारते हैं। इस पद्धति को अपनाने वाला हर प्रकार की समृद्धि को प्राप्त करता है। इसके विपरीत वाक्शबहू प्रकार से अस्पष्टाक्षरों में गान करने वाला व्यक्ति शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होता है। यह ग्रंथ पांच खण्डों में है और प्रत्येक खंड सूक्तों में विभाजित है।

9. **वंश ब्राह्मण**—तीन खंडों में विभाजित यह एक छोटा ब्राह्मण है। इसमें सामवेद को प्रारंभ करने की ऐतिहासिक परंपरा दी हुई है। इसके अनुसार सामवेद को महर्षि कश्यप ने अग्नि से, अग्नि ने इंद्र से, इंद्र ने वायु से, वायु ने मृत्यु से, मृत्यु ने प्रजापति से और प्रजापति ने ब्रह्मा से प्राप्त किया। इस प्रकार सामवेद, ब्रह्मा से महर्षि कश्यप तक और उनके बाद अन्य ऋषि महर्षियों तक पहुंचा। इस ग्रंथ में सामवेद के आचार्यों की वंश परंपरा का भी उल्लेख है।

जैमिनिशाखीय साम ब्राह्मण

शतपथ ब्राह्मण के समान यह भी एक विशालकाय ग्रंथ है। इस ब्राह्मण में कुल पांच भाग हैं। इनमें से प्रथम तीन भागों को जैमनीय ब्राह्मण, चतुर्थ भाग को जैमिनीयार्षेय ब्राह्मण तथा पंचम भाग को 'जैमिनीयोपनिषद् ब्राह्मण' कहते हैं।

1. **जैमिनीय ब्राह्मण**—इसके कुल तीन भागों में से प्रथम में 360; द्वितीय में 437 और तृतीय में 385 खंड हैं। इस प्रकार इसके कुल 1182 खंड उपलब्ध हैं। इस ब्राह्मण ग्रंथ की विषय सामग्री 'तांड्य ब्राह्मण' से काफी मिलती है, फिर भी दोनों के विवरण में पर्याप्त अंतर है। तांड्य ब्राह्मण में जो विवरण अत्यंत संक्षेप में दिया हुअ है, वही इसमें काफी विस्तार से दिया गया है। इसी ग्रंथ में यह प्रसिद्ध उक्ति भी प्राप्त होती है कि 'ऊंचे मत बोलो', दीवारों के भी कान होते हैं।

2. **जैमिनीयार्षेय ब्राह्मण**—इसकी विषय सामग्री 'आर्षेय ब्राह्मण' से मिलती-जुलती है। आर्षेय ब्राह्मण में वर्णित विषय को इसमें कुछ संक्षेप में कहा गया है। कहीं-कहीं क्रम में भी कुछ भिन्नता है।

3. **जैमिनीयोपनिषद् ब्राह्मण**—यह ग्रंथ अन्य ब्राह्मण ग्रंथों की तुलना में अधिक प्राचीन माना जाता है। छंदोग्य उपनिषद् की भी अधिकांश सामग्री इसी ग्रंथ से ली गयी है। इसमें अतिमानवीय शक्ति प्राप्त करने के लिए शमशान-साधना आदि का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें 'ओंकार' के महत्व का उल्लेख है। इससे हमें अनेक प्राचीन धार्मिक विश्वास और परंपराओं की जानकारी प्राप्त होती है। अन्य ब्राह्मण ग्रंथों के विपरीत इसमें यज्ञ विधियों की अधिक चर्चा नहीं है।

(शेष पृष्ठ 37 पर)

2132 HA/05—10B

विज्ञान

प्राकृतिक आपदा में आश्रय स्थल–एक सकारात्मक पहल

—श्री राजीव कुमार,
—डॉ० अचिंत्य*

प्रस्तावना :

प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी इत्यादि की विनाशक क्षमता बहुत ही तीव्र होती है। पलक झपकते ही अनगिनत जान–माल की क्षति हो जाती है। ऐसे विपत्ति–काल में मनुष्य पूर्णतया असहाय हो, अपने सर्वनाश का मूकदर्शक बन कर रह जाता है। अगर किसी तरह जान बच भी जाए तो अपना सब कुछ उजड़ जाने के बाद वह एक निरीह प्राणी की श्रेणी में आ खड़ा होता है। नि:संदेह, प्राणों की वापसी तो असंभव है, परंतु ऐसी परिस्थिति में बचे हुए लोगों के लिये एक आश्रय स्थल के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। भूकंप के प्रारंभिक झटकों अथवा इसके बाद के भू–कंपनों के पश्चात् प्रकोपित रिहायशी इलाकों को छोड़ इन आश्रय स्थलों में पनाह ले सकते हैं। ऐसे आश्रय स्थलों का निर्माण पूर्वनिर्मित छोटी–छोटी आश्रय–इकाइयों को जोड़कर किया जा सकता है। पूर्वनिर्मित आश्रय–इकाइयों को एक केंद्रीय आंगन के चारों तरफ ऊंचे उठे वृत्ताकार प्लेटफार्म या चबूतरे पर समान अंतराल से आरोपित करके ऐसे आश्रयस्थल बनाए जा सकते हैं, जो प्राकृतिक आपदा के समय जान–माल की क्षति को कम करे।

आश्रय इकाइयाँ :

आश्रय इकाई प्रबलित सिमेंट कंक्रीट के बने हों जिसमें एक आयताकार आधार–फलक (बेस स्लैब) और एक जोड़ा पाईप स्तंभ हो, एक दीवाल आयंताकार आधार–फलक के साथ इस तरह से ढाला हो कि दोनों मिलकर एक उल्टे–टी (इनवर्टेड–टी) का निर्माण करें। अब आधार–फलक एक अग्रभाग (फ्रंट फ्लोर) एवं एक पश्च–प्रक्षेपण (रियर प्रोजेक्शन) बट में जाएगा। एक छत–फलक (रुफ स्लैब) जिसका पिछला किनारा दीवाल पर टिकेगा और अगला किनारा आधार–फलक के अग्रभाग के कोने पर स्थित दो पाईप–स्तंभों पर टिकेगा। दोनों पाईप–स्तंभ अलग से ढाले गये अवयव होंगे जिनके दोनों छोरों पर धातु की एक–एक खूंटी होगी, जो स्तंभ के अक्षीय दिशा में निकले होंगे। ऐसे ही दो खूँटियाँ दीवाल के ऊपरी किनारे के दोनों छोर पर उदग्र दिशा में लगे होंगे। धातु की पाईप के ऐसे छोटे–छोटे टुकड़े जिनमें उपरोक्त खूंटियों को सरका कर बैठाया जा सके, छत–फलक के निचले सतह में चारों कोने पर तथा आधार–फलक के अग्रभाग के दोनों कोने पर अवयवों के कंक्रीट में ही मजबूती के साथ गड़े होंगे। अब दोनों स्तंभों को आधार–फलक के दोनों कोने पर तथा छत–फलक को दीवाल एवं स्तंभों पर इस तरह से रखना होगा कि छह खूटियां छह अपेक्षित गाड़े गए धातु की पाईप के टुकड़ों में ठीक तरह से सरक कर पूरी लंबाई एवं साईज में बैठ जाए। इस प्रकार से आधार–फलक सह दीवाल, छत–फलक तथा दो स्तंभ आपस में मिलकर एक ठोस बक्सानुमा संरचना तैयार करेंगे। इस तरह से जोड़ने के बाद हमें छत के नीचे का फर्श–क्षेत्रफल 1.8 × मीटर × 1.0 मीटर, आधार–फलक के पश्च–प्रक्षेपण (रियर प्रोजेक्शन) 1.0 मीटर × 1.0 मीटर तथा कमरे की ऊंचाई 2.3 मीटर प्राप्त होगी।

ई. राजीव कुमार सिविल इंजिनियरी विभाग राजकीय पॉलिटेकनिक नयाटोला, मुजफ्फरपुर-842001

डॉ. अचिंत्य सिविल इंजिनियरी विभाग मुजफ्फरपुर इंसिटच्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, पोस्ट-एम.आई.टी., मुजफ्फरपुर-842 003

2132 HA/05—10A

चबूतरा (प्लेटफार्म) :

कई आश्रय-इकाइयों को एक वृत्ताकार चबूतरे पर स्थापित करने पर एक आश्रय स्थल का निर्माण होगा। ऐसे चबूतरों का निर्माण करने में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना अनिवार्य है :

(i) चबूतरा (प्लेटफार्म) गांवों के नजदीक, बस्तियों के समूह के बीच एवं शहर के आस-पड़ोस में बनाया जाना चाहिए।

(ii) उच्च वोल्ट-शक्ति प्रेषण के तार एवं ऊँचे वृक्ष चबूतरे की जद में नहीं होने चाहिए।

(iii) रिहायशी इलाकों की तुलना में चबूतरे (प्लेटफार्म) का तल अपेक्षाकृत ऊँचा होना चाहिए

(iv) चबूतरा (प्लेटफार्म) वृत्ताकार हो।

(v) यथासंभव स्थानीय रूप से उपलब्ध कंकड़, पत्थर व बालू इत्यादि का उपयोग चबूतरा (प्लेटफार्म) के निर्माण में करने की अनुशंसा की जाए, तो निर्माण में होने वाले व्यय को कम किया जा सकता है।

(vi) इसके पार्श्व ढलान (स्लोपिंग ऐज) पर रास्ते बने होने चाहिए जिससे होकर वाहन उसके ऊपर पहुँच सके।

(vii) बरसात में कीचड़ से बचने के लिये सतह को समतल रखते हुए इसमें जल निकासी हेतु उपयुक्त नालों का निर्माण होना चाहिए।

(viii) ऐसे क्षेत्रों में, जो भूकंप के तीव्र कंपन क्षेत्र माने गये हैं, चबूतरे (प्लेटफार्म) का निर्माण अधिक ऊँचे तल पर नहीं करना चाहिए।

आश्रय स्थल :

आश्रय-स्थल की प्रत्येक आश्रय-इकाई में छह लोग (एक परिवार) आश्रय पा सकते हैं। इस तरह से आबंटित प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल भले ही स्थाई घरों की तुलना में काफी कम है, जिससे कुछ कठिनाई महसूस हो सकती है। परंतु आपातकालीन परिस्थितियों में यह पर्याप्त होंगे। जाहिर है कि प्रति व्यक्ति आबंटित क्षेत्रफल को बढ़ाने से आश्रय स्थल का प्राक्कलित मूल्य भी बढ़ेगा। इस प्रकार आश्रय पाने वाले लोगों की संख्या की जानकारी हासिल करके कुल आश्रय इकाईयों की संख्या का निर्धारण किया जा सकता है। एक आश्रय स्थल का आकार -निर्धारण हेतु निम्नलिखित तथ्यों को आधार बनाना चाहिए :

(i) 1000 लोगों के लिये लगभग 160 आश्रय-इकाइयों की आवश्यकता होगी।

(ii) चबूतरे (प्लेटफार्म) पर 160 से 250 इकाइयों को एक वृत्ताकार गलियारे में समायोजित किया जाना चाहिए। आश्रय-इकाइयों की संख्या 250 से अधिक होने पर सभी इकाइयों को ऐसे दो या अधिक, समान केंद्र वाली, वृत्ताकार गलियारों में सजा कर समायोजित करनी चाहिए। ऐसे में ध्यान रहे कि अंदर वाले गलियारे में 160 से 250 इकाई हों और परस्पर गलियारों के बीच 2 मीटर चौड़ा खाली स्थान समान रूप से छोड़ा गया हो।

(iii) गलियारे के आर-पार लोगों अथवा वाहनों का आवागमन सुनिश्चित करने हेतु प्रति 40 इकाइयों के बाद कुछ खुला स्थान छोड़ना चाहिए।

(iv) सबसे अंदर वाले गलियारे में आश्रय-इकाइयों एवं बीच-बीच में खुले स्थानों की कुल संख्या के तीन-दहाई (3/10)को अगर मीटर में व्यक्त किया जाये तो इतना ही मीटर केंद्रीय आँगन का न्यूनतम व्यास होना चाहिए। चबूतरा (प्लेटफार्म) सहित संपूर्ण व्यास का मान ज्ञात करने के लिये उपरोक्त मान में प्रति गलियारा 10 मीटर अतिरिक्त जोड़ना चाहिए।

एक वृत्ताकार गलियारे में आयताकार आधार वाले आश्रय इकाइयों को लगाने से परस्पर इकाइयों के अग्र-भाग तो एक दूसरे से सटे हुए होंगे, परंतु पीछे की तरफ से छत, आधार-फलक (बेस स्लैब) तथा दीवाल कुछ हटे हुए होंगे जैसा कि चित्र संख्या : 3 में स्पष्ट किया गया है। इस तरह के छतों एवं दीवालों के अलगावों को अस्फाल्ट के लहरदार चादरों को कीलित कर ढका जा सकता है। ऐसे ही चादरों को सामने के स्तंभों में कब्जा पर कीलित कर पर्दे की तरह भी उपयोग किया जा सकता है जो बरसाती पानी की बूंदों को

अंदर आने से रोकने का काम करेंगे। आश्रय-इकाइयों के फिसलन (स्लाईडिंग) को रोकने के लिए इसके आधार-फलक (बेस स्लैब) के किनारों से सटा कर चबूतरे (प्लेटफार्म) की सतह में खूटियां गाड़ी जा सकती हैं। आंगन में बाह्य प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिये। पेय-जल एवं भोज्य पदार्थ के भंडारण, प्राथमिक सहायता, बिजली जेनरेटर तथा लोक संबोधन एवं संचार हेतु अलग से कुछ इकाइयां लगाई जा सकती हैं।

भूकंप जैसी आपदा आने पर निम्नलिखित प्रकार से राहत हेतु कार्य का संपादन किया जा सकता है :—

(i) आश्रयस्थल से ध्वनि-विस्तारक यंत्रों एवं लोक संबोधन तंत्रों की मदद से लोगों को विपदा के बारे में चेतावनी देते हुए उन्हें बिना विलंब किये आश्रयस्थल पहुँचने की सलाह देनी चाहिए।

(ii) लोग अपने घरों से यथासंभव बहुमूल्य एवं अतिआवश्यक सामानों को ले शीघ्रता से आश्रयस्थल पर भागते हुए पहुंचेंगे। वे अपनी धरोहरों को आधार-फलक (बेस स्लैब) के पश्च-प्रक्षेपण (रियर प्रोजेक्शन) पर रख सकेंगे तथा अपने पशुधन एवं पालतू जीवों के साथ फिलहाल केंद्रीय आँगन में आश्रय लेंगे।

(iii) आश्रयस्थल में स्थापित दूरसंचार यंत्रों द्वारा आपदा-सहाय्य-प्रभारी राहत हेतु संपर्क स्थापित रखेंगे। केंद्रीय आँगन को हेलिकॉप्टर की उड़ानों के उपयुक्त भी बनाया जा सकता है। वायु-मार्ग से विभिन्न खाद्य एवं राहत सामग्री सीधे इस आँगन में गिराई जा सकती हैं।

(iv) सामान्य स्थिति लौटने पर लोग अपने घरों की मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण, इत्यादि कर इन आश्रयस्थलों से अपनी धरोहरों और पालतू पशुओं को लेकर वापस अपने घरों को लौट जाएंगे।

आश्रयस्थल-योजना के प्रमुख विचारणीय पहलू :

प्रत्येक आश्रय इकाई के मुख्य फर्श का क्षेत्रफल 1.8 वर्गमीटर है जिसमें छह व्यक्तियों के पनाह लेने पर प्रति व्यक्ति के हिस्से में 0.3 वर्गमीटर का क्षेत्रफल आता है। इसकी व्याख्या हेतु निम्नलिखित तुलनात्मक पहलुओं को देखा जा सकता है :—

(i) एक रंगशाला, लोकशाला अथवा गिरजाघर की बैठक क्षमता की गणना 0.45 वर्गमीटर प्रति व्यक्ति की दर से की जाती है।

(ii) नगर-सेवा वाली सार्वजनिक बस में आराम से खड़े होने पर प्रति व्यक्ति 0.2 वर्गमीटर का क्षेत्रफल आता है।

(iii) सऊदी अरब के जुलाई, 1990 के भगदड़ से ठीक पहले उस सुरंगनुमा वातानुकूलित 600 मीटर लम्बी और 10 मीटर चौड़ी सड़क पर 50,000 लोग उपस्थित थे। इस प्रकार से वहाँ प्रति वर्गमीटर क्षेत्रफल में आठ लोग समाहित थे।

चबूतरे (प्लेटफार्म) पर मुक्त रूप से आश्रय इकाइयों के रखे होने के कारण भूमि के उर्ध्वाधर अथवा क्षैतिज कंपन से इकाइयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इकाईयाँ भी भूमि के साथ ही गतिमान रहेंगी। इस दरम्यान आश्रय इकाइयों के नीचे की जमीन में पड़ी दरारें भी इन्हें नुकसान नहीं पंहुँचा सकती हैं बशर्ते दरारें, इकाइयों को संपूर्ण रूप से निगल जाने तक चौड़ी न हो जायें। इकाइयों के बीच का रिक्त स्थान उनके आपसी टकराव तथा चनकाव की संभावना को खत्म कर देता है। भूतल का असमान धसान, गलियारे की पंक्ति एवं जमीन की समतलन को भले ही प्रभावित कर देते हैं, लेकिन इन्हें नष्ट नहीं कर सकते हैं। परंतु अस्फाल्ट के चादर के कुछ टुकड़े अवश्य ही टूट जायेंगे।

आश्रयस्थल का वैकल्पिक महत्व :

संयोगवश, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा बार-बार नहीं आती है। इसके साथ ही भूकंप के बारे में पहले से कोई भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती है। अत: ऐसे आश्रयस्थलों के निर्माण के बाद इनका उपयोग निम्नलिखित कार्यों हेतु भी किया जा सकता है:—

(i) नजदीक के किसी शैक्षणिक संस्थान में अगर पठन-पाठन हेतु पर्याप्त जगह न हो तो ऐसे आश्रयस्थल का उपयोग किया जा सकता है।

(ii) साप्ताहिक बाजार हेतु।

(iii) खेल-कूद हेतु।

(iv) पारिवारिक, सामाजिक अथवा पूजा के आयोजनों हेतु यथा शादी-विवाह, योग एवं ध्यान शिविर, पूजा-पंडालों के निर्माण आदि।

आश्रयस्थल के रख-रखाव के लिये उपर्युक्त कार्यार्थ कुछ शुल्क भी लिया जा सकता है।

सारांश

भूकंप-प्रवृत्त क्षेत्रों में आश्रयस्थल की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर भूकंप, आदि प्राकृतिक आपदा काल में वहां अविलम्ब राहत पहुंचाई जा सकती है। ऐसे आश्रयस्थल का निर्माण एक केंद्रीय आंगन के चारों तरफ ऊंचे उठे वृत्ताकार चबूतरे (प्लेट फार्म) पर छोटी-छोटी पूर्वनिर्मित आश्रय-इकाइयों को परस्पर जोड़ कर किया जा सकता है। आपदा-प्रभावित लोग अपने पशुधन को केंद्रीय आंगन में और आवश्यक वस्तुओं को चबूतरे के पार्श्व में रख चबूतरे के अग्रभाग में स्वयं शरण ले सकते हैं।

चबूतरे (प्लेटफार्म) का निर्माण स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से ही करनी चाहिए। इकाइयों के आधार ठोस एवं समतल होने चाहिएं तथा एक दीवाल,, जो आधार को दो भागों में बाँटे, के ऊपर ऋतुक्रिया से अप्रभावित आच्छादन (वेदरप्रूफ कैनोपी) होनी चाहिए। ढांचे की रूपरेखा (डिजाइन) तीव्र भू-कंपनों को यथासंभव सहन करने योग्य होनी चाहिए। सामान्य दिनों में आश्रयस्थल का उपयोग अन्य सामाजिक कार्यों के लिये भी किया जा सकता है। ❐

(पृष्ठ 24 का शेष)

दत्त बड़थ्वाल ने गढ़वाल के साहित्य तथा अन्य विविध कलाओं की अभिव्यंजना एवं विकास को प्रोत्साहन दिया। पंखुरी के मुख पृष्ठ पर डॉ. बड़थ्वाल ने पाठकों के लिए संदेश प्रेषित किया था—"गढ़वाल में जो कुछ भी सुंदर एवं कल्याणमय है, उसके अभिव्यंजन, प्रकाशन एवं प्रोत्साहन का उद्देश्य लेकर गढ़वाल साहित्य परिषद ने जन्म लिया है।" केवल साहित्य को ही नहीं, अन्य ललित कलाओं को विकासमार्ग में आगे बढ़ाना उसका उद्देश्य है। जीवन का संपूर्ण सांस्कृतिक विकास उसका क्षेत्र है। "पंखुरी" इस बात का साक्ष्य है।

इस प्रकार डॉ. पीतांबर दत्त बड़थ्वाल ने संत साहित्य को पूजागृहों से निकालकर साहित्य साधकों के समक्ष प्रस्तुत किया। संत साहित्य के उनके अनुसंधान ने हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा ही बदल दी। हिंदी साहित्य इसके लिए उनका सदैव ऋणी रहेगा।

(पृष्ठ 33 का शेष)

अथर्ववेदीय ब्राह्मण

गोपथ ब्राह्मण—अथर्ववेद का केवल एक ही ब्राह्मण है—'गोपथ ब्राह्मण'। इसके शाखा संबंध के बारे में कुछ मतभेद रहा, लेकिन अब इसे अथर्ववेद की पैप्पलाद शाखा का ब्राह्मण मान लिया गया है। इसके रचयिता गोपथ ऋषि थे और उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण हुआ। इस ग्रंथ के दो भाग हैं—पूर्व गोपथ तथा उत्तर गोपथ। पूर्व गोपथ में पांच तथा उत्तर गोपथ में छह अध्याय हैं। इन दोनों में मिलाकर कुल 258 कंडिकाएं हैं। इसकी काफी सामग्री 'शतपथ ब्राह्मण' से ली गयी है। इस ग्रंथ में मनुष्य पर तीन ऋणों की चर्चा की गयी है—देवऋण, ऋषिऋण और पितृऋण। इन ऋणों को चुकाने के लिए संतानोत्पत्ति आवश्यक है। इसके लिए एक से अधिक विवाह भी किए जा सकते हैं। किसी भी कार्य के प्रारंभ में 'ओम्' उच्चारण करने पर इसमें बल दिया गया है। इसमें शिव का उल्लेख भी मिलता है। यह माना जाता है कि इस ग्रंथ की रचना कालक्रम के हिसाब से काफी बाद में की गई।

गोपथ ब्राह्मण का प्रारंभ सृष्टि की उत्पत्ति से होता है। सृष्टि की कामना से स्वयंभू ब्रह्म ने तपस्या की, जिससे जलवृष्टि हुई और उससे भृगु, अथर्वा, आथर्वण ऋषि, आंगिरस ऋषि, जगत, वेद तथा चंद्रादि और यज्ञ की उत्पत्ति हुई। इस ग्रंथ में 21 प्रकार के यज्ञ बतलाये गए हैं। इसके अनुसार अथर्ववेदियों के अभाव में किसी भी यज्ञ का संपादन नहीं हो सकता। ❐

2132 HA/05—11A

वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान : सही दिशा क्या हो

—डॉ० दिनेश मणि, डी०एस०सी० *

आम आदमी को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनमें से सबसे पहली समस्या है—भूख और प्यास। रोटी की समस्या यहां तक जो सुलझी है कि अनाज की पैदावार बढ़ी है पर गरीब और छोटे किसान को पूरे साल दोनों वक्त रोटी मिलने लगी हो, ऐसा नहीं लगता। पानी के भी हमारे देश में जितने साधन उपलब्ध हैं, वे सबके सब इस्तेमाल नहीं होते। कुछ जगहों पर पानी पीने योग्य नहीं है, दूसरी जगहों पर उसमें कुछ ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं। इस क्षेत्र में सारी दुनिया में बहुत अनुसंधान हुए हैं लेकिन अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया कि हमारे सभी ग्रामीणों को शुद्ध पानी मिल सके। इसी तरह देहातों में मल-जल के निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। शौचालय बनाने के लिए बहुत सस्ते साधन हमारी अनुसंधान-शालाओं ने जुटा दिए हैं, लेकिन अभी तक उनका पूरी तरह से प्रचार नहीं हो पाया है। जब तक कि अनुसंधान के द्वारा बनाई गई चीजें इस्तेमाल में नहीं लायी जातीं-तब तक उनका मतलब ही क्या है?

जब भी हम भारतीय जनता की बात करते हैं तो बिना याद दिलाए हमें यह ध्यान ही नहीं रहता कि भारतीय समाज आज भी बुनियादी तौर पर ग्रामीण समाज है, क्योंकि हमारा मुख्य व्यवसाय आज भी खेती है। बार-बार याद दिलाना पड़ता है कि देहात में रहने वाली लगभग 80 प्रतिशत जनता खेती और उससे जुड़े उद्योगों पर निर्भर है। कुल-मिलाकर यह ग्रामीण समुदाय आधुनिक प्रौद्योगिकी की लहर से बहुत अधिक प्रभावित नहीं हो पाया है। अभी कुछ समय से ही भारतीय कृषि में कुछ बदलाव दिखाई दिया है और विज्ञान तथ प्रौद्योगिकी के फल गांव वाले कुछ-कुछ चखने लगे हैं।

यहां यह बात गौर तलब है कि जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि कितने वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते हैं या कितने लोग विदेशों में जाकर वैज्ञानिक खोजें करके अपना नाम रोशन करते हैं, जनता तो यह देखती है कि उसको कितना लाभ हुआ और उसको कितनी राहत मिली। सदियों तक हमारे देश की करोड़ों जनता विदेशी साम्राज्य द्वारा शोषण को दासता की देन के नाते सहती रही, परन्तु आज जब हम स्वाधीन भारत में रह रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिएं कि विज्ञान और प्रौद्येगिकी की सफलता इसी बात से जानी जाएगी कि वह आम आदमी के जीवन को कितना सुखी बनाती है। यही वह आधार है जिस पर हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी को नया मोड़ देना होगा। इसी को सामने रखते हुए हमें अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करनी हैं। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो रास्ता तय करने में कोई कठिनाई नहीं होती। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है और वह यह है कि विज्ञान देश की सेवा के लिये है, जनहित के लिए है। जो यह सोचते हैं कि विज्ञान का मतलब है केवल खोज किए जाना, कुछ नए तथ्य और नये सिद्धांत निकालना, वे शायद उन परिस्थितियों से परिचित नहीं हैं, जिनसे कोई भी नया विकासशील राष्ट्र गुजरता है।

मानव-समाज की अब तक की उन्नति का इतिहास साक्षी है कि मनुष्य को उन्नति की इस ऊंची सीमा तक पहुंचाने में विज्ञान ने पूर्ण सहयोग दिया है। ऐसा भी देखा गया है कि मनुष्य कभी अपनी दशा से संतुष्ट नहीं रहा।

आज के वैज्ञानिक दो ऐसी समस्याओं को हल करने की चुनौती का सामना कर रहे हैं जो एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। एक तरफ वे अंतरिक्ष की महान दूरियों की खोज करने के ग्रहों तक पहुंचने के तथा नियंत्रण संकेत देते तारों की ओर बढ़ते जाने के साधन तलाश कर रहें हैं। यह काम खोज का सबसे रोचक क्षेत्र बना हुआ है और ढोल भी इसी का सबसे अधिक पीटा जा रहा है। लेकिन खोज का एक क्षेत्र ऐसा भी है

*47/29, जवाहर लाल नेहरू रोड़, इलाहाबाद-211002

2132 HA/05—11B

जिसमें तड़क-भड़क कम है मगर जिसका महत्व हम जैसे उन अधिकांश लोगों के लिये वहीं अधिक है जो उम्र भर अपनी धरती पर ही बने रहेंगे। अपनी धरती पर हमारे सामने बीमारी, गरीबी तथा अज्ञान की समस्याएं अभी तक सदा की तरह मुंह बाये खड़ी हैं। गुरु ग्रह के चंद्रमा पर अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की अपेक्षा संसार को भूख से छुटकारा दिलाना शायद अधिक कठिन है।

किसी समय इस दुनिया के मुट्ठी भर बाशिदों को भोजन की तलाश में विश्व भर में जंगली जानवरों का पीछा करते हुये अनेक दिन निराहार व्यतीत करने पड़े हैं। आज वही पृथ्वी लगभग चार अरब मनुष्यों के शोरगुल और कार्य व्यस्तता से मुखरित है। किसी-किसी अंचल में खाद्याभाव अवश्य है, परन्तु कई लाख गुनी बढ़ी हुई जनसंख्या का भार हमारी धरती सानंद वहन कर रही है।

मनुष्य की जीवन-प्रणाली में दूर-दूर तक फैले हुए ये परिवर्तन किसी विशेष सामाजिक, राष्ट्रीय या राजनीतिक परिवर्तन के परिणाम नहीं हैं। विज्ञान की प्रगति और प्रयोग इन परिवर्तनों का प्राथमिक और मौलिक कारण है। बल्कि इन परिवर्तनों में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से ही सामाजिक, राष्ट्रीय और राजनीतिक परिवर्तनों की आवश्यकता पड़ी है। सभ्यता इन सभी प्रकार के परिवर्तनों का सम्मिलित परिणाम है। वैज्ञानिक प्रयोगजन्य परिवर्तित जीवन-प्रणाली तथा मानसिक दृष्टिकोण से सामंजस्य रखकर सामाजिक, राष्ट्रीय, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन लाने में जब भी विलंब हुआ अथवा कोई कठिनाई हुई, तभी सभ्यता के संकट का आविमणि होता देखा गया है। वर्तमान सभ्यता भी इसी प्रकार के एक संकट का सामना कर रही है। समाज आज विज्ञान की अति द्रुतगति से कदम मिलाकर चलने में समर्थ नहीं है। राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था भी विज्ञान की इस तेज गति से तालमेल नहीं रख पा रही है। यही कारण है कि खाद्याभाव होते हुये भी अनाज जला डालना पड़ रहा है, प्रचुरता के बावजूद बेरोजगारी की समस्या उग्र होती जा रही है, अनेक कल्याणकारी प्रवृत्तियों में विज्ञान के प्रयोग के लिए विस्तृत क्षेत्र पड़ा हुआ है, तथापि विनाशकारी भयावह विश्व-युद्ध से पृथ्वी, एक छोर से दूसरे छोर तक आंदोलित हो रही है। ऊपरी दृष्टि से, ये सभी बातें विज्ञान पर निर्भर यांत्रिक सभ्यता का अनिवार्य परिणाम हैं, ऐसा जान पड़ना असंगत नहीं है। इसीलिये किसी ने आवाज उठाई है कि कुछ दिनों के लिये विज्ञान और वैज्ञानिकों को अवकाश ले लेना चाहिये, अन्यथा सभी कुछ विश्रृंखला हो जाएगा।

परन्तु क्या वास्तव में वैज्ञानिकों के लिये अवकाश ग्रहण करने का समय आ गया है? बढ़ी हुई अथवा तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य-समस्या के समाधान के लिये कृषि उपज में वृद्धि की जो आवश्यकता है, वह वैज्ञानिकों की विशेष चेष्टा के बिना कैसे संभव हो सकेगी? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि शक्तियों का आधार, अमूल्य खनिज सम्पदा धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है, अत: वैकल्पिक शक्तियों के स्रोत का अविष्कार कर यदि उन्हें काम में न लगाया गया हो यह शंका है कि निकट भविष्य में इस यांत्रिक सभ्यता के पहियों का चलना बिल्कुल ही बंद हो जायेगा। हिमयुग में बर्फ के प्रसार के कारण मनुष्य और जीव-जगत को जिस दुर्घटना का सामना करना पड़ा था, ऊर्जा के अभाव में यांत्रिक युग के मानव को उससे भी अधिक व्यापक ध्वंस के लिये तैयार रहना पड़ेगा। इसीलिये वैज्ञानिक कार्य तत्परता में विराम अथवा लेशमात्र संकुचन की बात सोची भी नहीं जा सकती। इसे वर्तमान सभ्यता का प्राण-स्वरूप स्वीकार करना ही होगा। विज्ञान की बदौलत मनुष्य जिस अमित शक्ति का अधिकारी हुआ है, उसके दुरुपयोग से यदि कोई समस्या उत्पन्न हुई है तो उस दुरुपयोग को रोकना ही हमारा कर्त्तव्य है।

विख्यात ब्रिटिश वैज्ञानिक लार्ड रदरफोर्ड ने अपने देश इंग्लैण्ड की तत्कालीन हालत के बारे में कहा था— "क्योंकि हमारे पास अमरीका के बराबर धन नहीं है, इसलिये हमें सूझ-बूझ से काम लेना होगा।" हमारी स्थिति तो और भी विषम है और हमें कोई भी कदम उठाने से पहले और अधिक सोचना होगा, और अधिक मंथन करना होगा। हमें प्रयास करना चाहिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अब तक भले ही किसी भी दिशा में ले जाया गया हो, पर अब आगे आम जनता के कल्याण में लगाया जाए। आकाश से उतरकर हमें सच्चाइयों की पथरीली जमीन पर खड़ा होना होगा। इस काम में कुछ ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो शायद कुछ के गले नहीं उतरें, बहुतों को नागवार भी गुजरें, लेकिन यह कोई नयी बात नहीं है। ऐसा निर्णय तो बिरला ही होगा, जो सबको ही अच्छा लगता हो। ❐

पत्रकारिता

आधुनिक मीडिया में हिंदी भाषा के स्वरूप की विकासात्मक संभावनाएं

—डॉ० परमानंद पांचाल*

समाचार माध्यमों में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भाषा ही विचारों के आदान-प्रदान का सहज माध्यम है। भाषा एक समाज-सापेक्ष क्रिया है, एक सामाजिक व्यवहार है। अत: परिवर्तनशील समाज में भाषा का स्वरूप भी अनुकूलन- परक और परिवर्तनीय होता है। इसे हम भाषा का विकासात्मक स्वरूप कहते हैं। कबीर ने हिंदी भाषा को "बहता नीर" की संज्ञा दी थी, जो भाषा की एक सटीक और सुस्पष्ट परिभाषा ही है। हिंदी भाषा अपने विकास के लगभग एक हजार वर्षों के इतिहास में निरंतर बदलती परिस्थितियों, बाध्यताओं और विवशताओं के उतार-चढाव को पार करती हुई सुरसरिता के अजस्र प्रवाह की भांति अविरल गति से बढ़ती रही है। हिंदी की प्रकृति सबको साथ लेकर चलने की रही है। विभिन्न भाषाओं के संपर्क में आने से इसने अनेक देशी और विदेशी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात् किया और कर रही है। इससे इसकी विकास गति प्रबल हुई, संप्रेषणीयता बढ़ी और यह एक व्यापक भाषा के रूप में विश्व के पटल पर उभरी। इसे संतों, महात्माओं और व्यापारियों ने ही अपने विचारों का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी इसकी महती राष्ट्रीय भूमिका रही। गांधी जी और राष्ट्र के अग्रणी नेताओं ने राष्ट्रभाषा के रूप में इसकी पहचान की। इसी दौरान हिंदी के अनेक समाचार पत्रों का जन्म हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी के समाचार पत्रों का राष्ट्रीय आंदोलन को तेज धार देने में अहम रोल रहा। सच पूछिए तो इसके मानक स्वरूप का विकास भी 19वीं सदी में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही हुआ। 1826 में उदत मार्तंड से लेकर हिंदी में जो पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं उन्हीं से हिंदी का एक परिनिष्ठित स्वरूप भी स्थिर हुआ।

आज हम वैश्वीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। 20वीं सदी विज्ञान की सदी थी और अब 21वीं सदी सूचना प्रौद्योगिकी की है। कंप्यूटर द्वारा संप्रषण के साधनों में एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इसकी कार्यक्षमता कितनी विशाल एवं प्रभावपूर्ण है।

आज कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी दोनों एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? सूचना को एकत्रित और संसाधित कर उसके संप्रेषण की प्रौद्योगिकी ही सूचना प्रौद्योगिकी है।

दूसरे शब्दों में भाषा में सूचना को कोडित, संसाधित, संचारित और इंटरनेट पर, ब्राउजिंग करने के साधन ही सूचना प्रौद्योगिकी की विषय-वस्तु हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी के दो आधार हैं—

1. प्रिंट मीडिया; और 2. इलैक्ट्रॉनिक मीडिया।

सूचना प्रौद्योगिकी में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक तथा इन्को इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों का समावेश होता है। इस में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का प्रयोग शामिल है। सूचना प्रौद्योगिकी अत्यधिक तेज गति से परिवर्तित होने वाली प्रौद्योगिकी है, जो बहुत ही कम समय में उत्पादों को व्यापक रूप में प्रचलित बना देती है। किसी भाषा को व्यापकता प्रदान करने में सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान है। ओडियो-वीडियो उपकरण अब पत्रकारिता के अभिन्न अंग बन चुके हैं। दूरदर्शन ने जहां पत्र को ग्लैमर दिया है, वहीं कंप्यूटर, इंटरनेट व अत्याधुनिक साधनों ने समाचार की गति आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा दी है। अखबार, पत्र-पत्रिकाएं, रेडियो, कंप्यूटर, टेलीफोन, फैक्स, ई-मेल, इंटरनेट आदि सभी का भाषा के साथ गहरा संबंध है। पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन, समाचारों का अखबारों में यथास्थान संकलन और उन्हें चित्रों सहित प्रस्तुत करने में कंप्यूटरों की सहायता ली जा रही है। कंप्यूटर द्वारा ही हम किसी समाचार सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक इंटरनेट और ई-मेल द्वारा प्रेषित कर सकते हैं।

कंप्यूटर का आविष्कार पश्चिमी देशों में हुआ था। कंप्यूटर की भाषा पहले अंग्रेजी ही थी। जब यह विकासशील देशों में आया तो लोगों को भ्रम हुआ कि कंप्यूटर की भाषा

*232-ए, पाकेट-I, मयूर विहार-फेज-I, दिल्ली-110091

अंग्रेजी होने से उनकी भाषाओं का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। किंतु कंप्यूटर तो एक यंत्र है, जो किसी प्रकार की सीमाएं स्वीकार नहीं करता। अंग्रेजी में इसकी लोकप्रियता को शीघ्र ही अन्य भाषाओं ने भांप लिया और अपनी-अपनी भाषाओं में इसका प्रयोग आरम्भ किया। आज 60 से भी अधिक भाषाओं का कम्प्यूटर पर प्रयोग हो रहा है। हिंदी भी इस दिशा में पीछे नहीं रही। फिर भी, हिंदी भाषा के विश्व में गौरवपूर्ण स्थान की तुलना में हम कंप्यूटर के क्षेत्र में अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाए हैं। इसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अंग्रेजी की मानसिकता वाले वे लोग हैं जो अंग्रेजी के वर्चस्व को बनाए हुए हैं। वे हिंदी के प्रयोग से कतराते हैं और समय रहते हिंदी के विकास के लिए उपलब्ध आधुनिक और अद्यतन उपकरणों और प्रविधियों के प्रयोग की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम कम्प्यूटर का सफल और अधिकतम प्रयोग कर सकें, इसके लिए भाषा के मानकीकरण की सबसे अधिक आवश्यकता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने वर्णमाला और वर्तनी के मानकीकरण की दिशा में कुछ कार्य किया है, जिसे व्यापक रूप से मान्यता मिलनी चाहिए। भाषा विकास के लिए मानकीकरण एक अनिवार्य शर्त है। इसके बिना विश्व की भाषा की दौड़ में हिंदी पीछे रह जाएगी और हम अंग्रेजी के पिछलग्गू ही बने रहेंगे।

हिंदी अब एक विश्व भाषा के रूप में विकसित हो रही है। भाषाई दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में हिंदी जानने वालों की संख्या दूसरे स्थान पर है। 1999 में मशीन ट्रांसलेशन सम्मिट में टोकियो विश्वविद्यालय के प्रो. होजुमि तनाका ने जो भाषाई आंकड़े प्रस्तुत किए थे, उनके अनुसार विश्व भर में चीनी बोलने वालों का स्थान प्रथम और हिंदी का द्वितीय है। अंग्रेजी तीसरे स्थान पर ही रह जाती है।

हिंदी भाषा जैसाकि पहले कहा गया है सदैव परिवर्तनशील और विकासशील रही है। कम्प्यूटर और इंटरनेट के आ जाने के बाद इसमें परिवर्तन कल्पनातीत गति से हो रहा है, जो स्वाभाविक ही है। ज्ञान-पोषित समाज में आम जनता की सक्रिय भागीदारी होती है। इसे बढ़ाने और समाज द्वारा प्रौद्योगिकी को तेजी से आत्मसात किए जाने के लिए आवश्यक है कि ज्ञान के आदान-प्रदान में कोई बाधा न आए। हमारी सूचना प्रौद्योगिकी का विकास अंग्रेजी केंद्रित होने के कारण देश में इसका विकास तेजी से नहीं हो पा रहा है। हिंदी में इंटरनेट का प्रयोग देरी से अवश्य हुआ किंतु इस के प्रयोग की संभावनाएं बहुत हैं।

जहां तक हिंदी भाषा का प्रश्न है इसके दो स्वरूप हैं। एक परंपरागत साहित्यिक और दूसरा प्रयोजन मूलक। संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किए जाने के बाद हिंदी की दुहरी भूमिका हो गई है। पहली साहित्यिक दूसरी प्रशासनिक और बहु प्रयोजनीय जो आज के युग में अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आज के उद्योग प्रौद्योगिकी प्रधान हैं। डॉ० ओम विकास ने आई०एन०स०डी०ओ०सी० के आंकड़ों के आधार पर बताया है कि बिडंबना यह है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रति वर्ष 2.5 करोड़ पृष्टों की शोध-परक एवं विकास-परक जानकारी जुड़ती है, लेकिन हिंदी में यह नगण्य है। इस विकट और विकराल परिस्थिति से हिंदी जगत को निपटाना होगा नहीं तो राष्ट्रीय क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लोगों की भागीदारी का अभाव रहेगा और देश विकसित नहीं हो सकेगा, जैसाकि हमारी परिकल्पना है कि सन् 2020 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनकर उभरेगा।

कहना न होगा कि हिंदी निदेशालयों और संस्थानों द्वारा प्रतिपादित हिंदी सरल और व्यावहारिक नहीं हो पा रही है। हम अभी भी क्लिष्ट दुरूह और भारी भरकम शब्दों के प्रयोग का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। जन सामान्य की भाषा से कटकर हिंदी का विकास बहुत ही दुष्कर है।

1983 में तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन में पत्रकारिता के संबंध में कहा गया था कि आम आदमी की भाषा ही पत्रकार की भाषा होनी चाहिए। इसे मात्र व्यावसायिक नहीं बनाना चाहिए। इसमें सत्य को ढूंढ़ने की सहज प्रवृतित का होना आवश्यक है। हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग में आ रहे तकनीकी और प्रौद्योगिकी के शब्दों को ग्रहण करने में संकोच नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी की शब्दावली के संबंध में पहले ही स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम जान बूझकर अंग्रेजी के ऐसे बेमेल शब्दों का प्रयोग करें, जो जन सामान्य की भाषा से कट कर रह जाएं। जो शब्द हिंदी में पहले से ही प्रयोग में आ रहे हैं उनके बदले जबरदस्ती अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग फुहड़पन नहीं तो क्या है? मीडिया को इस संबंध में सतर्कता बरतनी आवश्यक है। समाचार-पत्र, भाषा और ज्ञान के प्रेषक होते हैं जो समाज के छोटे-बड़े सभी वर्गों तक पहुंचते हैं। पाठक उनकी भाषा को मानक मान कर उनका अनुकरण करते हैं। किंतु आज के वैश्वीकरण के युग में समाचार-पत्रों के संपादक विवश नज़र आते हैं। वे भाषा और साहित्य पर ध्यान न देकर अपने स्वामियों के हितों को अधिक प्रश्रय देते हैं। भाषा तो गौण रह जाती है। समाचार पत्र उनके आर्थिक हितों की रक्षा करते हैं। सामाजिक या भाषाई पक्ष अब उनके लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं। यहां अनेक उदाहरण हिंदी के दैनिक पत्रों से दिए जा सकते

2132 HA/05—12

के रूप में चमके। गुप्त जी प्रतिभाशाली तो थे ही, सिद्धांत के धनी भी थे। उनके लिए संपादकीय मूल्यों का बेहद महत्व था। वे उत्कृष्ट देशभक्त थे। प्रखर राष्ट्रवादी और स्वाभिमानी जन्मजात थे। इसी कारण किसी एक विषय पर "हिंदी बंगवासी" के साथ उनकी मतभिन्नता हो गई और तभी उन्होंने उससे नाता तोड़ लिया। उन जैसे सुयोग्य संपादक के लिए अन्यत्र क्या कमी थी। बस, "भारत मित्र" के आमंत्रण पर उसमें संपादक के रूप में चले गए। पं. बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त और गणेशशंकर विद्यार्थी इस त्रिमूर्ति के बारे में निसंकोच यह कहा जा सकता है कि उन्होंने समस्त प्रलोभनों को ठोकर मारकर अपनी आर्थिक उन्नति की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया और देश सेवा में संलग्न रहे। गुप्त जी की तीव्र जिज्ञासा व परिश्रमशीलता को देख-सुनकर हैरानी होती है। उनका वह रजिस्टर आज भी मौजूद है जिसमें वे बाहर जाने वाली चिट्ठियों के नाम व पते दर्ज किया करते थे। जिस तारीख से उन्होंने उर्दू की बजाय हिंदी में पत्र लिखना शुरू किया था, वह उसमें दोनों लिपियों के बीच सीमा-रेखा खिंचती हुई साफ दिखाई देती है। लेकिन गुप्त जी संकीर्ण विचारों के शख्स नहीं थे। उर्दू में बराबर और जीवन भर लिखते रहे और आगे चलकर मुन्शी प्रेमचंद ने उन्हीं के मार्ग का अनुगमन किया।

गुप्त जी ने पं. श्रीधर पाठक से पत्राचार के माध्यम से अंग्रेजी सीखी। राष्ट्रभाषा व राष्ट्रलिपि के बारे में गुप्त जी के बड़े ही सुलझे हुए विचार थे। अपनी "हिंदी भाषा" पुस्तक की भूमिका में उन्होंने लिखा है—"यद्यपि बंगला, मराठी आदि भारत की अन्य कई भाषाओं में हिंदी अभी पीछे है तथापि भारतवर्ष में यह विचार फैलता जाता है कि इस देश की प्रथम भाषा हिंदी ही है और वही यहां को राष्ट्रभाषा होने के योग्य है। साथ-साथ लोग यह भी मानते हैं कि सारे भारतवर्ष में देवनागरी अक्षरों का प्रचार होना उचित है . . . .।" गुप्त जी की भाषा-शैली ओजपूर्ण व प्रसाद-गुण युक्त थी। हिंदी के जो सात शैलीकार हुए हैं उनमें हैं—बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, बालमुकुंद गुप्त, माधवमिश्र, पद्म सिंह शर्मा, प्रेमचंद और गणेशशंकर विद्यार्थी।

गुप्त जी ऊंचे चरित्र के पत्रकार थे। ठेठ ईमानदार थे वे। उन दिनों कलकत्ता में एक मुकदमा चल रहा था। झगड़ा दो धनी-मानी असरदार व्यक्तियों में था। मुकदमा फौजदारी का था। उसकी अदालती कार्यवाही की रिपोर्ट रोजाना अंगेजी अखबारों में निकलती थी। इस मुकदमे से संबधित एक सज्जन की ओर से, जिसका पक्ष न्याय के नजरिए से कमजोर था, एक दिन गुप्त जी के मित्र के पास पांच हजार रुपये लेकर "भारत मित्र" कार्यालय में आये और धीरे से कहने लगे, "आमुक बाबू ने पांच हजार रुपए भेजे हैं, सो लीजिए। अंग्रेजी पत्रों में आपने देखा होगा कि उनका मामला चल रहा है। आप अपने पत्र में उनके पक्ष समर्थन का थोड़ा ख्याल रखिएगा। आपकी इतनी कृपा चाहते हैं।" रुपए का नाम सुनते ही गुप्त जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने कहा, "क्या कहूं आपको, मैं वैश्य हूं और आप मेरे आदरणीय मित्र हैं। यदि आपकी जगह कोई दूसरा होता तो मैं जरूर जमादार से निकलवा देता।"

वे स्वाभिमानी ऐसे थे कि सरकार के खिलाफ लेख लिखने पर जब राजा कालाकांकर ने उन्हें हटाने का पत्र दिया तो उन्होंने नौकरी पर बने रहने के लिए राजा से एक शब्द भी नहीं कहा और सीधे कलकत्ता चले गए। गुप्त जी "भारत मित्र" में गए तो उनके सामने पत्र को लोकप्रिय व गुणात्मक बनाने की अपूर्व चुनौती थी। उन्होंने थोड़े समय में ही अपना हिंदी ज्ञान और भाषा पर कमाल का अधिकार इतना हासिल कर लिया था कि लोगों को सुखद हैरानी होती थी। वे अपने समय के दिग्गज लेखकों से लोहा लेने लगे थे। "भारत मित्र" को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने सामयिक और स्थाई महत्व के विषयों का चयन किया। सामयिक विषयों में था कलकत्ता के धर्मभवन का मामला, पिंचरापोल का सवाल और नागा साधु की हत्या। इन तीनों मामलों पर गुप्त जी ने अपनी कलम चलाई और "भारत मित्र" को जनप्रिय बनाया। गुप्त जी ने स्थाई महत्व के कई सवाल उठाए। जैसे, साहित्यकारों का परिचय, साहित्य समीक्षा के लोकहितमूलक निरूप की उद्भावना, समीक्षापरक लेख-माला का प्रकाशन, धार्मिक विषयों की बजाय राष्ट्रीय विषयों को अधिमान, ब्रजभाषा बनाम खड़ी बोली आंदोलन पर संतुलित नजरिया, हिंदी व नागरी के समर्थन में सक्रिय आंदोलन, बंग-भग का विरोध, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन, अंग्रेजी साम्राज्य की मुखालफत एवं खड़ी बोली हिंदी के रूप निर्माण पर जोर। गुप्त जी ने तत्कालीन वैयक्तिक समीक्षा को सैद्धांतिक समीक्षा का जामा पहनाया, लोकमंगल समीक्षा शैली को अपनाकर गुप्त जी ने समीक्षा-क्षेत्र में युगांतरकारी परिवर्तन का श्रीगणेश किया। उनकी समीक्षा में ऐतिहासिक-सांस्कृतिक गौरव-संरक्षण का भाव निहित था। गुप्त जी ने प्रताप नारायण मिश्र, पं. देवकीनंदन तिवारी, पं. अंबिकाप्रसाद व्यास, पं. देवीसहाय,

(शेष पृष्ठ 48 पर)

पर्यावरण

पर्यावरण-सुरक्षा का प्रश्न और खनन उद्योग

—संजय चौधरी*

प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि-मुनियों ने प्रकृति और अपने संपूर्ण परिवेश अर्थात् पर्यावरण के प्रति आदर का भाव व्यक्त किया है। यहां तक कि विभिन्न देवताओं की लीला-स्थली एवं कर्मभूमि के रूप में विभिन्न स्थानों तथा वहां के पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं को भी उन्होंने उपास्य बना दिया। यही कारण है कि हिंदू धर्म में आज भी अधिकांश पेड़-पौधों और नदियों को पवित्र माना जाता है। इसके बावजूद आज हम अपने समाज में हर जगह पेड़-पौधों का कटना और नदियों को दूषित किया जाता देख रहे हैं। इसका कारण यह है कि युग-परिवर्तन के परिणामस्वरूप मनुष्य की मानसिकता बदल गई है और इसका प्रभाव मानव और प्रकृति के पारस्परिक संबंधों पर भी पड़ा है। आज स्थिति यह हो गई है कि हर क्षेत्र में मानव का स्वार्थ सर्वोपरि हो गया है। अन्य उद्योगों के समान खनन उद्योग भी प्राकृतिक संसाधनों का अबिरल और अविवेकपूर्ण दोहन कर रहा है। इन सभी कारणों से खनन क्षेत्रों में पर्यावरण की सुरक्षा का प्रश्न दिनों-दिन गंभीर होता जा रहा है।

खनन उद्योग

इसमें कोई संदेह नहीं कि देश की अर्थव्यवस्था में खनन उद्योग को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आजादी के बाद हमारे देश में विशेष रूप से इस उद्योग के विकास पर ध्यान दिया गया तथा भारी उद्योगों की स्थापना के कारण खनन उद्योग का तेजी से विकास हुआ। आज खनन उद्योग देश के विकास में एक कोर उद्योग के रूप में पहचाना जाता है। जहाँ 1950 में 70 करोड़ रुपये मूल्य के 20 खनिजों का उत्पादन होता था, वहीं आज लगभग 33,000 करोड़ रुपए मूल्य के 84 खनिजों का उत्पादन हो रहा है। तेजी से हो रहे औद्योगिक विकास के कारण खनिज का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है एवं इससे संबंधित उद्योगों में 11.6 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है।

*जे एंड के—16बी, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110095

खनन उद्योग की खनन से संबंधित गतिविधियों को सामान्यतः अस्थायी भू-उपयोग माना जाता है लेकिन इन गतिविधियों का अत्यंत दूरगामी प्रभाव हमारे पर्यावरण पर पड़ता है। वास्तव में खानों में अपनाई जाने वाली खनन की प्रक्रिया खान की प्रकृति पर निर्भर करती है। खनिज विशेष के अनुसार खानें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं—भूमिगत खान (Underground mines) एवं खुली खान (Opencast mines)। खुली खान के अंतर्गत खनिज निकालने के लिए गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं और बड़े पैमाने पर खनिज पदार्थों का उत्खनन होता है। जबकि भूमिगत खानों में भूमि के नीचे निर्मित सुरंगों के अंदर खनिज पदार्थों के उत्खनन के लिए सुरंग में आगे की ओर खुदाई की जाती है। खुली खान की तुलना में भूमिगत खानों से खनिजों को निकालने की प्रक्रिया अधिक खर्चीली होती है। इसका कारण यह है कि भूमिगत खानों का रख-रखाव अधिक मंहगा पड़ता है।

हमारे देश में खनन उद्योग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की खानें हैं जो दूर-दूर तक फैली हुई हैं। इनके कारण जहाँ एक ओर राष्ट्र की आर्थिक उन्नति होती है, वहीं दूसरी ओर मनुष्य का जीवन और उसका समूचा पर्यावरण इनसे प्रभावित होता है। इतना ही नहीं, सामान्य लोगों का दैनिक जीवन भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से खनन गतिविधियों पर ही निर्भर करता है। इसके साथ-साथ खनन उद्योग के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि खनिज पदार्थों की बढ़ती मांग तथा देश में बढ़ती बेरोजगारी ने अवैध खनन के धंधे को बढ़ावा दिया हैं। इन सबका परिणाम यह हुआ है कि जिस गति से खनन उद्योग का विकास हो रहा है, उसकी दुगुनी गति से पर्यावरण के क्षरण की प्रक्रिया में वृद्धि हो रही है।

खनन गतिविधियाँ और पर्यावरण का क्षरण

खनन प्रक्रिया जहां अल्प अवधि की होती है, वहीं पर पर्यावरण की क्षति दीर्घ अवधि की होती है। खनन उद्योग

की गतिविधियां एक बहुत बड़े भू-भाग को प्रभावित करती हैं। जमीन के नीचे से खनिज निकालने के क्रम में न केवल वनों को उजाड़ दिया जाता है वरन खनन-प्रक्रिया के कारण पूरा का पूरा भू-दृश्य बुरी तरह बिगड़ जाता है। जहां खनन कार्य से एक ओर भूमि और वायु प्रभावित होते हैं, वहीं भूमिगत खुदाई से प्राकृतिक जल-स्रोत और जल-स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है। खनन गतिविधियों का पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव कई कारकों जैसे क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक स्थिति, संबंधित खनिज की प्रकृति, खान के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल तथा खनन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर निर्भर करता है।

प्राय: यह स्वीकार किया जाता है कि खुली खानों द्वारा अधिक बड़े स्तर पर पर्यावरण को प्रदूषित किया जाता है। मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्रों में चल रही खनन गतिविधियों के कारण अधिक तबाही होती देखी गई है। देहरादून के चूना-पत्थर उद्योग को इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि जंगल साफ कर दिए जाने के कारण नंगे हो चुके पहाड़ों में भूस्खलन, धंसान आदि घटनाएं बढ़ती जा रही थी और पूरा पर्यावरण तेजी से विनाश की ओर बढ़ रहा था। इन क्षेत्रों से खजिन निकासी के लिए खनन उद्योग द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसने पर्यावरण के हर अंग को अपना शिकार बनाया। इस क्षेत्र की बर्बादी को देख कर पहली बार पर्यावरण की व्यापक क्षति के लिए खनन उद्योग को दोषी ठहराया गया और खनन क्षेत्रों के पर्यावरण को बचाने के प्रति आम लोगों में भी जागरूकता का विकास हुआ।

कोई भी खनन उद्योग सिर्फ खानों एवं सहायक संयंत्रों तक सीमित नहीं रहता बल्कि खनिज पदार्थ के परिवहन के लिए निर्मित सड़कों, रोपवे, रेलमार्ग तथा खननकर्मियों के लिए निर्मित आवासीय कालोनी, स्कूल, अस्पताल इत्यादि के रूप में फैलता जाता है। खान के प्रचालन से संबंधित प्रशासनिक भवन, कार्यालय एवं भंडार वगैरह तो होते हैं, खान से निकलने वाले कचरे के निपटान के लिए प्रत्येक खान द्वारा एक बड़े भू-भाग को अपने प्रभाव-क्षेत्र में ले लिया जाता है। यही कारण है कि खनन उद्योग द्वारा होने वाले प्रदूषण का प्रभाव खान के आसपास पूरे क्षेत्र में देखा जा सकता है। खनन की प्रक्रिया एवं संबंधित गतिविधियाँ आसपास के परिवेश को बड़े पैमाने पर प्रभावित करती हैं। हमारे देश में छोटी-बड़ी हर प्रकार की खानें हैं। लेकिन इनमें एक समानता है—प्रदूषण फैलाने के मामले में कोई किसी से कम नहीं है। कोयला खानों के आसपास बिखरी काली धूल, गेरू और रामरज खानों के आसपास की भूरी जमीन, लोहे की खानों के निकट बिखरे लौह अयस्क के लाल कण तथा चूना खड़िया क्षेत्रों में फैले सफेद गर्द के कारण यहाँ की भूमि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खनिज कणों की महीन धूल के नीचे दबकर धरती निर्जीव हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप खनन गतिविधियों की भेंट चढ़ने से बच गई वनस्पति बहुधा इन धातु-पदार्थों की महीन परत से ढक कर इनकी भेंट चढ़ जाती है और पूरा इलाका वनस्पति-विहीन हो जाता है।

खनन क्षेत्र की पर्यावरणीय समस्याएँ

खनन क्षेत्रों में धरती से खनिज पदार्थ आदि निकाल लेने के बाद पूरा क्षेत्र कई वर्षों तक बेकार और बंजर बना रहता है। यह क्षेत्र पेड़-पौधों तथा जीव-जंतुओं से रहित होकर अपना मौलिक स्वरूप खो चुका होता है और यहाँ खनिज पदार्थ की गर्द के साथ-साथ अलग-अलग आकार-प्रकार के पत्थर, स्लेट, कंकड़ और बालू इत्यादि चारों ओर बिखरे होते हैं। इन क्षेत्रों में खनिज निकासी के एवज में केवल वनस्पति और जीवों पर ही संकट नहीं आता, बल्कि जीव-जगत और प्राणी-जगत के जीवन का आधार मानी जाने वाली उपजाऊ मिट्टी भी नष्ट हो चुकी होती है। प्राकृतिक संसाधनों का अवैज्ञानिक दोहन, प्रदूषण में वृद्धि, पर्यावरण का विनाश कुछ अन्य समस्याएँ हैं, जिनका सामना अधिकांश खनन क्षेत्रों को करना पड़ रहा है।

पर्यावरणीय-सुधार

खनन क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के कारण उत्पन्न प्राकृतिक विकृतियों और पर्यावरण की क्षति को दूर करने के लिए कुछ मूलभूत बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। खनन कार्य आरंभ करने से पहले पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के साथ-साथ खनन उद्योग द्वारा संबंधित गतिविधियों का पर्यावरणीय मूल्यांकन तैयार किया जाना बहुत जरूरी है। इसके साथ-साथ यह भी जरूरी है कि खनन-पश्चात् अवधि में क्षेत्र के सुधार के उद्देश्य से तैयार की गई पुन: निर्माण योजना को स्पष्ट ढंग से परिभाषित किया जाए। इसमें जहां पर्यावरणीय क्षति के नियंत्रण एवं संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु चरणबद्ध विकास के कार्यक्रम होने चाहिए, वहीं पर प्रत्येक चरण में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों का विवरण भी अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए।

खनन क्षेत्रों की पुन: स्थापना एवं पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों में खनन उद्योग के सामयिक योगदान के साथ-साथ निम्नलिखित बातें सुनिश्चित की जाएं :

- भविष्य में जन-स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मामलों में कोई समझौते न किए जाएं,
- पर्यावरणीय संसाधनों की भविष्य में कोई भी भौतिक अथवा रासायनिक क्षति न हो,
- खनन-पश्चात् अवधि में इन क्षेत्रों का उपयोग सबके लिए उपयोगी और टिकाऊ सिद्ध हों,
- आर्थिक दुष्प्रभावों को न्यूनतम स्तर तक लाया जाए,
- खनन-पूर्व पारिस्थितिकी तंत्र के पुन:निर्माण के यथासंभव प्रयास किए जाएं।

पर्यावरण सरंक्षण कार्यक्रमों में उपर्युक्त बातों को सम्मिलित करके इन कार्यक्रमों को प्रभावोत्पादक एवं सफल बनाया जा सकता है। वैज्ञानिक भूमि प्रबंधन तकनीक अपना कर विकृत भूमि की मूल समस्या का समाधान भी संभव है। खनन क्षेत्रों में खुदाई से बने गड्ढों को भरकर इन्हें समतल कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि भूमि को बंजर छोड़ देना इस बहुमूल्य संपदा का सदा के लिए विनाश है। इस विनाश से भूमि को बचाने के लिए समतल किए गए जमीन पर पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी की परत बिछा दी जानी चाहिए। स्थानीय पेड़-पौधों के साथ-साथ यहाँ पर इमारती लकड़ी एवं ईंधन लकड़ी देने वाले अधिक से अधिक पेड़ों के रोपण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इन पेड़ों के बड़े होने पर यहाँ के निवासियों को इनका लाभ मिलेगा तथा संपूर्ण क्षेत्र का विकास किया जा सकेगा।

खनन उद्योग का दायित्व

खनन गतिविधियों से उत्पन्न विभिन्न प्रकार की समस्याओं का संतोषजनक समाधान तभी हो सकता है जब सरकार एवं खनन उद्योग दोनों ही अपना उत्तरदायित्व समझेंगे तथा खनन क्षेत्रों के लिए तैयार पुन:-निर्माण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार का काम केवल कानून बनाना ही नहीं है, बल्कि यह उसका दायित्व बनता है कि वह इन नियमों का पालन भी सुनिश्चित कराए। किसी के भी द्वारा इन नियमों का किसी प्रकार का उल्लंघन किए जाने पर दंड की व्यवस्था करना अथवा जुर्माना लगाना भी सरकारी मशीनरी का दायित्व बनता है। पर्यावरण को पहुँचाई गई क्षति, स्थानीय परिस्थितियों तथा पर्यावरणीय उपबंधों की आवश्यकताओं के आधार पर ही दंड का निर्धारण किया जा सकता है।

पर्यावरण से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं की उत्पत्ति चूँकि खनन गतिविधियों के कारण होती है, अत: इनके समाधान के लिए खनन कंपनियों को सबसे आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। खनन उद्योग यदि अपने दायित्व को समझकर प्रदूषण को रोकने के लिए सभी पूर्व-उपाय अपनाता है तो संबंधित समस्याओं का समाधान निश्चित तौर पर निकाला जा सकता है। खनन गतिविधियों के लिए पर्या-हितैषी विधि अपनाकर यह उद्योग पर्यावरण को होने वाली क्षति और इसके प्रभाव को कम कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि खनन कंपनियां अपने कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्वों का पालन करें।

खानों के लाभप्रद न रहने के बाद इन्हें सामान्यत: बंद कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा करने से पूर्व खनन उद्योग का यह दायित्व बनता है कि वह खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को दूर करने का प्रयास करे। खनिज-निकासी कार्य समाप्त होने पर पर्यावरण के सुधार से संबंधित योजनाओं का त्वरित कार्यान्वयन इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आजीविका के लिए स्थानीय लोग बचे-खुचे प्राकृतिक संसाधनों का और अधिक दोहन करने लगते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार का अंधाधुंध दोहन पर्यावरण के लिए अत्यंत विनाशकारी सिद्ध होता है। अत: यह जरूरी है कि खनन उद्योग इन क्षेत्रों के पर्यावरण-संरक्षण के लिए योजनाएं तैयार करके इन पर अविलंब काम शुरू कर दे। खनन उद्योग के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा कई नियम बनाए गए हैं। खनिज संरक्षण तथा विकास अधिनियम, 1958 (संशोधन 1988 एवं 1994) के अनुसार खनन कंपनियों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह निम्नलिखित का पालन सुनिश्चित करें :—

— खान की ऊपरी मृदा/अधिभार का पर्या-हितैषी सदुपयोग

— जिस स्थान पर खनन किया गया है, वहाँ की मिट्टी/भूमि का पुन: उद्धार एवं पुनर्वास

— भूकंप के प्रति सतर्कता

— वायु, जल आदि की हानि एवं इनके प्रदूषण को निर्धारित सीमा से कम रखें

— जीव-जंतु/वन्य प्राणियों की सुरक्षा करे।

खनन कंपनियों द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले उपर्युक्त पूर्वोपाय एवं खनन कार्य की समाप्ति के बाद किए जाने वाले सुधार के विभिन्न प्रयास, यदि वास्तविकता में किए जाते हैं तो खनन जनित अधिकांश समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होंगी। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली खनन कंपनियों को सरकार द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। यह प्रशंसनीय है लेकिन जरूरत इस बात की अधिक है कि पर्यावरण-संरक्षण के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में जाकर काम करने वाले छोटे-छोटे स्वैच्छिक संगठनों को भी सरकार द्वारा पुरस्कार देकर उनके काम का सम्मान किया जाए एवं ऐसे प्रयासों को बढ़ावा दिया जाए।

उपसंहार

भारतीय विचारधारा में आरंभ से ही प्रकृति और मनुष्य के बीच संतुलन तथा समन्वयवादी दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। धरती को माँ का स्थान देने वाली विचारधारा में खनन को "एक सीमित और संयमित" गतिविधि के रूप में लिया गया। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में धरती को आहत न करने का संकल्प व्यक्त किया गया है। वर्तमान युग में भी इसी संकल्प पर बल दिए जाने की आवश्यकता है। खनन क्षेत्रों के पर्यावरण को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी खनन उद्योग की है। आवश्यकता इस बात की है कि यह उद्योग पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति आम लोगों में जागरूकता पैदा करे तथा सबको पर्यावरण-संरक्षण का महत्व समझाए। पर्यावरण के विनाश पर अंकुश लगाकर ही पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है जिसमें खनन उद्योग की भूमिका सबसे अहम मानी गई है। पर्यावरण-संरक्षण से संबंधित नियमों का कठोरता से पालन करके यह उद्योग इस कार्य को बखूबी अंजाम दे सकता है और पर्यावरण-सुरक्षा के क्षेत्र में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। ❐

(पृष्ठ 44 का शेष)

पं. प्रभुदयाल पांडेय, बाबू रामदीन, पं. गौरीदत्त शर्मा, पं. माधव प्रसाद मिश्र और मुंशी देवीलाल आदि हिंदी के, मौलवी मुहम्मद हुसैन आजाद और सर सैयद अहमदखां आदि उर्दू के, हरबर्ट स्पैंसर व मैक्समूलर आदि अंग्रेजी के तथा बादशाह अकबर, टोडरमल व शाइस्ता खां वगैरह भारतीय इतिहास के चरित्रों पर परिचयात्मक, जीवनीपरक आलोचनात्मक लेख लिखकर एक नई परंपरा कायम की। इससे जाहिर है कि गुप्त जी अंधविश्वास व रूढ़िवाद के उच्छेदन के लिए संलग्न रहे और उन्होंने राष्ट्रीय पुर्नजागरण को एक नई दिशा दी। वे अंग्रेजी राज्य और उसकी नौकरशाही पर चोट करते थे। "बनाम लार्ड कर्जन", "श्रीमान का स्वागत", "वायसराय का कर्तव्य", "आशा का अन्त", "एक दुराशा", "बंग विच्छेद" आदि व्यंग्यपूर्ण लेख लिखे और "छोड़ चले शाइस्ताखानी", "पालीटिकल होली", "कर्जन फुलर", "प्रिंस आफ वेल्स" आदि कविताएं रचीं। इन कृतियों में आलोचना का स्वर बड़ा तीखा बन पड़ा है।

कलकत्ता में 2 सितम्बर 1907 तक गुप्त जी ने "भारत मित्र" का संपादन किया। स्वास्थ्य में लगातार गिरावट को ध्यान में रखकर और अपने अंतिम समय को निकट आता देखकर इन्होंने गुड़ियानी जाने का निर्णय लिया। दिल्ली पहुंचने पर गुप्त जी के ससुराल वालों ने उनको गुड़ियानी न जाने देकर दिल्ली में ही चिकित्सा कराने के लिए रोक लिया। उनको लाला लक्ष्मीनारायण की धर्मशाला में रखा गया था, जो उन दिनों नई बनी थी। सम्यक चिकित्सा की व्यवस्था कराई गई, किंतु सब निष्फल हुआ। उनका अंतिम समय निकट आ गया था। अत: 18 सितम्बर, 1907 को संध्या के पांच बजे उन्होंने शरीर त्याग दिया।

आज के परिप्रेक्ष्य में जब संपादक प्रबंधकों के समक्ष विवश होकर रह गए हैं गुप्त जी की पत्रकारिता के मूल्यवान मानदंड सराहनीय ही नहीं, वरन् प्रासंगिक भी हैं। नवोदित लेखकों, साहित्यकारों एवं पत्रकारों को उनसे प्रेरणा लेकर उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग की ओर अग्रसर होना चाहिए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ❐

विविध

जनगणना तथा निरक्षरता

—डा० ओमराज सिंह*

जनगणना 2001 के प्रारंभिक आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि देश में 65.38 प्रतिशत लोग साक्षरता के मुकाम पर पहुँच गए हैं और एक दशक के दौरान साक्षरता में 13.17 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गयी है। 2001 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि पुरूषों की साक्षर होने की दर 75.85 प्रतिशत है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 54.16 प्रतिशत है। बिहार में साक्षरता दर केवल 47.53 प्रतिशत ही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि न केवल देश की प्राय: आधी आबादी निरक्षर है, बल्कि देश में कई ऐसे राज्य भी हैं जहां पर आधे से अधिक लोग आज भी निरक्षर हैं। जनगणना 2001 के अनुसार, साक्षरता के प्रतिशत में बढ़ोतरी होने के बाद भी, विकास के लाभ को अन्य तबकों तक समान रूप में पहुंचाने के लिए साक्षरता को और व्यापक एवं लक्ष्य केंद्रित बनाने की आवश्यकता है। क्षेत्रीय एवं लैंगिक असंतुलन निरक्षरता की समस्या को और अधिक मुश्किल एवं भयावह बना देता है। विश्वव्यापी अध्ययनों के जरिए साक्षरता को समग्र मानव विकास के एक अनिवार्य पहलू एवं तत्व के रूप में रेखांकित एवं आवश्यक माना गया है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, नब्बे के दशक में अधिकतर जोर प्राथमिक शिक्षा पर ही रहा तथा 95 फीसदी आबादी को अपने आवास से एक किलोमीटर के अंदर प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराई गई। बच्चों के दाखिले के प्रतिशत में काफी हद तक सुधार हुआ परंतु बच्चों के दाखिले के अनुपात में क्षेत्रीय, सामुदायिक एवं लैंगिक विषमताएं बरकरार रहीं। 1997 में प्राथमिक स्कूलों में 81 प्रतिशत लड़कियों का दाखिला हुआ जबकि लड़कों का प्रतिशत 98.5 प्रतिशत था। उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का प्रतिशत घटकर 49.5 प्रंतिशत ही रह गया इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक-आर्थिक रचना और साक्षरता के बीच बहुत ही गहरा रिश्ता है। इसका स्पष्ट एवं जीता-जागता दृष्य आदिवासियों के अलावा दलितों, लड़कियों, विकलांगों एवं कामकाजी बच्चों के सन्दर्भ में देखा एवं परखा जा सकता है। ये तबके शिक्षा से अपेक्षाकृत दूर ही रह जाते हैं तथा लड़कियों के मामले में यह स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है।

1947 में भारत की साक्षरता दर 18.33 प्रतिशत थी जोकि 1991 में बढ़कर 52.21 प्रतिशत हो गई थी। इससे स्पष्ट होता है कि पिछली जनगणना तक भारत की लगभग आधी आबादी निरक्षर थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों के चलते हुए इधर के वर्षों में साक्षरता दर में अच्छी खासी अर्थात अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है और 2001 की जनगणना के अनुसार यह दर 65.38 प्रतिशत हो गई है। आज भी भारत देश में लगभग 27 करोड़ प्रौढ़ लोग निरक्षर बने हुए हैं और लगभग 3 करोड़, 20 लाख बच्चे आज भी स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। विश्व में कम से कम 10-12 वर्ष की उच्च विद्यालय स्तर तक शिक्षा की जोरदार शब्दों में चर्चा की जा रही है, जबकि भारत पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा से ही जूझ रहा है। हमारे देश भारत में आज भी विश्व की एक-तिहाई निरक्षर आबादी विराजमान है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में विश्व की बराबरी करने के लिए हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। भारत में विकास के विभिन्न स्तरों और साक्षरता के बीच संबंध के बारे में एक अध्ययन में कहा गया है कि निश्चय ही साक्षरता का महत्व सिर्फ सहभागी आर्थिक विकास में इसकी भूमिका तक सीमित नहीं है। बुनियादी शिक्षा की सामाजिक एवं वैयक्तिक स्तर पर कई अन्य भूमिकाएं भी हैं। यह पढ़ने लिखने के अतिरिक्त जन्म एवं मृत्यु दर घटाने, सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधि में भागीदारी के प्रति सचेत बनाने आदि में मददगार साबित होती है। बुनियादी शिक्षा जागृति पैदा करने की एक सांस्कृतिक पद्धति है। इससे चीजों को सजगता से देखने-फरखने और नवीन समाज के निर्माण के मार्ग में आने वाली बाधाओं से मुकाबले की चेतना विकसित होती है। भारतवर्ष के निचले तबकों में व्याप्त घोर निरक्षरता, वर्ग, लिंग, जाति आदि से संबंधित विभिन्न प्रकार की विषमताओं को मौजूद रखने में सहायता पहुँचाती है। अत: यह समझना जरूरी है कि बुनियादी शिक्षा का प्रसार इन विषमताओं के तीव्र गति से उन्मूलन एवं सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन के लिए अत्यंत जरूरी है ताकि सशक्तिकरण एवं समता के औजार के रूप में अपना योगदान शिक्षा दे सके।

*निपसिड, हौज खास, नई दिल्ली-110016

इस प्रकार साक्षरता के इस व्यापक महत्व को देखते हुए देश में इसके प्रति आमतौर पर पिछले दशक में जागरूकता अवश्य ही पनपी है। आमतौर पर यह महसूस भी किया जा रहा है कि हमारे देश में आजादी के 56 वर्षों के बाद भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा निरक्षरता के साये के रूप में आज भी विद्यमान है। आज भी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों का शत-प्रतिशत दाखिला नहीं हो पा रहा है, बल्कि दाखिला होने के पश्चात् भी बच्चे स्कूल की पढ़ाई छोड़ कर भाग रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्र भी 0-6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयत्न कर रहे हैं परंतु बच्चे इन केन्द्रों पर भी आना पसंद नहीं कर रहे हैं। यह दोष सरकार का कहें या समाज या उनके माता-पिता बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं तथा अपनी रोंजी-रोटी के लिए व्यापक प्रयास कर रहे हैं। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद यह प्रयास किया गया कि 15-35 साल के सभी प्रौढ़ों को साक्षर बनाना है। इसके कुछ सकारात्मक परिणाम निकल भी रहे हैं जोकि मौजूदा जनगणना 2001 के आंकड़ों से प्रतिबिंबित हुए हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं परंतु फिर भी इसमें गति और व्यापकता लाना जरूरी है। अपनी कार्य क्षेत्र की सीमाओं के बाद भी साक्षरता अभियानों के जरिए समाज में सामुदायिक एवं सामाजिक जागृति पैदा हुई है, जिसके चलते माता-पिता बच्चों को स्कूल भेजने में सक्षम हुए हैं तथा बच्चों को स्कूल भेजने में भी उनकी उत्सुकता एवं रूचि बढ़ी है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि हमारे समाज में साक्षरता मानवीय आवश्यकता है। हमारे अनेकों अभियानों-कार्यक्रमों के चलते हुए आज भी देश में लगभग 35 करोड़ लोग अशिक्षित ही हैं। साक्षरता अभियान के जरिए नवसाक्षर बने लगभग 10 करोड़ लोग व्यवहारत दस्तखत वगैरा तक ही सीमित हैं। 2001 की जनगणना में साक्षरता दर की जिस तेज वृद्धि की चर्चा है, उसमें ऐसे नवसाक्षरों की संख्या का बड़ा योगदान है। हमारे पिछले अनुभव बताते हैं कि कई बार ऐसे नवसाक्षर, कार्यात्मक उपयोगिता के समाज में पुनः निरक्षरता की दुनिया में लौट जाते हैं। हम देख रहे हैं कि साक्षरता अभियान की प्राप्ति तथा उन्नति मंद पड़ती जा रही है। इस प्रकार की परिस्थितियों के रहते हुए निरक्षरता की भीषण चुनौती भारत के लिए 21 वीं सदी में भी अपनी पूरी व्यापकता के साथ बरकरार रहने वाली है।

सूचना प्रौद्योगिकी की रट लगाते हमारे कर्णधार निरक्षरता के उन्मूलन के प्रति उतने गंभीर नजर नहीं आते जितने कि गंभीर होनो चाहिए थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में शिक्षा के मद में सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 6 प्रतिशत आबंटन की आवश्यकता ही रेखांकित की गई थी, पर आज तक यह नहीं हो पाया है। इसी प्रकार से प्रारंभिक शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए जोर दार शोर के बीच, नब्बे के दशक के दौरान प्रारंभिक शिक्षा पर चालू सार्वजनिक खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 1.69 फीसदी से घटकर 1.47 फीसदी रह गया। शिक्षा तथा साक्षरता के प्रति ऐसे कामचलाऊ एवं रस्मी रवैए के बीच देश के करोड़ों लोगों को निरक्षरता के अंधेरे में रखकर हम सूचना प्रौद्योगिकी की चमक-दमक में देश को 21वीं सदी के ढांचे के अनुरूप ढालने का प्रयास कर रहे हैं तथा अपने निरक्षर भाइयों को अंधेरे में ही छोड़कर हम रोशनी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। क्या यह प्रशासन शिक्षा के विद्वानों के लिए उचित है? यदि हम ज्ञान विज्ञान, तकनीक, आर्थिक विकास, सामाजिक उत्थान तथा बौद्धिक संपदा जैसे तमाम क्षेत्रों में विश्व के साथ कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, तो हमें इन करोड़ों लोगों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करके साथ-साथ एवं कदम से कदम मिलाकर मिलजुलकर साथ लेना ही होगा। साक्षरता एवं विकास के ऐतिहासिक रूप से सिद्ध रिश्ते का 'अपवाद' बनने की कोशिश हमारे समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसलिए सरकार के लिए अत्यंत आवश्यक है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार अपने दायित्वों से पीछे न हटकर उन्हें पूरा करने की दिशा में सक्रिय हो, तभी समाज का हित संभव है। शिक्षा के जरिये आम लोग उदारीकरण की मार सहने लायक तो कम से कम हो सकेंगे। अमर्त्यसेन के विचार इस सन्दर्भ में गौरतलब हैं कि भारत के विश्व बाजार से जुड़ने का उद्देश्य यहां बुनियादी शिक्षा के असामान्य निचले स्तर के कारण काफी बाधित हो रहा है। इसके कारण नए आर्थिक अवसरों का उपयोग सीमित क्षेत्र में हो रहा है और रोजगार का विस्तार नहीं हो पा रहा है।

बुनियादी शिक्षा के सवाल को वास्तव में विकास से अभिन्न मानते हुए हम अपनी सारी शक्ति एवं प्रयास तथा संसाधनों के साथ सबके लिए शिक्षा के व्यापक अभियान में उतर पड़े। बाजार के वाहन पर भागती दुनिया में देश की बड़ी आबादी को पीछे छोड़ने के बजाय साथ-साथ लेकर शिक्षा के एकीकृत कार्यक्रम का निर्माण एवं कार्यान्वयन हमारा प्रमुख राष्ट्रीय दायित्व होना चाहिए। हमारे देश के तमाम कल्याणकारी कर्त्तव्यों से निगाह फेरता अगर शिक्षा का क्षेत्रा भी यही मार्ग अपनाता है तो उदारीकरण भूमंडलीकरण के जरिए जीवन में आ रहे संकटों की विकरालता अकल्पनीय ही रह जायेगी।

आज भी प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर तक आते-जाते लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर एक चिंता का विषय बनी हुई है, जोकि भविष्य में एक परमाणु विस्फोट का कार्य कर सकती है। पिछले वर्षों में यह दर कुछ कम अवश्य ही हुई है। हमारे समाज में लड़कियों की उम्र बढ़ने के साथ ही उन पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दायित्वों का बोझ एवं बंधन कसना शुरु हो जाता है। इस स्थिति से निजात पाने के लिए शिक्षा पद्‌ति ही लड़कियों को स्कूलों में रोक सकती है। इसी प्रकार बड़ी संख्या में मौजूदा कामकाजी बच्चों का मामला है। इनके लिए गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की संख्या अपर्याप्त है। वस्तुतः निरक्षरों की बाढ़ को रोकने के लिए ज्यादा जरूरी बच्चों के स्कूलों में दाखिले और उन्हें स्कूल अधबीच में छोड़ने से रोकने का प्रयास एवं प्रबंध करना है। वस्तुतः हमें बुनियादी शिक्षा को ही मजबूत एवं सुदृढ़ बनाना है। नहीं तो वह दिन दूर नहीं है जबकि हैदराबाद जैसे बड़े शहर में हो रही बच्चों की खरीद-फरोख्त सारे देश के बड़े शहरों में न फैल जाए। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जोकि समाज की कुरीतियों से देश के नागरिकों को निजात दिला सकता है। इसलिए हमें सभी को साक्षर बनाने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। ❐

लेखक कृपया ध्यान दें

'राजभाषा भारती' में प्रकाशनार्थ ज्ञान-विज्ञान की सभी विधाओं पर स्तरीय लेख आमंत्रित किए जाते हैं। लेख पर उचित मानदेय देने की भी व्यवस्था है। लेख ए-4 आकार के कागज़ पर टाइप किया हुआ होना चाहिए जो सामान्यतः तीन हज़ार शब्दों से अधिक का न हो। कृपया नोट करें कि हस्तलिखित लेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लेख के साथ इस आशय का घोषणा पत्र भी होना चाहिए कि यह लेख/रचना लेखक की मौलिक कृति है और यह इससे पहले प्रकाशित नहीं हुई है।

यदि किसी कारणवश किसी लेख को पत्रिका में शामिल करना संभव न हुआ तो उसे लौटाया नहीं जाएगा। कृपया इस संबंध में पत्राचार न करें। कृपया लेख निम्नलिखित पते पर भेजें :

संपादक/उप संपादक
राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय),
कमरा सं. ए-1, द्‌वितीय तल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

पुस्तक समीक्षा

निर्वासन (खंडकाव्य)

पुस्तक : निर्वासन (खंडकाव्य), कवि : डॉ. सुधेश, प्रकाशक: साहित्य संगम, ए 34 न्यू इंडिया अपार्टमैन्ट्स, रोहिणी, सैक्टर-9, दिल्ली-110085, प्रथम संस्करण : सन् 2005 ई., पृष्ठ 75, मूल्य 80 रुपये।

'निर्वासन' को पढ़कर जो बात मेरे मस्तिष्क में पहले आयी, वह है कि इतिहास अपने को स्वयं दुहराता है। महाभारत की कथा में निर्वासन मात्र एक घटना है, पर एक महत्वपूर्ण घटना। इसकी पूर्वकथा और परकथा इससे ऐसी जुड़ी हुई है कि यदि इसे निकाल दें तो महाभारत का समस्त रचनातंत्र अस्त-व्यस्त हो जाएगा। द्यूत-क्रीड़ा और निर्वासन महाभारत काव्य में वह सब कह देते हैं, जो मानव चरित्र को अपने यथार्थ रूप में पाठक के समक्ष प्रस्तुत करता है। एक संत के अनुसार मानव के तीन रूप हैं—एक वह जैसा दूसरे लोग देखते और समझते हैं। दूसरा वह जिसे वह समाज के सम्मुख उपस्थित करना चाहता है। इसे हम 'प्रोजेक्शन ऑफ पर्सनेलिटी' कहते हैं, और तीसरा वह जो वह सचमुच है, जिसमें उसके व्यक्तित्व के दोनों पक्ष (अच्छे और बुरे) विद्यमान रहते हैं। 'निर्वासन' खंडकाव्य में कवि ने इस तीसरे पक्ष के आवरण को उधेड़कर रख दिया है। इसी प्रसंग में मुझे ग़जल का यह शेर याद आ रहा है—

'आईने के सामने जाने में डरते हैं 'नियाज़'
गर खड़े हो जायेंगे सब राज़ ही खुल जायगा'

धृतराष्ट्र, दुर्योधन, शकुनि, दु:शासन, कर्णादि तो जैसे थे वैसे थे। उनसे किसी अन्य प्रकार के व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती। पर भीष्म, द्रोण, विदुर और युधिष्ठिर—ऐसे पात्रों की दुर्बलता को, उनकी निष्क्रियता को, मैं तो कहूंगा उनकी नपुंसकता को न्यायसंगत बताने के लिये जो कारण प्रस्तुत किये गये हैं वे सभी खोखले हैं, और निश्चय ही तत्कालीन राजनीति में सबसे बड़े पाखंड कहे जा सकते हैं। इसका अत्यंत सजीव वर्णन डॉ. विष्णु 'विराट' ने अपने लघु काव्य 'निर्वसना' में किया है। स्थिति चाहे महाभारतकाल की हो, चाहे आज की नारी की, स्थिति यथावत् है। यदि एक दु:शासन ने राजदरबार में नारी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया और वहां के राजदरबारी यह सब असहाय देखते रहे, तो आज तो न जाने कितने दु:शासन भरे समाज में बलात्कार, भ्रूण हत्याएं और द्रौपदियों का यौन-शोषण करते हैं। आज भी उन्हें जीवित जला दिया जाता है। पर हमारे राजनेताओं, शासकों, बुद्धिजीवियों और समाज सुधारकों की निष्क्रियता और कायरता भीष्म के समान आज भी यथावत् है। इस दृष्टि से 'निर्वासन' खंड काव्य अत्यंत प्रासंगिक है। कुछ उदाहरण देखिए—

(1) भीष्म बंधे कुरु वंश से, विदुर बंधे दरबार।
अपने-अपने बंधनों में थे वे लाचार।

(2) अर्जुन प्रिय था द्रोण को, उनको प्रिय था सत्य।
उनकी मुश्किल थी यही, वे दरबारी भृत्य।

समकालीन संदर्भ

(1) चाटुकारिता कला की, लग जाएगी होड़।
लंगड़ा होगा पुरस्कृत, मिल्खा दौड़े दौड़।

(2) राजनीति था गुंडों का व्यवसाय
नैतिकता क्या दुर्बलता की पुकार?
अनैतिक ही क्या कूटनीति?
कूटनीति ही क्या राजनीति?

किसी भी युग में—

द्वापर में, त्रेता में, कलियुग में।

(3) चुनौती किसी की/पासा फैंके दूसरा/जैसे छिड़ा कश्मीर में अपरोध युद्ध/दो दशकों से/आरम्भ से ही छल/फिर अंत में निकला पाप ही/

द्वितीय खंड के 24वें पृष्ठ पर कवि ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, जो आज शत—प्रतिशत लागू होती है—

'मौन द्रौपदी क्यों रही, किया न क्यों प्रतिवाद?
मान लिया क्या स्वयं को, धर्माश्रित जादाद?'

विरोध नारी जाति से होना चाहिए, डटकर होना चाहिए, अन्यथा द्रौपदी पुन: निर्वसना होती रहेगी। अत: कवि के अनुसार उसे दुर्गा बनना पड़ेगा—

क्रोधित सिंहनी ने छाती पर किया आघात/कीचक कटे तरु-सा धराशायी/वह था नारी का भीषण रूप/मृगी

थी सिंहनी साक्षात् दुर्गा/जिसके चरण में दैत्य/अनुनयलीन/शक्ति की अवतार नारी को/कहे फिर कौन अबला ?

पर क्या आप सिनेमा और दूरदर्शन पर स्वयं निर्वस्त्र होकर पुरूषों को आकर्षित करने वाली नारियों से यह अपेक्षा कर सकते हैं ?

काव्य सौंदर्य, शिल्प एवं शैली की दृष्टि से 'निर्वासन' की अपनी विशेषता है। दो बातें स्पष्ट हैं। कवि का बिंब-विधान दो प्रकार का है—चित्रात्मक (Pictorial) और प्रतीकात्मक (symbolic)

कुछ उदाहरण लीजिए—

(1) आदिम दु:खों के घन-गर्जन से/न निकलते हों सुख-वर्षा के जलकण/पर उनमें चमचम चमकते लोहे से संकल्प/जिनसे बर्बरता ढली संस्कृति में/चिंतन बने दर्शन/सुख की खोज बनी परदुख की तलाश/ताकि दु:ख का हो विनाश।

घन गर्जन से लेकर वर्षा होने तक की सारी प्रक्रिया उसमें निहित है, साथ ही संस्कृति के उद्‌भव और विकास का भी वर्णन है।

(1) 'अधनंगी पांचाली अधनंगी ही रही/लज्जा के नील सिंधु में डूबी/अश्रुओं के जल प्लावन में/धैर्य तरी चंचल टलमल/चीर के पर्वत से घिर गया दुष्ट/खींचने को बाकी था चीर/चीर के बाद चीर/चीर के ···बा ···द ···ची ···र'।

प्रतीकात्मक बिम्ब

(1) अर्जुन था मैदान में जैसे हुआ विहान
शत्रु-मेघ छंटने लगे, टूटा तिमिर वितान।

(2) राजकुमारों में लगी ऐसी मारक होड़
दीवानों के बीच में, ज्यों मैराथन दौड़।

शिल्प—'निर्वासन' खंड-काव्य पारंपरिक खंड-काव्य से हटकर है। इसमें पांडवों के वनवास और अज्ञातवास की कथा को आधार बनाया गया है। इसमें कोई धीरोदात्त या धीरललित नायक नहीं है, किसी सीमा तक युधिष्ठिर को इसका मुख्य पात्र कहे सकते हैं, पर मेरी दृष्टि में तो समय ही इसका संचालक है। वह हर क्षण हर स्थल पर उपस्थित है। कवि ने प्रसंगानुसार इसमें कुछ उपकथाएं भी जोड़ी हैं जो खंड-काव्य को एक रचनात्मक आकार देती हैं।

महाभारत की संपूर्ण कथा को संजय के माध्यम से वर्णित किया गया है। धृतराष्ट्र अंधा है। अत: वह देख नहीं पाता। किंतु उसके अंतर में कहीं न कहीं पाण्डवों के साथ होने वाले अन्याय के कारण अपराध बोध की भावना निहित है। अत: संजय, जिसे दिव्य-दृष्टि प्राप्त है, भावी घटनाओं का सजीव वर्णन करता है।

सुधेश जी ने यह काम 'समय' से कराया है। इस पूरी कथा का सूत्रधार समय है। समय शाश्वत है और उसकी दृष्टि से कुछ बच नहीं सकता। अत: कथानक के आरंभ और मध्य में आवश्यकतानुसार गत और आगत तथा अनागत घटनाओं की सूचना समय देता है। यथा—

(1) समय का कैसा अन्याय/वह कहे सिंह से/गर्जन मत करना/कहे सिंधु से ज्वार भाटा मत लाना।

(2) समय उद्‌घोषक का स्वर गूंजा—
गये द्रूपद-दरबार में छद्‌म बनाकर वेष।

इस प्रकार कथानक को गति देने के लिए कवि ने 'समय' का उपयोग किया है।

शैली—शैली अन्य खंड-काव्यों के समान वर्णनात्मक है। सामान्यतया उन्होंने अतुकांत शैली का उपयोग किया है, पर एक कुशल शिल्पी के रूप में वैविध्य उत्पन्न करने और पाठकों का ध्यान कथा प्रसंग की ओर खींचने के लिये उन्होंने एक ओर अंशों में लय परिवर्तन किया है और दूसरी ओर तुकांत छंदों, विशेषत: दोहों का उपयोग किया है। एक उदाहरण प्रस्तुत है—

वन गंधर्वों ने देखा / दुर्योधन सेना को (एक लय)

चित्रसेन के कान खड़े/ शंकित मानों अनहोनी से (दूसरी लय)

चित्रसेन युधिष्ठर भक्त / तन गया मार्ग में (तीसरी लय)

फिर भी शब्द योजना कहीं-कहीं शिथिल है और पढ़ने में लयभंग का आभास होता है, यथा—

मात्रा प्रबंधन

प्र. पंक्ति 3 4 मल्ल दोनों भिड़ गये ज्यों युगल भैंसे

दू. पंक्ति 4 3 टकरा गये गगन में दो बज्र जैसे।

इसमें यदि 'गए टकरा' हो, तो लय-संतुलन बना रहता, ऐसा मैं समझता हूँ।

पर इस कृति को हम उसकी समग्रता में देखें, तो ऐसी त्रुटियाँ नगण्य हैं। यह कृति प्रबंध काव्य की परंपरा को बनाए रखने में एक मील का पत्थर सिद्‌ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

डॉ. भागवत प्रसाद मिश्र 'नियाज'
एफ एफ 4/बी ब्लाक, सनपावर फ्लैट्स
गुरुकुल रोड, अहमदाबाद 380052 (गुजरात)

प्रगतिशील नारी (समाज विज्ञान)

पुस्तक : प्रगतिशील नारी, लेखक : शान्ति कुमार स्याल, प्रकाशक : आत्माराम एंड संस, कश्मीरी गेट, दिल्ली-6, मूल्य : 325/- वर्ष : 2005

बीसवीं सदी के अंतिम दशक तक नारी घर की चार दीवारी के भीतर सहमी, सकुचायी, ठिठकी-ठिठकी, अपने सपनों को आंखों की पलकों पर चिपकाए नजर आती थी। परंतु आज सभी क्षेत्रों में उनके कार्य-कौशल ने सिद्ध कर दिया है कि अपनी सृजनोन्मुखी क्षमताओं में वे किसी भी तरह से पुरूषों से कम नहीं है। आज वही घर की दहलीज को पार कर अपनी जमीन तलाशती, राजनीति हो या साहित्य, फिल्म हो या पत्रकारिता, व्यापार हो या समाज-सेवा, खेल हो या विज्ञान, डाक्टर हो या अभियंता, नेता हो या अभिनेता या फिर प्रकाशक, सभी क्षेत्रों में प्रमुखता से दिखाई दे रही है। जहां एक ओर वह देश के अंदर विभिन्न चुनौतियों का मुकाबला करती हुए समाज की सेवा कर रही है, वहीं घर से निकलकर पूरे विश्व परिदृश्य में प्रगति पथ पर प्रगतिशील है।

प्रस्तुत पुस्तक में श्री शांति कुमार स्याल ने वैदिक संहिताकाल को सर्वोत्कृष्ट प्राचीनतम सभ्यता माना है। वैदिक संहिता काल में नारी को पुरूष की अर्धांगिनी कहा गया है। शत-पथ ब्राह्मण में तो यहां तक कहा गया है कि "नारी नर की आत्मा का आधा भाग है।" वैदिक-काल में नारी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था, जिसके निर्वाह हेतु उसे प्रमुख पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता था, जो माता एवं सहचरी के रूप में संपन्न होते थे। इसके अतिरिक्त नारी को पूर्ण अधिकार था कि वह आत्म विकास के पथ पर अग्रसर होकर सांस्कृतिक विकास के माध्यम से समाज की सेवा में अपना सहयोग प्रदान करें। शास्त्रों ने तो नारी को देवी आदि उपमाएं देते हुए नारायणी रूप में अलंकृत भी किया। कालांतर में नारी शनैः शनैः अपने पद से अवन्नति की ओर जाने लगी। प्राचीन काल से मध्य काल तक आते-आते जब सामंतशाही अंधकार के साथ समर्थों द्वारा दुर्बलों के शोषण का जंगली कानून चला तो उसकी चपेट में नारी भी आ गई। नारी जाति को सामूहिक रूप से हेय, पतित, त्याज्य, पातकी ठहराया गया।

लेखक के अनुसार आधुनिक काल को यदि सुधारवादी काल कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। इस युग में ही शोषित मजदूरों के साथ-साथ पीड़ित नारी की मुक्ति का प्रयत्न सही अर्थों में शुरू हुआ तथा उसे कानून और संविधान ने जो अधिकार दिए हैं वह उनसे लाभ उठा रही है। आज नारी पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करते हुए हर क्षेत्र में प्रगति के लिए प्रयत्नशील है। वैश्वीकरण, कंप्यूटर, इंटरनेट और टी.वी. चैनलों की भीड़ ने महिलाओं के लिए भी नए द्वार खोल दिए हैं। वर्तमान समाज में नारी की अनेक छवियां साफ तौर पर दिखाई पड़ती हैं। इस पुस्तक में लेखक ने नारी के विभिन्न रूपों को, परंपरागत नारी से लेकर आधुनिक, राजनीति, जीवनदायिनी, आत्मनिर्भर, जागरूक, साहसी, शीर्ष पर, ममतामयी, मुस्कान, फैशन, सौंदर्य, विज्ञापनों तथा सिनेमा आदि में, अलग-अलग अध्याय में दर्शाया है। लेखक ने यह आशंका भी जाहिर की है कि इस नारी स्वातंत्र्य युग की नारी आधुनिक दौड़ में दौड़ती हुई कहीं अपनी संस्कृति की मान-मर्यादा को पीछे छोड़ती हुई अंधकारमय युग में न खो जाए। उसका मानना है कि समाज तभी तरक्की कर सकता है जब नारी जाग्रत होगी और वे अपनी हित-अहित की स्वयं जानकार होंगी। उन्हें अपने बल-बूते पर आगे बढ़ने का निर्णय खुद लेना होगा।

श्री शान्ति कुमार स्याल की इसी विषय से संबंधित पुस्तकें **नारी मुक्ति संग्राम, नारीत्व** तथा **नारी अधिकार** आदि पूर्व में प्रकाशित हो चुकी हैं जिन्हें पाठकों ने काफी पसंद किया है। यह पुस्तक उसी श्रृंखला में एक उपयोगी संयोजन मानी जा सकती है। साहित्य तथा समाज दोनों में आज नारी चर्चा का प्रमुख बिंदु बनी हुई है। इस दृष्टि से यह पुस्तक अत्यंत सामयिक बन पड़ी है।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि नारी पर लिखी गई प्रस्तुत पुस्तक साहित्य जगत में स्वागत योग्य है। यह एक ऐसा संदर्भ ग्रंथ बन गया है जो इस विषय के प्रत्येक पाठक, शोधार्थी और विद्यार्थी के लिए संग्रहणीय है।

—डॉ० राम गोपाल वर्मा
ए-87, सैक्टर-15,
नोएडा-201301

❐

राजभाषा संबंधी गतिविधियां

(क) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

खाद्य प्रसंस्करण उदयोग मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 24 मई, 2005 को पंचशील भवन में संयुक्त सचिव (प्रशा.) की अध्यक्षता में हुई।

अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी अधिकारियों का स्वागत करते हुए समिति को बताया कि मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 29 अप्रैल, 2005 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इसके बाद राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 25-1-2005 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों और उन पर की गई कार्रवाई पर मदवार चर्चा की गई।

संपदा निदेशालय

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 96वीं बैठक अपर संपदा निदेशक महोदय श्री एन.एन. माथुर की अध्यक्षता में 30 मार्च, 2005 को संपदा निदेशालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गयी।

पिछली बैठक (95वीं) के कार्यवृत्त की पुष्टि के पश्चात् 31-12-2004 को समाप्त तिमाही में हिंदी के प्रयोग की स्थिति की अनुभागवार समीक्षा की गई।

हिंदी पत्राचार में गिरावट पर अध्यक्ष महोदय ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक अनुभाग हिंदी पत्राचार को और बढ़ाने का प्रयत्न करें ताकि वार्षिक कार्यक्रम 2004-2005 के अनुसार हिंदी पत्राचार का लक्ष्य जो कि *क तथा ख* क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत तथा *ग* क्षेत्र के लिए 65 प्रतिशत है, पूरा किया जा सके। 21-10-2002 को संसदीय राजभाषा समिति द्वारा संपदा निदेशालय के निरीक्षण के दौरान निदेशालय द्वारा समिति को यह आश्वासन भी दिया गया था कि निदेशालय द्वारा हिंदी पत्राचार के 100 प्रतिशत के लक्ष्य को शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा इसलिए जिन अनुभागों का हिंदी पत्राचार 70 प्रतिशत से कम है वे विशेष रूप से सुधार करें।

फिल्म समारोह निदेशालय

फिल्म समारोह निदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक वरिष्ठ उप-निदेशक श्री शंकर मोहन की अध्यक्षता में दिनांक 29 मार्च, 2005 को उन्हीं के कक्ष में सम्पन्न हुई।

मदवार चर्चा करने पर पाया गया कि केवल निदेशालय से प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका पर कार्रवाई की जानी बाकी है। पत्रिका के प्रकाशन पर चर्चा करते हुए श्री मनोहर लाल जोशी जी मानक निदेशक ने सुझाव दिया कि प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के अवसर पर पत्रिका का प्रकाशन कराया जाए तो यह निदेशालय तथा हिंदी के प्रचार के प्रति एक अच्छा कदम होगा।

सभी सदस्यों से हिंदी पत्राचार की प्रतिशतता को बढ़ाने हेतु आग्रह किया, इस पर सभी सदस्यों ने भविष्य में हिंदी पत्राचार और बढ़ाने का हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया।

हिंदी पत्राचार राजभाषा लक्ष्यानुसार करने हेतु अध्यक्ष महोदय ने कहा कि निदेशालय में सीरीफोर्ट बुकिंग का कार्य भी किया जाता है। बुकिंग से संबंधित सभी पत्रों को हिंदी में ही जारी किया जाए क्योंकि ज्यादातर पत्र निर्धारित हैं और इन्हें एक बार हिंदी में तैयार करवा लिया जाए।

सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय

सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 77वीं बैठक श्री पी.के. मिश्र उप महानिदेशक (प्रशासन) महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 4 मार्च, 2005 को बल मुख्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित हुई।

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि जिन कार्यालयों में पिछली तिमाही की अपेक्षा इस तिमाही में हिंदी पत्राचार का प्रतिशत बढ़ा है, वह उन कार्मिकों का नाम

प्रेषित करें, जिन्होंने हिंदी में सराहनीय कार्य किया है, ताकि इन कार्मिकों को पुरस्कृत करके इनके मनोबल को बढ़ाया जाए। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी होने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप से जारी करें। यदि किसी कागजात को हिंदी में जारी करना कठिन हो तो उसे अनुवाद के लिए राजभाषा अनुभाग को भेजें।

अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद दिया तथा बैठक को विसर्जित करते हुए कहा कि राजभाषा हिंदी के प्रयोग के प्रसार के लिए अधिकारियों को स्वयं हिंदी में कार्य करके अधीनस्थ कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

दक्षिण पूर्व रेलवे
कार्यालय महाप्रबंधक (राजभाषा) गार्डनरीच, कोलकाता-43

क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 74वीं बैठक दिनांक 21-03-2005 को सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व रेलवे एवं पदेन अध्यक्ष, श्री रतन राज भंडारी ने की। उन्होंने कहा कि हमारी सोचने की भाषा और बोलचाल की भाषा हिंदी है तो लिखने में भी हिंदी भाषा के प्रयोग से परहेज क्यों किया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों से आग्रह किया कि वे 'स्वेच्छा' से हिंदी का फाइलों पर प्रयोग करें। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई विभागाध्यक्ष मेरे पास टिप्पणी हिंदी में लिखकर भेजते हैं तो मैं स्वयं भी हिंदी में ही टिप्पणी लिखता हूँ। उन्होंने अहिंदी भाषी कर्मचारियों के हिंदी लगाव की सराहना करते हुए कहा कि हिंदी एक सशक्त भाषा है, अत: आप हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। उन्होंने आद्रा मंडल के ADRM एवं AMRA को जयचंडी पत्रिका के प्रकाशन पर बधाई दी।

पश्चिम रेलवे
मंडल कार्यालय, वडोदरा

मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति वडोदरा की 31 मार्च, 2005 को पूर्ण तिमाही की बैठक दिनांक 28-4-2005 को मंडल कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मं.रे.प्र. श्री के.एल. पाण्डेय द्वारा की गई। बैठक को सम्बोधित करते हुए श्री पांडेय ने कहा कि वे मूल पत्राचार के साथ-साथ आंतरिक नोट, स्वयं से संबंधित आवेदन, दौरा कार्यक्रम, यात्रा-भत्ता-बिल तथा इसी प्रकार के अन्य सरकारी व निजी कार्यों में पूर्णत: हिंदी का ही प्रयोग करें। उन्होंने हिंदी में हस्ताक्षर करने की बात पर जोर देते हुए कहा कि फाइलों पर टिप्पणियाँ/आदेश आदि हिंदी में ही दिए जाएं और हिंदी में लिखी गई नोटिंग आदि पर आदेश/टिप्पणियां अंग्रेजी में कदापि न लिखी जाए। अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित-प्रोत्साहित किया जाए। अगली तिमाही तक स्थिति में स्पष्ट सुधार की आशा व्यक्त करते हुए उन्होंने अपनी बात पूरी की।

पूर्व मध्य रेलवे
कार्यालय, महाप्रबंधक (राजभाषा), हाजीपुर

क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 9वीं बैठक दिनांक 17-3-2005 को महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर जयप्रकाश बत्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

महाप्रबंधक श्री जय प्रकाश बत्रा जी ने समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए संविधान के अनुच्छेद 343 तथा 351 की तरफ ध्यान खींचा। राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम, नियमों तथा राजभाषा संबंधी नियमों और आदेशों आदि के अनुपालन की जिम्मेवारी कार्यालय अध्यक्षों के ऊपर है।

रेल में राजभाषा की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने सभी को राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने पर बल दिया। उन्होंने सभी सदस्यों से स्वयं हिंदी में कार्य करके अन्यों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने को कहा।

उन्होंने बताया कि समय-समय पर संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य रेल कार्यालयों का दौरा करते हैं। इसके अलावा रेल मंत्री जी भी हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों में रेलों में हिंदी में किए गए कामकाज की समीक्षा करते हैं।

पूर्व रेलवे
कार्यालय, महाप्रबंधक (राजभाषा), 17, नेताजी सुभाष मार्ग, कोलकाता-700 001

रेलवे की क्षेत्रीय रेल राजभाषा कार्यान्वयन समिति (क्षेरेराकास) की उपर्युक्त बैठक 16-3-2005 को महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे श्री श्याम कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

महाप्रबंधक श्री कुमार ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि— क्षेरेराकास की बैठकें नियमित हैं, यह अच्छी बात है किन्तु ऐसा लगता है कि इन निर्णयों को लागू करने में विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर गंभीरता नहीं बरती जा रही है यह उचित नही है, समिति-सदस्य कृपया इन बैठकों के निर्णय अपने-अपने कार्यक्षेत्र में लागू कर हिंदी के प्रयोग को वास्तविक अर्थों में बढ़ाएं।

हिंदी प्रयोग-प्रसार विषयक जो सूचनाएं/रिपोर्टें विभिन्न विभाग, कार्यालय आदि प्रेषित कर रहे हैं, वे सूचनाएं/रिपोर्टें तथ्याधारित एवं सही होनी चाहिए।

हिंदी हमारी व्यावहारिक जरूरत है, हमारी भाषा वस्तुत: सरल एवं सहज होनी चाहिए। जिसे सभी आसानी से समझ लें. सरकार की नीति भी यही कहती है. हमें इस बारे में सचेत रहना चाहिए।

पूर्वोत्तर रेलवे
कार्यालय, महाप्रबंधक/राजभाषा, गोरखपुर

पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (मुराकास) की तिमाही बैठक दि. 27-4-05 को मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य परिचालन प्रबंधक श्री कुलदीप चतुर्वेदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। श्री कुलदीप चतुर्वेदी ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि अधिकारियों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन प्रोत्साहन योजनाओं के लिए कम अधिकारी भाग लेते हैं जिसके कारण चयन की गुंजाइश नहीं रह जाती। उन्होंने इसके लिए एक से अधिक नाम भेजे जाने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने राजभाषा संबंधी अन्य प्रतियोगिताओं में उदासीनता बरते जाने पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि सभी प्रतियोगिताओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना बहुत जरूरी है ताकि अधिक से अधिक कर्मचारी सभी प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें।

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय, विशाखापट्टनम-II

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2005-06 की प्रथम बैठक दिनांक 6-4-2005 को आयुक्त महोदय श्री वी रामू की अध्यक्षता में कार्यालय के सभा कक्ष में संपन्न हुई।

अध्यक्ष महोदय ने वर्ष की पहली बैठक का शुभारंभ करते हुए सभी अधिकारियों से कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन महत्वपूर्ण विषय है अत: अत: सभी अधिकारी इसे गंभीरता से लेवें। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कार्यालय के अधिकारियों को हिन्दी शब्दावली सिखाने के लिए रोज एक हिन्दी शब्द लिखने के लिए बोर्ड लगाया जाए। अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की जानकारी देते हुए कहा कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी अधिकारियों को प्रयास करना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने सदस्यों से निदेश दिया कि सभी फाइलों में कम से कम एक शब्द हिंदी में लिखें तथा फाइलों पर हिंदी में ही हस्ताक्षर करें।

आकाशवाणी हैदराबाद

आकाशवाणी हैदराबाद की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वित्तीय वर्ष 2004-2005 की चतुर्थ तिमाही बैठक दिनांक 28-3-2005 को अपराह्न वी. एस. गोपालकृष्ण, केंद्र निदेशक की अध्यक्षता में कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई।

पिछली बैठक में हुए निर्णय के अनुसार एक कर्मचारी ने हिंदी शिक्षा योजना द्वारा ए. जी. ए. पी. प्रशिक्षण केंद्र पर दि० 9-2-2005 से 1-3-2005 तक आयोजन 15 दिवसीय प्राज्ञ ग्रहण पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण पाया।

केन्द्र पर हिंदी टंकण प्रशिक्षण के लिए बचे 16 निम्न श्रेणी लिपिकों में से तीन कर्मचारियों (प्रशासन, लेखा और कार्यक्रम अनुभागों में से एक-एक कर्मचारी) को अप्रैल-अगस्त, 2005 प्रशिक्षण सत्र के लिए नामित किया गया है।

केंद्रीय राजस्व भवन, गडकरी चौक, नासिक-422002

राजभाषा कार्यान्वयन समिति (मुख्यालय) की आठवीं बैठक दिनांक 28-3-2005 को भा. आयुक्त महोदय, श्री अरुण टंडनजी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कारवाई के संबंध में जानकारी देते हुए आयुक्तजी को बताया गया की हिंदी पत्राचार के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक प्रयास जारी हैं। राजभाषा नियम की धारा 3(3) के संबंध में सभी मंडलों एवं अनुभागों को पुन: एक बार विस्तृत जानकारी परिचालित की गयी है। अगामी हिंदी कार्याशाला में उक्त धारा के साथ अन्य नियमों एवं मदों पर जानकारी तथा आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

विभागीय हिंदी प्रत्रिका ''तपोवन'' के द्वितीय अंक का प्रकाशन किया गया। तृतीय अंक के प्रकाशन हेतु अभी से आवश्यक प्रयास किए जाएंगे ताकि आगामी अंकों में और अधिक निखार लाया जा सके।

आकाशवाणी : राजकोट

आकाशवाणी, राजकोट की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अंतिम तिमाही बैठक का आयोजन दिनांक 30-3-2005 को केंद्र अभियंता श्री के.ए. रावल की अध्यक्षता में किया गया।

अध्यक्ष ने बैठक में पधारे समिति के सदस्यों को बताया कि हिंदी टकण प्रशिक्षण व हिंदी भाषा प्रशिक्षण का कार्य 2005 तक हर हालत में पूर्ण कर लिया जाए क्योंकि इसके बाद सरकार हिंदी के प्रशिक्षण बंद कर रही है। कार्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिकों से आग्रह किया गया है कि वे टिप्पणी के अंत में अपने हस्ताक्षर हिंदी में करें, भले ही टिप्पणी अंग्रेजी में हो। यदि सभी अधिकारी अपने-अपने हस्ताक्षर हिंदी में करेंगे तो अधीनस्थ कार्मिक उनसे प्रभावित होंगे। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण श्री एस.बी. कुलकर्णी स. के. अभियंता है जो अपने हस्ताक्षर हिंदी में करते हैं। उन्हीं के प्रयास से नियंत्रण कक्ष व ट्रान्समिटर का डयूटी चार्ट हिंदी में बनता है। अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों से कुलकर्णी साहब से प्रेरणा लेने व अपने हस्ताक्षर सदैव हिंदी में करने को कहा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
उप क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल, संजय कांप्लेक्स, जयेंद्र गंज, लश्कर, ग्वालियर
(म. प्र.) 474009

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, उपक्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 20-4-2005 को कार्यालय प्रभारी श्री अमित वशिष्ठ की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

समिति को बताया गया कि मार्च 2005 को समाप्त तिमाही के दौरान हिंदी में प्राप्त 1248 पत्रों के जवाब हिंदी में दि गए। कार्यालय से जारी हस्तलिखित चेक हिंदी में दिए गए तथा जितनी भी फाईलें खोली गईं सभी में टिप्पणियां हिंदी में ही लिखी गईं।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत जारी अधिकांश पत्र हिंदी में ही जारी किए गए। पिछली तिमाही (मार्च 2005) में 69 कार्यालय आदेश/परिपत्र जारी किए गए जिनमें से 68 हिंदी में तथा 1 द्विभाषी जारी किए गए।

राज़भाषा विभाग द्वारा प्रेषित वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास किया जा रहा है ।

समिति को बताया गया कि पिछली तिमाही में केंद्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर निर्धारित समयावधि के भीतर ही दिया जाए। वर्तमान में किसी भी पत्र का उत्तर देना शेष नहीं है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद

बीसीसीएल मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के जनवरी-मार्च, 2005 सत्र की त्रैमासिक बैठक निदेशक (कार्मिक) श्री डी.सी. गर्ग की अध्यक्षता में दिनांक 29-3-2005 को कोयला भवन में संपन्न हुई।

बैठक की कार्यसूची पर चर्चा के दौरान समिति के अध्यक्ष निदेशक (कार्मिक) श्री डी.सी. गर्ग ने दु:ख प्रकट करते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण बैठक में विभागाध्यक्षों की अनुपस्थिति चिंताजनक है। निदेशक (का.) महोदय ने संपूर्ण बीसीसीएल को नियम 10(4) के तहत अधिसूचित कराने का निदेश दिया। निदेशक (कार्मिक) ने राजभाषा अधिकारी को विभिन्न विभागों के अंतर्गत होने वाले पत्राचार का विवरण एकत्रित कराने एवं उसे प्रस्तुत करने का निदेश दिया। बैठक में विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों की उपस्थिति को अनिवार्य बताते हुए इसे सुनिश्चित करने का निदेश दिया तथा सभी विभागाध्यक्षों को पत्र देकर हिंदी की अलग संचिका रखने का सुझाव दिया ताकि हिंदी में होने वाले पत्राचार का मूल्यांकन किया जा सके। बैठक में कंपनी की गृह पत्रिका ''कोयला भारती'' के सातवें अंक का प्रकाशन शीघ्र करने का भी निर्णय लिया गया तथा इसके लिए निदेशक (कार्मिक) के निदेश पर एक उप-समिति का भी गठन किया गया।

(शेष पृष्ठ 79 पर)

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

शिवपुरी

शिवपुरी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2004-05 की द्वितीय बैठक दिनांक 28-2-05 को दूर संचार वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के हिमवीर सभागार में कमान अधिकारी विनय राम पाण्ड्या की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

बैठक को संबोधित करते हुए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री पांड्या ने कहा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल हिंदी में सर्वाधिक कार्य सम्पन्न करने वाला विभाग होने के कारण अन्य कार्यालयों के लिए प्रेरणा बना है। उन्होंने कहा कि, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय ने सेनानी, दूर संचार वाहिनी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस को, शिवपुरी नगर में स्थित सभी केंद्रीय सरकार के कार्यालय/बैंक आदि कार्यालयों के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता का दायित्व सौंपा है। सेनानी श्री पाण्ड्या ने कहा कि सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अधिकतर कार्यालय निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं। सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है। अध्यक्ष द्वारा सभी प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश समृद्ध भाषाओं से परिपूर्ण है और सभी से अपना अधिकांश कार्य हिंदी में करने व सभी कार्यालयों व स्थानीय जनता से सम्पूर्ण पत्र व्यवहार हिंदी में करने तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सभी कार्यालयों से अग्रसर रहने की अपील की। श्री पांड्या ने कहा कि आज राजभाषा (हिंदी) वह कड़ी बन गयी है जो, सारे भारतीयों को भाषाई रूप में एक दूसरे को जोड़े हैं। हिंदी, भारतीय जनसमुदाय के बीच संपर्क भाषा के रूप में कार्य करने के साथ-साथ, अब अंतरराष्ट्रीय रूप में अपनी पहचान बना रही है।

रोहतक

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रोहतक की 44वीं बैठक दिनांक 09-02-2005 को आदरणीय आयकर आयुक्त एवं अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति श्री अशोक कुमार अनेजा जी की अध्यक्षता में आयकर भवन, रोहतक के सभा कक्ष में आयोजित की गई बैठक का संचालन समिति के सचिव एवं सहायक निदेशक (राजभाषा), कार्यालय आयकर आयुक्त रोहतक श्री देशबंधु ने किया।

राजभाषा विभाग के विशेष प्रतिनिधि श्री जसवंत सिंह जी ने अपने उद्‌बोधन में सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय का एवं उपस्थित सदस्यों का बैठक के समय से आयोजन करवाने के लिए आभार व्यक्त किया तथा हर्ष व्यक्त करते हुए उल्लेख किया कि वह पिछले काफी लंबे समय से रोहतक में इन बैठकों में आ रहे हैं तथा आज वे महसूस कर रहे हैं कि काफी संख्या में कार्यालय प्रमुख एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया है तथा उपस्थिति भी अच्छी है। उन्होंने सुझाव दिया कि कुछ सदस्यों की एक ऐसी परामर्श समिति बना देनी चाहिए जो माह में दो बार किसी भी कार्यालय में जाकर उस कार्यालय में राजभाषा नीति के बारे में, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन के बारे में, बैठकों के बारे में, रिपोर्ट भिजवाने के बारे में जानकारी उपलब्ध करवा सकें। इसके लिए उन्होंने अपनी सेवाएं भी देने के लिए आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सदस्य कार्यालय राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप अपना अधिकांश कार्य हिंदी में करें।

श्री अशोक कुमार अनेजा ने खुशी व्यक्त की कि हिंदी के प्रोत्साहन के लिए बैठक में अच्छे निर्णय लिए गए। पत्रिका के प्रकाशन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम को शीघ्र ही समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार करवाने हेतु उन्होंने बल दिया। उन्होंने उल्लेख किया कि निर्णय लेने के उपरान्त उस कार्य को शीघ्रता से ही पूरा करने की हम सबकी जिम्मेदारी है।

हिसार

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, हिसार की बैठक दिनांक 03-03-2005 को आदरणीय आयकर आयुक्त महोदय, हिसार श्री जे.आर. बरोलिया जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का संचालन सचिव, न०रा०का०स०,

हिसार एवं आयकर आयुक्त कार्यालय, फरीदाबाद, कैंप : हिसार में कार्यरत सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री देश-बन्धु ने किया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से यह चर्चा की गई कि हमें इस मंच के माध्यम से ऐसे आयोजन करने चाहिएं जिससे कि राजभाषा हिंदी को प्रोत्साहन मिले और हम स्वत: ही प्रेरित हो सकें। यह भी चर्चा की गई कि पत्रिका का प्रकाशन शीघ्र ही करके विमोचन हेतु एक छोटा-सा आयोजन कर लिया जाए। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि हम सब एक सकारात्मक दृष्टिकोण से बंधे हुए हैं।

श्री बरोलिया जी ने अपने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में कहा कि मैं बैठक में पधारे सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि आज की बैठक में हिंदी के प्रोत्साहन के लिए अच्छे निर्णय लिये गये हैं। उन्होंने पत्रिका के प्रकाशन एवं अन्य आयोजनों को शीघ्र ही समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार करवाने हेतु बल दिया। अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि निर्णय लेने के पश्चात् उस कार्य को शीघ्रता से ही पूरा कराने की हम सबकी जिम्मेदारी है। आप सभी के सहयोग से ही प्रगति सम्भव है। यह ठीक है कि हम सबकी कठिनाईयां एक समान है। हमें इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए व्यवहारिक बनना पड़ेगा और अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी।

पटियाला

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पटियाला की 40वीं बैठक श्रीमती प्रौमिला भारद्‌वाज, आयकर आयुक्त, पटियाला एवं अध्यक्ष, नराकास,. पटियाला की अध्यक्षता में दिनांक 26-04-2005 को आयकर भवन के सम्मेलन कक्ष में हुई।

अध्यक्ष महोदया ने यह निदेश दिया कि सभी विभाग अपने-अपने संस्थानों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित रिपोर्ट भिजवाएं अन्यथा इस समिति की बैठक का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। यदि हिंदी के कार्यान्वयन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो आप सब समिति के सदस्य सचिव श्रीमती रंजना पाहूजा, सहायक निदेशक राजभाषा से सहायता ले सकते हैं, लेकिन अगली बैठक तक सभी कार्यालय इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएं। अध्यक्ष महोदया, ने कहा कि इस समिति की बैठक को सकारात्मक बनाने के लिए अपने विभागों में किए जा रहे कार्यों की रिर्पोट अनिवार्य रूप से भेजें ताकि समीक्षा की जा सके। केवल बैठक में उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं है। जिन विभागों द्‌वारा हिंदी में अच्छा कार्य किया गया है वे बधाई के पात्र हैं तथा जिन कार्यालयों द्वारा हिंदी में कार्य करने के प्रति उदासीनता दिखाई गई है, वे इस ओर विशेष ध्यान दें।

तूतीकोरिन

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, तूतीकोरिन, तमिलनाडु की चौदहवीं बैठक दिनांक 29-03-2005 को सीमाशुल्क आयुक्तालय, न्यू पोर्ट एरिया, तूतीकोरिन-4 के परिसर में संपन्न हुई। बैठक के मुख्य अतिथि के रूप में नराकास अध्यक्ष श्री एम.एस.एन. शास्त्री, मुख्य महाप्रबंधक, भारी पानी संयंत्र-तूतीकोरिन उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता सीमाशुल्क आयुक्त श्री एम. वीरय्यन ने की।

14वीं बैठक के इस उद्‌घाटन समारोह के अवसर पर नराकास सदस्य-कार्यालयों हेतु आयोजित की गई 10 विभिन्न संयुक्त हिंदी प्रतियोगिताओं हेतु पुरस्कार भी प्रदान किए गए। कुल 148 प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सान्त्वना एवं प्रतिभागिता पुरस्कार अध्यक्ष-नराकास एवं आयुक्त, सीमाशुल्क द्वारा प्रदान किए गए। नराकास, तूतीकोरिन द्वारा राजभाषा नीति के सर्वोत्तम कार्य निष्पादन कार्य हेतु पिछले वर्ष शुरू की गई राजभाषा शील्ड प्रदान करने हेतु इस बार कार्यालयों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया। वर्ष 2003 के लिए नराकास राजभाषा शील्ड केंद्रीय कार्यालयों के बीच सीमाशुल्क कार्यालय को प्रदत्त की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भारत संचार निगम लिमिटेड को प्रथम पुरस्कार के रूप में राजभाषा शील्ड एवं भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को द्‌वितीय स्थान प्राप्त करने पर राजभाषा कप प्रदान किया गया। राष्ट्रीयकृत बैंकों के बीच इंडियन ओवरसीज़ बैंक को राजभाषा शील्ड प्रदान की गई। शील्ड प्रदान करने हेतु सभी कार्यालयों से राजभाषा शील्ड रिपोर्ट प्राप्त करके उन्हें 10 निर्धारित मानकों के आधार पर उनका मूल्यांकन तीन सदस्सीय समिति द्वारा किया गया एवं कुल 100 पूर्णांक में से प्राप्तांकों के आधार पर कार्यालयों का चयन किया गया।

राजभाषा शील्ड प्रदान करने के पश्चात् नराकास की गृह पत्रिका नगराभिनन्दन के चौथे अंक-2004 का भी लोकार्पण श्री एम.एस.एन. शास्त्री एवं श्री एम. वीरय्यन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

तत्पश्चात् बैठक प्रारंभ हुई जिसमें छ:माही रिपोर्टों में दिए गए आंकड़ों के अलावा, राजभाषा शील्ड रिर्पोट राभाकास की बैठक, नराकास सदस्य कार्यालयों हेतु संयुक्त हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन, हिंदी-पत्राचार, धारा 3(3) का अनुपालन, हिंदी पत्रों का हिंदी में उत्तर देना एवं कंप्यूटर पर द्विभाषी प्रशिक्षण पर चर्चा की गई। अंत में अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में कहा कि रिपोर्ट में सही आंकड़े भरे जाने चाहिए एवं समय पर भेजने का प्रयत्न करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रिपोर्ट प्राप्त होते ही नराकास द्वारा उसकी तुरंत समीक्षा भेजी जानी चाहिए जिससे कार्यालय उक्त गलतियों में सुधार कर सकें।

कोट्टयम

कोट्टयम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 10वीं बैठक 16 मार्च, 2005 को रबड़ बोर्ड मुख्यालय, कोट्टयम-2 के सम्मेलन भवन में संपन्न हुई। श्री एस. एम. डसलफिन भा. प्र. से. अध्यक्ष रबड़ बोर्ड एवं नराकास ने बैठक की अध्यक्षता की। श्री पी. विजयकुमार, अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, कोच्ची, द्वारा कोट्टयम नगर के केंद्र सरकार के कार्यालयों तथा उपक्रमों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की। उनके द्वारा सदस्यों को हिंदी के कार्यान्वयन तथा भारत सरकार के राजभाषा नीति संबंधी विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया। उन्होंने सभी सदस्य संगठनों से अनुरोध किया कि वे अपने-अपने विभागों में हो रहे हिंदी के कामकाज की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट अपने प्रधान कार्यालयों को भेजने के साथ ही उसकी एक प्रति सचिव नराकास को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।

जयपुर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (केंद्रीय कार्यालय) जयपुर की 48वीं अर्धवार्षिक बैठक दिनांक 4 मार्च, 2005 को मनोरंजन कक्ष, महालेखाकार कार्यालय राजस्थान, जयपुर में संपन्न हुई।

अध्यक्ष महोदय श्री चंद्र लाल जी ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत सरकार राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार एवं कार्यान्वयन की दिशा में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का वर्ष में दो बार आयोजन किया जाता है और इन बैठकों में हम सब मिलकर हिंदी के प्रगामी प्रयोग में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण का प्रयास करते हैं।

दिनांक 1 जुलाई, 2004 से 31 दिसम्बर, 2004 तक के समेकित विवरणों के आधार पर उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्ति देते हुए कहा कि केंद्रीय सरकार के जयपुर स्थित सभी कार्यालयों से छहमाही प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं, भविष्य में सभी सदस्य कार्यालय छहमाही प्रतिवेदन भिजवाना सुनिश्चित करें। धारा 3(3) एवं नियम 5 पर अध्यक्ष महोदय ने विशेष बल दिया एवं नियमों का पूरी तरह से अनुपालन करने का आग्रह किया।

भोपाल (बैंक)

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति भोपाल की 41वीं बैठक 7 फरवरी, 2005 को संयोजक बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आंचलिक कार्यालय भोपाल में श्री घनश्याम गुप्ता, महाप्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एवं अध्यक्ष बैंक नराकास भोपाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री गुप्ता जी ने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति भोपाल को भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की तरफ से वर्ष 2003-2004 हेतु तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मैं इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि समिति को मिला यह सम्मान सभी सदस्यों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण योगदान एवं सहयोग का परिणाम है। उन्होंने समिति के कार्यक्रमों में और अधिक सक्रिय भागीदारी एवं सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की ताकि आगामी वर्ष में समिति प्रथम पुरस्कार से सम्मानित होने का गौरव पुन: प्राप्त कर सके।

अध्यक्ष महोदय ने बैंक नराकास भोपाल द्वारा विभिन्न गतिविधियों के संचालन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि विभिन्न सदस्य बैंकों द्वारा आयोजित अंतर बैंक हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेता बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया जो हिंदी के प्रति उनकी गहरी रूचि का द्योतक है। इसी प्रकार हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बैंक कार्मिकों को समिति द्वारा हर छहमाही में प्रशंसा पत्र एवं स्मृति चिह्न प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। उन्होंने कहा कि समिति की इन

गतिविधियों से निश्चित रूप से हिंदी के लिए एक अनुकूल एवं प्रेरक वातावरण का सृजन होता है। उन्होंने समिति द्वारा हिंदी कार्यशाला के सफल आयोजन पर भी हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की।

श्री सुनील सरवाही, उपनिदेशक (कार्यान्वयन) भारत सरकार ने अपना प्रेरक उद्‌बोधन देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान में लगभग दो सौ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां कार्यरत हैं। जिनमें से लगभग 55 समितियां ऐसी हैं जिनके बीच बेहतर कार्यनिष्पादन की कड़ी प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति भोपाल इस कड़ी स्पर्धा में लगातार प्रथम, द्‌वितीय अथवा तृतीय पुरस्कार की प्रबल दावेदार बनी हुई है।

श्री सरवाही जी ने कहा कि हमें हिंदी में काम के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए न कि हिंदी के काम के। हमें भाषा के महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप में से अधिकांश लोग बहुत वरिष्ठ अधिकारी एवं कार्यपालक हैं और आपके अनेक दायित्व हैं, किंतु उन दायित्वों को किस भाषा में पूरा किया जाये, यह एक चुनौती है। हमें इस चुनौती का सामना करना है। विज्ञापन देते समय हमें यह देखना है कि हम जिनके लिए विज्ञापन दे रहे हैं, उनकी भाषा में विज्ञापन दें ताकि विज्ञापन देने का उद्‌देश्य पूरा हो सके।

रायपुर, छत्तीसगढ़ (बैंक)

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रायपुर की 18वीं अर्द्धवार्षिक बैठक मंगलवार दिनांक 19-03-2005 को होटल आदित्य में समिति संयोजक एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के उपमहाप्रबंधक श्री एन. नारायणन् की अध्यक्षता में आयोजित की गई। हिंदी पत्राचार की समीक्षा के दौरान देखा गया है कि इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा हिंदी पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। जबकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 99.28%, केनरा बैंक 99%, देना बैंक 98%, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर तथा भारतीय स्टेट बैंक दोनों 97%, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तथा पंजाब एंड सिंध बैंक तीनों 96%, पंजाब नेशनल बैंक 93%, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 91%, यूको बैंक 87%, सिडबी 84%, सिंडीकेट बैंक 80%, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 79%, कार्पोरेशन बैंक 73%, विजया बैंक व युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया 77%, इंडियन बैंक 75%, आंध्रा बैंक 61%, नाबार्ड 46% तथा स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र द्वारा 26% हिंदी पत्राचार किया गया।

हिंदी दिवस के अवसर पर विभिन्न बैंकों द्‌वारा आयोजित अंतर बैंक हिंदी प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया। वर्ष 2003-2004 के दौरान सरकार की राजभाषा नीति को बेहतर ढंग से लागू करने के सिलसिले में समिति की शील्ड योजना के तहत आठ बैंकों को राजभाषा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

सेंट्रल बैंक के उप महाप्रबंधक श्री एन. नारायणन् ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सभी सदस्यों से अपने-अपने कार्यालयों व शाखाओं में राजभाषा नीति को और बेहतर ढंग से लागू करने का अनुरोध किया। श्री नारायणन् ने उपस्थित सभी बैंकों के स्थानीय प्रमुखों को संबोधित करते हुए कहा कि "साथियों सबसे पहले आप सभी को होली की बधाई। जैसा कि हिंदी प्रगति की समीक्षा से यह बात उभर कर सामने आई कि आप सभी के नेतृत्व में रायपुर स्थित स्थानीय बैंकों में हिंदी का कार्यसुचारु रूप से चल रहा है। आशा है आगे भी और अच्छे ढंग से हिंदी में कार्य होगा। जहां कहीं कोई कठिनाई या समस्या है हम उसका समाधान निकाल कर हिंदी के प्रयोग को और बढ़ाएंगे, मेरी शुभकानाएं। अंत में मैं आज की इस बैठक में बैंक राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से हिंदी के प्रशंसनीय कार्य हेतु पुरस्कृत विभिन्न बैंकों तथा अंतर बैंक हिंदी प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त करने वालों को अपनी ओर से तथा इस समिति की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आज जो लोग पुरस्कार किसी भी कारणवश प्राप्त नहीं कर सके हैं वे अपने कार्य-निष्पादन को और बेहतर करके अगली बार पुरस्कार विजेताओं की श्रेणी में आएंगे। मैं आप सबको अपनी ओर से तथा इस समिति की ओर से बधाई देता हूं।

कोलकाता (बैंक)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), कोलकाता की 38वीं बैठक दिनांक 25-2-2005 को युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्‌यालय, कोलकाता के सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई।

बैठक की अध्यक्षता श्री प्रकाश सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने की। उक्त

बैठक में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के स्थानीय क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के अनुसंधान अधिकारी, हिंदी शिक्षण योजना के सहायक निदेशक, प्रशिक्षण अधिकारी एवं कार्यालयाध्यक्ष, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो एवं भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि आमंत्रित अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।

अध्यक्ष महोदय ने आमंत्रित अतिथियों, सदस्य कार्यालयों से पधारे कार्यपालकों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत की अधिकांश जनता हिंदी जानती है तथा हिंदी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह बोली जाती है। हिंदी को हम सब जितना सरल बनाएंगे उतना ही हिंदी का प्रयोग व्यापक होगा तथा आम आदमी हिंदी के प्रयोग में अधिक रूचि लेंगे।

सदस्य सचिव ने समिति को सूचित किया कि राजभाषा विभाग द्वारा गुवाहाटी में आयोजित पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों के संयुक्त राजभाषा सम्मेलन में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), कोलकाता को वर्ष 2003-2004 के लिए राजभाषा के क्षेत्र में अच्छे कार्य निष्पादन के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। उक्त पुरस्कार भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री श्री शिवराज वि. पाटिल द्वारा समिति के अध्यक्ष महोदय को राजभाषा सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया। उक्त उपलब्धि के लिए समिति के सभी सदस्य कार्यालयों के प्रति आभार प्रकट किया गया। हिंदी दिवस पर सदस्य कार्यालयों द्वारा आयोजित विभिन्न अंतर बैंक हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को अध्यक्ष महोदय द्वारा पुरस्कृत किया गया।

रायबरेली (उपक्रम)

रायबरेली नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 29-04-05 को आई.टी.आई लि., रायबरेली के प्रशासन भवन स्थित सभाकक्ष में समिति के अध्यक्ष श्री अखौरी प्रभात कुमार, अपर महाप्रबंधक (आर.बी.) की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे यह रिपोर्ट न.रा.का.स. सचिवालय को नियमित रूप से भेजना सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष महोदय ने चर्चा के दौरान कहा कि 'क' क्षेत्र में होने के नाते हिंदी पत्राचार को हर हाल में बढ़ाया जाए। हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्यत: हिंदी में ही दिये जाये, तथा फाइलों में यथा संभव टिप्पणियां हिंदी में ही लिखी जाएं। कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को द्विभाषी रूप में ही क्रय किया जाए। कार्यालयों में जितने भी द्विभाषिक फार्म उपलब्ध हैं, उन्हें हिंदी में भरा जाये। साथ ही उन पर हिंदी में हस्ताक्षर करने का सुझाव भी दिया गया।

श्री ए. प्रभात कुमार ने रायबरेली में समिति के विभिन्न कार्यालयों में यद्यपि हिंदी की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया, तथापि उन्होंने कहा कि जो कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें आयोजित करने तथा पत्राचार आदि में निर्धारित लक्ष्य से पीछे है, उन्हें तत्काल अपनी स्थिति सुधारनी चाहिए। कार्यालयों के हिंदी काम काज के सही मूल्यांकन के लिए उन्होंने हिंदी की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट न.रा.का.स. सचिवालय को समय पर प्रेषित किए जाने का अनुरोध किया।

गुवाहाटी (उपक्रम)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) की 24वीं बैठक दिनांक 28-01-05 को गुवाहाटी रिफाइनरी के प्रशिक्षण केंद्र में संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता श्री जे.पी. गुहाराय ने की। मार्गदर्शक के रूप में श्री बासुदेव सिंह (प्रशिक्षण) ने उपस्थित सभी कार्यालय प्रधानों एवं हिंदी प्राधिकारियों को संबोधित किया और उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि टॉलिक की बैठकों में कार्यालय प्रधानों की उपस्थिति ही नहीं किंतु उनका बढ़चढ़ कर हिस्सा लेना भी अपेक्षित है। ऐसी बैठकों में कार्यालयों व संस्थानों की ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति अपेक्षित है। साथ ही सन् 2005 तक सभी कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षित करने का व संबंधित सूचना हिंदी प्रशिक्षण योजना कार्यालय को सूचित करने का उन्होंने सुझाव दिया।

रिफाइनरी राजभाषा चल विजयंती शील्ड व प्रमाण पत्र प्रदान

नराकास उपक्रम गुवाहाटी रिफाइनरी द्वारा प्रचालित चल-विजयती शील्ड एवं प्रमाण-पत्र वितरित किये गये। जिसमें प्रथम पुरस्कार नगॉव पेपर मिल, द्वितीय पुरस्कार आवास तथा नगर विकास लि. और तृतीय पुरस्कार कर्मचारी राज्य बीमा निगम (क्षे. का. गुवाहाटी) को दिया गया। इसके अतिरिक्त युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लि., ऑयल इंडिया लिमिटेड और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को राजभाषा हिंदी के अच्छे कार्यान्वयन हेतु प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये।

श्री जे. पी. गुहाराय, महाप्रबंधक, गुवाहाटी रिफाइनरी ने अपने अध्यक्षीय व्याख्यान में बताया कि परस्पर के सहयोग से एवं ऐसी बैठकों में कुछ ठोस निर्णय लेकर कार्यालयीन काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना है एवं दिनांक 01 व 02 फरवरी, 2005 को गुवाहाटी में होने वाले क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में हमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना है तथा बहुभाषिक साफ्टवेयर के माध्यम से भी हिंदी को आगे बढ़ाना है। ❐

प्रपत्र-4 (देखिए नियम-8)

प्रैस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम

समाचार-पत्रों का पंजीकरण (केंद्रीय) नियम

'राजभाषा भारती' के स्वामित्व तथा विवरणों की सूचना

1.	प्रकाशन स्थान	लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003
2.	प्रकाशन अवधि	त्रैमासिक
3.	मुद्रक का नाम	प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी, नई दिल्ली
4.	क्या भारत का नागरिक है ?	भारतीय नागरिक
5.	प्रकाशक का नाम व पता	डॉ. राजेंद्र प्रताप सिंह, उप संपादक, राजभाषा विभाग, भारत सरकार, लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003 दूरभाष : 24698054
6.	संपादक (पदेन) का नाम व पता	निदेशक (अनुसंधान), राजभाषा विभाग, लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003 दूरभाष : 24617807
7.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों।	लागू नहीं

मैं डॉ. राजेंद्र प्रताप सिंह घोषित करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

ह०/-

प्रकाशक का हस्ताक्षर

(ग) कार्यशालाएं

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना सरकारी काम-काज मूल रूप से हिंदी में करने हेतु प्रेरित और प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से दिनांक 2 फरवरी, 2005 से दिनांक 4 फरवरी, 2005 तक प्रतिदिन दो-दो घंटे की एक तीन दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई।

दिनांक 2 फरवरी, 2005 को कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर विभाग के निदेशक (प्रशासन) श्री एस. के. दासगुप्ता ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि ''जहाँ चाह वहाँ राह''। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कर्मचारी हिंदी में काम करने की ठान लें तो उन्हें इस कार्य में किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने प्रतिभागियों से पुरजोर अपील की कि वे अपना अधिक से अधिक कार्य मूल रूप से हिंदी में करके विभाग में सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करें। इस कार्यशाला में प्रतिभागियों को राजभाषा नीति की जानकारी देते हुए हिंदी में कार्य करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में 17 कर्मियों ने भाग लिया।

नराकास कोट्टयम

कोट्टयम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में संयुक्त हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया। 6, 7 दिसम्बर, 2004 को आयोजित द्विवसीय कार्यशाला में सदस्य कार्यालयों के पद्धारियों ने भाग लिया। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सेवानिवृत्त उप निदेशक श्री डी. कृष्णपणिक्कर, श्रीमती प्रवीणा संतोष, हिंदी प्राध्यापक, हिं.शि. योजना, कोट्टयम केंद्र एवं श्री बी. रवींद्रनाथ, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, दि न्यू इंडिया एशोरेंस कं. लि. चंगनाश्शेरी ने कक्षाओं का संचालन किया। कार्याशाला में राजभाषा नीति, टिप्पण एवं आलेखन आदि विषयों पर कक्षाएं चलायी गयीं।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, चंडीगढ़

कार्यालयों में राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने सदस्य कार्यालयों के हिंदी अनुवादकों के लिए सूक्ष्मजीव प्रौद्योगिकी संस्थान (इमटैक) में एक दो दिवसीय अनुवाद कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में केंद्र सरकार के 31 कार्यालयों के 35 अनुवादकों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्घाटन पंजाब विश्वविद्यालय, हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉ. जय प्रकाश जी ने किया। इस अवसर पर इमटैक के उपनिदेशक डॉ. नरेश तथा प्रशासन नियंत्रक श्री हरिमोहन भी उपस्थित थे। डॉ. जय प्रकाश ने कहा कि भाषा को संस्कृति से जोड़कर देखा जाना चाहिए। अनुवाद में सरल और प्रचलित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पाठक को ध्यान में रखकर ही शब्दों का चयन करना चाहिए। पंजाब विश्वविद्यालय, रूसी विभाग के अध्यक्ष डॉ. पंकज मालवीय ने कहा कि अच्छे अनुवाद के लिए अनुवादकों को दोनों भाषाओं की जानकारी के अतिरिक्त विषय की भी सम्यक् जानकारी होनी चाहिए। दैनिक ट्रिब्यून के मुख्य उप संपादक श्री हरीश वशिष्ठ ने सरल और सहज अनुवाद पर बल देते हुए समाचार-पत्रों में अनुवाद प्रक्रिया की जानकारी दी। श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा सचिव, नराकास ने संसदीय समिति के निरीक्षण तथा कंप्यूटर राजभाषा के प्रयोग से संबंधित विषयों पर अपने विचार रखे। उन्होंने संसदीय समिति की रिपार्टों में आंकड़े सही और ठीक ढंग से भरने की आवश्यकता पर बल दिया। कंप्यूटर के विषय पर बोलते हुए उन्होंने कंप्यूटर पर राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए 'लीप सॉफ्टवेयर' तथा 'हिंदी फॉन्टस' के बारे में अनुवादकों को बताया। उन्होंने कहा कि वे सभी कार्य जो हम अंगेजी में कर सकते हैं वे फॉन्टस के माध्यम से हिंदी में भी कर सकते हैं। कार्यशाला के समापन के अवसर पर उपस्थित श्रीमती पी. साही, आयकर आयुक्त महोदया ने अनुवादकों से उद्बोधन में कहा कि वे सरल और आम आदमी की समझ में आने वाली हिंदी का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि जब भी अनुवाद के लिए उनके पास कोई पत्र आए तो वे उसका तुरंत अनुवाद करें। देरी से

किया गया अनुवाद अपना महत्व खो देता है। उन्होंने कहा कि अनुवादक का कार्य सीट पर बैठकर काम करने का नहीं है। उसे विभिन्न शाखाओं में जाकर कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना और उनकी हिंदी में कार्य करने संबंधी झिझक को दूर करना है। उन्होंने अनुवादकों को हिंदी दूत की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि अनुवादक सरल अनुवाद करें ताकि हिंदी के परिपत्र को पढ़ने पर अंग्रेजी पाठ पढ़ने की आवश्यकता न रहे। इमटैक के वैज्ञानिक डॉ. नरेश ने इमटैक की गतिविधियों की जानकारी दी। श्री हरिमोहन ने मुख्य अतिथि तथा अन्य प्रतिभागियों का धन्यवाद किया तथा सुझाव दिया कि कार्यशाला में प्रशासन से जुड़े अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया जाना चाहिए।

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नाशिक रोड

दिनांक 25 अप्रैल, 2005 को 53वीं हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन श्री बसंत कुमार पाठक, उप महाप्रबंधक ने श्री सरस्वती जी की प्रतिमा को माल्यार्पण के साथ किया। कार्यशाला के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उप महाप्रबंधक महोदय ने कहा कि कर्मचारियों को अपने दैनंदिन काम राजभाषा हिंदी में करने में किसी भी प्रकार की झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए। शाब्दिक अनुवाद में उलझने की अपेक्षा वे जहां कहीं भी शब्दों का हिंदी अर्थ न आता हो तो ज्यों का त्यों अंग्रेजी शब्दों का देवनागरी लिपि में प्रयोग कर सकते हैं।

उन्होंने आगे यह भी कहा कि अंग्रेजी सीखना अच्छी बात है फिर भी हिंदी सीखना और उसका इस्तेमाल करना हमारी राष्ट्रीय अस्मिता और निष्ठा है। आज भारत के विभिन्न प्रांतों में उनका भाषाओं में सरकारी कामकाज हो रहा है और केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज किया जाना राष्ट्रीय एकात्मता के लिए आवश्यक है।

महानिदेशालय, भा.ति.सी.पु. बल

महानिदेशालय, भा.ति.सी. पुलिस द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन एवं सरकारी काम हिंदी में करने में कर्मचारियों की झिझक दूर करने हेतु केंद्रीय अभिलेख कार्यालय के लिपिकीय प्रशिक्षण स्कूल, छाव3ला में यूनिटों आदि से आए 21 है.का./सी.एम. के लिए 18 से 22 मार्च, 2005 तक "तीन दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। उल्लेखनीय है कि महानिदेशालय द्वारा प्रत्येक कार्यशाला की समाप्ति पर प्रशिक्षणार्थियों की एक घंटे की आब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा भी ली जाती है ताकि इसमें भाग लेने वाले कार्मिक कार्यशाला के प्रति पूर्ण गंभीरता अपनाएं।

महानिदेशालय द्वारा आयोजित इस 36वीं हिंदी कार्यशाला में 13वीं वाहिनी के दल संख्या 959980015 है.का./सी.एम. दिनेश कुमार यादव ने प्रथम एवं एस.एस. वाहिनी (संलग्न महानिदेशालय) के 950150183 है. कां/सी.एम. बिजु अरविन्द ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस कार्यशाला के प्रशिक्षणार्थियों को महानिदेशालय में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि श्री मैथिलीशरण गुप्त, उ.म.नि. (प्रशा.) द्वारा "प्रमाणपत्र" एवं सहायक साहित्य के रूप में प्रशासनिक शब्दावली भेंट की गई।

श्री आई.एस. नेगी, अपर उ.म.नि. (प्रशा.) ने अपने स्वागत संबोधन में आशा प्रकट की कि इस प्रकार की कार्यशालाओं के आयोजन से हर स्तर पर सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ेगा और कार्मिकों की हिंदी में काम करने में आने वाली कठिनाइयां भी कम होंगी। उन्होंने अवगत कराया कि इस कार्यशाला में हिंदी से जुड़े विभिन्न विषयों की व्यावहारिक कक्षाओं को भी आयोजित किया गया और सभी प्रशिक्षणार्थियों ने इसमें उत्साह और रूचि से भाग लेकर कार्यशाला को सफल बनाया। उन्होंने परिणाम की घोषणा की और समस्त प्रशिक्षणार्थियों को बधाई दी।

मुख्य अतिथि ने सर्वप्रथम सभी को कार्यशाला के सफल आयोजन के लिए बधाई दी और कहा कि यह बहुत ही प्रसन्ता का विषय है कि महानिदेशालय स्तर पर बल के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की हिंदी के प्रयोग में आ रही कठिनाइयों को दूर करने हेतु नियमित रूप से इन कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकारी कार्य में सरल हिंदी का प्रयोग करते हुए क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति से बचा जाए। मुख्य अतिथि ने प्रशिक्षणार्थियों से आग्रह किया कि उन्होंने कार्यशाला में जो कुछ सीखा है उसे वे अपनी-अपनी वाहिनियों में जा कर अपने सह कर्मियों को भी बताएं ताकि वे भी अप्रत्यक्ष रूप

से लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि कार्यशालाओं की उपयोगिता और प्रशिक्षणार्थियों से प्राप्त फीड बैक को ध्यान में रखते हुए भविष्य में इन कार्यशालाओं की अवधि बढ़ा कर चार दिन की जाए ताकि कार्यशाला में भाग लेने वाले कार्मिकों को हिंदी के प्रयोग से जुड़े विभिन्न व्यावहारिक पहलुओं की और अधिक जानकारी दी जा सके। उ.म.नि.(प्रशा.) ने कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों, विशेषकर परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त कार्मिकों को बधाई दी। अंत में उन्होंने अ.उ.म.नि.(प्रशा.) एवं महानिदेशालय के हिंदी अनुभाग द्वारा हिंदी के क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न उल्लेखनीय कार्यों एवं हिंदी कार्यशाला के सुव्यवस्थित आयोजन के लिए प्रशंसा की और सभी प्रशिक्षणार्थियों का धन्यवाद किया।

भारी पानी संयंत्र, तालचेर

दिनांक 16 तथा 17 मार्च, 2005 को एक दो-दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन समारोह दिनांक 16-03-2005 को प्रात: 10:00 बजे तथा समापन समारोह दिनांक 17-03-2005 को सांय 16:00 बजे तकनीकी भवन के व्याख्यान कक्ष में किया गया। दोनों समारोहों के मुख्य अतिथि कार्यकारी महाप्रबंधक श्री आई. सेनगुप्ता थे।

मुख्य अतिथि श्री सेनगुप्ता ने दीप प्रज्वलित करते हुए 9वीं हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन किया तथा अपने उदबोधन में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को इस कार्यशाला का लाभ उठाते हुए अपने सरकारी कामकाज में यथासंभव हिंदी का प्रयोग करने का तथा राजभाषा हिंदी को उनका यथोचित स्थान दिलाने में अपना योगदान देने का आह्वान किया।

इस हिंदी कार्यशाला में संघ की राजभाषा नीति, मानक वर्तनी, हिंदी व्याकरण, हिंदी शिक्षण योजना, पऊवी की प्रोत्साहन योजनाएँ, हिंदी में टिप्पण-लेखन, विभिन्न अवकाश तथा आवेदन, आदि विषयों पर व्याख्यान दिए गए। प्रभारी हिंदी ने सरल हिंदी में विभिन्न अवकाश तथा आवेदन पर विस्तृत व्याख्यान देते हुए प्रतिभागियों को समझाया।

मुख्यालय, मुख्य अभियंता, सेवक परियोजना, द्वार 99 सेना डाकघर

मुख्यालय में दिनांक 07, 09 तथा 10 मार्च, 2005 को तीन दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अवधि प्रतिदिन 11.30 बजे से दोपहर बाद 13.00 बजे तक डेढ़ घंटे की थी।

इस कार्यशाला में सेवक मुख्यालय तथा स्थानीय यूनिटों के 10 कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान हिंदी लिपि, वर्तनी, पत्र, परिपत्र, नोटिंग, अन्तर-कार्यालय-टिप्पणी आदि के अभ्यास के साथ पत्र व्यवहार तथा दैनिक कार्य में प्रयुक्त होने वाले वाक्यांशों का अभ्यास भी कराया गया।

कार्यशाला के समापन समारोह की अध्यक्षता परियोजना के मुख्य अभियंता, ब्रिगेडियर एस. नरसिम्हन ने की। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग इस कार्यशाला में बताई गयी बातों का उपयोग अपने दैनिक सरकारी काम काज में करें और आप अपने अंदर हिंदी में कार्य करने की इच्छा जगाए तभी इस प्रकार के आयोजनों को सफल माना जा सकेगा।

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय प्रधान शाखा कार्यालय, नागपुर

दिनांक 3-1-2005 से 7-1-2005 तक 5 अर्ध-दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन, प्रधान शाखा कार्यालय, नागपुर में किया गया। इसमें प्रधान शाखा कार्यालय, नागपुर के 18 पदधारियों को तथा केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, नागपुर के 3 पदधारियों को प्रशिक्षित किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार (प्र०शा०का०) श्री हरेंद्र प्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यालय के दैनिक काम में राजभाषा हिंदी के महत्व को बताते हुए कार्यक्रम के उपयोगी होने की आशा प्रकट की और प्रतिभागियों को अधिक से अधिक लाभान्वित होने के लिए कहा। डॉ० आर० रमेश आर्य, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने कार्यशाला के संबंध में सामान्य परिचय एवं इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला।

कार्यशाला में विभिन्न केंद्र सरकार के पदधारियों को व्याख्याता के रूप में आमंत्रित किया गया, जिन्होंने निम्नलिखित विषयों पर व्याख्यान दिया :—1. संघ सरकार की राजभाषा

नीति 2. मानक वर्तनी 3. प्रशासनिक शब्दावली का अभ्यास 4. पत्राचार के विभिन्न स्वरूप तथा अभ्यास 5: पत्र, आवेदन तथा अर्ध-सरकारी पत्र का अभ्यास 6. विभिन्न प्रकार की टिप्पणियाँ तथा अभ्यास 7. तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा समीक्षा के संबंध में 8. हिंदी-अंग्रेजी की सरल अभिव्यक्तियों का अभ्यास 9. लेखा संबंधी शब्दावली का अभ्यास 10. विभिन्न प्रकार की राजभाषा संबंधी प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में 11. आदेश, कार्यालय ज्ञापन तथा परिपत्र आदि का अभ्यास 12. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु जाँच बिंदु 13. संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के संबंध में 14. निवृत्ति भत्ते के उद्देश्य एवं औसत परिलब्धियों की गणना 15. वेतन-पंजी/सेवा पुस्तिका के रखरखाव के संबंध में 16. सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज की गणना एवं अग्रिम आदि के संबंध में 17. सेवानिवृत्ति/निधन पर उपदान के संबंध में 18. पेंशनिक-लाभ और उनकी गणना के संबंध में 19. विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय की गतिविधियाँ।

दिनांक, 7-1-2005 को समापन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ० आर. रमेश आर्य, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने किया। इस अवसर पर संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार (प्रशासन) एवं अध्यक्ष राजभाषा कार्यान्वयन समिति, श्री हरेंद्र प्रताप सिंह, ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और अपने कर कमलों द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र दिए।

पश्चिम रेलवे वडोदरा मंडल

मंडल कार्यालय वडोदरा की स्थापना शाखा के विभिन्न अनुभागों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए दिनांक 15-3-2005 से 29-3-2005 तक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसका शुभारंभ अपर मंडल रेल प्रबंधक एवं अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री नरेश मल्हन के व्याख्यान से किया गया। इस कार्यशाला में 35 कर्मचारियों ने नियमित रूप से भाग लिया।

इस कार्यशाला के दौरान कर्मचारियों को राजभाषा विषयक नियम-नीतियों तथा समय-समय पर इस बारे में जारी निदेशों की सम्यक् जानकारी तो कराई ही गई साथ-ही-साथ उनके कार्य को कारगर ढंग से हिंदी में करने का उपयुक्त प्रशिक्षण भी दिया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यव्यवहार में लिखे जानेवाले पत्रादि के सीधी सरल हिंदी में प्रारूप उपलब्ध कराए गए तथा उनका अभ्यास भी कराया गया।

इस कार्यशाला के दौरान हिंदी टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई साथ ही साथ राजभाषा प्रश्नमंच का भी आयोजन किया गया जिसमें लगभग 60 कर्मचारियों/अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला के अंत में राजभाषा प्रश्न मंच के विजेताओं तथा हिंदी टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त कर्मचारियों को प्रधान कार्यालय के उपमुख्य राजभाषा अधिकारी डॉ. राजेंद्र गुप्ता द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। इन सभी कार्यक्रमों का संचालन वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी वडोदरा द्वारा किया गया।

दूरदर्शन केंद्र, नागपुर

दि. 4 अप्रैल, 2005 को एक अर्ध दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें विषय रखा गया था "वार्षिक चरित्र पंजी (गोपनीय रिपोर्ट) कैसे भरी जाए : एक वार्तालाप" इस कार्यशाला में सभी अनुभागों के सदस्यों को आमंत्रित किया गया था।

श्री सतीश साने, निदेशक ने अपने संबोधन में सी.आर. लिखे जाने की गंभीरता पर चर्चा की। कर्मचारियों द्वारा स्वमूल्यांकन किस तरह से किया जाना चाहिए इसे उन्होंने विस्तृत रूप से समझाते हुए गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज की जाने वाली अनुकूल और प्रतिकूल टिप्पण्यिों पर भी चर्चा की तथा बताया कि असावधानीपूर्ण टिप्पणियों से किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं तथा उनका निवारण कैसे किया जा सकता है ?

श्री थॉमस, केंद्र अभियंता ने सी.आर. की उपयोगिता का वर्णन करते हुए रिपोर्टिंग अधिकारी तथा पुनरीक्षण अधिकारी के कर्तव्यों की विस्तृत व्याख्या की तथा सी.आर. फार्म के सभी मदों पर क्रमवार प्रकाश डालते हुए इसे किस तरह से बिना किसी विद्वेष के निष्ठापूर्वक भरा जाना चाहिए, यह समझाया। उन्होंने सी.आर. के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियों का संकलन करके उसकी प्रतियाँ सभी अनुभाग प्रमुखों को वितरित की।

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान

संस्थान के अधिकारी/कर्मचारी अपना कामकाज हिंदी में सरलता से कर सकें, इसमें उन्हें सहायता देने के लिए समय-समय पर हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में संस्थान के सामान्य सेवा प्रभाग के

अधिकारियों के लिए 14-3-2005 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री एस. के. श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक (सामान्य सेवा) ने किया। उन्होंने आशा प्रकट की कि कार्यशाला सहभागियों के लिए उपयोगी रहेगी तथा इससे सहभागियों को राजभाषा नीति संबंधी नियमों की अनुपालन करने में सहायता मिलेगी। कार्यशाला के सहभागियों ने यह सुझाव दिया कि संस्थान के स्टाफ सदस्यों के लिए हिंदी साफ्ट्वेयर के प्रयोग पर भी कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए ताकि वे कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य कर सकें।

सहभागियों ने कार्यशाला की अवधि तथा प्रशिक्षण पद्धति को उपयुक्त माना और उल्लेख किया कि कार्यशाला से प्राप्त जानकारी का इस्तेमाल वे अपने कामकाज में व्यावहारिक रूप से करेंगे।

आईडीबीआई, भुवनेश्वर

10 सत्रीय-पांच दिवसीय हिंदी कार्यशाला का 14 से 18 फरवरी, 2005 तक बैंक में आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन बैंक के महाप्रबंधक तथा 'राकास' के अध्यक्ष श्री अनिल रतनपाल ने किया। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में हिंदी की महत्ता स्पष्ट करते हुए हिंदी की खानापूर्ति नहीं करने की सलाह दी तथा उसके समुचित उपयोग पर बल दिया। उन्होंने आगे कहा कि हम इसके माध्यम से अपनी ग्राहक सेवा को और बेहतर बना सकते हैं, इसलिए भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने इस अवसर पर सभी से हिंदी में ज्यादा-से-ज्यादा कार्य करने तथा हिंदी कार्यशाला को ज्यादा-से-ज्यादा व्यावहारिक बनाने का अनुरोध किया।

कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि व प्रथम सत्र के अतिथि वक्ता डॉ. जी.एम. खान, अध्यक्ष हिंदी विभाग, रमा देवी महिला कॉलेज, भुवनेश्वर ने हिंदी को आज की भाषा बताते हुए जहाँ भारतीय संदर्भ में हिंदी के महत्व को रेखांकित किया वहीं, 'कामकाजी हिंदी और कार्यालय में उसका प्रयोग (अभ्यास सहित)' पर सविस्तार सात्रिक चर्चा की तथा इसे कबीर की भाषा, खिचड़ी भाषा, प्रजातंत्र की भाषा निजी कंपनियों की भाषा कहते हुए इसकी ऐतिहासिकता तथा व्यावहारिकता के बारे में सविस्तार बताया।

संचालक व प्रबंधक (हिंदी) श्री आर.पी. सिंह ने दैनिक हिंदी बुलेटिन—'हिंदी दर्पण' तथा मासिक हिंदी बुलेटिन—'शाब्दिकी' से प्रतिदिन कुछ-न-कुछ सामग्री पढ़ने व सीखने का आह्वान किया। उन्होंने आज के संदर्भ में हिंदी की उपयोगिता पर बल देते हुए इसे कार्यभाषा बनाने का अनुरोध किया तथा कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत की। श्री सिंह ने प्रोत्साहन देने के लिए संबंधित कुछ पुरस्कारों की भी घोषणा की।

कार्यशाला में हिंदी अनुवाद, हिंदी व्याकरण, हिंदी टिप्पण व प्रारूपण, हिंदी पत्राचार, हिंदी प्रारूपण, भारत सरकार की राजभाषा नीति व वार्षिक कार्यक्रम व तिमाही रिपोर्ट, हिंदी तार व फैक्स व नवीनतम डाक सुविधाएं/सामग्री, पारिभाषिक/बैंकिंग शब्दावली तथा कामकाजी हिंदी व कंप्यूटर पर उसका प्रयोग (सभी अभ्यास सहित) जैसे विषयों पर विभिन्न वक्ताओं ने सारगर्भित व्याख्यान देकर प्रतिभागियों को प्रेरित करने तथा व्यावहारिक बनाने की कोशिश की जिससे कार्यालय के हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बल मिलेगा तथा स्टाफ-सदस्य अपने दैनन्दिन कार्यालयी कार्यों को हिंदी में कर सकने में सक्षम होंगे।

समापन समारोह पद मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. सी.एस. अंसारी, प्रबंधक (हिंदी), सिंडीकेट बैंक (क्षे.का.), भुवनेश्वर ने हिंदी के महत्व को पारिभाषित किया तथा कंप्यूटर पर हिंदी की सुविधाओं पर सविस्तार बताया। उन्होंने यहाँ के हिंदी-प्रयोग पर खुशी जाहिर की तथा इसे और आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने निर्णायक की भूमिका भी अदा की। श्री रवींद्र प्रसाद सिंह, प्रबंधक (हिंदी) ने मूल्यांकन प्रपत्र भरवाया तथा उसकी जाँचोपरांत समीक्षा की।

तीस्ता चरण-V जलविद्युत परियोजना, बालुटार (पूर्वी सिक्किम)

30-03-2005 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्रतिभागी के तौर पर 35 कार्यपालकों एवं पर्यवेक्षकीय स्तर के कार्यपालकों को आमंत्रित किया गया था। इस आयोजन में तकनीकी क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाले जाने वाले विषय रखे गए थे। प्रथम सत्र में श्री बी.के. शारदा, मुख्य अभियंता (एच.आर.टी.) ने परियोजना के निर्माण संबंधी विभिन्न गतिविधियों की बड़ी बारीकी से स्लाइडों /चित्रों के माध्यम से जानकारी दी—जिसमें सुरंगें, एडिट व बांध निर्माण आदि

प्रमुख विषय थे। उसके बाद दूसरे सत्र में श्री एस.सी. पाल, मुख्य अभियंता (पी.एम.सी.) ने मध्यस्थता एवं सुलह विषय पर विस्तारपूर्वक व्याख्यान दिए। तीसरे सत्र में श्री डी.पी. मौर्य, मुख्य अभियंता (नई परियोजनाएं) ने सीमेंट, एडमिक्चर और इससे संबंधित अन्य विषयों पर स्लाइड और चित्र द्वारा जानकारी दी। अन्तिम सत्र में श्री एन.के. माथुर, प्रमुख (भू-विज्ञान) ने प्रतिभागियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए यह प्रश्न उठाया कि क्या कारण है कि हिंदी का प्रयोग बहुलता से नहीं हो पा रहा है ? इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं ? इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि इसके लिए बहुत हद तक हम सब ही जिम्मेदार हैं। आगे उन्होंने यह भी प्रश्न उठाया कि क्यों हिंदी के प्रयोग करने वाले असभ्य माने जाते हैं। इस पर चिंतन करने का आग्रह किया। उन्होंने यह उम्मीद जतलायी कि सभी आगे आकर हिंदी में अपना कामकाज निपटायेंगे। चूंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है इसका प्रयोग गौरव के साथ करना चाहिए।

केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे

केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे के कर्मचारियों को हिंदी में काम करने हेतु प्रेरित तथा मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से दिनांक 29-3-2005 तथा 30-3-2005 को हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला का आरंभ कार्यालय के संयुक्त निदेशक, श्री फांसिस मैथ्यु, अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता में औपचारिक उद्घाटन समारोह से हुआ।

श्री नारायण प्रसाद, मुख्य अनुसंधान अधिकारी ने शब्द निर्माण तथा हिंदी वर्तनी से संबंधित व्याख्यान दिए। श्री श्रीकांत कुबल ने कार्यशाला में अपने व्याख्यान में राजभाषा नीति, राजभाषा नियम, अधिनियम का पालन, आंकड़े, पत्राचार, मूल टिप्पण आलेखन की भारत सरकार की पुरस्कार योजना, सरकारी सेवा में भर्ती और आरक्षण, छुट्टी के प्रकार, पदोन्नति और आचरण नियमावाली आदि की जानकारी देते हुए राजभाषा के प्रचार प्रसार में कर्मचारियों की भूमिका की भी जानकारी दी।

कार्यशाला में 22 कर्मचारियों ने भाग लिया, इसमें 7 सहायक अनुसंधान अधिकारी, 15 अनुसंधान सहायकों ने भाग लिया। कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों को "हिंदी कार्यशाला" नामक छपवाई गई पुस्तिका का वितरण किया गया। इस पुस्तिका में कार्यालयीन कामकाज में उपयुक्त सामग्री जैसे पत्र, प्रपत्र, अनुस्मारक आदि के मसौदें और वाक्यांश आदि सम्मिलित किए गए थे। इसके अलावा अनुसंधानशाला से संबंधित पदनाम, प्रभागों/अनुभागों के नाम तथा अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध थी।

क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, अगम कुआँ, पटना

क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, अगम कुआँ, पटना के आत्रेय सभागार में दिनांक 28-01-2005 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन डॉ. अरुण नारायण पाण्डेय, उप निदेशक, राजभाषा आयुष विभाग, दिल्ली की अध्यक्षता में किया गया। अपना-अपना सुझाव गरिमामय ढंग से हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रयोग करने पर बल दिया। तथा कार्यालीय भाषा तो अवश्य हिंदी में प्रयोग किया जाये, साथ ही वैज्ञानिक विषयक शब्दों को हिंदी करण यदि क्लिष्ट होता है तो अंगेजी के शब्द को ही यथावत् लेने में हर्ज नहीं है। इस तरह की बात आधुनिक शोध अधिकारियों का था। वक्ताओं ने अपने सुझाव में यह भी कहा कि अंग्रेजीयत घर से ही शुरू हो जाती है, आगे चलकर कार्यालय में आने पर सुधार करना अत्यधिक कठिन जैसा लगता है। अत: बचपन से ही हिंदी का प्रयोग विशेष रूप से घर में किया जाये।

हकीम एस.एम.एस. हुसैन, यूनानी भूतपूर्व सहायक निदेशक के कथनानुसार यूनानी भाषा का फारसी में अनुवाद ही यूनानी पद्धति है, जब यूनानी से फारसी में अनुवाद हो सकता है तो यूनानी पद्धति का अनुसंधान हिंदी के माध्यम से भी हो सकता है, कि विद्वानों को चाहिए कि हिंदी में फारसी का अनुवाद करा दिया जाए। ❐

(घ) हिंदी दिवस

आयुध निर्माणी भंडारा

आयुध निर्माणी भंडारा में दिनांक 14-9-2004 से 28-9-2004 तक के समय को बड़े उमंग, हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ हिंदी पखवाड़ा के रूप में मनाया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के प्रथम दिन अर्थात् दिनांक 14-9-2004 को श्री ए. के. हैकरवाल, अस्थायी प्रभारी अधिकारी एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति मुख्य अतिथि ने अपने प्रेरणात्मक वक्तव्य के माध्यम से लोगों को हिंदी में कामकाज करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सभी को विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़चढ़ कर भाग लेने का भी आग्रह किया। हिंदी पखवाड़े के अन्तर्गत आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं में हिंदी कविता-पाठ, निबंध लेखन, प्रश्नमंच, हिंदी श्रुतलेख, हिंदी टिप्पण एवं आलेखन, पारिभाषिक शब्दावली, हिंदी नारा, वाद-विवाद, हिंदी टंकण, वैयक्तिक पुरस्कार एवं चल वैजयंती विजयश्री (रोलिंग ट्राफी) प्रतियोगिताएँ प्रमुख रहीं।

इसके अलावा मुख्य स्थानों पर हिंदी चार्टों/पोस्टरों/आदर्श वाक्यों को लगवाने के साथ-साथ एक राजभाषा प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। प्रदर्शनी के अन्तर्गत कार्यालयीन विषयों से संबंधित पुस्तकों, शब्दावलियों, पत्रिकाओं, द्विभाषी यांत्रिक इलेक्ट्रिक/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जानकारी से संबंधित चार्टों/हिंदी में हुए या हो रहे कामकाज के नमूनों, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976, राजभाषा संकल्प, 1968 तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए राजभाषा नीति से संबंधित अनुदेशों, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी सीखने पर मिलने वाले विभिन्न पुरस्कारों/प्रोत्साहनों से संबंधित पोस्टरों/चार्टों आदि का प्रदर्शन भी किया गया। इस प्रदर्शनी की सभी लोगों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। प्रतियोगिताएं हिंदी भाषी और अहिंदी भाषी दोनों समूहों के लिए अलग-अलग आयोजित की गईं जिसमें आयुध निर्माणी भंडारा व सभी संबद्ध संस्थापनों के लोगों को भाग लेने की अनुमति दी गई थी।

इस अवसर पर पूरे पखवाड़े के दौरान दोपहर के बाद एक विशेष हिंदी पटल (काउंटर) का प्रबंध किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदी के प्रयोग में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों का निराकरण कर कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित करना था। इस दौरान हिंदी में काम करने के लिए सभी लोगों का मार्गदर्शन किया गया।

दिनांक 21-12-2004 को हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह के अवसर पर पुरस्कार विजेताओं आदि को पुरस्कार व प्रमाण-पत्र आदि देने के लिए एक 'हिंदी संगोष्ठी' का आयोजन भी किया गया।

श्री ए.के. हैकरवाल, अपर महाप्रबंधक/प्रशासन एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि "हिंदी देश को एकता के सूत्र में बाँध सकती है, इसलिए यह राजभाषा है। हिंदी में हो रहे कामकाज के लिए हाल ही में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भंडारा द्वारा आयुध निर्माणी भंडारा को पुरस्कृत किया गया है। हिंदी में काफी कार्य किया जा रहा है। फिर भी आने वाले समय में और अधिक कार्य हिंदी में करने के लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है।"

मुख्य अतिथि श्री एस मुखोपाध्याय, वरिष्ठ महाप्रबंधक ने आयुध निर्माणी भंडारा में हिंदी में हो रहे कामकाज की प्रशंसा करते हुए अपने संबोधन में कहा कि "इस पखवाड़े के दौरान आयोजित विविध प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में शामिल होकर इसे सफल बनाने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले वर्षों में भी आप लोग इसी तरह अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। आयुध निर्माणी भंडारा में जो काम हिंदी में हो रहा है वह बहुत ही सराहनीय है। इस वर्ष विविध पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षाओं के 12 प्रश्न-पत्र हिंदी तथा अंगेजी, दोनों भाषाओं में निकाले गये हैं, यह प्रशंसनीय कार्य है।

सेमीकंडक्टर कांप्लेक्स लिमिटेड, मोहाली

सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड में 14 सितम्बर, 2004 से 28 सितम्बर, 2004 तक हिंदी पखवाड़ा समारोह

पूर्वक मनाया गया। दिनांक 22 सितम्बर, 2004 को कंपनी में प्रात: 10.00 बजे आशुभाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके लिए विषय था : घृणित अपराधों के लिए मृत्यु-दण्ड अनिवार्य अथवा आपराधिक छवि के व्यक्तियों का महिमामंडन—एक खतरनाक प्रवृत्ति। चूंकि विषय सामयिक एवं ज्वलंत था, अत: प्रतियोगियों ने इसमें बढ़-चढ़ कर भाग लिया। तत्पश्चात् प्रश्नोत्तरी (**QUIZ**) प्रतियोगिता कार्यक्रम में भी कर्मचारियों ने दिलचस्पी ली।

दिनांक 23 सितम्बर, 2004 को प्रात: 10.00 बजे निबंध प्रतियोगिता एवं तत्पश्चात् हिंदी व्यवहार प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अभिव्यक्ति शैली और भावों के प्रस्फुटन में प्रतियोगियों में प्रौढ़ता एवं विचारों में तारतम्य है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों को अपनी सुषुप्त प्रतिभाओं को उजागर करने का अवसर प्राप्त हुआ। निर्णायक मंडल में निदेशक (तकनीकी), श्री मदन मोहन सोबती, कार्यकारी निदेशक श्रीमती सुनीता पुरी एवं महाप्रबंधक, श्री एस.के. राकेश शामिल थे।

दिनांक 24 सितंबर, 2004 को मुख्य समारोह आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय डॉ. मनु जी ज़राबी ने की। सर्वप्रथम श्री अश्विनी कुमार, प्रबंधक (प्रशासन) ने विषय प्रवर्तन करते हुए सेमीकंडक्टर कांप्लेक्स लिमिटेड द्वारा सरकारी नियमों के अनुसार लगभग हर एक क्षेत्र में की गई प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् उन्होंने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय को हिंदी दिवस पर अपना संदेश देने के लिए आमंत्रित किया। अपने संदेश में डॉ. ज़राबी ने कहा कि हम यहां केवल रस्म-अदायगी के लिए हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़े का आयोजन नहीं करते, बल्कि हर वर्ष कुछ नया करने का ईमानदारी से प्रयास करते हैं, जिसका परिणाम आप सब यहां हिंदी में अधिकाधिक प्रयोग के रूप में देख रहे हैं। आज के सूचना प्रौद्योगिकी युग में हमने अपने यहां के सभी कंप्यूटरों में आधुनिकतम सॉफ्टवेयर लगा कर उन्हें द्विभाषी रूप में काम करने योग्य बना दिया है। परिणामस्वरूप एक ही कंप्यूटर पर इच्छानुसार हिंदी अथवा अंग्रेजी में कार्य करने में कोई कठिनाई नहीं है।

तदुपरांत कम्पनी के कार्यकारी निदेशक एवं वैज्ञानिक, डॉ. डी.एन. सिंह ने नैनो टेक्नोलॉजी—आने वाले युग की जीवन-विधा विषय पर हिंदी में रोचक, विचारोत्तेजक तथा जानकारी से भरपूर व्याख्यान प्रस्तुत किया। नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस प्रकार आगामी 50 वर्षों में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युगांतरकारी परिवर्तन संभव हो सकेगा, इसका दिग्दर्शन उन्होंने स्लाइडों और चित्रों के माध्यम से कराया। उन्होंने इस धारणा को निर्मूल सिद्ध कर दिया कि वैज्ञानिक विषयों पर हिंदी में प्रस्तुति दुष्कर कार्य है। जटिल विषय पर धारा प्रवाह सरल हिंदी भाषा में लगभग एक घंटे तक चले उनके व्याख्यान को अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक महोदय सहित लगभग 80 से अधिक वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने दत्तचित होकर सुना एवं मुक्तकंठ से सराहना की।

तत्पश्चात् सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड के तकनीकी निदेशक, श्री मदन मोहन सोबती जी ने सूचना प्रौद्योगिकी का राष्ट्र के विकास में योगदान विषय पर सुबोध शैली और आमफहम भाषा में सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार आज सूचना प्रौद्योगिकी आम लोगों के जीवन में रच-पच गई है। पहले जिस DIGITAL DIVIDE का खतरा महसूस किया जा रहा था, वह अब निर्मूल सिद्ध हुआ है। दूसरी ओर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दक्ष हमारे वैज्ञानिकों ने देश और विदेश दोनों में अपनी छाप छोड़ी है। वर्ष 2008 तक तो सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से होने वाला निर्यात-व्यवसाय लगभग 50 बिलियन डॉलर का आंका गया है। संक्षेप में सूचना प्रौद्योगिकी ने अभिजात्य वर्ग से लेकर अंतिम श्रेणी के व्यक्ति तक सभी को दूर-दूर तक प्रभावित एवं लाभांवित किया है।

तत्पश्चात् हिंदी परामर्शदाता, श्री आर. जी. जायसवाल ने समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लाभार्थ, आयोजित कार्यशाला में समय-समय पर यथा संशोधित (राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियमावली, 1970, संसदीय राजभाषा समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम में उल्लिखित महत्वपूर्ण प्रावधानों) के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला में प्रतिभागियों द्वारा विभिन्न उपबंधों के बारे में व्यक्त की गई जिज्ञासा से यह स्पष्ट था कि सेमीकंडक्टर कांप्लेक्स लिमिटेड के सभी स्तर के कर्मचारीगण राजभाषा हिंदी से सम्बन्धित नियमों/आदेशों के अनुपालन के बारे में कितने उत्सुक एवं गंभीर हैं।

इसके बाद अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, डा. मनु. जी. ज़राबी के करकमलों से विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने

वाले विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कम्पनी की कार्यकारी निदेशिका एवं विभाग-प्रमुख, श्रीमती सुनीता पुरी जी की अनुपस्थिति में महाप्रबंधक, श्री एस. के. राकेश जी ने आभार-प्रदर्शन के सुखद दायित्व का निर्वाह किया।

हिंदी दिवस कार्यक्रम का लक्ष्य था कर्मचारियों में हिंदी के प्रति अनुकूल रुझान और माहौल उत्पन्न करके उन्हें रोजमर्रा के काम में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करना। हर्ष का विषय है कि अपने इस उद्देश्य में यह कार्यक्रम पूर्णरूपेण सफल रहा। हिंदी परामर्शदाता, श्री आर. जी. जायसवाल ने कुशलतापूर्वक एवं सूझबूझ से कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रमुखत: प्रबन्धक (प्रशासन), श्री अश्विनी कुमार, श्रीमती हरमीत कौर, हिंदी कार्यालय सहायिका एवं प्रशासन अनुभाग के श्री सुनील कुमार, श्री भुपिन्द्र सिंह एवं श्री लालचन्द तथा श्री नरेश का उल्लेखनीय सहयोग रहा।

नराकास, कोट्टयम

कोट्टयम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के चौथे संयुक्त हिंदी सप्ताह समारोह के अंतर्गत रबड़ बोर्ड मुख्यालय के सम्मेलन भवन में 8, 9 एवं 10 दिसंबर, 2004 को विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। टिप्पण एवं प्रारूपण, निबंध लेखन, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, कवितालापन (पुरुष), कवितालापन (महिला), हिंदी गान (पुरुष), हिंदी गान (महिला)। प्रतियोगिताओं के स्तर में गत सालों की अपेक्षा और भी प्रगति हुई। प्रतियोगिताओं के संचालन के लिए बोर्ड के बाहर से हिंदी विद्वानों को आमंत्रित किया।

संयुक्त हिंदी सप्ताह का समापन समारोह एवं पुरस्कार वितरण रबड़ बोर्ड मुख्यालय, कोट्टयम-2 में 16 मार्च, 2005 को संपन्न हुआ।

तीस्ता चरण-5 जलविद्युत परियोजना

सिक्किम राज्य में अवस्थित तीस्ता चरण-5 जलविद्युत परियोजना बालुटार, सिंगताम (पूर्वी सिक्किम) की निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं के साथ ही साथ राजभाषा के प्रयोग, विकास एवं संवर्धन आदि संबंधी क्रियाकलापों परियोजना प्रमुख श्री एस. के. मित्तल, महाप्रबंधक की देख-रेख एवं दिशा निर्देशन में संपादित हो रही है। जहां एक ओर श्री मित्तल पेशे से विद्युत इंजीनियर हैं, वही दूसरी ओर राजभाषा स्नेही भी। उन्हें राजभाषा के प्रति गहरा लगाव है और वे चाहते हैं कि परियोजना में अधिक से अधिक कार्य राजभाषा के माध्यम से हो। इसी भावना को जाग्रत एवं प्रोत्साहन के विचार से जुलाई, 2004 से प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हिंदी दिवस के रूप में पालन किया जाना प्रारंभ कराया। इन खास दिवसों को हिंदी में कामकाज निपटाये जाने के लिए हिंदी अनुभाग की ओर से विभिन्न प्रकार के आकर्षक पोस्टर तैयार करके वितरित किया जाने लगा और प्रमुख स्थलों पर लगाए जाने लगे। उसके साथ ही साथ यह सूचना बोर्ड पर भी लिखा जाने लगा। इन दिवसों के पालन से काफी लाभ हो रहा है।

हिंदी दिवस पालन संबंधी सूचना को प्रत्येक अधिकारियों/कर्मचारियों तक पहुंचाये जाने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि इस दिवस को अधिक लोकप्रिय बनाए जाने और जन-जन तक पहुंचाये जाने के लिए दूरभाषा ही उत्तम साधन है। जो प्रत्येक विभाग/परिसर के हर कक्ष/टेबुल पर स्थापित है। इसलिए यह सूचना उन्हीं के माध्यम से दिया जाना प्रारंभ किया जाए। महाप्रबंधक महोदय ने इस कार्य को अंजाम दिए जाने के लिए मुख्य अभियंता (विद्युत) श्री डी. चट्टोपाध्याय को जिम्मेवारी सौंपी।

श्री डी. चट्टोपाध्याय और उनके सहयोगियों के प्रयास से यह प्रयोग सफल हुआ और दिनांक 12-3-2005 से इन खास दिवसों को राजभाषा में कामकाज किए जाने संबंधी संदेश दूरभाष के माध्यम से प्रसारित किया जाना प्रारंभ कर दिया गया है और इस आशय का परिपत्र भी जारी की जा चुका है। जैसे ही रिसीवर उठाये जाते हैं, इन खास दिवसों पर यह संदेश सुनाई पड़ने लगता है कि आज मंगलवार है/ आज शनिवार है। कृपया अपना कामकाज हिंदी में करें। यह सूचना सारे दिन चलते रहती है।

राजभाषा के क्षेत्र में यह उपलब्धि तीस्ता चरण-5 के लिए सबसे गौरवमयी है। इस व्यवस्था के माध्यम से राजभाषा के प्रचार-प्रसार व प्रयोग में अटूट सहयोग मिलेगा। राजभाषा के नीतियों के परिपालन एवं कार्यान्वयन में श्री अजय कुमार बक्सी, उप प्रबंधक (राजभाषा) का पूर्ण सहयोग परियोजना को प्राप्त हो रहा है और कई योजनाएं भी निकट भविष्य में प्रारंभ होने वाली हैं। यह परियोजना राजभाषा के क्षेत्र में एक मिशाल कायम करने की ओर अग्रसर है। चूंकि इस कार्य में सभी विभागों/परिसरों का महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है। ❐

संगोष्ठी/सम्मेलन

केनरा बैंक
राजभाषा अनुभाग, अंचल कार्यालय, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ

विशेष राजभाषा बैठक का आयोजन

दिनांक 23-2-2005 को अंचल कार्यालय के सभाकक्ष में विशेष राजभाषा बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें श्री रामनिवास शुक्ल, सहायक निदेशक (राजभाषा) गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता बैंक के महाप्रबंधक, श्री पी.एन. मूर्ति ने की।

बैंक के अंचल कार्यालय के सभी अनुभाग प्रमुखों को संबोधित करते हुए सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री रामनिवास शुक्ल ने कहा कि भाषा और व्यक्ति का एक अटूट संबंध है। कोई भी भाषा जनसमर्थन से ही सहज स्वीकार्य होती है। उन्होंने कहा कि शब्द रूपी आयुध हिंदी को सभी भारतीय भाषाओं से मिले हुए है इसीलिए यह भाषा सहज स्वीकार्य हुई है। उन्होंने अन्य भाषाओं तथा अंग्रेजी के प्रचालित हिंदी शब्दों को भी दैनिक उपयोग में लाने का सुझाव दिया। श्री शुक्ल ने केनरा बैंक में राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति किए जा रहे समर्पित प्रयासों की हार्दिक सराहना करते हुए कहा कि बैंक के वरिष्ठ कार्यपालकों से लेकर सभी अनुभागों में हिंदी का जो श्रेष्ठ वातावरण देखने को मिला है वह अत्यंत ही सराहनीय है।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री पी.एन. मूर्ति, महाप्रबंधक ने कहा कि आज हिंदी किसी भी व्यवसाय या उद्योग के लिए अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि आज के बदलते बैंकिंग परिवेश तथा कम्प्यूटरीकरण के माहौल में राजभाषा कार्यान्वयन का महत्व और भी बढ़ गया है। हमारा बैंक इस ओर पूर्ण सजग है और बैंक द्वारा कंप्यूटर के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग पर विशेष बल दिया जा रहा है। शाखाओं और कार्यालयों का द्विभाषी बैंकस्क्रिप्ट, आकृति और शब्दरत्न पैकेज प्रदान किए जा रहे हैं जिससे कि ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुरूप हिंदी अथवा अंग्रेजी माध्यम से उन्हें बैंकिंग सेवा उपलब्ध हो सके।

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, तिरूवल्ला
राजभाषा संगोष्ठी

इण्डियन ओवरसीज बैंक के एरणाकुलम क्षेत्रीय कार्यालय के तहत केरल के पत्तनम्तिट्टा, आलुप्पुषा, कोट्टयम और एरणाकुलम जिलों में कार्यरत शाखाएँ शामिल हैं। बैंक की सभी शाखाओं में राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक-एक सदस्य को नामित किया गया है। बैंक ने दिनांक 12-3-2005 को पत्तनम्तिट्टा जिले की प्रमुख शहर तिरूवल्ला में नामित सदस्यों के लिए एक संगोष्ठी आयोजित की।

श्री एस. विश्वानाथन, राजभाषा अधिकारी ने अपने स्वागत भाषण में जिक्र किया कि मुख्य प्रबंधक, तिरूवल्ला खुद इसकी मिसाल हैं कि यदि हिंदी का प्रयोग करने में अभिरुचि हो तो अधिक से अधिक काम किया जा सकता है। उन्होंने इस पर खुशी व्यक्त की कि हिंदी के कार्यान्वयन में अभिरुचि रखने वाले ऐसे आदर्श पुरुष के हाथों कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है।

श्री टी. जगदीशन, मुख्य प्रबंधक, तिरूवल्ला शाखा ने अपने भाषण में जिक्र किया कि सरल हिंदी अपनाने से प्रयोग में सुविधा होती है। किसी भी भाषा में संप्रेषण सफल होने के लिए सरल भाषा का प्रयोग होना अनिवार्य है। बैंक जैसे जनसेवी संस्थानों में पत्रों या परिपत्रों से संप्रेषण करने वालों को चाहिए कि सरल बोलचाल की भाषा अपनाएँ।

श्री डी. कृष्णप्पीणक्कर, अतिथि वक्ता ने अपने भाषण के ज़रिए सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा काम हिंदी में करने के लिए प्रेरित किया साथ ही सरल हिंदी अपनाने के कुछ नुस्खे भी उन्होंने दिए। शब्दों के प्रयोग के संबंध में सदस्यों का संदेह निवारण भी उन्होंने किया।

कीक्कोषूर, पोय्यानिज जंक्शन और कल्लूप्पारा शाखाओं के नामित सदस्यों ने सभा को अवगत किया कि अपनी शाखा में किस तरह हिंदी के प्रयोग में बढ़ोतरी लाई जा रही है। एटत्वा शाखा के नामित सदस्य श्री मनोहर षण्मुखम ने अपने

धन्यवाद ज्ञापन में उल्लेख किया कि इस संगोष्ठी से सभी प्रतिभागियों को निस्संदेह हिंदी में और अधिक काम करने की प्रेरणा मिली है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस तरह की संगोष्ठियाँ और अधिक आयोजित की जाएँ ताकि जो हिंदी का ज्ञान होते हुए भी काम में जाने से झिझक रहे हैं, उनको प्रोत्साहित किया जा सके।

भारी पानी संयंत्र, तूतीकोरिन, तमिलनाडु

वैज्ञानिक संगोष्ठी

दिनांक 9 एवं 10 मार्च, 2005 को एक दो-पूर्ण दिवसीय वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन राजभाषा में किया गया। वैज्ञानिक संगोष्ठी का उद्घाटन तूतीकोरिन सीमाशुल्क आयुक्त, श्री एम. वीरय्यन ने किया। संगोष्ठी की उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता भारी पानी के संयंत्र के मुख्य महाप्रबंधक एवं अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति श्री एम.एस.एन. शास्त्री ने की।

उद्घाटन अवसर पर सीमाशुल्क आयुक्त श्री वीरय्यन ने अपने नौकरी के प्राथमिक दिनों में हिंदी में बात करने में आई कठिनाइयों के रोचक किस्से सुनाए। उन्होंने आगे बताया कि कम से कम सरकारी कर्मचारियों को हिंदी सीखना जरूरी है क्योंकि भारत में उनका स्थानांतरण कहीं भी हो सकता है। इसलिए हिंदी न जानने की स्थिति में बातचीत करने, समझाने एवं समझने में परेशानी होती है। अत: उन्होंने अनुरोध किया कि भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं है और आज भूमंडलीकरण के दौर में अन्य भाषाओं की जानकारी होना जरूरी है।

इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक श्री एम.एस.एन. शास्त्री ने राजभाषा वार्ता के अपने उद्बोधन में कहा कि देश का विभाजन भाषायी आधार पर करना एक गलत कदम था, फिर भी, देश में विपत्ति के समय सभी भाषा भाषी एक हो जाते हैं। चारधाम यात्रा करते समय पर भी कोई भाषायी समस्या नहीं आती है और यही हमारी ताकत है। सरकार भी धीरे-धीरे कामकाज हिंदी में बढ़ाने का प्रयास कर रही है। अभी आजादी को 50 साल से अधिक हुए हैं और आने वाले 50 वर्षों में और अधिक भाषायी विकास होगा। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। श्री वी.वी.एस. रामा राव, अध्यक्ष-राभाकास ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि भारी पानी संयंत्र द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन में कई अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष भी प्रथम राजभाषा वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन किया था। प्रथम सर्वभाषा कवि गोष्ठी का आयोजन किया था जो सराहनीय है। और हम आगे भी राजभाषा कार्यान्वयन हेतु प्रयास करते रहेंगे।

वैज्ञानिक संगोष्ठी के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए श्री मनोज शर्मा, सहायक निदेशक (राभा) ने कहा कि वैज्ञानिक संगोष्ठी का आयोजन का यह हमारा दूसरा प्रयास है। इस बार हमने दो दिवसीय संगोष्ठी रखी है। व्याख्यान भी पिछले वर्ष की तुलना में अधिक दिए जा रहे हैं। प्रतिभागियों की संख्या भी बढ़ी है। साथ ही, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के उन सदस्य-कार्यालयों के व्याख्याताओं एवं प्रतिभागियों को भी आमंत्रित किया जिन कार्यालयों का कामकाज वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रकृति का हो जिसमें केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र, आकाशवाणी, तट रक्षक अवस्थान, सीईसीआरआई से लगभग 10 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

उद्घाटन अवसर पर प्रबोध, प्रवीण परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को मुख्य अतिथि द्वारा प्रमाणपत्र भी वितरित किए गए। दूसरे दिन समापन समारोह में उप अनुरक्षण प्रबंधक (विद्युत) श्री आर. वीरराघवन ने प्रतिभागियों द्वारा संगोष्ठी संबंधी अपने उद्गारों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद किया एवं कहा कि हमें इस दूसरे वर्ष कार्यक्रम आयोजन का सकारात्मक प्रतिसाद मिला है एवं भविष्य में ऐसे आयोजनों में हम निरंतर सुधार करते रहेंगे।

दक्षिण मध्य रेलवे, हैदराबाद

संरक्षा संगोष्ठी

राजभाषा हिंदी के प्रयोग प्रसार में वृद्धि के लिए मंडल संरक्षा अधिकारी के कार्यालय के तत्वाधान में कर्नूल टाउन स्टेशन पर "संरक्षा के विभिन्न पहलू" पर हिंदी में संरक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया गया । मुख्य अतिथि के रूप में श्री ए. गोपीनाथ, अपर मंडल रेल प्रबंधक अध्यक्षीय भाषण में श्री ए. गोपीनाथ ने कहा कि रेलवे का कार्य एक विशेषज्ञ का कार्य होता है और इसलिए इसकी शिक्षा बार-बार दी जाती है। रेलवे एक परिवार का परिचायक है विभिन्न कार्यालय इसके घटक तथा एक-दूसरे के पूरक हैं। अत:, परिवार को सुचारू रूप से चलने के लिए मिल-जुल कर सभी को कार्य करना

चाहिए। उन्होंने अपने भाषण में आगे कहा कि राजभाषा हिंदी एक सरल और सहज भाषा है और हम सबका दायित्व है कि हम अपना काम हिंदी में भी करें।

इससे पूर्व श्री ईश्वर राव, स्टेशन मास्टर/कर्नूल टाउन ने गाड़ी के क्रासिंग पर होने वाली समस्याओं का उल्लेख किया। श्री शास्त्री, स्टेशन मास्टर/मनोपाड ने बैठक में गाड़ी परिचालन पर विचार-विमर्श पर जोर दिया। श्री के. वी. रेड्डी, कनिष्ठ सिगनल इंजीनियर ने जनरेटर के सदुपयोग की सलाह दी, श्री माधव स्वामी, पाइंट्समैन "ए" ने अच्छे स्काच ब्लाक और क्लैंप की आवश्यकता पर बल दिया। श्री के. एस. रमणा, टीसीएम ने संचार के महत्व पर प्रकाश डाला। श्री पी. कृष्णय्या, सेइंजी/कर्नूल टाउन ने गैंगमैन के कर्तव्यों को प्रतिपादित किया।

श्री सुधाकर, सहायक मंडल इंजीनियर/कर्नूल टाउन ने संरक्षा को दो भागों में बांटते हुए व्यक्तिगत संरक्षा और कार्य के प्रति संरक्षा पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने प्रशिक्षण की आवश्यकता पर भी बल दिया।

डॉ. सिद्दीकी, मंडल चिकित्सा अधिकारी/कर्नूल टाउन नये काम पर आने से पहले पूर्ण विश्राम की सलाह दी क्योंकि स्वास्थ्य का कार्य निष्पादन पर सीधा असर पड़ता है।

राजभाषा अधिकारी श्री अशोक सेन गुप्ता ने संवाद के लिए भाषा के महत्व को प्रतिपादित किया और कहा कि हिंदी में वार्तालाप करना और प्रांतीय भाषाओं में वार्तालाप करने से निचले तबके के कर्मचारियों तक पहुंचे संदेश में कोई भ्रम नहीं होता।

सीरी, पिलानी

राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सीरी), पिलानी, में 23—25 फरवरी, 2005 को "राष्ट्रीय विकास में सीएसआईआर प्रयोगशालाओं का योगदान" विषय पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

संगोष्ठी में विभिन्न प्रयोगशालाओं के प्रस्तुतीकरण को परिषद् के संरचनात्मक ढाँचे के अनुसार क्रमशः पाँच सत्रों में विभाजित किया गया—

1. जीवविज्ञान, जैव एवं खाद्य प्रौद्योगिकी
2. रसायन विज्ञान एवं अभियांत्रिकी
3. भू-पर्यावरण, ऊर्जा एवं संरचना अभियांत्रिकी
4. विविध इंजीनियरी विज्ञान
5. भौतिकी, इलेक्ट्रानिकी, सूचना व प्रबंध विज्ञान

संस्थान के निदेशक डॉ. चन्द्रशेखर ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं सीएसआईआर की विभिन्न प्रयोगशालाओं से आए प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि सीएसआईआर का यही प्रयास रहा है कि विज्ञान को उपयोगी प्रौद्योगिकी में बदल कर आम जनता को पहुँचाया जाए।

राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी के विशिष्ठ अतिथि डॉ. ओम विकास ने 'वैश्वीकरण के संदर्भ में तकनीकी बदलाव - सूचना प्रौद्योगिकी का लोकीकरण एवं सहभागिता' विषय पर एक सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत किया। लगभग तीन दर्जन पारदर्शियों (ट्रांस्पेरेंसी) के माध्यम से उन्होंने विश्व व्यवस्था में क्रांति तरंगें, शक्ति व अभिव्यक्ति का मशीनीकरण, सूचना क्रांति का प्रबल वेग, बेतार संचार की महत्ता, भाषा-संस्कृति का तिरोभाव, उन्नत देशों के साथ तुलनात्मक अध्ययन, प्रतिस्पर्धा सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, भारत के तकनीकी प्रयास, सूचना प्रौद्योगिकी के परिप्रेक्ष्य में हिंदी अभिदृष्टि, वैश्वीकरण, अंतरराष्ट्रीयकरण, लोकीकरण, संस्कृति की विविधता, सामूहिकता का महत्व, वैश्विक ग्राम, ज्ञान-पोषित समाज की व्यवस्था आदि विषयों पर चर्चा करते हुए अपने व्याख्यान को बड़े, रोचक, आकर्षक एवं जीवंत ढंग से प्रस्तुत किया। ❐

पुरस्कार

एन.एच.पी.सी. फरीदाबाद एक और राजभाषा शील्ड से सम्मानित

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. (एन.एच.पी.सी.) को राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रगति हेतु फरीदाबाद में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/उपक्रमों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, राजभाषा विभाग, फरीदाबाद द्वारा वर्ष 2003-2004 के लिए द्वितीय पुरस्कार के रूप में राजभाषा शील्ड व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है।

नराकास, राजभाषा विभाग, फरीदाबाद द्वारा राजभाषा की प्रगति के लिए एन.एच.पी.सी. को वर्ष 1997 से अब तक लगातार पुरस्कृत किया जा रहा है। इस पुरस्कार सहित एन.एच.पी.सी. नराकास, फरीदाबाद से 6 पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है।

नराकास, फरीदाबाद द्वारा दिनांक 6-5-2005 को आयोजित वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि श्री एम.एल. गुप्ता, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के कर-कमलों से एन.एच.पी.सी. की ओर से यह पुरस्कार श्री उपेन्द्र चोपड़ा, महा प्रबंधक (कार्मिक, जनसंपर्क एवं राजभाषा) एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2003-2004 के दौरान नराकास, फरीदाबाद द्वारा आयोजित विभिन्न वार्षिक प्रतियोगिताओं में भी एन.एच.पी.सी. के कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में से कम्प्यूटर पर हिंदी टाइपिंग प्रतियोगिता में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करने पर इस निगम के जनसंपर्क विभाग में कार्यरत श्री नीतिन वर्मा, आशुलिपिक को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। अहिंदीभाषी वर्ग के कर्मचारियों के लिए आयोजित वार्षिक निबंध प्रतियोगिता में निगम के टी.एंड एचआरडी विभाग में कार्यरत श्री श्यामनाथ जे., सहायक प्रोग्रामर ने तीसरा पुरस्कार प्राप्त किया।

एनएमडीसी को पुनः इस्पात मंत्रालय की राजभाषा शील्ड

राजभाषा कार्यान्वयन एवं इसके प्रगामी प्रयोग के क्षेत्र में देश की अग्रणी पंक्ति में गिने जाने वाली और पुरस्कारों से निरंतर नवाज़ी जा रही कंपनी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद को फिर एक बार इस्पात मंत्रालय की राजभाषा शील्ड प्राप्त करने का श्रेय मिला। दिनांक 11 अप्रैल, 2005 को केंद्रीय इस्पात मंत्री माननीय श्री राम विलास पासवान की अध्यक्षता में उद्योग भवन, नई दिल्ली में संपन्न इस्पात मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में एन.एम.डी.सी. को वर्ष 2001-02 के लिए राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में उत्तम निष्पादन के लिए प्रथम पुरस्कार स्वरूप "राजभाषा शील्ड" प्रदान की गई। माननीय रसायन, ऊर्वरक एवं इस्पात मंत्री, श्री राम विलास पासवान के कर-कमलों से नेशलन मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री बी. रमेश कुमार ने यह प्रतिष्ठित राजभाषा शील्ड ग्रहण किया। इससे पूर्व भी एन.एम.डी.सी. को राजभाषा कार्यान्वयन एवं प्रगामी प्रयोग व प्रचार-प्रसार में उत्तम निष्पादन हेतु राजभाषा विभाग, भारत सरकार की ओर से इस क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले "ग" क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों में सर्वोच्च पुरस्कार इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड/ राजभाषा ट्राफी/विशिष्ट राजभाषा पुरस्कार 9 बार और इस्पात मंत्रालय की ओर से प्रदान की जाने वाली राजभाषा शील्ड/ राजभाषा ट्राफी 8 बार प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार राजभाषा नीति के उत्तम कार्यान्वयन के लिए एन.एम.डी.सी. को प्राप्त पुरस्कारों की शृंखला में यह 18वां पुरस्कार है।

उक्त अवसर पर एक राजभाषा प्रशस्ति पत्र भी माननीय इस्पात मंत्री महोदय के कर-कमलों से प्रदान किया गया जिसे निगम के प्रबंधक (राजभाषा), श्री विजय कुमार ने ग्रहण किया।

हिंदी सलाहकार समिति के सभी सदस्यों ने उक्त उपलब्धि के लिए एनएमडीसी को बधाई दी। ❑

प्रशिक्षण

नगांव पेपर मिल कागज नगर-782413 (असम)

संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन

नगांव पेपर मिल के केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र में दिनांक 14 फरवरी, 2005 से 18 फरवरी, 2005 तक केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के सौजन्य से द्वितीय बार पांच दिवसीय संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। प्रभारी उप प्रबन्धक [राजभाषा] आई.के. माथुर ने मिल के कार्यकारी महाप्रबन्धक [कार्य] श्री मोहन झा, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत सरकार विधि की भाषा तथा प्रौद्योगिकी की भाषा के रूप में हिंदी का विकास करना चाहती है। इसका कारण यही है कि हिंदी संपूर्ण देश की संपर्क भाषा ठहरी और सारी भारतीय भाषाओं से हिंदी में तथा हिंदी से उसमें अनुवाद का कार्य बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सभी धाराओं में प्रकाशित विदेशी भाषाओं की सामग्री का अनुवाद हिंदी में करने का कार्यक्रम जोर पकड़ता जा रहा है। राजभाषा को कामकाजी भाषा में प्रयोग करने हेतु अनेक असुविधायें आपके सामने आती होंगी। इन्हीं असुविधाओं को दूर करना ही इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है।

दिनांक 18-2-2005 को 3-00 बजे मूल्यांकन एवं समापन सत्र मिल के मुख्य अधिशासी जे.डी. फर्नांडीस की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

अपने संक्षिप्त भाषण में प्रशिक्षण अधिकारी श्री इंद्रजीत चावला ने प्रतिभागियों की शंका समाधान करते हुए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा चलाये जा रहे समस्त पाठ्यक्रमों के बारे में सभी उपस्थित जनों को अवगत कराया अध्यक्षीय भाषण में मुख्य अधिशासी जे.डी. फर्नांडीस ने केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से पधारे दोनों प्रशिक्षण अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि हिंदी हमारी राजभाषा ही नहीं अपितु इसने संपर्क भाषा के रूप में भी अपना स्थान बना लिया है।

देश के कोने-कोने में आज हिंदी जनभाषा बन गई है। इसका प्रचार-प्रसार करना हमारा कर्त्तव्य है उन्होंने यह भी कहा कि अनुवाद एक कला है जिसकी सहायता से एक भाषा का ज्ञान दूसरी भाषा-भाषी लोगों तक पहुंचाया जा सकता हैं। अपनी संस्कृति को जन-जन तक पहुंचाने का साधन है अनुवाद। अनुवाद के माध्यम से ही देश विदेश के साहित्य, संस्कृति को आसानी से समझ सकते हैं। कार्यालयीन कार्य में भी इसका महत्व अधिक है।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, द्वारा जारी प्रमाण पत्र सभी प्रतिभागियों को मुख्य अधिशासी श्री जे.डी. फर्नांडीस के कर कमलों द्वारा प्रदान किये गये। अन्त में श्री एस. सरकार, वरिष्ठ प्रबन्धक [पेपर] ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार

पाँच दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

दिनांक 10-1-2005 से 14-1-2005 तक एक अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली के सहयोग से किया गया। उद्घाटन समारोह का संचालन श्री श्रीनिवास जोशी, राजभाषा अधिकारी ने किया।

अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन श्री सुदर्शन राय, महाप्रबन्धक (केंद्रीय योजना, संचार एवं जनसम्पर्क एवं जीआरआई) ने किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अनुवाद का कार्य एक कठिन कार्य होता है। इसमें श्रोत भाषा के भाव को लक्ष्य भाषा में रखना होता है। अत: आप इस कार्यक्रम को बहुत रूचि के साथ पूरा करें।

पांच दिन तक चलने वाले इस अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन अवसर पर श्री सुदर्शन राय, महाप्रबंधक (केंद्रीय योजना, संचार एवं जनसम्पर्क और जीआरआई) ने प्रमाण पत्र एवं प्रतीक चिह्न भेट किये। इस अवसर पर अपने आशीर्वचन प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि सभी भागीदार अब अपना आधिकाधिक कार्य हिंदी में करे और अपने साथियों को भी इसमें सहायता करे। श्री अनिल कुमार उपाध्याय, अपर महाप्रबंन्धक, मानव संसाधन विकास केन्द्र ने अपने आशीर्वचन में कहा कि अनुवाद एक जटिल कार्य है यह कड़ी मेहनत और अभ्यास से आता है अत: आप अपना अभ्यास आगे भी जारी रखें। उन्होंने इस सम्बन्ध में संस्कृत के श्लोक का हवाला देते हुए कहा कि कार्य मेहनत से ही सिद्ध होता है आराम करने से नहीं होता है। इस अवसर पर दोनों प्रशिक्षण अधिकारियों सर्वश्री चैनपाल सिंह और श्री राजेश सिंह ने भी विचार प्रकट करते हुए अनुवाद कार्य के महत्व पर प्रकाश डाला। ❐

(पृष्ठ 58 का शेष)

भारतीय जीवन बीमा निगम

मंडल कार्यालय : जीवन प्रकाश पो. बा. नं.— 1155, बी. 12/120, गौरीगंज, वाराणसी-221001

पूर्व सूचनानुसार दिनांक 30-6-2004 को दोपहर 12.50 बजे समिति की तिमाही बैठक श्री राकेश कुमार, बरि० मण्डल की अध्यक्षता में शुरू हुई। समीक्षा के दौरान वरि. मण्डल प्रबन्धक श्री राकेश कुमार ने आंकड़ों की समीक्षा गत वर्ष के आंकड़ों से करने का सुझाव दिया एवं इसको शत-प्रतिशत करने पर जोर दिया। कुछ विभागों द्वारा लिफाफों पर पते अंग्रेजी में लिखे जा रहे हैं उन्हें पते हिंदी अथवा द्विभाषी में लिखने को कहा गया। जिन शाखाओं के हिंदी पत्राचार का प्रतिशत घटा है वहाँ के शाखा प्रबंधकों को पत्र दिया जाय। कुछ शाखाओं द्वारा डाक जाँच मण्डल कार्यालय राजभाषा अनुभाग में नहीं कराई जा रही है। इस सम्बंध में वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक ने सुझाव दिया कि प्रत्येक माह में एक/दो बार सभी विभागों में जाकर शाखाओं से प्राप्त डाक की जाँच राजभाषा अनुभाग द्वारा भी कर लिया जाए।

हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड मुख्यालय : जंगपुरा, नई दिल्ली-110014

श्री हजारी लाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 71वीं बैठक दिनांक 30 दिसम्बर, 2004 को अध्यक्ष के कक्ष में आयोजित हुई। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हिंदी में किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा प्रत्येक तिमाही पहले की भांति नियमित रूप से की जाए तथा प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता विभागाध्यक्ष देखें कि हिंदी के कार्यों में निरंतर प्रगति हो रही है। केंद्रीय हिंदी समिति के निर्णयों संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदनों (छ: सहित) पर राष्ट्रपति महोदय के आदेश तथा संसदीय प्रश्नावली के मदों के अनुपालन की भी समीक्षा की जाए।

श्री हजारी लाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय ने कहा कि जिन विभागों या अनुभागों में हिंदी पत्राचार की प्रतिशतता, वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य 100 प्रतिशत हिंदी में कार्यान्वित होने से काफी कम है, तो वे 5 प्रतिशत की वृद्धि हिंदी पत्राचार में करें।

कार्यालय से भेजे जाने वाले मूल पत्रों की संख्या बहुत कम होती है क्योंकि भेजे जाने वाले अधिकांश पत्रादि पत्रोत्तर की श्रेणी में आते हैं। 5 वर्षों से मूल पत्र हिंदी में 90 प्रतिशत से अधिक भेजें जाते रहे हैं। सभी मूल पत्र केवल हिंदी में अथवा द्विभाषी में ही भेजे जाएं।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हर प्रकार के पत्राचार जैसे (1) हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में (2) हिंदी में हस्ताक्षरित पत्रों के उत्तर हिंदी में तथा (3) मूल पत्र हिंदी में आदि 100 प्रतिशत पत्र प्रत्येक तीनों मद हेतु हिंदी में भेजे जाएं।

❐

आदेश-अनुदेश

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली का दिनांक 6-4-2005 का
का. ज्ञा. सं. 15/6/2005-रा.भा. (सेवा)

कार्यालय ज्ञापन

संसदीय राजभाषा समिति ने अपने प्रतिवेदन के छठे खंड में निम्नलिखित सिफारिश की है।

''**संस्तुति सं. 11.10.14 :** केंद्रीय सरकार के मंत्रालय स्तर के लिए तो राजभाषा कैडर बना है जिसके कारण एक कनिष्ठ अनुवादक निदेशक (रा.भा.) के पद तक पहुंच जाता है, किन्तु भारत सरकार के अधीनस्थ/संबद्ध/उपक्रमों/प्रतिष्ठानों में राजभाषा कैडर की व्यवस्था नहीं है। इस कारण राजभाषा अनुभाग में कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी विभागीय पदोन्नति से इस कारण वंचित रह जाते हैं कि वह राजभाषा हिंदी में कार्य कर रहा है। अत: उक्त कार्यालयों में राजभाषा कैडर के आधार पर पदोन्नति होनी चाहिए अथवा उनके विभाग में उनकी वरीयता के आधार पर पदोन्नति की जानी चाहिए। एक मंत्रालय के अधीन जितने उपक्रम/प्रतिष्ठान/अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालय हैं उनका राजभाषा कैडर बनाया जाए।''

2. समिति की यह संस्तुति इस विभाग की संकल्प सं. 12021/02/2003-II रा.भा. (सेवा) दिनांक 17-9-2004 के अंतर्गत स्वीकार कर ली गई है। इस बारे में पहले भी निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन जारी किए गए थे :—

(1) कार्यालय ज्ञापन सं. 17/5/88-रा.भा. (सेवा) दिनांक 6-4-1988

(2) का. ज्ञा. सं. 9/5/1990-रा.भा. (सेवा),दिनांक 13-11-1990, वही 25-4-1991

(3) का. ज्ञा. सं. 9/2/97-रा.भा. (सेवा), दिनांक 14-8-1997, 23-3-1999

(4) का. ज्ञा. सं. 9/5/99-रा.भा. (सेवा), दिनांक 28-9-1999

सभी मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों व उनके नियंत्रणाधीन उपक्रमों से आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों से पुन: अनुरोध है कि वे अपने नियंत्रणाधीन अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों और संगठनों आदि में कार्यरत हिंदी अधिकारियों/कर्मचारियों के संवर्ग गठित करने के लिए कार्यवाही करें ताकि राजभाषा से जुड़े कर्मियों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो सकें।

4. इस विषय में की गई कार्यवाही से राजभाषा विभाग कों भी अवगत कराया जाये।

(एम.एल. गुप्ता)
संयुक्त सचिव (रा.भा.)

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली का दिनांक 8 अप्रैल, 2005 का
का. ज्ञा. संख्या 12013/1/2005-रा.भा. (प्रशि.)

कार्यालय ज्ञापन

विषय :—भारत सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों/बैंकों/स्वायत्त संगठनों/निगमों आदि के कर्मचारियों को हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और हिंदी टंकण एवं आशुलिपि की पाठयपुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराना।

केंद्र संरकार के सभी कर्मचारियों तथा भारत सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों, बैंकों, स्वायत्त संगठनों, निगमों आदि के सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा और हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य है। हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और हिंदी टंकण एवं आशुलिपि प्रतिक्षण पाठ्यक्रमों की पाठ्य-पुस्तकें केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों, बैंकों, स्वायत्त संगठनों, निगमों आदि के जो कर्मचारी हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेते हैं, उन्हें भी हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और हिंदी टंकण एवं आशुलिपि की पाठ्य-पुस्तकें तथा अन्य प्रशिक्षण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी और प्रशिक्षण की समाप्ति पर वापस नहीं ली जाएंगी।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त प्रभाग, गृह मंत्रालय की दिनांक 11-3-2005 की टिप्पण डायरी संख्या-10888/ए.एस. एवं एफ ए(एच) द्वारा दी गई सहमति से जारी किया जा रहा है।

(एस. रमणन)
अवर सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली का दिनांक 18 मई, 2005 का
का. ज्ञा. संख्या 12011/03/2005-रा.भा. (का-2)

कार्यालय ज्ञापन

विषय :—उपक्रमों के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना वर्ष 2004-05

उपर्युक्त विषय पर मंत्रालयों/विभागों का ध्यान इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-11/12013/2/85-रा.भा. (क-2), दिनांक 30-7-86 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अन्तर्गत राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को पुरस्कार प्रदान करने की योजना परिचालित की गई थी। इस पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले पुरस्कारों का निर्णय उपक्रमों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर किया जाता है।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपने नियंत्रणाधीन सभी उपक्रमों/निगमों/कंपनियों के निगमित कार्यालयों/मुख्यालयों में इस कार्यालय ज्ञापन को परिचालित कर दें और उन्हें सलाह दें कि वे अपने पूरे संगठन की (केवल मुख्यालय की नहीं) वर्ष 2004-2005 की चारों तिमाहियों की प्रगति रिपोर्ट 15 जून, 2005 तक इस विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय का अवश्य भेज दें। इस विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के पते तथा उनके क्षेत्राधिकार अनुलग्नक 'क' पर दिये गये हैं।

3. कृपया विवरण भेजते समय उपक्रम आदि का पूरा पता और अध्यक्ष का नाम व पदनाम साफ-साफ लिखा जाए। चूंकि उपक्रमों के लिए पुरस्कार 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों के आधार पी दिए जाएंगे अत: यह आवश्यक है कि उपक्रम का मुख्यालय किस क्षेत्र में है, अवश्य लिखा जाए। कृपया रिपोर्ट भेजते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि रिपोर्ट में दिया गया डाटा केवल मुख्यालय का न होकर पूरे संगठन का है। केवल मुख्यालय की रिपोर्टें स्वीकार्य नहीं हैं।

(एन.एस. रावत)
उप निदेशक(कार्यान्वयन)
दूरभाष/फैक्स : 24619709

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग,
नई दिल्ली का दिनांक 13 मई, 2005 का का.ज्ञा. संख्या 12011/1/2005-रा.भा. (का.-2)

कार्यालय ज्ञापन

विषय :—हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार : वर्ष 2004-2005.

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 30 जुलाई, 1986 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/2/85-रा.भा. (क-2) के तहत केंद्र सरकार के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना परिचालित की गई थी।

2. इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2004-2005 के लिए प्रविष्टियां आमन्त्रित की जाती हैं।

3. पात्रता तथा शर्तें :

(i) योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना हों।

(ii) अनूदित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं हैं।

(iii) पुस्तक 01 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2005 के दौरान लिखी अथवा प्रकाशित की गई हो।

(iv) पुस्तक के लेखक केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन स्वायत्त संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, शैक्षिक व प्रशिक्षण संस्थानों के सेवारत/सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी हों। इस संबंध में पुस्तक के लेखक द्वारा अनुलग्नक 'ख' पर दिये गये प्रोफार्मा में एक प्रमाण-पत्र दिया जाना अपेक्षित है। सेवारत अधिकारी/कर्मचारी अपनी प्रविष्टि अपने विभाग/कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा सत्यापन तथा संस्तुति के साथ (अनुलग्नक 'ग' पर दिए गए प्रोफार्मा में) इस विभाग को भेजें। सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी अपनी पुस्तकें सीधे राजभाषा विभाग को या सेवानिवृत्ति से पूर्व वे जिस संगठन में कार्यरत रहे, उस विभाग/कार्यालय/संगठन के अध्यक्ष के माध्यम से भिजवा सकते हैं।

(v) पुस्तक की विषयवस्तु केंद्रीय सरकार के उक्त कार्यालयों/संगठनों/संस्थानों में कर्मचारियों द्वारा किए गए/किए जा रहे कार्यों से संबंधित हो। मैनुअल, शब्दावलियां, संस्मरण, कविताएं, कहानियां, नाटक, उपन्यास आदि इस योजना के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं हैं।

(vi) पुस्तक किसी शैक्षिक या प्रशिक्षण संस्थान के पाठ्यक्रम में शामिल न हो।

(vii) लेखक इस आशय का प्रमाण-पत्र दें कि यह पुस्तक उनकी मौलिक रचना है और कापीराइट एक्ट (यथा संशोधित) 1997 के तहत किसी अन्य लेखक के कापीराइट का उल्लंघन नहीं करती है।

(viii) प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की चार-चार प्रतियां अवश्य भेजी जाएं।

(ix) योजना के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकें वापिस नहीं की जा सकेंगी और इस संबंध में किसी अंतरिम पूछताछ का उत्तर नहीं दिया जाएगा।

(x) योजना के अंतर्गत प्रेषित सभी पुस्तकों पर विशेषज्ञ की राय अनुलग्नक 'क' पर दिए गए प्रोफार्मे में राजभाषा विभाग को भिजवाई जाए। विशेषज्ञों को पुस्तक की विषयवस्तु से संबंधित शब्दावली तथा हिंदी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। विशेषज्ञ कोई गैर सरकारी व्यक्ति जैसे सेवानिवृत्त अधिकारी या विश्वविद्यालयों /इंजीनियरी/मेडिकल संस्थानों में कार्यरत प्रोफेसर आदि हो सकते हैं। पुस्तकों के मूल्यांकन से संबंधित मानदेय का दावा, यदि कोई हो, राजभाषा विभाग को न भेजकर संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन के प्रशासनिक प्रधान के पास भेजा जाए।

4. इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे :—

(1) प्रथम पुरस्कार — रु. 20,000/-

(2) द्वितीय पुरस्कार — रु.\16,000/-

(3) तृतीय पुरस्कार — रु. 10,000/-

5. पुस्तकों का मूल्यांकन एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें राजभाषा विभाग के प्रतिनिधियों के अलावा दो गैर सरकारी सदस्य होते हैं।

6. प्रविष्टियां इस विभाग में दिनांक 29 जुलाई, 2005 तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. प्रविष्टियां निम्न पते पर भेजी जाएं :—

अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन)
कार्यान्वयन-2 अनुभाग,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
द्वितीय तल, लोकनायक भवन, ए विंग,
खान मार्किट, नई दिल्ली-11,0003.

8. मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वह हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने की उपर्युक्त योजना को अपने सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, वित्तीय सस्थाओं एवं केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा शैक्षणिक/प्रशिक्षण संस्थानों में परिचालित कर दें। इस योजना के बारे में सूचना हमारी वेबसाइट http://rajbhasha.nic.in पर भी उपलब्ध है।

(वी. के. श्रीवास्तव)
निदेशक (कार्यान्वयन)
दूरभाष : 24617695

अनुलग्नक ''क''

<u>विशेषज्ञों के लिए निर्देश</u>

1. पुस्तकों के संबंध में विशेषज्ञ की राय पूर्णतया गोपनीय होगी। विशेषज्ञ कृपया अपना संस्तुति पत्र मोहरबंद लिफाफे में ही भेजें

2. कृपया लिफाफे के बांई ओर निम्नलिखित सूचनाएं अंकित करें :—

   (i) ''इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार-संस्तुति पत्र''

   (ii) लिफाफा राजभाषा विभाग की पुस्तक मूल्यांकन समिति की बैठक में ही खोला जाए।

   (iii) पुस्तक का नाम ....

   (iv) विशेषज्ञ का नाम ....

3. विशेषज्ञ कृपया पुस्तक के संबंध में नीचे दिए गए संस्तुति पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर अपनी राय अवश्य दें। यदि जांच के अन्य मानक बिंदुओं का समावेश करना चाहें, तो अलग-से कर लें, परन्तु नियत बिंदुओं पर अपनी निष्पक्ष राय अवश्य दें।

4. सेवारत अधिकारियों, कर्मचारियों आदि के मामले में ''संस्तुति पत्र'' का लिफ़ाफा संबंधित कार्यालय/विभाग/संगठन के प्रशासनिक प्रधान के माध्यम से राजभाषा विभाग को भेजा जाए तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों आदि के संबंध में वह सीधे राजभाषा विभाग को भेजा जाए।

पुस्तक का संस्तुति संबंधी प्रपत्र

1. पुस्तक का नाम ....

2. लेखक का नाम ....

3. क्या पुस्तक की विषय-वस्तु पर हिंदी में यह पहली रचना है ?..........................

4. क्या पुस्तक में प्रयुक्त तथ्य शुद्ध तथा अद्यतन है ? ....

5. क्या विषय-वस्तु में मौलिकता का निर्वाह हुआ है ? ....

6. क्या लेखक की कृति अद्यतन चेतना तथा भविष्यगामी परिकल्पनायुक्त है ? ....

7. क्या पुस्तक सामान्य पाठक के लिए रोचक तथा उपयोगी है ? ....

8. कोई अन्य उल्लेखनीय विचार :— ....

9. समेकित रूप में विवेच्य पुस्तक किस श्रेणी में रखी जा सकती है :—

   ''क'' — 85% से ऊपर

   ''ख'' — 60% से 85% तक

   ''ग'' — 60% से कम

विशेषज्ञ के हस्ताक्षर :

नाम व पूरा डाक पता :

दूरभाष :

अनुलग्नक "ख"

हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु
इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना वर्ष 2004-05

1. (क) लेखक का नाम .....
   (ख) पदनाम या पूर्व पदनाम.....
   (ग) कार्यालय या पूर्व कार्यालय का नाम और पता .....
   (घ) मंत्रालय/विभाग का नाम.....
   (ङ) लेखक का पूरा डाक पता (पिन कोड सहित) .....
   (च) दूरभाष नं. (एस.टी. कोड सहित)/फैक्स .....
2. पुस्तक का नाम .....
3. पुस्तक का विषय.....
4. प्रकाशक का नाम व पता.....
5. प्रकाशन का वर्ष .....
6. पुस्तक लिखने का कार्य सम्पन्न करने की तिथि (माह-वर्ष) .....
7. मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... जोकि 01 अप्रैल, 2004 से 31 मार्च, 2005 के दौरान केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले ..... (कार्यालय का नाम) में कार्यरत रहा/रही हूँ *या (सेवा/निवृत्त व्यक्तियों के संबंध में) ..... को (सेवानिवृत्ति की तिथि) ..... (पदनाम) के पद से ..... से (कार्यालय का नाम) सेवानिवृत्त हुआ हूँ, एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि :—
   (i) उक्त पुस्तक मेरी मौलिक रचना है और कापीराइट एक्ट (यथा संशोधित), 1997 के तहत किसी अन्य लेखक के कापीराइट का उल्लंघन नहीं करती है।
   (ii) उक्त पुस्तक ———— (माह व वर्ष) से ———— (माह व वर्ष) के बीच में लिखी गई/प्रकाशित हुई है।
   (iii) मेरी उक्त पुस्तक के विषय का संबंध मेरे द्वारा किए जा रहे/किए गए कार्य से है।

लेखक के हस्ताक्षर

दिनांक :

***नोट :** जो लागू न हों काट दें।

अनुलग्नक "ग"

मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय द्वारा सत्यापन तथा संस्तुति

लेखक द्वारा दिए गए उपर्युक्त तथ्यों तथा सम्बद्ध रिकार्ड के आधार पर उपर्युक्त कृति को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार, वर्ष 2004-05 के विचार हेतु योग्य पाया गया है, एतदर्थ संस्तुति की जाती है।

2. इस विभाग/कार्यालय द्वारा अब तक वर्ष 2004-05 के पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई यह पहली/दूसरी/तीसरी/चौथी पुस्तक है।

3. इंदिरा गांधी राजभाषा योजना के अन्तर्गत हिंदी में मौलिक पुस्तक-लेखन के पुरस्कार के लिए पूर्व में उक्त पुस्तक की सिफारिश नहीं की गई है।

अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/संस्थान :

दूरभाष/फैक्स :

दिनांक :

पाठकों के पत्र

राजभाषा भारती का उक्त 107वां अंक काफी रोचक लगा। त्रैमासिकी का प्रत्येक अंक विविधताओं से भरा होता है। प्रस्तुत अंक के माध्यम से अलग-अलग क्षेत्रों के रचनाकारों ने अपने अनुभवों एवं भावनाओं को शब्दों के माध्यम से अच्छी रचनाएं प्रस्तुत की हैं, जो कि दिल को छू जाती हैं। पत्रिका के शानदार संपादन के लिए संपूर्ण राजभाषा भारती परिवार बधाई का पात्र है।

—जे पी जॉर्ज, ले. कर्नल,
जीएसओ-1 (एजूकेशन), कृते कर्नल जीएस (ट्रेनिंग),
महानिदेशालय असम राइफल्स, शिलांग-793011

राजभाषा भारती का अंक 106, विशुद्ध विज्ञान पर आधारित अंक हो गया है। मनोविज्ञान के अनुवाद की समस्या (डा. वधान), विज्ञान के विकास में हिंदी के योगदान के अलावा विज्ञान स्तम्भ में तो कुछ उल्लेखनीय एवं संकलनीय रचनाओं का समावेश कर इसकी उत्कृष्टता में चार चाँद लगा दिया है। लोग कहते हैं—''विज्ञान के लिए अंग्रेजी अनिवार्य है'' को झुठलाने में ये रचनाएँ सक्षम हैं।

कबीर की भाषा क्या ? जिसने कोई लिखित पांण्डुलिपि नहीं छोड़ी। जहाँ के लोग उनसे प्रभावित हुए, वहीं की भाषा में उनके कवित्त गाए गए। बहरहाल अंक काफी अच्छा है। बधाई स्वीकारें।

अनिल पतंग
हिंदी अधिकारी,
दूरदर्शन केंद्र, जालंधर (पंजाब)

राजभाषा भारती अंक 106 (जुलाई-सितंबर, 2004) में चिंतन, साहित्यिकी, विज्ञान, पत्रकारिता, विविधता आदि शीर्षकों के अंतर्गत प्रकाशित लेख शोधपरक, उपयोगी एवं ज्ञानवर्धन हैं। इनमें वैचारिक चिंतन उच्चतम सीमा पर है। संपादन कौशल उत्कर्ष पर है। विषयों का चयन विवेकपूर्ण ढंग से किया गया है। राजभाषा संबंधी गतिविधियाँ प्रेरणादायी हैं, अनुकरणीय हैं। इस संग्रहणीय अंक के लिए बधाई।

डॉ अमर सिंह बधान, चैन्नै

राजभाषा भारती अंक 107 (काव्य विशेषांक) पत्रिका में विविध शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित आचार्य विष्णुकांत शास्त्री के कलकत्ता महानगर परिसंवाद 2004 में प्रकट किए गए निश्छल मार्मिक उद्‌गार—''हिंदी के मामले में भी हम उत्सव धर्मी हो गये हैं'' पढ़ा। यह आचार्य श्री की निष्कपट सपाट बयानी, सरल स्वभाव व विद्‌वत्ता का दिग्दर्शन कराता है। वास्तव में उनके आसामयिक निधन से हिंदी साहित्य जगत ने अपना एक श्रेष्ठ सरस्वती-पुत्र खो दिया। एक सुझाव है कि आप राजभाषा हिंदी साहित्य जगत से जुड़े प्रतिष्ठित साहित्यकारों, रचनाकारों के साहित्य सृजन संबंधी प्रेरक प्रसंगों को समय-समय पर पत्रिका में प्रकाशित करें तो यह पाठकों के लिए उपयोगी होगा।

—प्रजेय दत्त गौड़,
हिंदी प्रभारी, भारतीय खाद्‌य निगम,
जिला कार्यालय, अलीगढ़

राजभाषा भारती के काव्य विशेषांक की जितनी प्रतीक्षा थी उससे कहीं अधिक प्रसन्नता एवं उत्साह इसे पढ़ कर प्राप्त हुआ। देश के विभिन्न प्रदेशों के सरकारी कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों के कार्मिकों द्वारा लिखी गई कविताओं को इस काव्य विशेषांक में प्रकाशित कर हिंदी/हिंदीतर भाषियों का उत्साहवर्धन किया गया है। राजभाषा भारती में हमेशा की तरह नराकास, हिंदी कार्यशाला, राभाकास की बैठकों संबंधी गतिविधियों की रिपोर्ट से विभिन्न राज्यों में भारत सरकार की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त होती रहती है।

पत्रिका के उत्तरोत्तर विकास की कामना में,

—मनोज कुमार शर्मा,
सहायक निदेशक (राजभाषा),
एवं सचिव नराकास तूतीकोरिन

राजभाषा भारती का अक्टूबर-दिसंबर, 2004 का 107वां अंक (काव्य विशेषांक) वाकई समुद्रमंथन से निकले काव्यामृत जैसा प्रतीत हुआ।

किस कविता की सराहना करें और किसे छोड़ें? फिर भी प्रेरणा के स्वर, दिल की गहराई, त्रिशंकु, उड़ान, पक्षी की जिज्ञासा आदि रचनाएँ काफी अर्थपूर्ण लगीं। काव्य के साथ-साथ स्थाई स्तंभ भी ज्ञानवर्धक रहे। अब से इस पत्रिका को हिंदी कक्ष, भारी पानी संयंत्र, तालचेर को भी भेजने का कष्ट करें।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित,

—धनेश परमार,
हिंदी अनुवादक
परमाणु ऊर्जा विभाग,
भारी पानी संयंत्र, तालचेर,
डाकघर : विक्रमपुर-759 106,
जिला : अनगुल (उड़ीसा)

छपते-छपते

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, (राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली का दिनांक 10 अगस्त, 2005 का का. ज्ञा. संख्या: I/14034/03/2005-रा.भा. (नीति-1)

कार्यालय ज्ञापन

विषय : हिंदी दिवस-2005

भारत की संविधान सभा ने 14 सितम्बर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया था। प्रतिवर्ष इस उपलक्ष्य में देशभर में हिंदी दिवस समारोह आयोजित किए जाते हैं। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, बैंक और उपक्रम आदि भी बड़े हर्षोल्लास के साथ हिंदी दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए आदर्श वातावरण तैयार करना तथा हिंदी के प्रयोग को सतत् रूप से बढ़ाना है। भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह, पखवाड़ा, माह मनाएं। ये कार्यक्रम एक दृढ़ संकल्प लेकर मनाए जाएं। इन कार्यक्रमों की रूप-रेखा यथासंभव, अन्य के साथ, निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हो-

(1) केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों में राजकाज हिंदी में करने की प्रवृत्ति विकसित हो।

(2) उच्चाधिकारी अपना दैनिक कार्य स्वयं हिंदी में कर सकें ताकि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें।

(3) कंप्यूटरों तथा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों का प्रयोग हिंदी में अधिकाधिक रूप से हो सके।

(4) उच्चस्तरीय बैठकों में अधिकाधिक चर्चा हिंदी में हो।

(5) हिंदी में तकनीकी साहित्य का सृजन हो सके।

2. अनुरोध है कि उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में सभी मंत्रालय अपने सुविचारित कार्यक्रम तैयार करें और उन्हें क्रियान्वित करवाएं तथा अपने संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि को भी अवश्यक निदेश जारी करें।

ह०

(देवदास छोटराय)

सचिव, भारत सरकार

MGIPRRND—2132 HA/05—4,000

इंडियन ओवरसीज बैंक, एरणाकुलम द्वारा नामित सदस्यों हेतु राजभाषा संगोष्ठी में श्री कृष्ण पाणिक्कर नामित सदस्यों को संबोधित करते हुए। मंच पर (बाएं से दाएं) श्री एस. विश्वनाथन, राजभाषा अधिकारी और श्री टी. जगदीशन, मुख्य प्रबंधक, इंडियन ओवरसीज बैंक, तिरुवल्ला।

नगांव पेपर मिल, कागज नगर, असम में आयोजित संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में श्री आई. के. माथुर, प्रभारी उप-प्रबंधक (राजभाषा), मुख्य अतिथि श्री मोहन झा (मध्य में), प्रशिक्षण अधिकारी श्री इंद्रजीत चावला एवं श्री चैन पाल सिंह सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए।

पं. सं. 3246/7
आई एस एस एन 0970-939

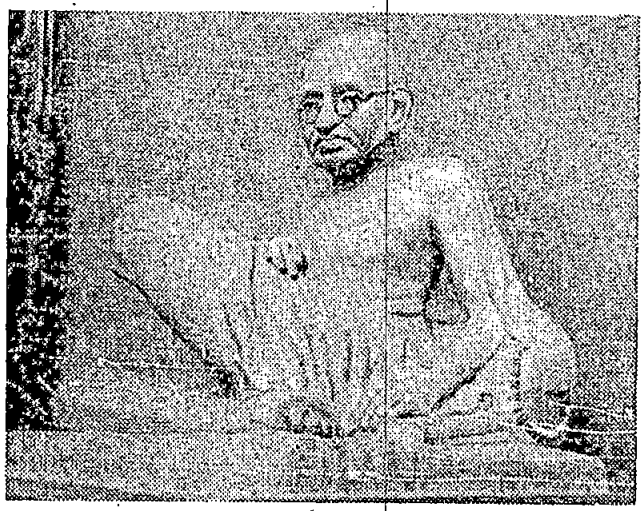

अंग्रेजी की हवा : गांधी जी का पत्र गुरुदेव के नाम

"गुरुदेव की तरह मुझे भी खुली हवा पर श्रद्धा है। मैं नहीं चाहता कि मेरा घर सब तरफ खड़ी हुई दीवारों से घिरा रहे और उसके दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी जाएं। मैं तो यही चाहता हूं कि मेरे घर के आसपास देश-विदेश की संस्कृति की हवा बहती रहे, पर मैं यह नहीं चाहता कि उस हवा में जमीन पर से मेरे पैर उखड़ जाएं और मैं औंधे मुँह गिर पड़ूँ। मैं दूसरे के घर में अतिथि, भिखारी या गुलाम की हैसियत से रहने के लिए तैयार नहीं हूं। झूठे घमंड के वश होकर, या कही जाने वाली सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए, मैं अपने देश के भाई-बहनों पर अंग्रेजी का नाहक बोझ डालने से इन्कार करता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे देश के जवान-लड़कियों को साहित्य में रस हो तो वे भले ही दुनिया की दूसरी भाषा की तरह अंग्रेजी जी-भर कर पढ़ें। फिर मैं उनसे आशा रखूंगा कि वे अपने अंग्रेजी पढ़ने के लाभ डा. बोस, राय और खुद गुरुदेव की तरह हिंदुस्तान को और दुनिया को दें। लेकिन मुझसे यह नहीं बर्दाश्त होगा कि हिंदुस्तान का एक भी आदमी मातृभाषा को भूल जाए, उसकी हंसी उड़ाए या उससे शर्माए या उसे यह भी लगे कि वह अपने अच्छे से अच्छे विचार अपनी भाषा में नहीं रख सकता।"

("हिंदी नवजीवन" दिनांक 13-2-1921 को प्रकाशित महात्मा गांधी द्वारा गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर को लिखे पत्र का अंश)

भारत सरकार, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003 के लिए डॉ राजेंद्र प्रताप सिंह, उप संपादक द्वारा प्रकाशित तथा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।